त्रयोदश माला, खंड 27, अंक 13

बुधवार, 31 जुलाई, 2002

9 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No 54
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 31 जुलाई, 2002/9 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243	2–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260	39–116
अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 से 2629	117–374
सभा पटल पर रखे गए पत्र	374–377
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
झारखंड राज्य में विद्यमान स्थिति	
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	377–379
गोधरा रेल घटना के संबंध में कुमारी ममता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा प्रेस को दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में	380–400
पूर्व रेलवे जोन के विभाजन के बारे में	401–422
नियम 377 के अधीन मामले	423–430
(एक) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोदीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. रमेश चंद तोमर	423
(दो) महाराष्ट्र में वसई-दीवा रेलवे लाइन पर मुम्बई उप-नगरीय रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री चिंतामन वनगा	423–424
(तीन) झारखंड में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	424
(चार) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में अंतर-राज्य बिक्री के लिए छोटे एककों को अनिवार्य रूप से "सी" फार्म प्रस्तुत करने से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल	424–425

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(पांच)	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिलबिल्ला में उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह	425
(छह)	कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड के केरल में वल्लरपदम में ''ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल'' की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जार्ज ईडन	426
(सात)	पश्चिमी बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में प्रशिक्षु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बिकास चौधरी	426–427
(आठ)	जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों पर मूल उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता	
	डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	427
(नौ)	देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शेष गांवों को सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	428
(दस)	तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ''हाई डेंसिटी पोलीएथलीन मोनोफिलामेंट यार्न मॉस्किटो नेट्स'' के निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. चिन्नासामी	428–429
(ग्यारह)	मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने में आ रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	429–430
(बारह)	पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रख-रखाव के लिए निधियों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	430
अतिरिक्त अनुदानों की मांग (सामान्य) 1999-2000 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-2003		430–524
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	437–447
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी	447–453
	श्री मोइनुल हसन	453–456
	डा. बी.बी. रमैया	456–459

विषय **कॉलम**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 459–464

श्री किरीट सोमैया 464–471

श्री रूपचन्द पाल 471–474

श्री प्रभुनाथ सिंह 475–478

श्री रामजीलाल सुमन 479–482

श्री सोहन पोटाई 482–483

श्री पी.एच. पांडियन 483–485

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 486–488

श्री भान सिंह भौरा 489–490

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 490–493

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 493–494

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल 494–495

श्री जसवंत सिंह 495–523

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2002 – *पुर:स्थापित* 524–525

विचार करने के लिए प्रस्ताव 525

श्री जसवंत सिंह 524–525

खंड 2, 3 और 1 525

पारित करने के लिए प्रस्ताव 525

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2002 – *पुर:स्थापित* 526–532

विचार करने के लिए प्रस्ताव 526

श्री जसवंत सिंह 526, 529–530

श्री बसुदेव आचार्य 526–528

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 528–529

खंड 2, 3 और 1 531

पारित करने के लिए प्रस्ताव 532

लोक सभा

बुधवार, 31 जुलाई, 2002/9 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण चंदौली के ग्राम धनकुरवडा कलां के मजरा में दो मौतें हुई हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न को आप जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, वहां नौगढ़ जिले में दो मौतें भूख के कारण हुई हैं। इससे ज्यादा गम्भीर स्थिति और क्या हो सकती है। एक तरफ यह सरकार और कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि विदेशी और देशी गल्ला भरा पड़ा है। अगर गल्ला भरा पड़ा है, तो ये मौतें क्यों हो रही हैं? हमने पहले भी कहा था और वह बात पूरी की पूरी सच हो रही है। मजदूर और गरीब किसान महीने-दो महीने से ज्यादा गल्ला नहीं रख सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत गम्भीर मामला है, मुझे मालूम है। आप इस प्रश्न को जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। इस समय देश में भुखमरी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है, पूरे देश की स्थिति सूखे के कारण गम्भीर है। यह मैं जानता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो-आवर में इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 241—श्री सी. श्रीनिवासन।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

***241. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान में सामाजिक और मानवीय कार्य करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार समझती है कि अफगानिस्तान में पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सार्वजनिक, व्यक्तिगत एवं स्वैच्छिक अंशदान आपसी सम्पूरक और सहक्रियाशील होगा।

सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए व्यापक माननीय वित्तीय और परियोजना सहायता उपलब्ध कराई है और अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण सुविधाओं और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके संस्थान निर्माण में भी अंशदान दे रही है। सरकार ने निजी क्षेत्र दौरों और अन्योन्यक्रिया

को भी सुसाध्य बनाया है। इच्छुक स्वैच्छिक संगठनों को भी पुनर्निर्माण प्रयास में उनके योगदान के लिए संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

श्री सी. श्रीनिवासन: महोदय, माननीय मंत्रीजी ने विस्तृत उत्तर नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मैं जो कुछ सूचना मेरे पास उपलब्ध है उस पर आधारित प्रश्न उठाना चाहूंगा। सरकार ने कहा है कि वह भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को समाजिक और जनसेवी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देगी। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने मात्र 12 दिल्ली आधारित गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन क्यों दिया है जबकि पूरे देश में कई गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन को भी अफगानिस्तान भेजा गया है जो सांस्कृतिक स्मारकों के परिरक्षण का कार्य कर रही है और वह बामियान स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की मरम्मत करेगी।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री सी. श्रीनिवासन: महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान में सामाजिक और मानवीय कार्य करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने का है? लेकिन आपने भिन्न जवाब दिया है? यह क्या है?

श्री दिग्विजय सिंह: आपने मुझसे क्या प्रश्न पूछा है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपका उत्तर सही नहीं है, बराबर नहीं है, यह इनका प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर बराबर है, जो आपने दिया है।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन: महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी आप कृपया अपना हेडफोन लगा लीजिए।

अन्यथा आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी *...(व्यवधान)* सरकार ने कहा है कि वह भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को अफगानिस्तान में सामाजिक और जनसेवी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देगी। सरकार ने मात्र 12 दिल्ली आधारित गैर-सरकारी संगठनों को ही क्यों प्रोत्साहन दिया है जबकि देश भर में कई अन्य गैर-सरकारी संगठन हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सांस्कृतिक स्मारकों की यदि रक्षा करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन को बामियान स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की मरम्मत करने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया है?

श्री दिग्विजय सिंह: सरकार ने अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर मानवीय, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की है। इस संबंध में, हम किसी भी गैर-सरकारी संगठन द्वारा किये गये प्रयासों का स्वागत करते हैं जो मानवीय कार्य करते हों और अफगानिस्तान के लोगों को अन्य सहायता प्रदान करते हों। अफगानिस्तान का दौरा करने का निर्णय गैर-सरकारी संगठनों का होगा और सरकार को अफगानिस्तान की विद्यमान सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति के संबंध में गैर-सरकारी संगठन को अवगत कराने में प्रसन्नता होगी। हमें अफगानिस्तान के दौरे में अफगानिस्तान के प्राधिकारियों और अन्य सम्बद्ध संगठनों के साथ उनकी बातचीत कराने में भी प्रसन्नता होगी। तथापि, हम अपेक्षा करेंगे कि गैर-सरकारी संगठन उस देश की स्थानीय भावनाओं और संवेदनाओं का आदर करेंगे जिसकी यात्रा वे कर रहे हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन: आपने मात्र 12 दिल्ली आधारित गैर-सरकारी संगठनों को ही क्यों चुना है? मैंने आपसे पृथक प्रश्न पूछा है और आप कुछ अन्य कहानी बता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैंने किसी गैर-सरकारी संगठन का चयन नहीं किया है *...(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन: आपने दिल्ली से ही गैर-सरकारी संगठनों को क्यों चुना है किसी अन्य स्थान के संगठनों को क्यों नहीं चुना है?

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने किसी गैर-सरकारी संगठन का चयन नहीं किया है। आपको मेरा यह जवाब है।

श्री सी. श्रीनिवासन: आपने पहले भी ऐसा कहा है। यह तो आपके उत्तर में है।

श्री दिग्विजय सिंह: बिल्कुल नहीं।

श्री सी. श्रीनिवासन: वह सरकार का उत्तर है। आप कृपया उत्तर को पढ़ें। यदि आपके पास सही जवाब है तो कृपया उसे मेरे पास भेज दीजिए। *...(व्यवधान)*

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है—जब हमारे इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट का नेपाल से अफगानिस्तान अपहरण किया गया था तब हम तालिबान शासन के सम्मुख असहाय थे। जैसाकि हमारा वहां अपने गैर-सरकारी संगठनों को भेजने का प्रस्ताव है, हमें

अफगानिस्तान में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए। यह आवश्यक है। मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार दोनों देशों के लोगों की सामाजिक और सुरक्षा हितों में प्रत्यर्पण करार में कोई कदम उठा रही है?

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, क्या मैं वह उत्तर दोहराऊं जो मैंने पहले दिया है। सरकार ने कभी भी कोई गैर-सरकारी संगठन वहां नहीं भेजा है लेकिन हमने उन गैर-सरकारी संगठनों को सुविधाएं प्रदान की हैं जो वहां गये थे और वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी गैर-सरकारी संगठन अफगानिस्तान गए हैं। सरकार के रूप में हमने केवल उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैं केवल यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री सी. श्रीनिवासन : प्रत्यर्पण संधि के बारे में क्या है? आपने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जैसाकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में अन्तरिम सरकार है जो दो वर्षों के लिए वहां है। दो वर्षों के पश्चात् वहां औपचारिक चुनाव होंगे और तब वहां नयी सरकार बनेगी। अब जहां तक प्रत्यर्पण संधि का सम्बन्ध है हम इसका ध्यान रख रहे हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन : अब वहां पर मित्र सरकार है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री श्री हमीद करजाई अमरीका के अंगरक्षक रखे हुए है। वह देश अपने राज के मुखिया को सुरक्षा तक तो प्रदान करा नहीं पाया है। अत: अफगानिस्तान में मुख्य आवश्यकता शक्तिशाली सेना और पुलिस का गठन करना है। चूंकि हम शान्ति के लिए अफगानिस्तान में अत्यन्त शक्तिशाली सरकार चाहते हैं इसलिए भारत सरकार शक्तिशाली सेना और पुलिस का गठन करने के लिए अफगानिस्तान को सहायता प्रदान कर रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : सेना उसका आन्तरिक मामला है। लेकिन जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है हम इस देश में उनके पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है और यह पुन: गलत जवाब दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि सेना का प्रश्न अलग है। लेकिन विदेश राज्य मंत्री होने के नाते इन्हें प्रत्यर्पण सन्धि के बारे में मालूम होना चाहिए *...(व्यवधान)* इसीलिए मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा है। महोदय कृपया आप उन्हें बता दीजिए कि वह मुझे इसका जवाब भेज दें। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से स्पर्धी गुटों के बीच राजनीतिक समझौता होने के परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की भूमिका क्या है? मैं श्री स्वाईं के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के पक्ष में अहम भूमिका निभाई है जिससे इसने पाकिस्तान को सामरिक महत्व प्रदान किया है। तालिबान शासन के पश्चात उसे जोरदार झटका लगा है। अब शांति लाने के लिए आदर्श अफगान राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के साथ मिलकर आदर्श अफगान राष्ट्रीय सेना का गठन करने पर विचार कर रही है। अधिकतर गैर-सरकारी संगठनों को अफगानिस्तान में राहत और विकास कार्य के बीच वियोजन को दूर करने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

भारत से कितने गैर-सरकारी संगठन अफगानिस्तान में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं। यह इसलिए है क्योंकि तालिबान शासन के दौरान भी अधिकतर गैर-सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में लगे हुए थे।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, सरकार ने विदेश मंत्रालय में विशेष अफगान इकाई की स्थापना की है जो ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करती है जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी-अभी पूछा है। यह इकाई किसी भी गैर-सरकारी संगठन की अफगानिस्तान में विद्यमान परिस्थिति के संबंध में, पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करने में मदद करके प्रसन्न होगी जो अफगानिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। यह इकाई काबुल में हमारे दूतावास के माध्यम से काबुल और अन्य स्थानों में बातचीत भी कराएगी।

श्री अधीर चौधरी : मैंने दूसरा प्रश्न पूछा है और आप दूसरी बात कर रहे हैं। आपने मेरे प्रश्न का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : धन्यवाद, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पाकिस्तान के जेलों में बन्द पड़े भारतीय नागरिकों के बारे में प्रश्न उठाने की अनुमति ली है। उनकी गलती है कि वह जीविकोपार्जन कमाने के लिए बाहर गए थे। वास्तव में वे लेबनान गए थे। किसी ने उन्हें गलती से इटली भेज दिया। इटली के लोगों ने उन्हें ईरान भेज दिया। ईरानी प्राधिकारियों ने बिना जाने हुए उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया। पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उन्हें बन्दी बना लिया और वे अब पाकिस्तानी जेलों में हैं। हालांकि पाकिस्तान में न्यायालयों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी वे जेलों में बंद हैं। मैं यहां विशेषरूप से श्री रजनी के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। वह श्री जगजीत सिंह के साथ अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

मैंने माननीय विदेश मंत्री और माननीय गृह मंत्री को कई पत्र लिखे हैं लेकिन मुझे अभी तक कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या हमने पाकिस्तानी जेलों से उन्हें रिहा कराने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हैं। वे बिना किसी अपराध के भुगत रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान अदालत ने भी छोड़ दिया है। वे भारत सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को शीघ्रता से छुड़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए गये हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यद्यपि माननीय सदस्य का प्रश्न अफगानिस्तान से सम्बन्धित नहीं है मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यदि वे इस मामले को मेरे ध्यान में लाते हैं तो मैं निश्चय ही इसकी छानबीन करूंगा।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता अथवा कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए किसी कार्यदल का गठन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान शासन काल के दौरान ध्वस्त किया गया था के मामले को उठाया है?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 100 मिलियन डॉलर की सहायता देने का निर्णय लिया है।

हमने पहले ही अफगानिस्तान को 21 मिलियन डालर से अधिक दिया है जिसमें 10 मिलियन उनके बजटीय प्रावधान के लिए दिया गया है। जहां तक अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का प्रश्न है, हम पहले ही कई तरीकों से अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। सड़क परिवहन के लिए हमने अफगानिस्तान को 50 बसें मुहैया कराई हैं।

जहां तक बुद्ध प्रतिमाओं का प्रश्न है, हम तुरंत उस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : अफगानिस्तान में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के बारे में प्रश्न है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या अफगानिस्तान को जाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को भी सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्या सतर्कता ब्यूरो, मंत्रालय और रॉ उन गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृति देने में शामिल है जो अफगानिस्तान जैसे देश में जा रहे हैं? यदि ऐसा किया जाता है तो कम से कम इस देश के नाम को किसी भी प्रकार कलंकित नहीं किया जाए। क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? *...(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ये गैर-सरकारी संगठन अफगानिस्तान जाने के योग्य हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, उस संबंध में हम पूरा ख्याल रखते हैं। जब भी यहां से किसी एन.जी.ओ. को जाने का मौका देते हैं तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है और आगे उसकी क्या गतिविधियां होने वाली हैं। हम इन सब बातों का ख्याल रखते हैं।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की कमी

***242. श्री+ रामपाल सिंह :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की कमी के कारण रोगियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की उपलब्धता और लाभार्थियों को दवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय रोगियों को उपलब्ध दवाओं की आपूर्ति शीघ्र करते हैं। जो दवाएं औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं, उनको लिखे गए अलग-अलग नुस्खे के अनुसार इन्डेन्ट करवाया जाता है और संबंधित औषधालय से संबद्ध अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राप्त की जाती हैं। केमिस्ट इन्डेन्ट कराई गई दवाओं की आपूर्ति औषधालयों को करते हैं जो बाद में रोगियों को दी जाती हैं। आपात स्थिति में रोगी को सीधे ही अधिकृत केमिस्ट से दवा प्राप्त करने हेतु एक प्राधिकार पर्ची दी जाती है।

चिकित्सा भंडार संगठन सामान्यतया फार्मूलरी के आधार पर थोक में दवाएं खरीदता है जिनकी आपूर्ति इन्डेन्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को औषधों की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु औषधों की एक नई व्यापक फार्मूलरी हाल ही में अनुमोदित की गई है ताकि स्थानीय खरीद पर निर्भरता को कम किया जा सके। नई फार्मूलरी के अंतर्गत खरीदी जाने वाली औषधों के लिए दरें निर्धारित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष जी, सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं रहती है तभी बाजार से खरीदकर वहां मंगवाने का इंतजाम किया जाता है, ऐसा उत्तर में बताया गया है। जो दवायें वहां उपलब्ध नहीं होती हैं, उनके लिये अलग से नुस्खे के आधार पर इंडैंट करते हैं। इसके बावजूद वहां दवायें उपलब्ध नहीं होती हैं। विक्रेता के पास दवायें उपलब्ध रहती हैं लेकिन ज्यादातर सी.जी.एच.एस. के अस्पतालों में स्ट्राइक रहती है या कैमिस्ट की दुकान बंद रहती हैं, ऐसी दशा में सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश रामराव जाधव : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? *...(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : केबीनेट मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं *...(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : महोदय, सदस्यों की यह बात उचित नहीं है। मैं भी स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री हूं। मैं भी केबीनेट मंत्री और प्रधान मंत्री के लिए उत्तरदायी हूं.....

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): माननीय सदस्य को प्रश्न का उत्तर चाहिए या मिनिस्टर श्री शत्रुघ्न सिन्हा चाहिए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे सभी, नियम जानते हैं कि राज्य मंत्री, केबीनेट मंत्री की ओर से उत्तर दे सकता है।

...(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : आज हमारे पास पांच प्रश्न हैं। केबीनेट मंत्री कहां हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : माननीय प्रधान मंत्री यहां हैं किन्तु केबीनेट मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री श्री शत्रुघ्न सिन्हा से प्रश्न के उत्तर के बारे में आपकी चिंता को समझता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया बैठ जाईये, आप निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने सदन में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वह सदन से बच रहे हैं। वह सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते। अत: कृपया उन्हें बताएं कि संसद के दिनों में वह अपनी शूटिंग को छोड़ दें। वह शूटिंग को प्राथमिकता दे सकते हैं किन्तु उन्हें संसद की अनदेखी नहीं करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वह संसद की अनदेखी कर रहे हैं। हो सकता है वह दूसरे सदन में व्यस्त हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी जानते है कि केबीनेट मंत्री का यहां उपस्थित होना आवश्यक है।

[हिन्दी]

आप सब जानते हैं कि माननीय सदस्य, श्री शरद पवार ने विनती की है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि ऐसी विनती होने पर उन्हें आना चाहिए और वे आ जायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न चलने दें। आगे के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शत्रुघ्न सिन्हा जी अगली बार जरूर आ जायेंगे।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह बिना सूचना दिये सदन से अनुपस्थित हैं। उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले में एक रूलिंग दी है कि केबीनेट मंत्री के लिए प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। तथापि, मैं माननीय सदस्यों के अनुरोध को मंत्री के समझ रख दूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप ऐसे समय क्यों नष्ट कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ; क्या उन्होंने सदन की अनुमति ली है कि वह अनुपस्थित रहेंगे। नियम यह है कि यदि कोई मंत्री किसी कारण से उपस्थित नहीं रहता है तो उसे पूर्व में सूचना देकर आपकी अनुमति लेना आवश्यक है। क्या संबंधित मंत्री के द्वारा ऐसी कोई सूचना या अनुमति आपसे ली गई है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने क्या आपसे कोई अनुमति ली है। आखिर यह सदन नियमों के अनुसार चलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आपको इस बारे में कोई सूचना मिली है?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप जरा मुझे सुनिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, परसों वह एक नाटक में भाग ले रहे थे। यहां आने में क्या कठिनाई है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के दौरान उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए। यदि वह शहर से बाहर हैं अथवा वह बीमार हैं, तो उन्हें आपसे पहले अनुमति लेनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि राज्य मंत्री प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि सारे सदन ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए, मैं निश्चित रूप से इस बात को श्री शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उठाऊंगा, मैं यह आश्वासन देता हूं कि अगली बार वे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, हम जानना चाहेंगे कि क्या मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय से सदन में प्रश्नकाल के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए पूर्वानुमति ले ली थी।

श्री कोडीकुनील सुरेश : अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री महोदय को यहां आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री को सदन में उत्तर देने का अधिकार है और वह केबीनेट मंत्री की ओर से उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं बोलूंगा कैसे? मैंने आपको बोलने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री को उत्तर देने का पूरा हक है, परन्तु शत्रुघ्न सिन्हा जो संबंधित मंत्री हैं, उन्हें इस बारे में आपको लिखकर देना चाहिए था कि अध्यक्ष महोदय मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, मेरे स्थान पर राज्य मंत्री जवाब देंगे। जब से सदन प्रारम्भ हुआ है, वह सदन में नहीं आये हैं। पिछली बार जब उनका बिल आया तो उसे भी उन्होंने पायलट नहीं किया, राज्य मंत्री ने पायलट किया था। प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। प्रधान मंत्री जी उन्हें सचेत कर सकते हैं। आप तो इसका नोटिस ले ही रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी टिप्पणी का आदर करते हैं। हम उनका पालन करेंगे। हम राज्य मंत्री महोदय का आदर करते हैं। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। किन्तु मुद्दा यह है कि यदि एक वरिष्ठ मंत्री आपको, सदन में अपनी अनुपलब्धता के बारे में नहीं बताते और शपथ लेने के बाद सदन को हल्के अंदाज में लेते हैं, तो यह सारी संसद की अवमानना है। इसलिए ही यह बात हमने आपकी जानकारी में लाई है। किन्तु हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आपने प्रश्न उठाया है, मैंने संसदीय व्यवहार और प्रक्रिया का अध्ययन किया है। मैं आपको बता दूं कि संसद में नियम और प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है। मैं नहीं चाहता कि श्री शत्रुघ्न सिन्हा को भी गलत समझा जाए। अत:, अपने व्यक्तिगत कारणों अथवा दूसरे सदन में उपस्थिति के कारण वह अपने अधीन मंत्री को उत्तर देने के लिए कह सकते हैं। इस बारे में संसदीय व्यवहार और प्रक्रिया में यह बात स्पष्ट की गई है कि प्रश्नकाल के दौरान, संसदीय सचिव अथवा संबंधित उप मंत्री आमतौर पर, प्रश्नों की सूची में अपने-अपने मंत्रियों के नाम के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।

अत: जब भी कभी उप मंत्री अथवा राज्य मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह लिखित रूप में अध्यक्ष को सूचित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे मेरी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह पढ़ रहा हूं तो आप कैसे व्यवधान डाल सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें कि विघ्न डालने का यह कोई तरीका नहीं है। मैंने बहुत सह लिया है। अब मुझे व्यवस्था देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं। जब अध्यक्षपीठ कोई व्यवस्था देते हैं तो सदस्यों को व्यवस्था को सुनना चाहिए। मैं बार-बार एक ही बात क्यों दुहराऊँ? अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में, यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि उप मंत्री अथवा राज्य मंत्री उपस्थित हो सकते हैं। मंत्री अथवा राज्य मंत्री जब कभी आवश्यक हो तो अनुपूरक के माध्यम से कुछ बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। अत: यह भी अनिवार्य पाया गया कि मंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। किन्तु राज्य मंत्री उत्तर देने के लिए पात्र हैं। अत: राज्य मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया है।

श्री ई. अहमद : किन्तु मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न न पूछें। मुझे अफसोस है। श्री राजा कृपया उत्तर दें।

श्री ए. राजा : महोदय, वरिष्ठ सदस्य श्री शरद पवार और श्री दासमुंशी का मैं आदर करता हूं। नि:संदेह श्री दासमुंशी द्वारा की गई मेरी प्रशंसा के लिए मैं उनका आभारी हूं और इसीलिए मैं सदन के समक्ष उत्तर देने आ गया हूं। किन्तु मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री शरद परवार का यह आरोप कि केबीनेट मंत्री, श्री शत्रुघ्न सिन्हा सदन में आने से बच रहे हैं, सत्य नहीं है। उन्होंने दूसरे सदन में एक विधेयक पुर: स्थापित किया था और इसे पारित करवा लिया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया उत्तर दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी को संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है। *...(व्यवधान)* वह फिर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री ए. राजा : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आते हुए यह सच है कि एम.आर.पी. के आधार पर केमिस्टों और अन्य मान्यताप्राप्त डिस्पेन्सरियों द्वारा कुछ हड़तालों की धमकी दी गई है। हम जब भी निविदा निकालते हैं, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्त हैं कि उन्हें दवाई के मूल्य में बिक्री कर नहीं जोड़ना चाहिए जबकि निजी केमिस्टों द्वारा इनकी आपूर्ति की जाती है। किन्तु वे एम.आर.पी. के अलावा बिक्री कर भी जोड़ते थे। हमने सिर्फ एम.आर.पी. के लिए टेंडर निकाला। वे इस पर सहमत थे। निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों और निबंधों के विरुद्ध वे अधिक बिक्री कर लेना चाहते थे जिसे मंत्रालय ने मना कर दिया।

हम केमिस्टों, मंत्रालय और सी.जी.एच.एस. के बीच विवाद के हल के लिए बिल का 10 प्रतिशत अनुमोदित करने तक ही सीमित हो गये हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आगे उत्तर दीजिए।

श्री ए. राजा : हड़ताल चार दिनों के लिए अर्थात् 21 फरवरी, 2002 और 25 फरवरी, 2002 के बीच हुई। इसके बाद फिर 1 अप्रैल, 2002 और 12 अप्रैल, 2002 के बीच एक और हड़ताल हुई। मंत्रालय द्वारा इसका हल कर दिया गया है। अब भुगतान में कोई भी विलम्ब नहीं है। हम इसका और ध्यान रखेंगे। यदि कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष जी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल ज्यादातर स्ट्राइक के कारण बंद रहते हैं जिस कारण दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो भी दवाएं दी जाती हैं, इन्डैन्ट करके भेजते हैं, तो एक मैडिसिन का तो इन्डैन्ट आ जाता है लेकिन दूसरी दवाई का सबस्टीट्यूट सप्लाई कर देते हैं, सही दवाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए दवाओं का भंडारण करना नितांत आवश्यक है ताकि जो भी अस्पताल से पर्चा मिले, वे सब दवाइयां वहां उपलब्ध हो जाएं।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, सी.जी.एच.एस. में दो व्यवस्था हैं। एक यह है कि हम दवाई सीधे खरीदते हैं और इन दवाइयों को बेचने के लिए रखते हैं, मान लीजिए, सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत एक मरीज सी.जी.एच.एस. आया और उसने पाया कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। तब, हम इस मामले को केमिस्ट के पास भेज सकते हैं।

कुछ केमिस्ट मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं। अतएव, अनुमोदित केमिस्ट बिल की प्रतिपूर्ति कर सकता है और दवाई दे सकता है। मान लीजिए अत्यन्त ही दुर्लभ मामलों में मान्यता प्राप्त केमिस्ट के पास ऐसी औषधि न हो। तब नियम मरीज को अथवा विशेष व्यक्ति को प्राइवेट रूप से खरीदने की अनुमति देते हैं। बाद में इसकी केमिस्ट के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा सकती है जिसकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई है।

इन सबके बावजूद यदि कुछ सदस्यों द्वारा कोई कठिनाई महसूस की जा रही है तो हम इसका ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है वह केमिस्ट्स, मैडीकल सप्लायर्स आर्गेनाइजेशन और सी.जी.एच.एस. के द्वारा जो दवाएं खरीदी जाती हैं, उनमें घपला होने एवं दवाओं की त्वरित आपूर्ति के बारे में है। मैं बताना चाहता हूं कि इसका एक विशीयस सर्किल बना हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट के लोग, केमिस्ट और एम.एस.ओ. शामिल हैं। ये तीनों मिलकर इसमें घोटाला करते हैं।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि किसी को अमलोगार्ड दवाई की जरूरत है, जिसे फाइजर कंपनी बनाती है, उसका 10 गोलियों का एक पत्ता 63 रुपए का आता है और उसी से मिलता-जुलता दूसरा नाम अमलोडेपिन है। यदि डाक्टर अमलोगार्ड प्रैस्क्राइब करता है और केमिस्ट अमलौडैपिन दे देता है तो 10 गोली के एक पत्ते पर बीच में लगभग 40 रुपए बचा लेता है और इस बची हुई रकम को वह अकेला नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के कुछ लोग और एम.एस.ओ. मिलकर पचा जाते हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैंने केवल एक दवाई का उदाहरण दिया है। ऐसी अन्य अनेक दवाएं हैं जो बहुत महंगी हैं और जिनके बदले में दी जाने वाली सब्सटीट्यूट दवाएं बहुत सस्ती हैं। उन्हें देकर बीच में धन की हेरा-फेरी की जा रही है और इस प्रकार से जहां सरकार को चूना लगाया जा रहा है, वहीं मरीज को उपयुक्त दवाई नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, सितम्बर में मलेरिया फैलने का समय आने वाला है। यदि आज मलेरिया की दवाई ढूंढी जाए, तो नहीं मिलेगी। जब मलेरिया फैलेगा, तब हमारा मैडीकल विभाग मलेरिया की दवा इंडेंट करेगा जो कहीं जनवरी या फरवरी में सप्लाई होगी और तब तक मलेरिया समाप्त हो चुका होगा। इस प्रकार से मरीजों को सही दवाएं नहीं मिल रही हैं। महोदय, दवाओं में हेरा-फेरी और गड़बड़ी की जांच करने के लिए एक टास्क-फोर्स बनाई गई थी। उसने जांच भी की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के क्या नतीजे निकले और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा केमिस्ट, डिपार्टमेंट के कुछ लोगों और एम.एस.ओ. का जो विशीयस सर्किल बना हुआ है, इसको आप कैसे समाप्त करेंगे और जो हेरा-फेरी हो रही है, उसे कैसे रोकेंगे?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे पास दवाइयों के फार्मूला की एक प्रणाली है। वे कौन सी दवाइयां हैं जो एम.एस.ओ. द्वारा खरीदी जा सकती हैं। इस मामले में हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में फार्मूलरी में संशोधन नहीं किया गया। इन पांच वर्षों के दौरान क्या हुआ है? फार्मूलरी के अनुमोदन होने की पिछली तिथि से लेकर आज तक बाजार में नई दवाइयां आई हैं। नई दवाइयां हैं जो जेनरिक अथवा

प्रोप्राइटरी हो सकती हैं। यदि आप 'टालापर' कहिए तो यह प्रोप्राइटरी है। यदि आप पारासिटामोल कहते हैं तो यह जेनरिक है। इसलिए, इस दरम्यान बाजार में नई दवाइयां और बाहर विदेशों से आई हैं। जब तक कि यह फार्मूलरी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता है, एम.एस.ओ. या सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरी सीधे दवाइयों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

इन कठिनाइयों के बारे में पूरी तरह से जानते हुए, 14.2.2002 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने इस फार्मुलरी में संशोधन किया और इसे स्वीकृत किया। स्वीकृत फार्मूलरी का प्रचालन होने जा रहा है। मैं सोचता हूं कि 10-20 दिनों के अंदर हमें प्राइवेट खरीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम.एस.ओ. और सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी में सब कुछ उपलब्ध होगा। इसलिए, यह प्रश्न लगभग 20 दिनों के बाद नहीं उठेगा। इसके बावजूद मैं माननीय सभा को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि कठिनाइयों का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार के लाखों कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना पर आश्रित है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने के कारण मैं भी गुजरात में सी.जी.एच.एस. कार्ड धारक हूं। नगरों में संसद सदस्य भी अपने चुनाव क्षेत्रों में सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरियों से दवाई लेते हैं।

मैं माननीय मंत्री, जो उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने केन्द्र सरकार में 37 वर्षों तक सेवा की। यह आपकी आयु के बराबर है।

प्रश्न सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरियों में मरीजों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के संबंध में है। माननीय मंत्री यहां सिर्फ अनुपूरक प्रश्नों का सामना कर रहे हैं, किन्तु दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और अहमदाबाद में डिस्पेन्सरियों में बैठे डॉक्टर और स्टाफ क्रुद्ध मरीजों का सामना कर रहे है। मैं दो विशिष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : इसे 'क' और 'ख' मान लीजिए। यह हमारे हित में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा भाग बना सकते हैं और पूछ सकते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : ठीक है महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सी.जी.एच.एस. इम्पलाइज एण्ड ऑफिसर्स फेडरेशन ने स्वयं सरकार को सूचित किया है कि इसका कैसे समाधान किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि प्रत्येक सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरी में सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। मान लीजिए वह एक दिन का आकस्मिक अवकाश ले लेता है और उसी डिस्पेन्सरी में डाक्टर दवाई लिखता है तो मरीज को दवाई कौन देगा, यद्यपि वहां दवाई उपलब्ध है? क्या आपके पास उसके लिए कोई सुविधा है।

दूसरा, मान लीजिए सरकारी कर्मचारी कार्यालय में है और उसका पति/पत्नी अपने बच्चे के साथ बस से डिस्पेन्सी जाती/जाता है, जो कि मलेरिया, डायरिया या डिहाइट्रेशन से पीड़ित है और फार्मासिस्ट स्थानीय खरीद के लिए लिखता है और उस महिला को दे देता है, तो वह क्या करेगी? क्या सी.जी.एच.एस. में आपात मामलों में सभी जरूरी दवाइयां देने की सुचारू व्यवस्था है और वह पूरे देश में सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरियों में स्थिति को कैसे सुधारने जा रहे हैं?

श्री ए. राजा : महोदय, पहले भाग के प्रश्न के संबंध में, कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक डिस्पेन्सरी में एक ही फार्मासिस्ट है। यदि उसके छुट्टी की सूचना पहले से होती हैं तो हम डिस्पेन्सरी में दूसरे फार्मासिस्ट की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। किंतु यदि पहले सूचना न दी जा सके तब हम निकटतम डिस्पेन्सरी से तत्काल प्रबन्ध करते हैं। यदि वह संभव नहीं है तब भी जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, मरीज डाक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर प्राइवेट केमिस्ट के पास जा सकता है और उसे बिल की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि चूंकि हमारी चूक हैं क्योंकि फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं था, हम इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ए. राजा : आपातकालीन मामलों के संबंध में किसी भी नियम के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हृदयाघात होता है तो उसे डिस्पेन्सरी जाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वीकृत अस्पताल जा सकता है, वहां उपचार करा सकता है और इसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, वह एक गंभीर वक्तव्य दे रहे हैं। आपातकालीन मामलों में उपचार का बिल जब भुगतान के लिए आता है, तो वे बिल के आधे की ही प्रतिपूर्ति करते हैं। ...*(व्यवधान)* उसके बाद आप सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरी में जाने के पात्र हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : मैं सिर्फ अत्यन्त ही आपातकालीन मामलों के बारे में बता रहा था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुढ़े जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य औषधालयों से केवल केन्द्रीय कर्मचारी ही दवाई नहीं लेते बल्कि दिल्ली में सांसद और राज्यों में जो असेम्बली के मैम्बर होते हैं, वे भी इन औषधालयों से दवाई लेते हैं। ऐसी फैसीलिटीज उनको दी गई है। यहां जो स्टॉकिस्ट अथॉरिटीज हैं, जैसा अभी माननीय जायसवाल जी ने कहा कि स्टॉकिस्ट ठीक ढंग से दवाई सप्लाई नहीं करते और न ही ठीक ढंग से सेवा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अनंत गुढे : दिल्ली में कई सांसदों ने, जो सांसदों की वेतन भत्ते से संबंधित समिति है, उसमें कई बारे में कम्पलेंट भी है लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जहां सांसदों को ठीक ढंग से सुविधा नहीं मिलती, सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी, इसे आप समझ सकते हैं? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा सामान्यतया फार्मूलरी के आधार पर थोक में दवाएं खरीदी जाती हैं और सप्लाई की जाती हैं। मेरा मंत्री जी से कहना है कि दिल्ली में भी दवाएं मेडिकल दुकानों पर ठीक ढंग से नहीं मिलती।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दवा सप्लाई के लिए सरकार ने 2000-2001 और 2001-2002 में कितनी दवा एजेंसियों को नियुक्त किया था और उनमें से कितनी एजेंसियों ने दवाई सप्लाई करने में अपनी असमर्थता बताई है? क्या उन्होंने दवाई सप्लाई नहीं की, यदि नहीं की तो क्यों नहीं की? उनको अप्वाइंट करने के बाद भी उन्होंने दवाई सप्लाई नहीं की तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और आज की तारीख में कौन सी एजेंसी दवाई सप्लाई कर रही है और वे कम्पनी कहां पर हैं?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, विधान सभा के सदस्य सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

दूसरे आरोप के संबंध में, जो कि माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया है, उनके प्रति आदर के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है कि सी.जी.एच.एस. की सेवा सभी सदस्यों तक समुचित रूप से नहीं पहुंच रही है। यदि मुझे लिखित में कोई विशिष्ट आरोप मिलता तो निश्चित तौर पर मैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एन. जनार्दन रेड्डी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : आपने जो दो कम्पनियां एप्वाइंट की थी, वे दवाइयां नहीं दे रही हैं। उनके बारे में आपने क्या किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : कृपया मुझे ब्यौरा दीजिए। मैं कार्रवाई करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एन. जनार्दन रेड्डी, अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों द्वारा मंत्री से पूछे जाने वाले अनेक प्रश्नों से पता चलता है कि इस व्यवस्था में अनेक त्रुटियां हैं। इन दिनों, आजकल सुपर-स्पेशियेलिटी का समय है और डॉक्टर पर मरीज का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। मरीजों को सिर्फ सी.जी.एच.एस. मान्यता प्राप्त डाक्टरों के प्रस्क्रिप्शन पर ही दवाइयां दी जाती हैं। आप इन सभी पहलुओं और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए क्या करेंगे क्योंकि उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में शिकायतें हैं।

श्री ए. राजा : महोदय, सुपर-स्पेशियेलिटी मामलों के लिए, मान लीजिए हृदय रोग अथवा हृदय वाल्ब के प्रत्यारोपण और अन्य चीजों के लिए पूरे देश में हम निजी अस्पतालों जैसे अपोलो, गंगाराम और अन्य अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। उन्हें मरीज की जो भी आवश्यकता है करने की अनुमति दी गई है तथा इसकी प्रतिपूर्ति बाद में की जा सकती है। माननीय सदस्य की सूचना के लिए, हैदराबाद शहर में हम इस प्रकार की 35 से अधिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए, सुपर-स्पेशियेल्टी मामलों के लिए, यदि मरीज राज्यों या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल पहुंचने में समर्थ नहीं है तो वे सी.जी.एच.एस. स्कीम द्वारा मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशियेल्टी अस्पतालों में जा सकते हैं और जो भी आवश्यकता है वे ले सकते हैं और बाद में इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यदि डॉक्टर सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : महोदय, हमारे यहां दो प्रणाली हैं। हम सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत मरीजों का सीधा उपचार कर रहे हैं और उन्हें दवाई दे रहे हैं। मान लीजिए, सुपर स्पेशियेलिटी के लिए हम पूरे देश में गंगाराम, अपोलो जैसे प्राइवेट अस्पतालों और अन्य अस्पतालों को अनुमति प्रदान कर रहे हैं। माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं वह यह है कि यदि यह इन दोनों के बीच नहीं है, तो मंत्रालय द्वारा क्या किया जा सकता है? नि:संदेह, मैं यह प्रश्न उठाने के लिए उत्सुक हूं। हम नियमों को शिथिल कर सकते हैं। लेकिन केवल नियमों में छूट देने से फर्जी कामों और बिलों के अवैध दावों की हकदारी कभी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं इसके अतिरिक्त त्रुटिहीन प्रणाली हेतु माननीय सदस्यों की एक बैठक बुला सकता हूं। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सभा के समक्ष कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के माननीय सदस्यों और सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को सी.जी.एच.एस. के माध्यम से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आज कैसा विचित्र नियम विद्यमान है। यदि कोई डाक्टर यह घोषित कहता है कि किसी मरीज का इलाज उसके केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर नहीं हो सकता है तो उसे इलाज हेतु विदेश जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन सरकार इस आशय का प्रमाण-पत्र नहीं देती है कि उसे विदेश में इलाज करने की आवश्यकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे प्रतिष्ठित सहयोगी श्री वी.एम. सुधीरन हैं, जो केरल राज्य से संसद सदस्य हैं। वह गत एक वर्ष से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया। महोदय, संभवत: उन्होंने आपसे भी संपर्क किया होगा? हालांकि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है कि उनका इलाज यहां संभव नहीं है लेकिन बोर्ड इससे संबंधित प्रमाणपत्र देने हेतु तैयार नहीं है। उन्हें ऋण लेकर धन की व्यवस्था करनी पड़ी और अब वे अमरीका में इलाज हेतु गए हैं। कुछ ऐसी बाते हैं जो नौकरशाही के माध्यम से समस्या उत्पन्न कर रही हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अन्य बात जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि संसदीय सौध अथवा संसद भवन में कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, क्या सरकार मेरी बात से सहमत है अथवा नहीं। परसों मैं अपने कुछ मित्रों के साथ ई.सी.जी. के लिए गया था, मैंने इसकी जानकारी ली। तकनीशियनों ने कहा कि वे यहां केवल ईसीजी मशीन के लिए हैं। पूरे क्षेत्र में कोई हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं हैं। संसदीय सौध अथवा संसद भवन में कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। यही स्थिति है। क्या मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाए गए दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं समझता हूं कि यह अपवादस्वरूप ही होता है जब किसी संसदीय सदस्य अथवा सी.जी.एच.एस. लाभ भोगी को इलाज हेतु विदेश जाना होता है। हम इस पर विचार करके नया नियम बना सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने कहा कि 'एम्स' ने उन्हें कहा कि वे इस रोग का इलाज नहीं कर सकते हैं और इसका इलाज अमरीका में ही हो सकता है। लेकिन बोर्ड को अनापत्ति प्रमाणपत्र देना था। जैसाकि उन्होंने अजित पांजा के मामले में किया था। श्री अजित पांजा के मामले में, जब वे इस सरकार में मंत्री थे, उनके पैन्क्रियाज में कुछ तकलीफ थी। बोर्ड ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया कि वे इसका इलाज यहां नहीं कर सकते हैं। अत: इससे संबंधित सभी व्यय का भार वहन किया गया। उनका इलाज लंदन में किया गया। श्री वी.एम. सुधीरन के मामले में, बोर्ड ने इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं दिया। डॉक्टरों ने कहा कि वे उनका इलाज नहीं कर सकते हैं। कल रात उन्हें अमरीका घोर कठिनाई उठा कर जाना पड़ा। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, इस मामले में श्री सुधीरन ने मुझसे भी संपर्क किया था और अनुरोध किया था कि प्रमाण पत्र के अभाव में विभाग को मंजूरी देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इस मामले से पहले ही अवगत हूं। हम इस पर आपस में विचार-विमर्श करके यह तय करने का प्रयास करेंगे कि इस विशेष मामले में कितनी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। अत: मैं समझता हूं कि हम श्री सुधीरन के मामले को सुलझा लेंगे।

संसद परिसर में हृदय रोग विशेषज्ञ की अनुपलब्धता से संबंधित उनके द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के संबंध में आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री ए. राजा : मुझे नहीं पता है कि क्या उन्होंने संसद परिसर में हृदय रोग विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के बारे में आरोप लगाया है। लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास सी.जी.एच.एस. में पर्याप्त संख्या में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और एम्स में ...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। मेरे विचार से हृदय के वाल्व का पहली बार प्रत्यारोपण करने वाले डा. वेणुगोपाल एम्स में ही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : तथापि, यह केवल संसदीय सौध और अन्य अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति करने का मामला है। सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को संसदीय सौध में तैनात कर सकते

हैं और हम कतिपय अन्य अस्पतालों में भी यह व्यवस्था कर सकते हैं। यदि यह विशेष आरोप सच है तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्ति

***243. श्री+पी.आर. खूंटे :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की एड्स (यू.एन.ए.आई.डी.एस.) संबंधी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 39.7 लाख लोग एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हैं और यह संख्या दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह जनसंख्या देश में सर्वत्र नहीं फैली है बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों और महानगरों तक ही सीमित है;

(ग) यदि हां, तो उन महानगरों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं और कितने लोग एच.आई.वी. से संक्रमित हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश एड्स संक्रमित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(च) सरकार द्वारा इस महामारी को रोकने के लिये गत तीन वर्षों में अब तक प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

एड्स पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त कार्यक्रम (यू.एन. एड्स) ने "वैश्विक एच.आई.वी./एड्स रोग जुलाई, 2002 रिपोर्ट" जारी की है। रिपोर्ट के पृष्ठ 28-31 पर एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के खंड में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

सन् 2001 के अन्त में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वयस्कों में एच.आई.वी. व्याप्तता दर 1 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह है कि एच.आई.वी./एड्स वाले 3.97 मिलियन भारतीयों के होने का अनुमान है जो दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त किसी अन्य देश से अधिक है, ये आंकड़े राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा वर्ष 2001 में किए गए राष्ट्रीय प्रहरी निगरानी से प्राप्त किए गए हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एच.आई.वी./एड्स रोग के भौगोलिक प्रसार और विजातीयता का पता लगाने के लिए 1998 से निर्धारित स्थानों में राष्ट्रीय एच.आई.वी. की प्रहरी निगरानी के वार्षिक दौर आयोजित कर रहा है। वर्ष 2001 के दौरान अनुमान 320 प्रहरी स्कूलों के आधार पर लगाए गए जो जनसंख्या के उच्चतम और निम्नतम दोनों प्रकार के खतरे वाले जनसंख्या समूहों में स्थित हैं। वर्ष 2001 के आंकड़ों के आधार पर राज्य और संघ क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

उच्च व्याप्तता वाले राज्य—महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जहां पर महिलाओं में प्रसवपूर्व में एच.आई.वी. संक्रमण 1 प्रतिशत या इससे अधिक पार कर चुका है।

मध्य व्याप्तता दर वाले राज्य—गुजरात, गोवा और पांडिचेरी जहां पर एच.आई.वी. संक्रमण उच्च खतरे वाले वर्गों में 5 प्रतिशत या अधिक पार कर चुका है, लेकिन प्रसवपूर्व गर्भवती महिलाओं में यह 1 प्रतिशत से कम है।

निम्न व्याप्तता वाले राज्य—अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एच.आई.वी. संक्रमण किसी भी उच्च खतरे वाले समूह में 5 प्रतिशत से कम बना हुआ है और महिलाओं में प्रसवपूर्व संक्रमण 1 प्रतिशत से कम है।

सभी सदस्यों की सुविधा के लिए वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 में एच.आई.वी. संक्रमण की राज्यवार व्याप्तता दरें अनुबन्ध-I में दी गई है। सरकार ने एच.आई.वी. की उच्च व्याप्तता दरों वाले 49 जिलों/शहरों का भी पता लगाया है। इन जिलों की राज्यवार सूची अनुबंध-II पर दी गई है।

भारत में एच.आई.वी. संक्रमण का प्रसार मुख्य रूप से उच्च जोखिम वाले यौन सम्बन्धों के कारण माना जाता है। एच.आई.वी. का 85 प्रतिशत संचरण यौन मार्ग के माध्यम से सूचित हुआ है और इसके बाद रक्ताधान और रक्त उत्पादों (3.2 प्रतिशत), सुइयों से ड्रग लेने वाले (3.1 प्रतिशत) और प्रसवकालीन संचरण (2.4 प्रतिशत) अर्थात् मां से बच्चे में होने वाला संक्रमण है। शेष 7 प्रतिशत रोगियों में संचरण का सही कारण का पता नहीं लगा है।

तथापि मणिपुर, नागालैंड तथा मुम्बई और चेन्नई जैसे महानगरों में सुइयों से ड्रग इस्तेमाल करने को संचरण का प्रमुख कारण पाया गया जबकि पहले यौन सम्बन्धों के कारण का पता लगाया। नागालैंड और मणिपुर में सुई से ड्रग लेने वालों में एच.आई.वी. की व्याप्तता दरें क्रमश: 5.5 प्रतिशत और 56.3 प्रतिशत सूचित की गई है। दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई और चेन्नई में सुई से ड्रग लेने वालों में एच.आई.वी. की व्याप्तता दरें क्रमश: 2.4 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 41.4 प्रतिशत और 24.56 प्रतिशत सूचित की गई हैं। सुई से ड्रग लेने वालों में एच.आई.वी. के संचरण का मुख्य कारण सुइयों और सिरिजों को विसंक्रमित किए बिना उन्हें बार-बार प्रयोग में लाना है। भारत सरकार ने एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम के लिए सुई से ड्रग लेने वाले लोगों के लिए लक्षित कार्यकलाप परियोजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत उन्हें संगी-साथियों के साथ शिक्षा एवं परामर्श प्रदान किया जाता है और नई सिरिंजों/सुइयों, इंजेक्टिंग उपकरण को विसंक्रमित करने के लिए ब्लीच सॉल्यूशन, कन्डोम संवर्धन, यौन संचारित संक्रमणों और परिचर्या और सहायक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के माध्यम से एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। यह शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को उनके द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से अब तक एच.आई.वी. एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए खर्च की धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपए)	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए)
1999-2000	140.00	140.00	135.20
2000-2001	145.00	180.00	179.64
2001-2002	210.00	229.70	228.49
2002-2003	225.00	–	8.00

(मई 2002 तक)

वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियत है।

अनुबंध-I

राज्यवार एच.आई.वी. व्याप्त दर 1998-2001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	स्कीमों की संख्या	एच.आई.वी. व्याप्तता 1998 (%)	एच.आई.वी. व्याप्तता 1999 (%)	एच.आई.वी. व्याप्तता 2000 (%)	एच.आई.वी. व्याप्तता 2001 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	एस टी डी 4	24.90	29.50	30.00	26.60
		ए.एन.सी. 9	2.250	2.60	2.00	1.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	एस टी डी 2	0.00	0.00	0.10	0.00
		ए.एन.सी 1	0.40	0.00	0.00	0.00
3.	असम	एस टी डी 2	2.10	2.40	0.61	1.49
		ए.एन.सी. 3	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	एस टी डी 5	1.35	0.60	0.50	1.20
		ए.एन.सी. 7	0.00	0.00	0.10	0.13
5.	छत्तीसगढ़	एस टी डी 3	–	–	–	1.40
		ए.एन.सी. 5	–	–	–	0.33
6.	दिल्ली	एस टी डी 4	1.60	0.80	3.26	4.65
		ए.एन.सी. 4	0.25	0.30	0.25	0.13
		आई.यू.डी. 1	–	–	5.00	2.41
7.	गोवा	एस.टी.डी. 2	19.40	13.50	12.02	15.00
		ए.एन.सी. 2	1.20	0.80	1.17	0.50
		सी.एस.डब्ल्यू. 1			53.20	5.79
8.	गुजरात	एस.टी.डी. 8	2.50	6.70	4.65	4.14
		ए.एन.सी. 2	0.00	0.40	0.50	0.50
9.	हरियाणा	एस.टी.डी. 4	2.60	5.30	2.75	1.08
		ए.एन.सी. 3	0.00	0.00	0.00	0.41
10.	हिमाचल प्रदेश	एस.टी.डी. 5	2.00	0.40	0.40	0.26
		ए.एन.सी. 7	0.36	0.30	0.89	0.13
11.	जम्मू-कश्मीर	एस.टी.डी. 2	1.83	1.20	0.40	0.80
		ए.एन.सी. 3	0.00	0.00	0.12	0.25
12.	झारखण्ड	एस.टी.डी. 6	–	–	–	0.25
		ए.एन.सी.	–	–	–	0.08
13.	कर्नाटक	एस.टी.डी. 2	16.70	15.50	12.80	16.40
		ए.एन.सी. 2	1.75	1.00	1.68	1.13
			–	1.30	4.23	2.00
14.	केरल	एस.टी.डी. 2	2.60	3.20	5.20	6.42
		ए.एन.सी. 2	0.10	0.00	0.00	0.08
15.	मध्य प्रदेश	एस.टी.डी. 2	3.50	0.20	1.60	2.69
		ए.एन.सी. 2	0.00	0.30	0.12	0.25
16.	महाराष्ट्र	एस.टी.डी. 2	16.00	20.00	18.40	9.20
		ए.एन.सी. 2	2.00	2.10	1.12	1.38

1	2	3	4	5	6	7
17.	मुम्बई	एस.टी.डी. 3	–	–	33.33	21.06
		ए.एन.सी. 5	–	–	2.00	2.25
		आई.यू.डी. 1	–	–	23.68	41.37
		एम.एस.एम. 1	–	–	23.94	23.60
		सी.एस.डब्ल्यू.	–	–	58.67	52.26
18.	मणिपुर	आई.यू.डी. 3	70.70	48.80	64.34	56.26
		एस.टी.डी. 2	4.15	12.00	11.60	10.50
			0.75	2.30	0.75	1.75
19.	मेघालय	आई.डी.यू.	0.00	0.00	1.41	1.39
		एस.टी.डी. 2	1.013	0.30	0.00	0.00
		ए.एन.सी. 2	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	आई.यू.डी. 1	1.00	1.50	9.61	2.00
		एस.टी.डी. 2	1.49	0.76	2.00	2.20
		ए.एन.सी. 3	0.48	0.48	0.37	0.33
21.	नागालैंड	आई.यू.डी. 2	13.20	7.60	7.03	5.50
		एस.टी.डी. 1	11.10	4.40	6.90	7.40
		ए.एन.सी. 4	0.70	1.30	1.35	1.35
22.	उड़ीसा	एस.टी.डी. 7	2.86	1.20	2.60	0.80
		ए.एन.सी. 4	0.00	0.10	0.27	0.35
23.	पंजाब	एस.टी.डी. 3	0.00	2.00	0.80	1.61
		ए.एन.सी. 4	0.00	0.40	0.00	0.40
24.	राजस्थान	एस.टी.डी. 6	5.20	3.20	2.84	4.00
		ए.एन.सी. 6	0.00	0.30	0.25	0.00
25.	सिक्किम	एस.टी.डी. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
		ए.एन.सी. 2	0.13	0.10	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	एस.टी.डी. 5	16.30	10.40	16.80	12.60
		ए.एन.सी. 10	1.00	1.00	1.00	1.13

1	2	3	4	5	6	7
		आई.यू.डी. 1	–	–	26.70	24.56
		एम.एस.एम.-1	–	–	1.00	0.10
27.	त्रिपुरा	एस.टी.डी. 1	0.00	0.80	1.34	3.20
		ए.एन.सी. 1	–	–	–	0.25
		आई.यू.डी. 1	–	–	–	–
28.	उत्तर प्रदेश	एस.टी.डी. 10	1.60	0.60	1.80	0.90
		ए.एन.सी. 11	0.24	0.00	0.12	0.00
29.	उत्तरांचल	एस.टी.डी. 4	–	–	–	0.40
		ए.एन.सी. 2	–	–	–	0.00
30.	पश्चिमी बंगाल	एस.टी.डी. 6	0.40	1.40	1.96	0.60
		ए.एन.सी. 8	0.62	0.10	0.50	0.13
		आई.डी.यू.-1	–	–	–	–
31.	अण्ड.नि. द्वीप समूह	एस.टी.डी. 1	1.20	0.40	1.20	1.20
		ए.एन.सी. 3	0.00	0.00	0.25	0.16
32.	चण्डीगढ़	एस.टी.डी. 2	2.95	1.80	3.35	3.78
		ए.एन.सी. 1	0.47	0.80	0.00	0.00
33.	दादरा और नागर हवेली	एस.टी.डी.	0.00	0.00	0.00	0.25
		ए.एन.सी. 1	0.00	0.00	–	–
34.	दमन और दीव	एस.टी.डी.	0.00	0.00	0.00	0.25
		ए.एन.सी. 2	0.13	0.00	–	–
35.	लक्षद्वीप	एस.टी.डी. 1	0.00	0.00	0.00	–
		ए.एन.सी. 2	0.60	0.00	0.00	–
36.	पांडिचेरी	एस.टी.डी. 3	7.20	5.80	4.10	2.0
		ए.एन.सी. 1	0.50	0.90	0.25	0.25

नोट: 1. तीन स्थानों से अधिक वाले राज्यों में एच.आई.वी. व्याप्तता परिणाम मध्यम है, जबकि 3 या 3 स्थानों से कम राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में परिणाम औसत है।

2. अनुमान के लिए प्रतिस्थापित एच.आई.वी. व्याप्तता परिमाण 2000 और 2001 में व्याप्तता का औसत परिमाण है। शून्य व्याप्तता वाले राज्यों को ''एस.टी.डी. के लिए 1.60 और ए.एन.सी. के लिए 0.50'' के रूप में एस.टी.डी. और ए.एन.सी. के निम्न व्याप्तता दरों के औसत द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं।

3. वांछित नमूना आकार (एस.टी.डी. : 250 और ए.एन.सी. : 400) की 75 प्रतिशत वाले स्थल विश्लेषण में शामिल किए गए हैं।

अनुबंध-II

यौन संचारित रोग, सुई से ड्रग लेने तथा प्रसवपूर्व परिचर्या क्लिनिकों में एच.आई.वी. की उच्च व्याप्तता वाले जिले : राज्यवार विवरण-2001

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	जिले नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश (7)	हैदराबाद, विशाखापट्टनम, गुन्टूर, पूर्वी गोदावरी चित्तूर, कुरनूल, वारंगल
2.	गोवा (1)	दक्षिण-गोवा
3.	गुजरात (3)	अहमदाबाद, सूरत, वडोडरा
4.	कर्नाटक (10)	बंगलौर, मैसूर, धारवाड़ (हुबली), बेल्लारी, बेलगाम, गुलबर्गा, दक्षिण कन्नड़ा (मंगलोर), उडिप्पी, बीजापुर, श्यामराज नगर (कोल्लेगल)
5.	महाराष्ट्र (14)	नागपुर, सांगली, पुणे, औरंगाबाद, चन्द्रपुर, लातूर, रत्नागिरी, कोल्हापुर, नासिक, सतारा, शोलापुर, थाणे, मुम्बई, जलगांव
6.	मणिपुर (4)	इम्फाल, चूड़ाचान्दपुर, विष्णुपुर, थोबाल
7.	नागालैण्ड (3)	कोहिमा, तुएनसांग, मोकोक चुंग
8.	तमिलनाडु (7)	मदुरै, तिरूच्चि, सेलम, कोयम्बतूर, नामक्कल, तिरूनेलवेल्लि, चेन्नै

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा एड्स के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में एड्स की रोकथाम और इलाज के लिए कई पहलू हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू आम जनता को उसके संक्रमण और बीमारी के बारे में पर्याप्त एवं सही जानकारी देना है जो रोकथाम की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। एच. आई.वी. और एड्स के बारे में बड़े-बड़े शहरों और बड़े अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों के बीच में भी भय की भ्रान्ति बनी हुई है।

ऐसा बीच-बीच में अखबारों के पन्नों में भी पढ़ने को मिला है कि ग्रामीण कस्बों से जो लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, जानकारी के अभाव में सबसे ज्यादा वही लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। भारत सरकार के एक विज्ञापन में कहा गया है कि जानकारी ही बचाव है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। टाइम बहुत कम है, फिर उत्तर नहीं आयेगा।

श्री पी.आर. खूंटे : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। खासकर साक्षरता के अभाव में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो रोजी-रोटी कमाने की तलाश में इधर-उधर भटकता है, हमारे देश में 26.5 हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, लेकिन उनमें इसके बारे में प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सर्वथा अभाव है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि लगभग 36.5 हजार स्वास्थ्य उप केन्द्र, जो ग्रामीण अंचल में हैं, उनके माध्यम से एड्स की रोकथाम के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, क्या आप उनका ठीक से क्रियान्वयन कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, यह सचमुच एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि, हमारे, पास एड्स के उपचार हेतु औषधियां हैं फिर भी निरोधात्मक कदम उठाए जाने चाहिए जिसके लिए कार्यक्रम में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में हम अपने बजटीय समर्थन और अन्य देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों से प्राप्त सहायता सहित लगभग 1450 करोड़ रुपए कम कर रहे हैं। इस धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि जागरूकता पैदा करने हेतु व्यय की जा रही है।

जहां तक सामाजिक कलंक का प्रश्न है, यह सच है कि जब कोई व्यक्ति एड्स अथवा एच.आई.वी. से ग्रसित होता है अन्य लोगों के मन में एक आम विचार यही उठता है कि उसे समुदाय से अलग रखा जाए। हमें जानकारी मिली है कि कतिपय राज्य सरकारों के अस्पतालों में कुष्ठ के रोगियों की तरह एड्स रोगियों हेतु अलग वार्ड है। अत: हमने राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश दिए हैं कि रोगियों को सबसे अलग नहीं किया जाए।

जागरूकता के संबंध में हम इसे पी.एच.सी. स्तर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला स्तर पर यौन संचारित रोगों की जांच हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति को एड्स है अथवा नहीं। यह सच है कि यह जिला स्तर तक नहीं पहुंचा है लेकिन सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ इसे शीघ्र ही पी.एच.सी. स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि एच.आई.वी. एड्स महामारी की रोकथाम और इलाज की दिशा में पिछले 15 सालों में नाको (नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन) की क्या भूमिका रही है? नाको द्वारा कहां-कहां और किस-किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें। यह भी बताएं कि इस संस्था को भारत सरकार की तरफ से एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से कितना धन प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, हमने मंत्रालय में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की है। इस संगठन की देखभाल करने हेतु सचिव स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। यह एक विकेंद्रीकृत संगठन है। राज्य सरकारों को शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने अपनी सोसायटियां गठित की हैं और ये राज्य सरकारों से कोष प्राप्त कर रही हैं। एन.ए.सी.ओ. के मुख्य क्रियाकलापों में वेश्यावृत्ति, ट्रक चालकों, उत्प्रवासी श्रमिकों और मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों हेतु कार्यक्रम तैयार करना शामिल है, इसके विषम लैंगिक और समलैंगिक यौन क्रिया करने वाले व्यक्तियों को शामिल करना, मादक द्रव्यों का उपयोग करने वालों को लक्षित करना यौन संचारित संक्रमण का प्रबंधन और सुरक्षित रुधिर बैंकों की स्थापना करना है। एड्स के क्षेत्र में रुधिर बैंकों की महत्वपूर्ण भमिका होती है। जब तक रोगियों को सुरक्षित रुधिर नहीं दिया जाता है अथवा स्वैच्छिक रूप से एन.ए.सी.ओ. द्वारा जांच सुविधा नहीं दी जाती है तब तक हम व्यक्तियों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अत:, एन.ए.सी.ओ. द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इन क्षेत्रों पर कार्यवाही की जा रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष जी, जैसा मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने भी सदन की भावना को पहचाना है, जैसी भावना इससे पूर्व के प्रश्न पर सदन ने व्यक्त की है लेकिन जब हम कहते हैं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका उत्तर भी उतना ही महत्व का आना चाहिए। मंत्री जी ने जो लिखत उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने तीन चीजें बताई हैं। पहले उन्होंने रेट आफ ग्रोथ के बारे में कहा है, दूसरा उन्होंने एच.आई.वी. के मींस के बारे में कहा है और तीसरा एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है जो 135 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 228 करोड़ रुपए हो गया है। आखिर में इन्होंने कहा है कि एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है। यह बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है। मंत्री महोदय की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं इस उत्तर में आपको तीन कमियां बताना चाहूंगा। सबसे पहली कमी यह है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि 100 प्रतिशत एवेयरनेस का प्रोग्राम है, लेकिन उसका टार्गेट नहीं दिया गया है। शत प्रतिशत जागरूकता का लक्ष्य क्या है?

दूसरे, कोई भी प्रभावी समन्वय नहीं है। क्योंकि एड्स पर काफी संस्थाएं काम कर रही हैं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, एन.जी.ओज. भी काम कर रहे हैं, काफी साइंटिस्ट्स और हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और सोशल वर्कर भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन कोई प्रभावी समन्वय नहीं है। मंत्री जी ने कहा है कि जिला मुख्यालय में एक्जामिन करने के लिए लैब का प्रावधान किया गया है। तीसरी कमी जो मुझे लगी कोई विशेष ग्रामीण योजना अथवा कार्यक्रम नहीं है। अगर है, तो उसका स्टेटस क्या है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, जहां तक एच.आई.वी. और एड्स से प्रभावित जनसंख्या का प्रश्न है देश में इससे 3.97 मिलियन व्यक्ति ग्रसित हैं।

महोदय, सभा के समक्ष यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एच.आई.वी. और एड्स भिन्न-भिन्न हैं। यह पूर्णतया व्याप्त रोग के रूप में घोषित है। जैसाकि एन.ए.सी.ओ. द्वारा बताया गया है, केवल 13,500 व्यक्ति ही एड्स से ग्रसित हैं *...(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया गया है। समय कम है। मेरे केवल तीन प्रश्न हैं। शत प्रतिशत जागरुकता का क्या लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्या विशेष योजनाएं हैं और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों अनुसंधान संस्थानों, सामाजिक व्यक्तियों इत्यादि जैसे सभी घटकों के बीच तालमेल नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री ए. राजा: एन.ए.सी.ओ. परियोजना चल रही है और मैंने इसके आबंटन के संबंध में अभी उल्लेख किया है।

इसके अतिरिक्त जागरूकता पैदा करने हेतु हमने राष्ट्रीय एड्स निरोधन और नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रुधिर नीति तैयार की है ताकि वर्ष 2007 तक शून्य संक्रमण की स्थिति प्राप्त हो सके। नि:संदेह हम विद्यमान मामलों का उपचार कर रहे हैं और हम इनकी देखभाल कर रहे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य वर्ष 2007 तक शून्य संक्रमण की स्थिति प्राप्त करने का है और इसके लिए राष्ट्रीय एड्स निरोधन और नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रुधिर नीति तैयार की गई है।

महोदय, वास्तव में हमने एक सर्वेक्षण कराया था। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त क्षोभ और विचार सच हैं। मैं इस पर प्रतिक्रिया करना चाहता हूं। हमने इसी प्रकार का एक सर्वेक्षण कराया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोगों में किस हद तक जागरूकता जगी है। हमें ज्ञात हुआ कि 76 प्रतिशत व्यक्ति यह जानते हैं कि इस रोग का कारण यौन संचरण हैं, 72 प्रतिशत व्यक्ति यह जानते हैं कि यह रक्ताधान से हो सकता है 54 प्रतिशत माताओं को यह जानकारी है कि न केवल जन्म देकर बल्कि स्तनपान से भी यह रोग शिशुओं को हो सकता है 20.7 प्रतिशत व्यक्ति जानते हैं कि संग्राही रोग और एड्स के बीच समानता है। तपेदिक एक संग्राही रोग है। तपेदिक रोग का उपचार करा रहे किसी रोगी को एच.आई.वी. संक्रमण होने पर तपेदिक रोग से सहायता मिलती है और यह अधिक तेजी से फैलती है। अत: हमने सभी रोगों इसके संग्राही गुण, एच.आई.वी. और एड्स और इसका समय पर कैसे उपचार किया जा सकता है के संबंध में सर्वेक्षण कराया है *...(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

यूनानी दवायें

***244. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालयों/इकाइयों के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की खरीदी गई घटिया दवाओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उक्त अधि के दौरान इन औषधालयों में कार्यरत चिकित्सीय और पराचिकित्सा कर्मचारियों द्वारा यूनानी दवाओं की खरीद के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (च) एक समिति द्वारा जांच करवाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक करेंगे और संयुक्त सचिव (भारतीय चिकिसा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग) तथा भारत के औषध महानियंत्रक इसके सदस्य होंगे। इस समिति से अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत को कहा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश

***245. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैण्ड की यात्रा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्विस अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी हाँ। एक उच्च स्तरीय सरकारी तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल देश में निवेश करने के अच्छे माहौल के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश आकर्षित करने के लिए 'गन्तव्य भारत' समारोह के आयोजन के संबंध में जून, 2002 में स्विट्ज़रलैण्ड गया था।

(ख) जूरिख में आयोजित 'गन्तव्य भारत' समारोह के दौरान प्रौद्योगिकी में अन्य देशों के लिए कार्य करने की सुविधा, अपतटीय विकास केन्द्र खोलने तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की कुशलता के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रदत्त जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अवसरों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतीकरण किए गए। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल के लिए प्राथमिकता के आधार पर वीज़ा दिया जाना चाहिए।

परिवार कल्याण केन्द्र

***246. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने परिवार कल्याण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई औ चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य औ उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में जनसंख्या वृद्धि को राकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियां तथा परिवार कल्याण संस्थाओं को वर्तमान वर्ष के लिए नियत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पहली अप्रैल, 1996 से देश भर में लक्ष्य मुक्त नीति अपनाई गई है और सामुदायिक आवश्यकता आकलन दृष्टिकोण के आधार पर विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन पर अनिवार्य परिवार नियोजन सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाने तथा निचले स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (क) नसबंदी, (ख) आईयूडी, (ग) मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोली, और (घ) कण्डोम उपयोग मे उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III से IV में दिया गया है।

(घ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ प्रभावी कदम इस प्रकार हैं :

(1) वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जिसमें 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य शामिल है, आरम्भ की गई।

(2) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 11 मई, 2000 को एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, जिसके उपाध्यक्ष, योजना आयोग के

उपाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा, मानीटरिंग और निर्देशन प्रदान करेगा।

(3) राज्य सरकारों को राज्य जनसंख्या नीतियाँ तैयार करने की सलाह जिनमें का राज्य की स्थिति के अनुसार कार्यनीतियां शामिल हों तथा मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य जनसंख्या आयोग का गठन।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्न कार्यनिष्पादन वाले 8 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और उड़ीसा पर विशेष ध्यान देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक शक्ति प्राप्त कार्य दल का गठन किया गया है।

(5) कम कार्यनिष्पादन वाले क्षेत्रों/राज्यों में संरचनात्मक अन्तर तथा अन्य स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट और निगमित क्षेत्र से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु एक सौ करोड़ रुपए की मूल धनराशि (सीड मनी) से राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की स्थापना की गई है।

(6) जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

- राट्रीय मातृत्व लाभ योजना,
- पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए सामुदायिक प्रोत्साहन योजना,
- प्रसव के समय निर्धन परिवारों के लिए रेफरल परिवहन,
- बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना—आकस्मिक खर्च किराया आदि के लिए सहायता मानदडों में संशोधन,
- गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन,
- नसबन्दी के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि,
- प्लैंड पेरेंटहुड में पुरुषों की अधिक सहभागिता,
- नो-स्केलपेल वेसेक्टॉमी, आदि,
- दाई प्रशिक्षण (पारम्परिक दाई)
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिविर,
- ए एन एम, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन, संवेदनाहरण विज्ञानियों तथा स्त्री रोगविज्ञानियों आदि की संविदात्मक नियुक्ति।

विवरण-1

सेवा प्रदानगी ढांचा

क्र.सं.	राज्य/संघ	उप केन्द्र	प्रा. स्वा. केन्द्र	सा. स्वा. केन्द्र	ग्रा.प.क. केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10568	1386	219	420
2.	अरुणाचल प्रदेश	273	65	20	0
3.	असम	5109	610	100	146
4.	बिहार	10337	1648	101	399
5.	छत्तीसगढ़	3818	512	114	185
6.	गोवा	172	19	5	13
7.	गुजरात	7274	1001	242	251

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	2299	401	64	93
9.	हिमाचल प्रदेश	2069	302	65	77
10.	जम्मू-कश्मीर	1700	337	53	82
11.	झारखण्ड	4462	561	47	188
12.	कर्नाटक	8143	1676	249	269
13.	केरल	5094	944	105	163
14.	मध्य प्रदेश	8129	1178	228	275
15.	महाराष्ट्र	9725	1768	351	428
16.	मणिपुर	420	69	16	31
17.	मेघालय	413	85	13	23
18.	मिजोरम	346	58	9	14
19.	नागालैण्ड	302	46	9	7
20.	उड़ीसा	5927	1352	157	314
21.	पंजाब	2852	484	105	129
22.	राजस्थान	9926	1674	263	232
23.	सिक्किम	147	24	2	15
24.	तमिलनाडु	8682	1436	72	383
25.	त्रिपुरा	539	58	11	35
26.	उत्तरांचल	1524	257	23	79
27.	उत्तर प्रदेश	18629	3551	287	828
28.	पश्चिमी बंगाल	8126	1262	99	335
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	18	4	0
30.	चण्डीगढ़	13	0	1	1
31.	दादरा और नागर हवेली	36	6	1	0
32.	दमन और दीव	21	3	1	0

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	42	8	0	8
34.	लक्षद्वीप	14	4	3	0
35.	पांडिचेरी	80	39	4	12
	अखिल भारत	137311	22842	3043	5435

(आकंड़े अंनतिम हैं)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्रसवोत्तर केन्द्र		हेल्थ पोस्ट	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र
		जिला स्तर स्तर	उप जिला स्तर		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28	55	0	131
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	6
3.	असम	11	30	0	10
4.	बिहार	28	34	0	26
5	छत्तीसगढ	7	13	16	8
6.	गोवा	4	0	0	0
7.	गुजरात	33	55	28	113
8.	हरियाणा	13	20	16	19
9.	हिमाचल प्रदेश	11	22	0	89
10.	जम्मू-कश्मीर	11	6	0	12
11.	झारखण्ड	9	20	0	16
12.	कर्नाटक	39	64	0	87
13.	केरल	22	60	0	0
14.	मध्य प्रदेश	40	62	83	55
15.	महाराष्ट्र	52	69	278	74

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	3	1	0	2
17.	मेघालय	3	1	0	1
18.	मिजोरम	2	4	0	1
19.	नागालैण्ड	1	1	0	0
20.	उड़ीसा	19	60	8	10
21.	पंजाब	19	35	64	23
22.	राजस्थान	35	100	90	61
23.	सिक्किम	1	2	0	1
24.	तमिलनाडु	32	87	100	65
25.	त्रिपुरा	1	3	0	9
26.	उत्तरांचल	8	13	9	3
27.	उत्तर प्रदेश	64	134	141	78
28.	पश्चिम बंगाल	27	55	0	111
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	2	0	10	3
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	9	5	28	69
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	0	0	0
36.	केन्द्रीय क्षेत्र	12	0	0	0
	अखिल भारत	550	1012	871	1083

आंकड़े अनन्तिम

राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व के आंकड़े

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	ग्रा.प.क. सेवा			शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
		ग्रा. प.क. केन्द्र	उप केन्द्र	ग्रा. स्वा गा. स्कीम	उप जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	श.प.क. केन्द्र	श.प.क. से. का नवीकरण	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2700.00	2775.00	104.00	375.00	250.00		258.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		79.43		10.00	23.00		
3.	असम	1022.00	4089.00	38.00	255.00	28.00		115.00
4.	बिहार	3770.00	5500.00	31.29	348.00	105.00		335.00
5.	गोवा	80.00	38.00					38.00
6.	गुजरात	1610.00	2690.00	9.01	375.00	293.00	100.00	280.00
7.	हरियाणा	590.00	892.28	0.81	138.00	40.00	44.00	95.00
8.	हिमाचल प्रदेश	490.00	656.22	10.85	152.00	85.00		85.00
9.	जम्मू-कश्मीर	520.00	702.51		42.00	18.00		93.00
10.	कर्नाटक	1730.00	2950.00	51.70	438.00	230.00		352.00
11.	केरल	1040.00	2410.00		410.00			205.00
12.	मध्य प्रदेश	2950.00	4040.00	92.36	512,00	170.00	300.00	365.00
13.	महाराष्ट्र	2750.00	3860.00	112.19	470.00	170.00	1050.00	480.00
14.	मणिपुर	217.00	245.45	5.08	10.00	10.00		42.00
15.	मेघालय	161.00	174.04	3.89	10.00	6.00		30.00
16.	मिजोरम	98.00	78.54	1.60	40.00	6.00		20.00
17.	नागालैण्ड	49.00	157.08	1.64	10.00			10.00
18.	उड़ीसा	2010.00	2360.00	69.23	410.00	33.00	34.00	150.00
19.	पंजाब	830.00	630.00	28.82	240.00	60.00	225.00	175.00
20.	राजस्थान	1480.00	3630.00	27.95	685.00	130.00	139.00	325.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	सिक्किम	105.00	86.00	0.71	20.00	6.00		10.00
22.	तमिलनाडु	2463.00	3440.00		595.00	100.00	390.00	325.00
23.	त्रिपुरा	245.00	341.99	5.51	30.00	20.00		16.00
24.	उत्तर प्रदेश	5820.00	6890.45	271.33	1010.00	275.00	653.00	641.23
25.	पश्चिमी बंगाल	2150.00	3605.00	126.90	375.00	312.00		312.00
	कुल राज्य	34880.00	52320.00	992.87	6960.00	2370.00	2935.00	4710.23
विधान सभा वाले संघ क्षेत्र :								
1.	पांडिचेरी	55.00		0.50			–	22.00
2.	दिल्ली	45.00			40.00	460.00	–	88.00
बगैर विधान सभा वाले संघ क्षेत्रों के लिए परिव्यय :								
1.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	59.00	0.45			–	11.80	
2.	दा. एवं न. हवेली		16.00	0.05				
3.	चंडीगढ	20.00	9.00	1.10		35.00		37.20
4.	लक्षद्वीप		11.50	0.05				
5.	दमन एवं दीव		10.00				–	
	कुल संघ क्षेत्र	120.00	105.50	2.15	40.00	495.00		159.00
	कुल योग	35000.00	52250.50	995.02	7000.00	2865.00	2935.00	4869.23

वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	ग्रा.प.क. सेवा			शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
		ग्रा. प.क. केन्द्र	उप केन्द्र	ग्रा. स्वा गा. स्कीम	उप जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	श.प.क. केन्द्र	श.प.क. से. का नवीकरण	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2693.00	3000.00	52.00	365.00	256.00		250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		85.00		14.00	35.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1238.00	3020.00	19.00	365.00	43.00	–	165.00
4.	बिहार	3765.00	6000.00	15.65	300.00	108.00	–	280.00
5.	गोवा	84.00	50.00	–	–	–	–	35.00
6.	गुजरात	1610.00	2900.00	4.50	360.00	300.00	103.00	265.00
7.	हरियाणा	598.00	980.00	0.41	130.00	41.00	45.00	90.00
8.	हिमाचल प्रदेश	495.00	750.00	5.42	147.00	87.00	–	80.00
9.	कर्नाटक	1725.00	2575.00	25.85	420.00	236.00	–	341.00
10.	केरल	1046.00	2530.00		395.00	–	–	195.00
11.	मध्य प्रदेश	2948.00	4300.00	45.74	512.00	174.00	310.00	365.00
12.	महाराष्ट्र	2744.00	4025.00	56.10	455.00	174.00	1085.00	460.00
13.	मणिपुर	263.00	185.00	2.54	14.00	15.00	–	60.00
14.	मेघालय	196.00	195.00	1.95	14.00	15.00	–	60.00
15.	मिजोरम	118.00	75.00	0.80	58.00	9.00	–	30.00
16.	नागालैण्ड	59.00	140.00	0.82	14.00	–	–	14.00
17.	उड़ीसा	2014.00	2550.00	34.61	410.00	29.00	35.00	150.00
18.	पंजाब	826.00	700.00	14.41	235.00	62.00	234.00	168.00
19.	राजस्थान	1488.00	4500.00	13.98	685.00	133.00	144.00	278.00
20.	तमिलनाडु	2466.00	3600.00	–	575.00	103.00	404.00	314.00
21.	त्रिपुरा	298.00	310.00	2.76	43.00	30.00	–	23.00
22.	उत्तर प्रदेश	5825.00	8540.00	135.66	1010.00	282.00	675.00	631.00
23.	पश्चिमी बंगाल	2147.00	4300.00	63.45	363.00	321.00	–	310.00
	कुल	34646.00	55310.00	495.65	6884.00	2447.00	3035.00	4548.00
24.	जम्मू-कश्मीर	526.00	850.00	–	38.00	19.00	–	88.00
25.	सिक्किम	128.0	90.00	0.35	28.00	9.00	–	14.00
	कुल	654.00	940.00	0.35	66.00	28.00	–	102.00
	कुल सभी राज्य	35300.00	56250.00	496.00	6950.00	2475.00	3035.00	4650.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विधान सभा वाले संघ क्षेत्र								
1.	दिल्ली	68.00	21.00		50.00	300.00	150.00	112.00
2.	पांडिचेरी	102.00	29.00	0.25				28.00
बिना विधान सभा वाले राज्य :								
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह		105.50	0.40				7.50
2.	दादरा और नागर हवेली		12.30	0.05				
3.	चंडीगढ़	24.60	9.00	0.50		35.00		41.70
4.	लक्षद्वीप		10.50	0.50				
5.	दमन और दीव		13.50					
	कुल संघ क्षेत्र	194.60	200.80	1.25	50.00	335.00	150.00	189.20
	कुल योग	35494.60	56450.80	497.25	7000.00		2810.00	4839.20

वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान (सार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	ग्रा.प.क. सेवा			शहरी परिवार सेवाएं			
		ग्रा. प.क. केन्द्र	उप केन्द्र	ग्रा. स्वा गा. स्कीम	उप जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	श. प.क. केन्द्र	श. प.क. से. का नवीकरण	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3135.00	3450.00	49.42	430.00	302.00	–	311.00
2.	बिहार	2981.00	3725.00	10.12	222.89	85.15	–	258.59
3.	छत्तीसगढ़	1381.00	1280.00	15.20	104.87	29.55	72.47	67.84
4.	गोवा	95.00	55.00	–	–	–	–	44.00
5.	गुजरात	1875.00	3350.00	4.29	425.00	354.00	114.54	330.00
6.	हरियाणा	693.00	1110.00	0.39	153.00	48.00	50.04	112.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हिमाचल प्रदेश	574.00	815.00	5.15	173.00	102.00	–	100.00
8.	झारखण्ड	1404.00	3155.00	4.75	131.11	42.85	–	89.41
9.	कर्नाटक	2008.00	3650.00	24.57	495.00	280.00	–	425.00
10.	केरल	1216.00	3000.00	–	465.00	–	–	242.00
11.	मध्य प्रदेश	2054.00	2550.00	28.68	500.13	175.45	272.26	387.16
12.	महाराष्ट्र	3196.00	4800.00	53.32	536.00	205.00	1206.55	572.00
13.	उड़ीसा	2344.00	2935.00	32.89	484.00	34.00	38.93	187.00
14.	पंजाब	962.00	785.00	13.70	280.00	74.00	260.21	210.00
15.	राजस्थान	1733.00	4520.00	13.29	808.00	157.00	160.13	345.00
16.	तमिलनाडु	2860.00	4280.00	–	678.00	122.00	449.25	390.00
17.	उत्तर प्रदेश	6185.00	5852.00	109.92	1085.67	320.58	706.82	717.93
18.	उत्तरांचल	590.00	1463.00	19.01	105.33	12.42	43.80	67.07
19.	प. बंगाल	2502.00	4485.00	60.30	428.00	379.00	–	385.00
	कुल (अन्य राज्य)	37788.00	55260.00	445.00	7505.00	2723.00	3375.00	5241.00
	जम्मू-कश्मीर	612.00	870.00	–	45.00	22.00	–	109.00
	कुल (ज. एवं क.)	612.00	870.00	–	45.00	22.00	–	100.00
	कुल (उत्तर-पूर्वी राज्य)	38400.00	56130.00	445.00	7550.00	2745.00	3375.00	5350.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	185.00	–	22.00	82.00	–	–
2.	असम	2315.00	4700.00	19.00	564.00	100.00	–	306.00
3.	मणिपुर	492.00	390.00	2.54	22.00	35.00	–	112.00
4.	मेघालय	365.00	300.00	1.95	22.00	21.00	–	82.00
5.	मिजोरम	223.00	185.00	0.80	90.00	21.00	–	55.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	नागालैंड	112.00	285.00	0.82	22.00	–	–	26.00
7.	त्रिपुरा	555.00	510.00	2.76	64.00	70.00	–	43.00
	कुल (उ.पू. राज्य)	4062.00	6555.00	27.87	806.00	329.00	–	624.00
8.	सिक्किम	238.00	195.00	0.35	44.00	21.00	–	26.00
	कुल (सिक्किम)	238.00	195.00	0.35	44.00	21.00	–	26.00
	कुल (उ.पू. + सिक्किम)	4300.00	6750.00	28.22	850.00	350.00	–	650.00
	कुल—सभी राज्य	42700.00	62880.00	473.22	8400.00	3095.00	3375.00	6000.00
विधानमंडल वाले राज्य								
1.	दिल्ली	80.00	30.00	–	100.00	350.00	200.00	160.00
2.	पांडिचेरी	120.00	40.00	0.26	–	–	–	40.00
बिना विधान मंडल वाले राज्य								
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–
2.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
3.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
4.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
5.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–
	कुल संघ क्षेत्र	200.00	70.00	0.26	100.00	350.00	200.00	200.00
	रक्षा मंत्रालय	–	–	–	–	–	–	–
	रेल मंत्रालय	–	–	–	–	–	–	–
	कुल—दूसरे मंत्रालय	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	42900.00	62950.00	473.48	8500.00	3445.00	3575.00	6200.00

वर्ष 2002-2003 के दौरान सहायता अनुदान का आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	उप केन्द्र	श.प.क. सेवाएं	
			श.प.क.के.	श.स्वा. पोस्ट
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9940.00	580.00	–
2.	बिहार	9720.00	150.00	–

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	3592.00	52.00	–
4.	गोवा	160.00	–	–
5.	गुजरात	6844.00	600.00	160.00
6.	हरियाणा	2164.00	70.00	70.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1948.00	170.00	–
8.	झारखण्ड	4196.00	86.00	108.00
9.	कर्नाटक	7680.00	460.00	–
10.	केरल	4792.00	–	–
11.	मध्य प्रदेश	7648.00	290.00	356.00
12.	महाराष्ट्र	9148.00	345.00	1620.00
13.	उड़ीसा	5576.00	59.00	52.00
14.	पंजाब	2680.00	120.00	348.00
15.	राजस्थान	9336.00	270.00	220.00
16.	तमिलनाडु	8164.00	200.00	568.00
17.	उत्तर प्रदेश	17520.00	519.00	912.00
18.	उत्तरांचल	1432.00	21.00	76.00
19.	प. बंगाल	7644.00	640.00	–
	कुल (अन्य राज्य)	120184.00	4632.00	4490.00
20.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	35.00	–
	कुल (ज. व क.)	1600.00	35.00	–
	कुल (उ.पू. राज्य)	121784.00	4667.00	4490.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	650	44.00	–
2.	असम	12260	56.00	–
3.	मणिपुर	1005	16.00	–

1	2	3	4	5
4.	मेघालय	990	8.00	–
5.	मिजोरम	830	8.00	–
6.	नागालैंड	720	–	–
7.	त्रिपुरा	1290	36.00	–
	कुल (उ.पू. राज्य)	17745.00	168.00	–
8.	सिक्किम	345	8.00	–
	कुल (सिक्किम)	345.00	8.00	
	कुल (उ.पू. + सिक्किम)	18090.00	176.00	–
	कुल (सभी राज्य)	139874.00	4843.00	4490.00
विधान मंडल वाले संघ क्षेत्र				
1.	दिल्ली	52.00	496.00	201.60
2.	पांडिचेरी	100.00	–	–
बिना विधान मंडल वाले संघ क्षेत्र				
1.	अ.नि. द्वीप	123.00	–	–
2.	दादरा और नागर हवेली	44.00	–	–
3.	चंडीगढ़	16.00	20.00	22.00
4.	लक्षद्वीप	17.00	–	–
5.	दमन और दीव	26.00	–	–
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	378.0	516.00	223.60
	कुल योग	140252.00	5359.00	4713.60

*प्रसवोत्तर केन्द्रों और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए निधियां

**1.4.2002 से राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं।

विवरण-III

नसबंदी में राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य/एजेंसी	1999-2000	2000-01*	2001-02*
1	2	3	4	5
1.	**बड़े राज्य** (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)			
1.	आंध्र प्रदेश	792,108	814,335	808,063
2.	असम	25,880	13,865	26,413
3.	बिहार	215,857	107,504	152,219
4.	छत्तीसगढ़	–	–	98,364
5.	गुजरात	260,223	253,901	254,903
6.	हरियाणा	96,443	96,755	87,959
7.	झारखण्ड	–	–	सूचित नहीं
8.	कर्नाटक	414,732	412,726	399,142
9.	केरल	154,168	151,043	150,231
10.	मध्य प्रदेश	407,658	431,871	327,999
11.	महाराष्ट्र	558,176	677,071	696,372
12.	उड़ीसा	110,013	85,391	91,474
13.	पंजाब	126,061	114,198	109,964
14.	राजस्थान	226,272	267,390	251,711
15.	तमिलनाडु	374,195	375,654	390,195
16.	उत्तर प्रदेश	377,746	391,684	418,453
17.	प. बंगाल	289,076	313,817	282,425
2.	**छोटे राज्य/संघ क्षेत्र**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,596	1,755	1,908
2.	दिल्ली	42,241	36,194	39,065
3.	गोवा	5,101	5,122	4,969
4.	हिमाचल प्रदेश	31,783	34,398	34,508
5.	जम्मू-कश्मीर	11,040	14,863	15,646

1	2	3	4	5
6.	मणिपुर	1,321	1,304	849
7.	मेघालय	1,710	2,213	2,294
8.	मिजोरम	3,238	4,586	2,437
9.	नागालैंड	1,233	2,575	616
10.	सिक्किम	1,348	965	830
11.	त्रिपुरा	8,165	7,476	6,094
12.	उत्तरांचल	–	–	28,268
13.	अ. व नि. द्वीप समूह	1,943	1,936	2,127
14.	चंडीगढ़	3,474	2,747	3,003
15.	दा. एवं ना. हवेली	704	710	814
16.	दमन व दीव	458	550	588
17.	लक्षद्वीप	38	52	33
18.	पांडिचेरी	11,617	11,379	12,811
3. अन्य अधिकरण				
1.	रक्षा मंत्रालय	17,554	16,379	13,695
2.	रेलवे मंत्रालय	22,294	14,809	10,440
	अखिल भारत	4,595,466	4,667,218	4,726,882

*आंकड़े अनन्तिम

विवरण-IV

आई.यू.डी. निवेशन की राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य/एजेंसी	1999-2000	2000-01*	2001-02*
1	2	3	4	5
1.	**बड़े राज्य** (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)			
1.	आंध्र प्रदेश	296,921	282,257	280,492
2.	असम	39,169	39,275	38,632
3.	बिहार	227,067	132,285	145,310

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	–	–	104,643
5.	गुजरात	414,350	410,900	402,356
6.	हरियाणा	162,763	163,014	159,220
7.	झारखण्ड	–	–	सूचित नहीं
8.	कर्नाटक	371,373	349,514	322,863
9.	केरल	83,143	79,650	73,438
10.	मध्य प्रदेश	579,555	548,808	460,117
11.	महाराष्ट्र	411,008	433,808	460,117
12.	उड़ीसा	190,971	189,315	171,173
13.	पंजाब	394,631	374,569	351,922
14.	राजस्थान	238,720	245,697	238,235
15.	तमिलनाडु	440,216	397,130	388,568
16.	उत्तर प्रदेश	2,099,609	2,130,333	2,256,101
17.	प. बंगाल	86,918	87,736	74,790
2.	**छोटे राज्य/संघ क्षेत्र**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2,554	2,396	2,663
2.	दिल्ली	61,807	64,863	63,421
3.	गोवा	2,950	2,797	2,701
4.	हिमाचल प्रदेश	34,752	35,088	32,100
5.	जम्मू-कश्मीर	13537	12,990	18,839
6.	मणिपुर	6,625	4,334	6,315
7.	मेघालय	2,846	2,808	2,407
8.	मिजोरम	1,721	2,480	2,047
9.	नागालैंड	2,011	1,660	2,267
10.	सिक्किम	1,175	1,091	1,098
11.	त्रिपुरा	4,134	4,407	4,097
12.	उत्तरांचल	–	–	105,088

1	2	3	4	5
13.	अ. व नि. द्वीप समूह	924	1,139	1,127
14.	चण्डीगढ़	5,267	5,340	4,874
15.	दा. एवं न. हवेली	299	347	276
16.	दमन व दीव	241	297	291
17.	लक्षद्वीप	52	33	40
18.	पांडिचेरी	4,142	4,553	4,137
3.	**अन्य अधिकरण**			
1.	रक्षा मंत्रालय	7,923	6,671	6,585
2.	रेलवे मंत्रालय	10,471	9,231	8,263
	अखिल भारत	6,199,845	6,026,505	6,202,399

*आंकड़े अनन्तिम

विवरण-V

मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोलियों की राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य संघ/राज्य/एजेंसी	1999-2000	2000-01*	2001-02*
1	2	3	4	5
1.	**बड़े राज्य** (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)			
1.	आंध्र प्रदेश	255,618	248,633	241,776
2.	असम	26,149	28,093	20,468
3.	बिहार	88,365	58,036	84,105
4.	छत्तीसगढ़	–	–	170,433
5.	गुजरात	177,125	178,552	187,940
6.	हरियाणा	65,175	68,198	68,064
7.	झारखंड	–	–	सूचित नहीं
8.	कर्नाटक	148,828	149,696	158,033
9.	केरल	30,046	30,795	26,811
10.	मध्य प्रदेश	623,084	542,874	520,999

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	360,257	332,128	338,523
12.	उड़ीसा	117,174	126,440	128,392
13.	पंजाब	115,009	120,997	138,269
14.	राजस्थान	426,787	479,310	533,251
15.	तमिलनाडु	205,160	200,516	191,222
16.	उत्तर प्रदेश	836,333	887,082	816,165
17.	पश्चिम बंगाल	330,111	386,724	394,167
2.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2,098	1,900	1,589
2.	दिल्ली	8,648	13,772	16,299
3.	गोवा	268	1,790	1,776
4.	हिमाचल प्रदेश	24,785	26,505	22,899
5.	जम्मू-कश्मीर	5,269	4,696	7,129
6.	मणिपुर	1,447	639	824
7.	मेघालय	1,718	2,780	2,873
8.	मिजोरम	2,232	1,624	2,270
9.	नागालैंड	468	256	1,564
10.	सिक्किम	2,349	2,543	3,407
11.	त्रिपुरा	21,230	18,336	32,866
12.	उत्तरांचल	–	–	46,384
13.	अ. नि. द्वीप समूह	633	911	1,045
14.	चंडीगढ़	297	413	579
15.	दादरा और नागर हवेली	90	41	157
16.	दमन और दीव	248	238	341
17.	लक्षद्वीप	100	92	82
18.	पांडिचेरी	1,143	1,340	1,559

1	2	3	4	5
3.	**अन्य अधिकरण**			
1.	रक्षा मंत्रालय	3,748	3,877	3,597
2.	रेल मंत्रालय	4,321	4,531	4,496
3.	वाणिज्यिक वितरण	3,861,215	3,631,749	3,304,596
	अखिल भारत	7,747,528	7,556,107	7,474,950

*आंकड़े अनन्तिम

विवरण-VI

कण्डोम उपयोगकर्ताओं की राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1999-2000	2000-01*	2001-02*
1	2	3	4	5
1.	**बड़े राज्य** (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)			
1.	आंध्र प्रदेश	564,766	602,018	543,403
2.	असम	30,829	33,310	25,944
3.	बिहार	139,286	45,14	63,144
4.	छत्तीसगढ़	–	–	284,539
5.	गुजरात	883,545	903,936	893,049
6.	हरियाणा	357,862	334,367	341,824
7.	झारखंड	–	–	सूचित नहीं
8.	कर्नाटक	271,065	276,117	277,838
9.	केरल	142,869	127,281	101,540
10.	मध्य प्रदेश	1,404,116	1,380,883	1,239,408
11.	महाराष्ट्र	511,429	455,040	410,223
12.	उड़ीसा	278,709	284,775	261,907
13.	पंजाब	412,890	397,158	447,533
14.	राजस्थान	963,803	1,035,234	1,056,778

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	274,730	246,263	230,250
16.	उत्तर प्रदेश	1,871,433	1,876,703	1,568,740
17.	पश्चिम बंगाल	349,256	393,941	357,859
2.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,370	1,270	953
2.	दिल्ली	189,351	174,308	182,407
3.	गोवा	180	1,324	1,242
4.	हिमाचल प्रदेश	68,018	69,127	68,958
5.	जम्मू-कश्मीर	12,278	11,804	12,524
6.	मणिपुर	5,657	3,735	2,708
7.	मेघालय	191	587	1,176
8.	मिजोरम	1,496	1,633	1,355
9.	नागालैंड	105	42	215
10.	सिक्किम	1,367	629	1,318
11.	त्रिपुरा	17,633	10,800	16,614
12.	उत्तरांचल	–	–	74,729
13.	अ. नि. द्वीप समूह	1,995	1,518	1,561
14.	चंडीगढ़	6,833	11,274	12,129
15.	दादरा और नागर हवेली	9	2	9
16.	दमन और दीव	1,151	1,154	1,229
17.	लक्षद्वीप	435	462	445
18.	पांडिचेरी	8,682	9,758	11,312
3.	**अन्य अधिकरण**			
1.	रक्षा मंत्रालय	27,379	21,567	20,711
2.	रेल मंत्रालय	56,301	38,404	32,651
3.	वाणिज्यिक वितरण	9,278,472	9,298,472	6,020,694
	अखिल भारत	18,135,491	18,050,042	14,568,929

*आंकड़े अनन्तिम

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

***247. श्री बी.वी.एन. रेड्डी :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को, विशेषकर बिहार को विभिन्न विकास परियोजनाओं को लिये दी गई केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अप्रयुक्त धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुन: आवंटन किया गया है; और

(घ) बिहार राज्य को सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता में शामिल हैं: (1) सामान्य केन्द्रीय सहायता, (2) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, और (3) विशिष्ट कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किया जाना केन्द्रीय सहायता की तृतीय श्रेणी पर लागू होता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार सहित बहुत से राज्य विशिष्ट विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सके।

(ख) कार्यक्रम एवं परियोजना विशिष्ट केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण प्राय: राज्य स्तर पर प्रक्रियात्मक एवं कार्यान्वयन संबंधी बाध्यताएं हैं। अन्य राज्यों सहित बिहार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किया जाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) यदि संबंधित राज्य पुनर्वैधीकरण के लिए पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत करता है, तो स्वीकृत कार्यक्रम एवं परियोजना विशिष्ट केन्द्रीय सहायता जिनका कि पूर्णत: या अंशत: उपयोग न किया गया हो, का आने वाले वर्षों में पुनर्वैधीकरण किया जाता है। पिछले वर्ष स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जिसका वर्ष 2002-2003 के दौरान पुनर्वैधीकरण किया गया, को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) चालू वर्ष 2002-03 के दौरान, विशिष्ट परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए बिहार राज्य को 796 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता दी जाएगी जो 1353.74 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता और 51.14 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त होगी। वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

परियोजना विशिष्ट की सूची-वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग न की गई एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कीम का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	असम	(1) जोरहाट शहर को बचाने के लिए दाइनीगांव हटीसाल क्षेत्र अथवा ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव से बचाव	4.00
		(2) नामडंग आउटकाल से डिकोमुख तक विभिन्न विस्तारों पर डिक्शो बांध एल/बी को चौड़ा करने सहित ए/ई उपायों हेतु	1.00
		(3) खुटियापुरा चैक बंध से एनआर डाइक फेस-1 तक आर/एस से बी/डाइक के लिए	2.00

1	2	3	4
		(4) 280 मीटर के विस्तार के लिए टिम्बर डैम्पनर सं. 2 और 5 के बीच में पलस्तर लगाने, एप्रन के निर्माण सहित शिव मन्दिर से सिख मन्दिर तक धुबरी शहर के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए	1.00
		(5) ए/ई कार्यों सहित आर/एस भगडोई एल/बी जेबीरोड से चेंगेलिएटी तक	1.00
		(6) कटखल नदी के बायें किनारे पर कटलीचारा बाजार के बचाव के लिए (सीएच 2590 से 3060 मीटर)	1.00
		उपयोग न की गई कुल राशि	10.00
		कुल स्वीकृत राशि	80.50
		प्रतिशत उपयोग	87.58
2.	बिहार	1. मिलियन शैलो ट्यूबवैल स्कीम	20.00
		2. छपरा इंजीनियरिंग कालेज भवन का निर्माण और पटना में बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरी (रांची) का विस्तार केन्द्र खोलना	9.00
		3. सिंचाई क्षमता का पुन: स्थापन और लम्बित परियोजनाओं का निष्पादन	7.00
		4. लम्बित बटेश्वर गंगा पम्प नदी स्कीम का विस्तार	0.90
		5. एकीकृत वेस्ट संसाधन विकास कार्यक्रम	5.00
		6. कार्य के लिए अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन	5.00
		7. पटना मेडिकल कालेज में सुधार	7.00
		8. पटना, छपरा और गया में सफाई व्यवस्था, मल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और स्वास्थ्य संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं	7.00
		9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का विकास	3.50
		उपयोग न की गई कुल राशि	64.40
		कुल स्वीकृत राशि	100.00
		प्रतिशत उपयोग	37.48
3.	केरल	स्थानीय प्रशासन संस्थान, केरल के लिए	1.00
		उपयोग न की गई कुल राशि	1.00
		कुल स्वीकृत राशि	52.00
		प्रतिशत उपयोग	98.08

1	2	3	4
4.	महाराष्ट्र	राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना	0.24
		उपयोग न की गई कुल राशि	0.24
		कुल स्वीकृत राशि	50.28
		प्रतिशत उपयोग	99.52
5.	उत्तर प्रदेश	गोशाला आयोग के माध्यम से गोशालाओं को सहायता	2.50
		(1) कानपुर गोशाला सोसाइटी के लिए	0.50
		(2) गाजीपुर सोनाडी रोड, मऊ जनपद पर हाहा नाले के ऊपर पुल तैयार करने के लिए	0.50
		(3) कोंधारी घाट राप्ती नदी, जनपद बलरामपुर पर पुल तैयार करने के लिए	0.60
		(4) इशान रुवेर, जीवाईआर सोसंग लिखा रोड कन्नौज जनपद के धोबी घाट पर पुल तैयार करने के लिए	0.90
		(5) बरोलिया, पृथ्वीगंज पर पुल के लिए	0.10
		(6) आला नदी पर पुल के लिए	0.40
		(7) चिश्ती घाट सरयू नदी पर पुल के लिए	0.30
		(8) लखनऊ में तारामंडल को पूरा करने के लिए	2.06
		उपयोग न की गई कुल राशि	7.86
		कुल स्वीकृत राशि	252.70
		प्रतिशत उपयोग	96.89
6.	दिल्ली	नई दिल्ली में रामाकृष्ण मिशन के माध्यम से कार्यान्वित की की जाने वाली अर्थोन्मुखी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास	2.00
		उपयोग न की गई कुल राशि	2.00
		कुल स्वीकृत राशि	2.00
		प्रतिशत उपयोग	0.00

विवरण-II

परियोजना विशिष्ट की सूची-वर्ष 2001-02 के दौरान स्वीकृत तथा वर्ष 2002-03 के दौरान उपयोग हेतु पुनर्वैधीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्वैधीकृत की तारीख	स्कीम का नाम	राशि
1	2	3	4	5
1.	असम	27.5.2002	(1) जोरहाट शहर को बचाने के लिए दाइनीगांव हटीसाल क्षेत्र अथवा ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव से बचाव	4.00
			(2) नामडंग आउटकाल से डिकोमुख तक विभिन्न विस्तारों पर डिक्शो बांध एल/बी को चौड़ा करने सहित ए/ई उपायों हेतु	1.00
			(3) खुटियापुरा चैक बंध से एनआर डाइक फेस-1 तक आर/एस से बी/डाइक के लिए	2.00
			(4) 280 मीटर के विस्तार के लिए टिम्बर डैम्पनर सं. 2 और 5 के बीच में पलस्तर लगाने, एप्रन के निर्माण सहित शिव मन्दिर से सिख मन्दिर तक धुबरी शहर के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए	1.00
			(5) ए/ई कार्यों सहित आर/एस मगडोई एल/बी जेबीरोड से चेंगेलिएटी तक	1.00
			(6) कटखल नदी के बायें किनारे पर कटलीचारा बाजार के बचाव के लिए (सीएच 2590 मी. से 3060 मी.)	1.00
2.	बिहार	20.6.2002	सिंचाई	32.90
			शिक्षा	16.00
			पर्यावरण एवं वन	5.00
			शहरी विकास	7.00
			समाज कल्याण	3.50
3.	केरल	8.5.2002	स्थानीय प्रशासन संस्थान, केरल हेतु	1.00
4.	महाराष्ट्र	21.5.2002	राज्य मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करना	0.24
5.	उत्तर प्रदेश	13.6.2002	गौशाला आयोग के माध्यम से गौशालाओं को सहायता	2.50
		10.7.2002	(1) कानपुर गौशाला समिति हेतु	0.50

1	2	3	4	5
			(2) गाजीपुर सोनादी रोड़ पर हाहा नाला पर पुल निर्माण-हेतु-मऊ जनपद	0.50
			(3) कौधारी घाट राप्ती नदी पर पुल निर्माण हेतु-जनपद	
			(4) ईशान रूवेर के धोबी घाट पर पुल निर्माण हेतु, जीवाईआर सौसंग लिखा रोड, कन्नौज, जनपद	0.90
			(5) बारोलिया, पृथ्वी गंज पर पुल हेतु	0.10
			(6) घाला नदी पर पुल हेतु	0.40
			(7) सरयू नदी के चिश्ती घाट पर पुल हेतु	0.30
			(8) लखनऊ में तारामंडल को पूरा करवाने हेतु	2.06
6.	दिल्ली	2.5.2002	नई दिल्ली में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली अर्थोन्मुखी शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास हेतु	2.00

विवरण-III

वार्षिक योजना 2002-2003 में बिहार को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता

	केन्द्रीय सहायता	2200.88	
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	1353.74	
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.)	51.14	
3.	अन्य	796.00	*
	1. त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम		138.13
	2. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)		150.00
	3. प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)-ग्रामीण सड़कों के अतिरिक्त		241.73
	4. सड़कें एवं पुल/राज्य राजमार्ग		33.90
	5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)		62.27
	6. ग्राम विद्युतीकरण		23.00
	7. अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान सहायता		2.09

*अन्य रु. करोड़ में शामिल :

8.	जनजातीय उप-योजना	5.57
9.	शहरी अवसंरचना	15.20
10.	गंदी बस्ती विकास	16.83
11.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	7.28
12.	विशेष प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.)	100.00

(बिहार सरकार द्वारा योजना आयोग के ब्यौरे भेजे जाने हैं)

'रेबीज' हेतु टीके

***248. डा. रामचन्द्र डोम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 'रेबीज' और 'टाइफॉइड' के लिए लगाए जाने वाले अधिकांश टीके ऐसे हैं, जिनके उपयोग की तारीख बीत चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोगियों को दी जा रही कलोराम्फेनिकॉल नामक दवा पर विकसित देशों में प्रतिबंध है क्योंकि इससे कैंसर रोग हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (घ) रेबीज के निवारण के लिए देश में दो प्रकार की वैक्सीनों नामत: न्यूरल टिश्यू वैक्सीन (एन.टी.वी.) और टिश्यू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन (टी.सी.ए.आर.वी.) का उत्पादन किया जा रहा है। टी.सी.ए.आर.वी. के उपयोग को तरजीह देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को देखते हुए धीरे-धीरे एन.टी.वी. के इस्तेमाल को बंद करने का एक निर्णय लिया गया है।

तीन प्रकार की टाइफाड वैक्सीनें नामत: होल सैल किल्ड टाइफाइड वैक्सीन (परम्परागत टाइफाइड वैक्सीन), टी-वाई 21-ए टाइफाइड वैक्सीन और वी-फेली सकेराइड टाइफाइड वैक्सीन हैं। होल सैल किल्ड टाइफाइड वैक्सीन, जिसके उत्पादन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, रक्षा कार्मिकों की सीमित आवश्यकता के लिए, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली और हेफकीन बायो-फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन, मुम्बई में उत्पादन की अनुमति दी गई है।

न्यूरल-टिश्यू-वैकसीनें और होल सैल किल्ड टाइफाइड वैक्सीनों को भारतीय भेषज संहिता में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।

विकसित देशों में क्लोराम्फीनी कोल पर प्रतिबंध लगाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। देश में क्लेराम्फीनी कोल और इसकी विभिन्न खुराकें जैसे संस्पेंशन, इंजेक्शन, आई-ड्रोप्स और कैप्सूल के रूप में उपयोग करने की अनुमति है।

डब्ल्यू.एल.एल. सेवायें

***249. श्री अरुण कुमार** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई डब्ल्यू.एल.एल. सेवा वास्तव में आम आदमी की पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी उपभोक्ताओं/ग्राहकों तक इस नयी सेवा का लाभ पहुंचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 4 जुलाई, 2002 को 450 रु. प्रति माह के न्यूनतम किराए को हटा लिया है और 550 रु. प्रति माह के उच्चतम किराए को घटा कर 200 रु. प्रति माह कर दिया है। इनकमिंग कॉलें नि:शुल्क हैं, और आउटगोइंग कॉलें 1.20 रु. प्रति तीन मिनट की दर से प्रभारित की जाती हैं।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

***250. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनमें कितना निवेश किया गया है;

(ख) इन पार्कों के पास कितने सॉफ्टवेयर एकक पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर उद्योग में आई वैश्विक मंदी का प्रभाव इन पार्कों और एककों पर पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) की स्थापना वर्ष 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में एस.टी.पी. योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से की गई थी। एस.टी.पी.आई. ने देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 35 केन्द्रों की स्थापना कर ली है। विस्तृत सूची विवरण-I पर संलग्न है। 35 एस.टी.पी.आई. केन्द्रों का संचयी पूंजीनिवेश लगभग 86.8 करोड़ रुपए (मार्च, 2002 तक) है। मार्च, 2002 तक एस.टी.पी.आई. योजना के अंतर्गत पंजीकृत सॉफ्टवेयर इकाइयों की संख्या 7202 है।

(ग) वैश्विक मंदी के बावजूद एस.टी.पी. इकाइयों से सॉफ्टवेयर के निर्यात में वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान 47% की वृद्धि हुई है।

(घ) सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	एस.टी.पी.आई. केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	बंगलौर	कर्नाटक
2.	मणिपाल	कर्नाटक
3.	मैसूर	कर्नाटक
4.	मंगलौर	कर्नाटक
5.	हुबली	कर्नाटक
6.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
7.	राउरकेला	उड़ीसा
8.	पुणे	महाराष्ट्र
9.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
10.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
13.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
14.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
15.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
16.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
17.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20.	देहरादून	उत्तराचंल
21.	गांधी नगर	गुजरात
22.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
23.	चेन्नै	तमिलनाडु
24.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
25.	त्रिची	तमिलनाडु
26.	मदुरै	तमिलनाडु
27.	मोहाली	पंजाब
28.	जयपुर	राजस्थान
29.	गुवाहाटी	असम
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
31.	इंदौर	मध्य प्रदेश

1	2	3
32.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
34.	भिलाई	छत्तीसगढ़
35.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

विवरण-II

सॉफ्टवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

5. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

6. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

7. वर्ष 2002-03 के बजट में कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क तथा रिकार्ड नहीं किए गए चुम्बकीय टेपों पर 15% से 10% तक तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5% कर दिया गया है। कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन (सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

9. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

10. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

11. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

12. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

13. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

14. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

15. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ-9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृह का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्र हैं:

   * विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

16. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

17. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

18. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

19. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

20. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

21. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

22. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

23. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

24. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002-03 की घोषणा)।

25. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)।

26. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकी शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

27. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

भारत-रूस समझौता

***251. श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सीमा-पार से हो रहे आतंकवाद का मुकाबला करने और तत्संबंधी मामलों की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने हेतु रूस के साथ समझौता किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) अफगानिस्तान से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल जिसकी स्थापना रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन की अक्तूबर, 2000 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हुई थी, की बैठकों के संदर्भ में भारत और रूसी परिसंघ ने सीमा-पार से आतंकवाद के मसले पर चर्चा की। अफगानिस्तान से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल के पांच सत्र सम्पन्न हो गए हैं। दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा

परिषदों के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध संयुक्त समन्वय दल की बैठकों के संदर्भ में भारत और रूसी परिसंघ ने सीमा-पार के आतंकवाद के मसले पर भी चर्चा की। नवम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूसी परिसंघ की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध मास्को घोषणा सम्पन्न की। सरकार ने रूसी परिसंघ की सरकार से आतंकवाद का प्रतिकार करने से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्य दल की स्थापना से सम्बद्ध एक करार का भी प्रस्ताव किया है। रूसी परिसंघ की सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

एथलीटों और प्रशिक्षकों (कोच) के लिये कार्य योजना

***252. श्री पी.सी. थामस :**
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आगामी ओलंपिक खेलों हेतु एथलीटों और प्रशिक्षकों के लिये कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ खेल प्रतिस्पर्धाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों हेतु प्रशिक्षण देने के लिये क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा ओलम्पिक खेलों जैसी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों एवं टीमों को तैयार करने की दृष्टि से, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षण पद्धतियों में सुविज्ञ व्यक्तियों के परामर्श से, प्रत्येक खेल विधा के लिए एक दीर्घावधिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया गया है। संभावित खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण शिविर, नवीनतम खेल उपस्कर, विदेशी प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ तथा विदेशों में प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत (1) एथलेटिक्स (थ्रो और रिले); (2) बैटमिंटन, (3) मुक्केबाजी; (4) हाकी; (5) नौचालन; (6) निशानेबाजी; (7) टेनिस; (8) भारोत्तोलन; (9) कुश्ती तथा (10) याटिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है जो प्राप्त किए जा रहे योग्यता प्रदायी स्तरों पर निर्भर करेगा। तथापि, प्रतियोगिताओं के बारे में अंतिम निर्णय, 2002 राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों में खिलाड़ियों/टीमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा।

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार, विशेष पोषक आहार तथा आहार संबंधी अनुपूरक उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो इस प्रयोजन के लिए आयोजित राष्ट्रीय शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को समाप्त करना

***253. श्री अधीर चौधरी :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्यों में इसके समकक्ष न्यायाधिकरणों को हटाने पर विचार कर रही है, जैसा कि 18 जून, 2002 के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य-सरकारों/सरकारी कर्मचारी संघों के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में लंबित मुकदमों/मामलों का भविष्य क्या होगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों में उसके समकक्ष राज्य प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त कर दिए जाने के किसी भी सामान्य प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। फिर भी, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन किए जाने की दृष्टि से एक विधेयक संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाना संभावनीय है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक समझे जाने पर, किसी भी प्रशासनिक अधिकरण अथवा उसकी किसी भी न्यायपीठ को समाप्त किए जा सकने का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रशासनिक अधिकरण-अधिनियम, 1985 में संशोधन किए जाने के बारे में पहले राज्य-सरकार अथवा कर्मचारी-संघों से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं होता।

(ङ) प्रस्तावित संशोधन में यह अपेक्षा की गई है कि किसी भी अधिकरण को समाप्त किए जाने के किसी प्रस्ताव में, उस अधिकरण में लंबित चल रहे मुकदमें संभाले और निबटाए जाने के बारे में संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से, अंतिम रूप से तय की गई क्रियाविधि निहित हो।

अन्तर्देशीय जल विकास के लिये निजी क्षेत्र से निवेश

***254. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र को अन्तर्देशीय जल विकास पर निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानव अंगों का व्यापार

***255. श्री के. येरननायडू :**
श्री सुनील खां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मानव अंगों, विशेषकर गुर्दों, का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (ग) चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने, उनका भण्डारण करने और उनके प्रत्यारोपण को विनियमित करने और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन-देन की रोकथाम करने तथा उससे संबद्ध अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए व्यवस्था करने हेतु 8 जुलाई, 1994 को मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम बनाया गया था। उक्त अधिनियम गोवा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश नामक संपूर्ण राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। इसे बिहार और झारखण्ड को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा पारित किया गया है/बनाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 18 से 23 के अधीन मानव अंगों के ऐसे व्यापार कर काबू पाने के लिए आवश्यक उपबंध बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13(2) के अधीन राज्य सरकारों का अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा एक अथवा अधिक अधिकारियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। गुर्दे सहित मानव अंगों की बिक्री और खरीद पर मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन प्रतिबंध लगा हुआ है। अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कार्य करता है, दण्ड देने के लिए उपबंध है। मानव अंगों की बिक्री की घटनाओं जो उपबंधों के विरुद्ध हों और उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय हों, संबंधित राज्य सरकारों, जिनके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है के पास उपलब्ध होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने गुर्दे बेचते हुए दिल्ली के लोगों के दो मामले देखने में आए हैं।

कम्पनियों द्वारा डाक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों से औषधि निर्देशनों (नुसखों) का प्रभावित होना

***256. श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 2002 को 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में ''कंपनी फ्रीबीज इन्फ्लूयेंस डाक्टर्स प्रिस्कृप्शन'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भेषज कंपनियों की ऐसी प्रवृत्तियों को किस प्रकार रोकने का प्रस्ताव है, जिनसे प्रभावित होकर डाक्टर ऐसी दवाओं का निर्देशन (नुसखा) देते हैं, जिनका अन्यत्र पूर्णत: परीक्षण नहीं किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (ग) औषधों की बिक्री बढ़ाने के लिए चिकित्सा व्यावसायिकों को प्रलोभनों की पेशकश करने की कोई विशिष्ट घटना सरकार की जानकारी में नहीं आयी है। इस कथित समाचार 'भारत प्रायोगिक औषधों का जांच स्थल बन गया है और वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत के औषध महानियंत्रक के पास आणवेषणिक नई औषधों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बारम्बारता में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है' के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में प्राप्त अधिकांश आवेदन वैसी औषधों हेतु हैं जो अन्य देशों में पहले से ही अनुमोदित हैं और जिनका विपणन किया जाता है। ये आणवेषणिक नई औषधें नहीं हैं और औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'वाई' की अपेक्षानुसार सिर्फ पुष्टिकारक नैदानिक परीक्षण किए जाने हैं। इन्हें प्रायोगिक औषधों का जांच स्थल नहीं माना जा सकता है जैसा कि समाचार में आरोपित है। वर्ष 1999 से भारतीय भेषजीय (फार्मास्युटिकल) उद्योग द्वारा सिर्फ सात आणवेषणिक नई औषधों के आवेदन पेश किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित भेषजीय (फार्मास्युटिकल) नीति, 2002 के अनुसार, इसका उद्देश्य उपयुक्त राजकोषीय प्रोत्साहनों इत्यादि के जरिए भेषज अनुसंधान एवं विकास में स्वदेशी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। उन औषधों जिनकी कहीं और पूर्णतयां जांच नहीं की गई है, को निर्धारित करने के लिए डाक्टरों द्वारा उपहार स्वीकार करने या इनकी मांग करने का कोई कार्य अथवा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों का उल्लंघन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत अनैतिक अथवा कदाचार समझा जाएगा। उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत, अध्याय-8 में इन दण्डों एवं अनुशासनिक कार्रवाई का प्रावधान है जिसे विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले डाक्टरों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। यदि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें लाई जाएंगी तो उन्हें संबद्ध राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्, जिसके यहां डाक्टर पंजीकृत हैं, के पास भेजा जाएगा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के यहां सीधे पंजीकृत होने की स्थिति में परिषद् की नीतिपरक समिति द्वारा आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क का रख-रखाव

***257. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. अपने ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क की सेवाओं के रख-रखाव के काम में बेरोजगार युवकों को लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी परामर्शदात्री एजेंसी ने धन बचाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य को निजी क्षेत्र को देने से होने वाले लाभों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव से बी.एस.एन.एल. का घाटा किस सीमा तक कम होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रायोगिक कार्य कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई प्रायोगिक कार्य नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नौवीं योजना में डाकघर खोलना

***258. श्री बीर सिंह महतो :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए डाकघर खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उपलब्धियां क्या रहीं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान 2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) और 250 विभागीय उप डाकघर (डी.एस.ओ.) के लक्ष्य की तुलना में 2154 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 254 विभागीय उप डाकघर खोले गए थे। अपेक्षित पद उपलब्ध न होने

के कारण अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

नौवीं योजना अवधि के दौरान, विभाग ने बिना डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों में बुनियादी डाक काउंटर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4677 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी.एस.एस.के.) भी खोले।

(ग) नौवीं योजना के दौरान सर्किल-वार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य तथा खोले गये डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	लक्ष्य 1997-98		खोले गये 1997-98		लक्ष्य 1998-99*		खोले गये 1998-99	
		बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	3	10	2	10	2
2.	असम	25	2	18	3	54	5	54	5
3.	बिहार	40	5	31	4	72	2	72	2
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	दिल्ली	5	2	5	2	4	2	4	2
6.	गुजरात	25	2	18	3	31	2	31	2
7.	हरियाणा	15	2	13	2	13	3	13	3
8.	हिमाचल प्रदेश	10	2	4	शून्य	7	1	7	1
9.	जम्मू-कश्मीर	15	1	11	1	23	1	23	1
10.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	30	5	24	5	12	4	12	4
12.	केरल	10	2	7	1	12	3	12	3
13.	मध्य प्रदेश	37	2	41	2	50	5	50	5
14.	महाराष्ट्र	35	3	34	4	69	3	69	3
15.	उत्तर-पूर्व	25	3	18	3	54	3	54	3
16.	उड़ीसा	27	2	21	3	10	2	10	2
17.	पंजाब	17	2	12	2	12	2	12	2
18.	राजस्थान	33	2	33	1	30	1	30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	तमिलनाडु	21	2	21	3	10	2	10	2
20.	उत्तर प्रदेश	70	6	57	6	82	3	82	3
21.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	पश्चिम बंगाल	50	3	24	4	43	4	43	4
	कुल	500	50	402	52	598	50	598	50

क्र.सं.	सर्किल	लक्ष्य 1999-2000		खोले गये 1999-2000		लक्ष्य 2000-01		खोले गये 2000-01		लक्ष्य 2001-02		खोले गये 2001-02	
		बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	15	2	4	3	15	1	6	2	15	शून्य	3	शून्य
2.	असम	50	4	24	7	30	3	30	3	35	2	35	2
3.	बिहार	50	3	51	शून्य	53	1	70	1	60	शून्य	38	शून्य
4.	छत्तीसगढ	–	–	–	–	25	1	25	1	25	1	25	1
5.	दिल्ली	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
6.	गुजरात	30	3	28	2	20	3	8	4	20	2	18	2
7.	हरियाणा	15	2	12	1	15	1	2	1	2	1	शून्य	1
8.	हिमाचल प्रदेश	7	1	2	1	7	1	2	1	5	शून्य	5	शन्य
9.	जम्मू-कश्मीर	15	1	14	1	5	1	5	1	13	शून्य	13	शून्य
10.	झारखण्ड	–	–	–	–	22	1	शून्य	1	15	1	शून्य	1
11.	कर्नाटक	21	3	21	3	21	2	21	2	20	2	13	2
12.	केरल	4	2	4	2	4	1	4	1	2	1	2	1
13.	मध्य प्रदेश	40	4	40	4	15	3	15	3	21	3	21	3
14.	महाराष्ट्र	50	2	50	3	60	7	60	7	65	9	65	10
15.	उत्तर-पूर्व	40	2	19	3	40	2	3	3	35	2	13	2
16.	उड़ीसा	14	2	14	2	10	2	10	2	14	2	14	2
17.	पंजाब	10	1	9	1	14	3	12	2	6	8	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	राजस्थान	27	2	24	1	20	2	20	2	20	4	20	4
19.	तमिलनाडु	15	2	15	2	15	2	15	2	5	2	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	50	3	10	2	44	1	45	शून्य	40	2	38	2
21.	उत्तरांचल	–	–	–	–	6	शून्य	6	1	25	1	15	1
22.	पश्चिमी बंगाल	43	9	41	9	55	10	शून्य	10	55	5	54	5
	कुल	500	50	386	49	500	50	363	52	500	50	405	51

*वर्ष 1998-99 में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) के लक्ष्य में 98 और शामिल किए गए, जो 1997-98 में कम खोले गए थे। नौवीं योजना का लक्ष्य 2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) और 250 विभागीय उप डाकघर (डी.एस.ओ.) का था।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

***259. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को कोई सहायता/प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (ग) ऊपर के स्तर से परिवार नियोजन के लिए विधि विशिष्ट लक्ष्य नियत करने की परिपाटी को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन नीति पर आधारित विकेन्द्रीकृत भागीदारी नियोजन पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। देश में जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ आवश्यक सामाजिक-जनांकिकीय लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए राज्यों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य जनांकिकीय लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्रजनन के स्तर अर्थात् 2.1 की कुल प्रजनन दर का पुन:स्थापन है। विवरण-I संलग्न है जिसमें कुल प्रजनन दर, जन्म दर और गर्भ निरोधक व्याप्तता दर की राज्यवार वर्तमान स्थिति दी गई है। जहां केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने प्रजनन का पुन: स्थापन स्तर (2.1 की कुल प्रजनन दर) पहले ही प्राप्त कर लिया है वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के अत्यधिक घनी आबादी वाले राज्य मुख्य रूप से प्रनजक आयु समूह में विशाल जनसंख्या में मौजूदगी, गर्भ निरोधन की पूरी न हुई जरूरतों और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की अपर्याप्तता के कारण पिछड़ रहे हैं।

राज्यों को संवर्धक और प्रेरक उपायों के अधीन कुछ योजनाओं के लिए प्रोत्साहनों के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। ये योजनाएं हैं: (1) उन माताओं जिनका पहला बच्चा 19 वर्ष की आयु के बाद हुआ है, के लिए नगद प्रोत्साहनों के लिए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को पहले अथवा दूसरे बच्चे के जन्म के लिए प्रसवपूर्व जांच, सांस्थानिक प्रसव, जन्म के पंजीकरण और रोग प्रतिरक्षण से संबद्ध करना, (2) बंध्यीकरण कराने वाले/करवाने वाली पुरुष/महिला की मजदूरी की क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए बंध्यीकरणों के लिए मुआवजा; (3) छोटे परिवार के मानदण्ड को व्यापक बनाने के लिए अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए पंचायतों के लिए सामुदायिक प्रोत्साहन योजना आदि।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए प्रावधान को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्रजनन दर	गर्भनिरोधक व्याप्तता दर	अशोधित जन्म दर
1	2	3	4	5
2.1 से कम अथवा 2.1 के समान की कुल प्रजनन दर वाले राज्य :				
1.	गोवा	1.0	47.5	14.3
2.	नागालैण्ड	1.5	30.3	अनुपलब्ध
3.	दिल्ली	1.6	63.8	20.3
4.	केरल	1.8	63.7	17.9
5.	पांडिचेरी	1.8	अनुपलब्ध	17.8
6.	अंदमान और निको. द्वीप समूह	1.5	अनुपलब्ध	19.1
7.	तमिलनाडु	2.0	52.1	19.2
8.	चंडीगढ़	2.1	अनुपलब्ध	17.5
2.1 से अधिक लेकिन 3 से कम की प्रजनन दर वाले राज्य :				
1.	मणिपुर	2.4	38.7	18.3
2.	दमन और दीव	2.5	अनुपलब्ध	23.7
3.	कर्नाटक	2.4	58.3	22.0
4.	आंध्र प्रदेश	2.4	59.6	21.3
5.	हिमाचल प्रदेश	2.4	67.7	22.1
6.	सिक्किम	2.5	53.8	21.8
7.	पश्चिमी बंगाल	2.4	66.6	20.6
8.	महाराष्ट्र	2.7	60.9	20.9
9.	पंजाब	2.6	66.7	21.5
10.	अरुणाचल प्रदेश	2.8	35.4	22.3
11.	लक्षद्वीप	2.8	अनुपलब्ध	26.1
12.	उड़ीसा	2.9	46.8	24.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3 से अधिक की कुल प्रजनन दर वाले राज्य :

1.	गुजरात	3.0	59.0	25.2
2.	असम	3.2	43.3	26.9
3.	हरियाणा	3.3	62.4	26.9
4.	दादरा और नागर हवेली	3.5	अनुपलब्ध	34.9
5.	त्रिपुरा	3.9	अनुपलब्ध	16.5
6.	मेघालय	4.8	20.2	28.5
7.	मध्य प्रदेश	3.9	44.3	31.2
8.	राजस्थान	4.1	40.3	31.2
9.	बिहार	4.3	24.5	31.9
10.	उत्तर प्रदेश	4.6	28.1	32.8

कुल प्रजनन दर = स्रोत नमूना पंजीयन पद्धति, 1998 भारत के महापंजीयक

गर्भ निरोधक व्याप्तता दर = स्रोत एन.एफ.एच.एस.-॥ (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99)

अशोधित जन्म दर = स्रोत नमूना पंजीयन पद्धति 2000, भारत के महापंजीयक।

विवरण-II

बंध्यीकरण और आई.यू.डी. निवेशन के अधीन योजना के लिए बजट प्रावधान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1756.37	1595.96	1776.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.79	2.03	29.90
3.	असम	49.68	225.48	934.00
4.	बिहार	198.22	91.53	505.00
5.	गोवा	21.02	22.18	13.00
6.	गुजरात	590.52	742.73	615.00
7.	हरियाणा	275.77	320.55	223.30

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	75.70	31.08	71.40
9.	कर्नाटक	884.28	1576.43	987.00
10.	केरल	372.19	546.37	355.00
11.	मध्य प्रदेश	836.95	484.41	759.00
12.	महाराष्ट्र	1111.49	1569.76	1246.00
13.	मणिपुर	9.53	22.76	18.68
14.	मेघालय	6.32	6.88	46.72
15.	मिजोरम	8.19	7.94	93.40
16.	नागालैण्ड	3.37	8.87	24.28
17.	उड़ीसा	261.62	196.39	223.30
18.	पंजाब	323.62	425.55	316.30
19.	राजस्थान	563.32	512.64	493.50
20.	तमिलनाडु	923.35	1510.90	916.70
21.	त्रिपुरा	17.93	27.23	70.32
22.	उत्तर प्रदेश	1039.10	1053.92	992.40
23.	पश्चिमी बंगाल	529.95	687.82	641.30
24.	जम्मू-कश्मीर	36.49	20.66	24.50
25.	सिक्किम	4.08	9.90	32.70
26.	दिल्ली	99.06	75.40	174.80
27.	पांडिचेरी	23.64	44.60	25.20
28.	छत्तीसगढ़	–	–	269.00
29.	झारखण्ड	–	–	238.00
30.	उत्तरांचल	–	–	184.30
	कुल	10026.55	11819.97	12300.00

योजनाओं के लिए बजट प्रावधान वर्ष 2001-2002 के दौरान सामुदायिक प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ*

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजनाओं के नाम	
		सामुदायिक प्रोत्साहन योजना	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	1882.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	21.39
3.	असम	10.00	241.33
4.	बिहार	70.00	302.73
5.	गोवा	–	6.00
6.	गुजरात	–	69.42
7.	हरियाणा	–	32.61
8.	हिमाचल प्रदेश	–	8.40
9.	कर्नाटक	–	425.11
10.	केरल	–	96.90
11.	मध्य प्रदेश	70.00	543.84
12.	महाराष्ट्र	–	327.56
13.	मणिपुर	10.00	38.61
14.	मेघालय	10.00	31.92
15.	मिजोरम	–	6.47
16.	नागालैण्ड	10.00	31.51
17.	उड़ीसा	50.00	601.92
18.	पंजाब	–	52.52
19.	राजस्थान	70.00	95.86
20.	तमिलनाडु	–	843.90
21.	त्रिपुरा	–	57.35
22.	उत्तर प्रदेश	70.00	1075.35
23.	पश्चिमी बंगाल	–	364.75
24.	जम्मू-कश्मीर	–	34.59
25.	सिक्किम	10.00	8.84
26.	दिल्ली	–	3.00
27.	पांडिचेरी	–	2.69
28.	छत्तीसगढ़	40.00	83.15
29.	झारखण्ड	40.00	152.62
30.	उत्तरांचल	40.00	63.29
	कुल	500.00	7523.70

*ये नई योजनाएं हैं जो वर्ष 2001-2002 में ही प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय

***260. श्री राम सिंह कस्वां :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तानी जेलों में कितने असैनिक भारतीय बंद हैं;

(ख) क्या इस मुद्दे को पाकिस्तान के समक्ष उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1100 भारतीय असैनिक कार्मिक (281 मछुआरे और 819 सिविलियन बन्दी) पाकिस्तान में बन्द हैं।

(ख) से (घ) सरकार उनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन के मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ लगातार उठाती रही है। इसके परिणामस्वरूप, मई, 2002 में पाकिस्तान द्वारा 265 मछुआरों सहित 311 बन्दियों को कोंसली सहायता पहुंचाई गई। उनकी रिहाई और प्रत्यावर्त्तन जिसमें उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन शामिल है, पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

योजना आकार को अंतिम रूप देना

2451. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों के योजना आकार को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने सभी राज्यों के लिए प्रत्यक्ष संसाधनों के आधार पर एक कोर योजना आकार तय किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस निर्णय से योजना बनाने की प्रक्रिया की कमियों के किस सीमा तक ठीक होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) योजना आयोग ने सभी राज्यों के दसवीं योजना (2002-07) आकार को अंतिम रूप दे दिया है। उत्तरांचल और मणिपुर तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को छोड़कर, सभी राज्यों की वार्षिक योजना 2002-03 के आकारों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्यों की दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-03 को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना आयोग पहचान किए जाने योग्य संसाधनों के आधार पर राज्यों के कोर वार्षिक योजना आकारों को निर्धारित करता रहा है। राज्य पूरी तरह योजनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और सामान्यत: योजना आयोग द्वारा की जाने वाली पहल की प्रशंसा करते हैं।

(ङ) पहचान किए जाने योग्य संसाधनों के आधार पर योजना आकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा बनाई जा रही योजना के वस्तुपरक होने की संभावना है। इसमें राज्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर केन्द्रित ध्यान की गुंजाइश होगी जो योजनाओं का आकार वस्तुपरक होने पर ही संभव है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दसवीं योजना का अनुमानित परिव्यय	वार्षिक योजना 2002-03 का सहमत परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	46614.00	10100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3888.32	676.00
3.	असम	8315.22	1750.00
4.	बिहार	21000.00	2900.00
5.	छत्तीसगढ़	11000.00	1757.00
6.	गोवा	3200.00	586.00
7.	गुजरात	40007.00	7600.00
8.	हरियाणा	10285.00	2034.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10300.00	1840.00
10.	जम्मू-कश्मीर	14500.00	2200.00
11.	झारखंड	14632.74	2652.00
12.	कर्नाटक	43558.22	8610.61
13.	केरल	24000.00	4025.00
14.	मध्य प्रदेश	24642.47	4821.00
15.	महाराष्ट्र	66632.00	11562.00
16.	मणिपुर	2804.00	*
17.	मेघालय	2299.44	545.00
18.	मिजोरम	2052.51	430.00
19.	नागालैंड	2227.65	424.00
20.	उड़ीसा	19000.00	2250.00
21.	पंजाब	18657.00	2793.00
22.	राजस्थान	27318.00	5160.00
23.	सिक्किम	1655.74	350.00
24.	तमिलनाडु	40000.00	5750.00

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	4500.00	625.00
26.	उत्तर प्रदेश	59708.00	7250.00
27.	उत्तरांचल	7630.00	*
28.	पश्चिमी बंगाल	28641.00	6307.00
संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2483.00	410.00
30.	चंडीगढ़	*	*
31.	दादरा और नागर हवेली	304.00	55.28
32.	दमन और दीव	245.00	44.11
33.	दिल्ली	23000.00	4700.00
34.	लक्षद्वीप	437.00	92.72
35.	पांडिचेरी	1906.49	400.00

*अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी की वृद्धि दर में गिरावट

2452. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में 33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002 में 3 प्रतिशत (डॉलर के संदर्भ में) हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय में वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के 33% की तुलना में वर्ष 2002 में 3% (डालर के मूल्य) की कमी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी में मंदी के लिए मुख्यत: वैश्विक आर्थिक मंदी और बड़े वैश्विक उद्योगों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी व्यय में कटौती उत्तरदायी है।

(ग) सरकार द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिया गये हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनत निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रानिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

* कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में ''निर्यात गृह'' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यताप्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप

में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्टफोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घन्टे की प्रतिशत अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना का अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

'पब्लिक अफेयर सेन्टर' द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

2453. श्री सुबोध मोहिते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में बैंगलौर स्थित संगठन 'पब्लिक अफेयर्स सेन्टर' द्वारा 'स्टेट ऑफ इंडियाज पब्लिक सर्विसेज' शीर्षक से कराए गए सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पब्लिक अफेयर्स सेन्टर, बैंगलोर द्वारा किये गये ''स्टेट आफ इंडियाज पब्लिक सर्विसेज : नई सहस्त्राब्दि के लिए लक्ष्य'' नामक सर्वेक्षण में निम्नलिखित पांच मूलभूत लोक सेवाएं शामिल हैं:

(1) पीने का पानी

(2) स्वास्थ्य और स्वच्छता

(3) शिक्षा और बाल देख-भाल

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उचित दर दुकानें)

(5) सड़क परिवहन।

यह सर्वेक्षण और उसमें दिये गये निष्कर्ष 24 राज्यों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित) में 115 जिलों के 33,000 से अधिक परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण के कार्यकारी सारांश में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि केवल उच्चस्तरीय आय और ढांचागत व्यय से ही शासन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने सेवा की प्रभावकारिता और गुणवत्ता में सुधार लाने की तुलना में लोगों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर अधिक ध्यान दिया है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों से परामर्श करके प्रक्रिया सुधार, संगठन और पद्धति, शिकायतों पर कार्रवाई, आधुनिकीकरण के संवर्द्धन, नागरिक चार्टरों, ई-गवर्नेंस और प्रलेखन तथा उत्तम पद्धतियों के प्रसार जैसे विभिन्न प्रशासनिक सुधार संबंधी उपायों के माध्यम से सरकार के कार्यों को बेहतर बनाने के लिये एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। इस विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में की गई विभिन्न शुरूआतों का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सुलभता के साथ-साथ उनकी प्रभावकारिता और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की खरीद

2454. श्री सुनील खां : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा खरीदे गये सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में किसी वित्तीय अनियमितता का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने डी.जी.एस. एंड डी. के माध्यम से खरीदने में जी.डी.आर. नियमों का पालन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्थानीय लेखापरीक्षा दल ने वर्ष 2001-2002 के मंत्रालय के लेखा/रिकार्ड की वार्षिक जांच के दौरान, खरीद से संबंधित अपनाई पद्धति से संबंधित कुछ स्पष्टीकरणों की मांग की थी, जो कि उन्हें पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.आई. के लिए पृथक संवर्ग

2455. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सी.बी.आई. की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसके कर्मचारियों हेतु पृथक संवर्ग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) अपने स्थायी नियंत्रण में मौजूद अधिकारियों और पुलिस तथा अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों के संयुक्त संख्या-बल से युक्त, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की एक बहुआयामी संगठन के रूप में संरचना की गई है। यह संस्था की आंतरित क्षमता विकसित करने, अनुभव का बेहतर ढंग से लाभ उठाने, नवीनतम व्यावसायिक जानकारी प्राप्त करने, नवीनतम व्यावसायिक कौशल से सम्पन्न अधिकारियों की सेवाएं हासिल करने तथा राज्यों, विधि-प्रवर्तक अभिकरणों और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में और अधिक समन्वयन कायम करने के लिहाज से आवश्यक समझा जाता है।

अमरीकी नौसेना पोत को अनुमति

2456. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी नौसेना पोत यू.एस.एस. वैन्डग्रिफ्ट ने मई 2002 को कोचीन बंदरगाह पर रुकने से पूर्व सरकार से अनुमति ली थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) अमरीकी नौसेना का जहाज वैन्डग्रिफ्ट भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 4-6 मई, 2002 तक कोचीन में रुका रहा जो कि मित्र देशों के जहाजों को सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। उस जहाज ने विश्राम और भराई के लिए कोचीन में लंगर लगाया था।

म्यांमार द्वारा शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण

2457. श्री वाई.वी. राव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर ने केन्द्र सरकार को म्यांमार के प्राधिकारियों द्वारा तामू में ''नो मैन लैंड'' पर शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण करने से संबंधित रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अति निकट संभवत: तमू में शापिंग परिसर बनाए जाने की खबर से संबंधित मसला भारत और म्यामांर के बीच हाल ही में 10 जुलाई, 2002 को सम्पन्न 8वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक में उठाया गया।

म्यामांर पक्ष ने इस शंका और भारत सरकार के सुझाव को नोट कर लिया कि शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अपूर्ण परियोजनाएं

2458. श्री रामानन्द सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी सिंचाई, परिवहन, सड़क, रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुमोदित/स्वीकृत तो कर दिया गया था लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य के कार्यान्वयनाधीन तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रबोधित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश की 20 करोड़ तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाएं

इकाई : (लागत/व्यय करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकार के अनु. की तिथि मूल (संशोधित)	प्रारंभ करने की तिथि मूल (संशोधित)	प्रारंभ करने की तिथि प्रत्याशित (एल.आर. ई.पी.)	लागत अनुमोदित मूल (संशोधित)	प्रत्याशित	संचयी व्यय	वास्तविक प्रगति/टिप्प. (/)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्षेत्र : रेलवे									
गेज परिवर्तन									
1.	नीमच, रतलाम प.रे., म.प्र.	कि.मी. 135	1993/04	1996/03	नहीं	65.00	178.18	14.54	21.0 अपर्याप्त निधियों के कारण तिथि नहीं निर्धारित की गई। बलास्ट संलग्न आरंभ हो गया है। वर्ष 2002-2003 के लिये आबंटन 25 करोड़ रुपए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	लई लाइन डालीराजहारा जगदलपुर द.पू.रे. म.प्र. नई रेलवे जोन	कि.मी. 235	1995/04	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	369.00	376.00	0.45	परियोजना का वित्त पोषण रेल मंत्रालय तथा इस्पात एवं खान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है उपलब्ध खान परियो. के लिए पर्यावरण निकासी नहीं प्राप्त हुई है।
3.	पश्चिमी मध्य रेलवे जोन (म.रे.) जबलपुर म.प्र.		1997/05	2003/04	2003/04	41.67	41.67	5.46	कार्यान्वयन की प्रारम्भिक अवस्थाएं
क्षेत्र : सड़क एवं राजमार्ग									
4.	आगरा-ग्वालियर 60 किमी. 70 किमी. उत्तर प्रदेश कोरीडोर एनएचपीडी	2000/04	2001/12	2002/09	28.27	28.27	17.43	61.1	
5.	आगरा-ग्वालियर 70 कि.मी. 95 कि.मी. उत्तर दक्षिण कोरीडोर एनएचडीपी	2000/04	2003/04	2003/04	49.00	49.00	15.56	23.0	
6.	आगरा-ग्वालियर 85 कि.मी. 103 कि.मी. उत्तर-दक्षिण कोरीडोर एनएचडीपी	2000/04	2003/05	2003/05	69.50	69.50	19.76	17.0	

(ख) मध्य प्रदेश में (एआईवीपी) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	अंतिम क्षमता (हेक्टेयर)	कुल क्षमता 30 सितम्बर, 2001 तक (हेक्टेयर)	संचयी व्यय 31.3.2002 तक (करोड़ रु.)	पूर्ण करने की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1.	इंद्रा सागर	169.000	0	491.000	06/2004
2.	वनसागर बांध	249.000	0	712.440	2005
3.	ऊपरी वेनगंगा	105.300	84,673	236.250	06/2003
4.	राजघाट बांध	116.76	10,180	445.660	2003-04
5.	सिंध चरण-2	162.00	5,055	199.000	06/2006

1	2	3	4	5	6
6.	सिंध चरण-1	53.000	31,984	52.230	2004
7.	मही बजाज सागर	26.400	0	59.670	2003
8.	बरियारपुर एलबीसी	43.800	0	59.990	2004-05
9.	उर्मिल	7.700	6,500	23.460	06/2002
10.	बनजार	2.400	1,500	7.160	03/2002

कार्यालय-समय में बदलाव

2459. श्री किरीट सोमैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्यालय-समय/कार्य के घंटों में बदलाव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकारी कार्यालयों में कार्य-दिवसों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ओ.एफ.सी.

2460. श्री अशोक अर्गल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 15.5.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 7285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 102.35 किलोमीटर रूट लंबाई के लिए अनुभवहीन ठेकेदारों को दिए गए ठेकों से संबंधित दूरसंचार सर्किलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन ठेकेदारों ने कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) क्या सरकार को इनमें से किसी ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में कुल 102.35 कि.मी. रूट लंबाई के लिए 38 ऑप्टिकल फाइबर रूट अनुभवहीन ठेकेदारों को दिए गए थे।

(ख) 38 रूटों में से 34 रूटों में काम पूरा हो चुका है और 2 रूटों में कार्य चल रहा है। शेष दो रूटों में, उच्च दरों के कारण निविदा रद्द कर दी गई हैं और नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

2461. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल के संसद सदस्यों की सिफारिशों पर आवेदकों को कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन के लिए सिफारिशें कितनी थीं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कितने कनेक्शन प्रदान किए गए;

(घ) जिला-वार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ङ) शेष आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या स्वीकृति के बावजूद कई मामलों में टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) टेलीफोन लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केबलों को क्षति

2462. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी टेलीफोन परिचालन कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पूरे देश में आप्टीकल फाइबर केबल बिछाया है;

(ख) उनमें से उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने खुदाई कार्य के कारण टेलीफोन लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है;

(ग) इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इन निजी कम्पनियों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पास कुल कितनी राशि जमा की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता से अस्पतालों की स्थापना

2463. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार को अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना हेतु विश्व बैंक से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में खराब टेलीफोन

2464. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विशेषकर दरभंगा के बिठोली टेलीफोन एक्सचेंज में उपभोक्ताओं को उचित सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को बिठौली टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों/लाइनमैन के विरुद्ध उपभोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) बिहार और साथ ही, बिठोली टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को उचित टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। उपभोक्ताओं से बिठोली टेलीफोन एक्सचेंज के एक कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी और एक अस्थायी मजदूर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की गई थीं। उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2465. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में विशेषकर बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में आधुनिकीकृत किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और कितने नए एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन जिलों में अधिकांश टेलीफोन बराबर खराब रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बारामुला और कुपवाड़ा जिलों सहित जम्मू व कश्मीर में 100 एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया और 60 नये एक्सचेंज स्थापित किए गए। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में आधुनिकीकृत और स्थापित किए गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

(1) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में आधुनिकीकृत किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

1999-2000	–	29
2000-2001	–	64
2001-2002	–	7

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

1999-2000	–	27
2000-2001	–	15
2001-2002	–	18

(3) बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में आधुनिकीकृत और स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	बारामूला जिला		कुपवाड़ा जिला	
	आधुनिकीकृत एक्सचेंज का नाम	स्थापित किए गए एक्सचेंज का नाम	आधुनिकीकृत एक्सचेंज का नाम	स्थापित किए गए एक्सचेंज का नाम
1999-2000	शून्य	फतेहगढ़	तदंगर	शून्य
2000-2001	घडकुद गुरेज बगूरा	कुंजेर सिंहपुरा सोईबग	शून्य	शून्य
2001-2002	शून्य	बोमाई बोनयार हजीन रोहामा	त्रेहगाम	शून्य

टेलीफोनों की खराबी

2466. श्री सुरेश चन्देल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खराब टेलीफोनों को कई दिनों तक ठीक नहीं किया जाता जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) ऐसे क्षेत्रों में खराब टेलीफोनों को यथाशीघ्र ठीक करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में दोषपूर्ण टेलीफोनों की शीघ्र मरम्मत के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपर्याप्त सड़क व्यवस्था, कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं, अनियमित विद्युत आपूर्ति जैसे कारणों की वजह से तत्काल बहाली सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है।

(ख) ऐसे टेलीफोनों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोष मरम्मत की मॉनिटरिंग।

(2) कम दूरी प्रभारण केन्द्र (एस.डी.सी.सी.) से इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पौंस सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) के आधार पर केन्द्रीकृत दोष बुकिंग।

(3) बाह्य संयंत्र का पुनरुद्धार/उन्नयन।

(4) चरणबद्ध रूप से अधिक फैले हुए ओवरहेड अलाइनमैंट को भूमिगत केबलों से बदलना।

(5) टेलीफोन एक्सचेंजों से वी.पी.टी. की प्रतिदिन जांच।

(6) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की शीघ्र बहाली के लिए प्रत्येक सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) में कोर समूहों का गठन करना।

(7) मियाद समाप्त टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप, टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस/प्वाइंट-टु-मल्टी प्वाइंट (टी.डी.एम.ए./पी.एम.पी.) जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना।

(9) लंबे समय तक बिजली गुल रहने पर उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जेनरेटर सेटों की व्यवस्था करना।

ग्राम पंचायतों में डाक-तार सुविधाएं

2467. प्रो. दुखा भगत :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड और बिहार में बिना डाक-तार सुविधाओं के ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड और बिहार में जिला-वार कितने पंचायत संचार सेवा और तार कार्यालय स्थापित किए गए या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) झारखण्ड एवं बिहार सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों में डाक के दैनिक वितरण एवं संग्रहण तथा डाक-टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री की डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

तार सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखण्ड एवं बिहार में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	पंचायत संचार सेवा केन्द्र
झारखण्ड	
2000-2001	77
2001-2002	72
बिहार	
2000-2001	464
2001-2002	570

पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार और झारखण्ड में कोई तारघर नहीं खोला गया।

(ग) पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का खोला जाना निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, वर्ष 2002-2003 में झारखण्ड में नए 55 तथा बिहार में 200 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तार सुविधा मांग तथा औचित्य के आधार पर ही प्रदान की जाती है।

टेलीफोन कनेक्शन

2468. श्री राम टहल चौधरी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार झारखण्ड के प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) सरकार के पास विचाराधीन/स्वीकृत नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 30 अप्रैल, 2002 तक की स्थिति के अनुसार, झारखंड के प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, टेलीफोन कनेक्शनों एवं उन पर खर्च की गई धनराशि और वर्ष 2002-2003 के लिए नई स्कीमों की योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

30.4.2002 की स्थिति के अनुसार झारखंड के प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति

(क) जिला मुख्यालय की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला मुख्यालय	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	डाल्टनगंज	120
2.	गढ़वा	14
3.	लातेहर	14
4.	बोकारो	1100
5.	धनबाद	2248
6.	दुमका	0
7.	साहिबगंज	0
8.	देवधर	103
9.	गोड्डा	0
10.	हजारीबाग	156
11.	चतरा	12
12.	कोडरमा	2
13.	गिरिडीह	4
14.	पश्चिम सिंहभूम	557
15.	पूर्वी सिंहभूम	12
16.	सराय कलां खारसवा	0
17.	रांची	352
18.	लोहारडगा	18
19.	सिम्देगा	14
20.	गुम्ला	30
21.	पाकुर	0
22.	जामतारा	0
	जोड़	4756

(ख) प्रमुख शहरों की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	प्रमुख शहर	प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	डाल्टनगंज	120
2.	बोकारो	1100
3.	धनबाद	2248

1	2	3
4.	दुमका	0
5.	हजारीबाग	156
6.	जमशेदपुर	557
7.	रांची	352
	जोड़	4533

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतीक्षा-सूची – 4309

विवरण-II

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि सहित प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	रुपयों में खर्च की गई धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1999-2000*	125179	312.95
2000-01	81712	204.28
2001-02	79608	199.02

*जनवरी, 2001 में झारखंड को बिहार सर्किल से अलग कर दिया गया था। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों में बिहार दूरसंचार सर्किल भी शामिल है।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए मंजूर की गई नई स्कीमों की योजना

क्र.सं.	मदें	यूनिटें	लक्ष्य
1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी.ई.एल.), जिसमें तारशुदा लाइनें डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस इन लोकल लूप) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन शामिल हैं।	संख्या	100200
2.	स्विचिंग क्षमता जिसमें तारशुदा डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस इन लोकल लूप) और सेल्यूलर मोबाइल फोन शामिल हैं।	लाइनें	148700
3.	टी.ए.एक्स (ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज)	किलो सर्किट	35.5
4.	ओ.एफ.सी.	रूट कि.मी.	2000
5.	उपग्रह पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.)	संख्या	2321

[अनुवाद]

कन्टेनर सम्हलाई क्षमता का विस्तार

2469. श्रीमती प्रभा राव : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन की कन्टेनर सम्हलाई क्षमता के विस्तार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन की वर्तमान क्षमता कितनी है और इसे किस हद तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसमें कितनी राशि व्यय होगी और कार्य को कब पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरू पत्तन की विद्यमान क्षमता 28 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसमें से कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की छिछले जल वाली बर्थ के निर्माण के लिए स्कीम के पूर्ण होने पर तथा बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल में परिवर्तित कर पुन: विकसित करने से जिसमें 900 करोड़ रु. का अनुमानित व्यय

अंतर्ग्रस्त है, कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 14 मिलियन टन से अधिक वृद्धि हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

2470. प्रो. रासासिंह रावत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है और वर्ष 2002-2003 के दौरान इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की कोई राज्यवार कार्य योजना अथवा निधियों का आबंटन नहीं है। किन्तु प्रौद्योगिकी संस्थापन/अवधारणा की पुष्टि के लिए विशिष्ट प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राजस्थान सरकार से वित्तीय सहायता के लिए राज्य की कोई कार्ययोजना प्राप्त नहीं *हुई है। विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर लागू नीतियों और धनराशि* की उपलब्धता के अनुसार गुणदोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

2471. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे खाद्य परिरक्षण और विकास पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, सामग्री अनुसंधान, धातु-विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में क्या भूमिका अदा की गई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त गतिविधियों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित, वितरित और उपयोग की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.), खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और संबंधित विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य तक सुरक्षा, विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन, पदार्थ और धातुकर्मीय अनुसंधान तथा उनकी प्रौद्योगिकी के अंतरण के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास-कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इन कार्यों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए नौवीं योजना में आबंटित और खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

क्र.सं.	कार्य का नाम	नौवीं योजनावधि के दौरान आबंटित धनराशि	नौवीं योजनावधि के दौरान किया गया व्यय
1.	खाद्य-पदार्थों के परिरक्षण और विकास	540.00	628.00*
2.	पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा	3684.00	3917.00*
3.	विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन	6151.00	7742.63*
4.	पदार्थों और धातुकर्मिकी के क्षेत्र में अनुसंधान	4739.00	4410.32*

*अधिक हुए व्यय का समायोजन धनराशि के पुनर्विनियोजन द्वारा किया गया है।

लघु उद्योगों की गणना

2472. श्री सुरेश रामराम जाधव: क्या **लघु उद्योग मंत्री** लघु उद्योगों की गणना के बारे में 18 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4713 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग इकाइयों की गणना कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) आंकड़ों की गणना कब तक पूरी कर लिए जाने एवं जारी कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों की गणना करने के सम्बन्ध में पूर्व कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। डाटा की गणना सम्भवत: अक्तूबर, 2002 में शुरू होगी तथा इसके परिणाम 2003 के मध्य में रिलीज होने की आशा है।

टेलीफोन एक्सचेंज

2473. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक में जिला-वार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान इन राज्यों में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, 359 नये टेलीफोन एक्सचेंज तमिलनाडु में और 371 नये टेलीफोन एक्सचेंज कर्नाटक में संस्थापित किये गये। जिला-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान 96 नये टेलीफोन एक्सचेंज तमिलनाडु में और 34 नये टेलीफोन एक्सचेंज कर्नाटक में संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपकरण व निधियां उपलब्ध हों। जिला-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में संस्थापित नये टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान संस्थापित नये एक्सचेंज
1	2	3
1.	अरियालूर	6
2.	कोयम्बत्तूर	1
3.	कुड्डालोर	6
4.	धर्मपुरी	29
5.	डिंडीगुल	12
6.	इरोड	14
7.	कांचीपुरम	7
8.	कन्याकुमारी	1
9.	करूर	9
10.	मदूरै	4
11.	नागापट्टनम	10
12.	नमाक्कल	8
13.	नीलगिरी	2
14.	पेरम्बलूर	13
15.	पुदुकोट्टल	13
16.	रामनाथपुरम	12
17.	सेलम	45
18.	शिवगंगा	16
19.	तंजावूर	15
20.	तिरूवल्लूर	4

1	2	3
21.	तिरूवन्नेमलाई	11
22.	तिरूवरूर	3
23.	त्रिची	10
24.	तूतीकोरीन	6
25.	वेल्लोर	7
26.	विल्लूपुरम	13
27.	विरूधानगर	13
28.	चेन्नई	69
	जोड़	359

गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में संस्थापित नये टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान संस्थापित नये एक्सचेंज
1	2	3
1.	बैंगलूर	57
2.	बेलगाम	21
3.	बेल्लारी	13
4.	बिदर	9
5.	बिजापूर	22
6.	चिकमंगलूर	26
7.	डी. कन्नड	25
8.	चित्रदुर्गा	26
9.	गुलबर्गा	12
10.	हसन	12
11.	हुबली	10
12.	कोडागू	8
13.	कोलार	29
14.	मान्ड्या	5
15.	मैसूर	17
16.	रायचूर	11
17.	शिमोगा	17
18.	तुमकुर	14
19.	यू. कन्नड	37
	जोड़	371

विवरण-2

वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रस्तावित नये एक्सचेंजों की संख्या

(क) तमिलनाडु

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित नये एक्सचेंजों की संख्या
1.	धर्मपुरी	7
2.	इरोड	3
3.	नागापट्टनम	5
4.	तंजावूर	1
5.	मदूरै	1
6.	पुदुकोट्टई	3
7.	चेंगलपट्टू	2
8.	कुड्डालोर	2
9.	डिंडीगुल	1
10.	करूर	2
11.	शिवगंगा	5
12.	त्रिची	2
13.	विझुपुरम	11
14.	विरूधुनगर	5
15.	चेन्नई	46
	जोड़	96

(ख) कर्नाटक

क्र.सं.	जिले का नाम	नियोजित नये एक्सचेंजों की संख्या
1.	बंगलौर	3
2.	बेलगाम	4
3.	गुलबर्गा	6
4.	करवर	1
5.	मंगलोर	10
6.	मैसूर	7
7.	रायचूर	3
	जोड़	34

आपातकालीन मामलों में सी.जी.एच.एस. चिकित्सकों का दौरा

2474. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपातकालीन समय में सी.जी.एच.एस. चिकित्सकों द्वारा इसके लाभार्थियों के घर पर जाकर इलाज करने के संबंध में सरकार ने सी.जी.एच.एस. चिकित्सालयों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आपातकालीन परिस्थितियों में सी.जी.एच.एस. चिकित्सालयों में रात्रि के समय तैनात चिकित्सक सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के घर जाने से इन्कार कर देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में सरकारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

घर पर जाकर इलाज करने के लिए दिशा-निर्देश

(क) सभी चिकित्सा अधिकारी, जिनमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं, से यह आशा की जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर वे रोगियों को देखने घर पर जाएं। ऐसे दौरे विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा तब किए जाएंगे जब वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि रोगी गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण अस्पताल/औषधालय आने में असमर्थ है अथवा बीमारी के लम्बे समय तक रहने के कारण रोगी का अस्पताल में लम्बे समय तक रहना सम्भव नहीं है।

(ख) आपाती स्थिति को छोड़कर घर पर औषधालय के कार्य समय के पूर्व या बाद में दौरे किए जाने चाहिए।

(ग) कार्य समय के दौरान ऐसे दौरों के अनुरोध सन्देश प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा दौरे किए जाने चाहिए और आपाती ड्यूटी वाले डाक्टर पर इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(घ) कार्य समय पर दौरा आवश्यक होने की स्थिति में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो कार्य समय के दौरान एक से अधिक चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित न हो। उसे मुख्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अपने प्रस्थान और आगमन से सूचित करना चाहिए। दौरे पर जाने पर औषधालय छोड़ने से पहले चिकित्सा अधिकारी को घर पर जाने के लिए संगत प्रविष्टियां और हस्ताक्षर करने चाहिए।

(ङ) महिला चिकित्सा अधिकारियों को 8 बजे रात्रि से प्रात: 6 बजे घर पर रोगी को देखने के लिए जाने से छूट है।

(च) चूंकि चिकित्सा अधिकारियों को घर पर दौरा करने के लिए सवारी भत्ता मिलता है इसलिए रोगियों द्वारा सवारी की सुविधाएं प्रदान करने के सुझाव का भी प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए।

(छ) सभी चिकित्सा अधिकारियों को परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एक सामान्य रजिस्टर घरों पर किए गए दौरों का रिकार्ड रखना चाहिए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित एक तिमाही रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी कि दौरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में कर दी गई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए

गए दौरे के बारे में उपनिदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (अंचल) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ज) बीमारी के बारे में वास्तविक जानकारी, पता, टोकन सं., बुलाने वाले व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर पता करने के बाद फोन आने पर भी घर पर दौरे किए जा सकते हैं। दौरे के लिए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी को फोन की सत्यता के बारे में सन्देह होने पर फोन से पुन: इस बारे में फिर से पूछताछ कर लेनी चाहिए।

(झ) सभी चिकित्सा अधिकारियों को आपाती बैग जिसमें बी.पी. इनस्ट्रुमेंट, विसंक्रमित सुई, थर्मामीटर और आपाती औषधियां हों, साथ ले जाना चाहिए। घरों के दौरे के समय उपयोग में लाई गई आपाती दवाइयों के स्थान पर तुरन्त नई दवाइयां रख दी जानी चाहिए।

सी.बी.आई. मामले

2475. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सी.बी.आई. को कितने मामले अग्रेषित किए हैं;

(ख) सी.बी.आई. ने कितने मामले स्वीकार किए हैं; और

(ग) अभी तक कितने मामले जांचाधीन हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) वर्ष 2001 और 2002 (30.6.2002 तक) की अवधि के दौरान, आन्ध्र प्रदेश की राज्य-सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को जांच-पड़ताल किए जाने हेतु दो मामले भेजे। आन्ध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को एक और मामला, भेजा जिसके बारे में आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी थी। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने उपर्युक्त तीनों मामले स्वीकार कर लिए हैं, और उनमें से एक मामले की जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन

2476. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में रेलवे प्लेटफार्मों विशेषकर जालना रेलवे स्टेशन पर एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) रेलवे प्लेटफार्मों पर विभागीय पी.सी.ओ. बूथ रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर स्थापित किये जाते हैं। रेलवे प्लेटफार्मों पर एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. बूथों का आबंटन उन्हीं पात्र आवेदकों को किया जाता है जिन्हें इस संबंध में रेलवे प्राधिकारियों से अनुमति मिली होती है। जालना रेलवे स्टेशन पर पी.सी.ओ. बूथ के आबंटन के लिए कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

टेलीफोन अदालतें

2477. श्री शिवाजी माने : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में किस-किस तारीख को टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) इन दो वर्षों के दौरान जिले-वार इन अदालतों को कितने मामले अग्रेषित किए गए;

(ग) उनमें से कितने मामलों का निपटारा कर दिया गया है; और

(घ) टेलीफोन उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है और टेलीफोन अदालतें आयोजित करने संबंधी नियम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक दूरसंचार जिले में आयोजित टेलीफोन अदालतों (तिथि-वार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान किराये और अधिक मीटरिंग के मामलों में प्रदान की गयी राहत 6,63,288 रुपये है। टेलीफोन अदालतें सामान्यत: भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्येक दो महीने पर और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	जिले	2000-2001	कुल	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदनगर	31/12/00, 18/4/00	2	13/8/01, 26/11/01	2
2.	अकोला	27/4/00, 31/10/00, 23/1/01, 20/3/01	4	24/5/01, 27/8/01, 10/9/01, 10/10/01, 11/12/01, 10/2/02	6
3.	अमरावती	28/6/00, 3/11/00	2	20/7/01, 11/9/01, 18/11/01, 22.1.02, 23/3/02	5
4.	औरंगाबाद	16.6.00, 23/10/00, 21/12/00, 23/10/01	4	29/6/01, 31/8/01, 21//9/01, 20/11/01, 20/2/02	5
5.	बीड़	2/6/00, 14/9/00, 27/12/00, 27/3/01	4	22/7/01, 6/8/01, 12/9/01, 26/11/01, 31/1/02, 18/3/02	6
6.	भंडारा	20/6/00, 12/7/00, 18/12/00, 30/3/01	4	25/5/01, 31/7/01, 28/9/01, 4/12/01, 15/1/02, 15/3/02	6
7.	बुलढाना	30/5/00, 2/8/00, 22/12/00, 20/3/01	4	26/7/01, 20/9/01, 22/10/01, 10/12/01, 6/2/02	
8.	चंद्रपुर	25/5/00, 29/9/00, 18/12/00 6/2/01	4	10/8/01, 22/10/01, 8/1/02, 8/2/02	
9.	धुले	12/10/00, 10/12/00, 28/3/01	3	4/10/01, 5/10/01, 4/1/02, 5/1/02, 20/3/02, 21/3/02	6
10.	जलगांव	30/6/00, 19/9/00, 24/1/00, 16/3/01	4	1/6/01, 27/7/01, 18/9/01, 29/11/01, 31/1/02, 27/3/02	6
11.	जालना	25/3/00, 16/6/00	2	29/9/01, 23/2/02	2
12.	कल्याण	27/12/00, 29/12/00	2	29/5/01, 31/5/01, 27/11/01, 29/11/01	4
13.	कोल्हापुर	9/8/00, 10/1/01,	2	6/9/01, 7/11/01, 19/12/01, 31/1/02, 26/2/02, 25/3/02	6
14.	लातूर	24/7/00, 19/12/00, 28/3/01	3	15/6/01, 7/6/01, 19/10/01, 10/12/01, 10/1/02, 16/2/02	6

1	2	3	4	5	6
15.	नागपुर	22/5/00, 25/5/00, 5/7/00, 28/10/00, 23/11/00	5	3/5/01, 1/6/01, 30/8/01, 25/10/01, 27/3/02	5
16.	नांदेड़	29/6/00, 20/9/00, 16/2/01, 20/3/01	4	19/5/01, 21/7/01, 21/9/01, 23/11/01, 25/1/02, 28/3/02	6
17.	नासिक	29/3/01, 30/3/01, 26/6/01, 30/8/01	4	16/1/02, 12/4/02, 10/7/02	3
18.	उस्मानाबाद	8/5/00, 10/8/00, 9/1/01	3	8/5/01, 4/7/01, 24/9/01, 1/1/02	4
19.	परभनी	29/6/01, 28/3/01	2	9/5/01, 18/9/01, 22/2/02, 22/3/02	4
20.	पुणे	6/4/00, 17/4/00(2), 21/7/00, 18/10/00, 20/10/00(2), 3/11/00, 25/12/00, 29/1/01, 9/3/01, 22/3/01	12	14/5/01, 29/6/01, 23/7/01, 17/8/01, 28/8/01, 11/10/01, 25/10/01, 26/11/01, 19/12/01, 27/12/01 28/1/02, 11/2/02, 28/3/02, 16/3/02, 23/3/02	15
21.	रायगढ़	26/5/00, 27/8/00, 20/12/00, 5/3/01	4	29/5/01, 30/7/01, 28/9/01, 23/11/01, 25/1/02, 22/3/02	6
22.	रत्नागिरी	20/9/00. 5/1/00, 6/2/01, 15/3/01	4	26/6/01, 20/9/01, 19/12/01, 4/3/02	4
23.	सांगली	14/9/00, 15/12/00, 23/3/01	3	8/5/01, 10/7/01, 14/9/01, 7/12/01, 28/1/02, 8/3/02	6
24.	सतारा	29/6/00, 5/10/00, 29/11/00, 7/2/01	4	30/5/01, 31/8/01, 26/9/01, 5/12/01, 23/1/02, 22/3/02	6
25.	सिंधुदुर्ग	20/7/00, 16/2/01, 30/3/01	3	31/5/01, 26/7/01, 26/9/01 26/12/01	
26.	सोलापुर	13/9/00, 7/2/01	2	10/4/01, 11/7/01, 6/12/01, 7/12/01, 10/12/01, 4/4/02	6
27.	वर्धा	10/5/00, 27/9/00, 6/2/01	3	26/6/01, 29/9/01, 8/11/01, 24/1/02, 15/4/02, 26/3/02	6
28.	यवतमाल	24/4/00, 9/6/00, 23/9/00, 9/2/01	4	25/6/01, 2/8/01, 11/9/01, 30/10/01, 16/1/02, 6/3/02	6

1	2	3	4	5	6
29.	सिर्कल आफिस मुम्बई	-	0	20/11/01	1
30.	एमटीएनएल मुम्बई	30/6/00(3), 28/7/00, 29/6/00, 6/7/00, 27/6/00, 26/6/00, 22/6/00, 5/10/00, 20/9/00(3), 28/9/00(3) 26/9/00, 15/9/00, 10/10/01, 30/12/00(3), 21/12/00, 16/12/00, 2/1/01, 22/12/00, 29/12/00(2), 19/12/00, 31/3/01(3), 29/3/01(4), 22/3/01, 30/3/01 जून, 2000 से मई, 2001 के बीच अदालतें आयोजित की गई।	38	30/6/01, 27/6/01, 27/7/01, 29/6/01(2), 28/6/01(2), 22/6/01, 3/8/01, 28/9/01(5), 29/9/01(2), 24/9/01, 11/10/01, 28/12/01(3), 27/12/01(2) 22/12/01, 18/12/01, 31/12/01, 29/12/01, 30/3/02(3), 28/3/02(3), 5/4/02, 23/3/02, 23/4/02, 29/6/02(4), 27/6/02(4), 28/6/02 जून, 2001 से जून, 2002 के बीच अदालतें आयोजित की गई।	45
	कुल		139		196

विवरण-II

क्र.सं.	जिला	पिछले दो वर्षों के दौरान विवरण-I में यथा उल्लिखित तिथियों को हुई अदालतों में भेजे गये मामलों की सं.	निपटाये गये मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	41	38
2.	अकोला	100	100
3.	अमरावती	23	23
4.	औरंगाबाद	91	91
5.	बीड	12	12
6.	भंडारा	114	114
7.	बुलढ़ाना	77	77
8.	चंद्रपुर	98	98
9.	धुले	160	160
10.	जलगांव	188	188
11.	जालना	41	32
12.	कल्याण	162	158
13.	कोल्हापुर	240	240
14.	लातूर	128	112
15.	नागपुर	324	324
16.	नांदेड	116	116
17.	नासिक	466	465
18.	उस्मानाबाद	24	24
19.	परभनी	89	89
20.	पुणे	103	103
21.	रायगढ़	24	24

1	2	3	4
22.	रत्नागिरी	166	166
23.	सांगली	94	92
24.	सतारा	102	102
25.	सिंधुदुर्ग	69	69
26.	सोलापुर	326	326
27.	वर्धा	76	50
28.	यवतमाल	72	72
29.	सर्किल कार्यालय बीएसएनएल* (मुंबई)	78	78
30.	एमटीएनएल **मुंबई	2128	2128
	कुल	5830	5771

*भारत संचार निगम लिमिटेड

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग

2478. श्री जय प्रकाश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगों में हुए भर्ती घोटालों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने हेतु कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग, संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार स्थापित किया गया है और उपर्युक्त आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में निहित विभिन्न प्रावधानों में यथेष्ट और पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं। अपने स्थापित किए जाने के समय से ही, संघ लोक सेवा आयोग, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह, न्याय, योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधार पर करता आ रहा है। कालान्तर में, उपर्युक्त आयोग ने उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर, अपने काम-काज में पारदर्शिता लाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत सुपरिष्कृत और भली-भांति जांची-परखी क्रियाविधियां तथा प्रणालियां विकसित कर ली हैं।

[अनुवाद]

अस्पतालों हेतु विश्व बैंक की सहायता

2479. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और उससे संबद्ध अस्पतालों के वास्तविक मूलभूत ढांचे में सुधार करने हेतु कोई संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से सरकारी चिकित्सा कालेजों और संबद्ध अस्पतालों में भौतिक बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए केरल सरकार के परियोजना प्रस्ताव की योजना आयोग से परामर्श लेते हुए जांच की गई। योजना आयोग ने कई टिप्पणियां की हैं जिनकी सूचना केरल सरकार को दे दी गई है ताकि वह इन विचारों को सम्मिलित करते हुए इस प्रस्ताव को संशोधित कर सके।

भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की बैठक

2480. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दु' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 17 जुलाई, 2002 को अफगानिस्तान के संबंध में भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। अफगानिस्तान से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की

पांचवीं बैठक 17 और 18 जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

(ख) और (ग) बैठक के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति के साथ-साथ इस क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मसले सहित नए तथा उभरते हुए खतरों के बारे में भी बातचीत की। इस संबंध में उन्होंने पाकिस्तान से सीमापार से आतंकवाद तथा उग्रवाद को समाप्त करने, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की अनुमति न देने की अपनी व्यक्त की गई वचनबद्धता को पूरा करने तथा पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बसे आतंकवादी गुटों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए मान्य अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। इस बैठक में मध्य एशिया, ट्रांसकाकेसस की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

अफ्रीकी-एशियाई खेल

2481. श्री अम्बरीश : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी-एशियाई खेलों की तिथियों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खेलों के लिए राज्य-वार किन-किन शहरों का चयन किया गया है;

(घ) क्या इन खेलों के लिए सारे प्रबन्ध कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन खेलों पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल 24 अक्तूबर, 2003 से 1 नवम्बर, 2003 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन खेलों को नई दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) चूंकि खेलों का आयोजन अक्तूबर-नवम्बर, 2003 में होना है, अत: अब से सितम्बर-अक्तूबर, 2003 तक इन खेलों के लिए प्रबंध करना एक निरंतर प्रक्रिया होगी।

(च) इन खेलों पर केन्द्र सरकार द्वारा संभावित रूप से किया जाने वाला कुल व्यय, संयोजन समिति द्वारा जुटाये जाने वाले राजस्व पर निर्भर करेगा। तथापि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इन खेलों पर होने वाला कुल व्यय लगभग 109.40 करोड़ रु. होगा।

कैंसर के उपचार हेतु भेषज/औषधियां

2482. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैंसर की चिकित्सा हेतु भारत में उपलब्ध भेषज और औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कैंसर की चिकित्सा हेतु देश में उत्पादित की जा रही भेषजों और औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन भेषजों और औषधियों पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा है उन्हें हमारे देश में उपयोग में लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में आने वाली औषधी डोमाइट के उपयोग से प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) कैंसर के उपचार के लिए विनिर्माण/आयात हेतु अनुमोदित औषधियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि कुछ औषधियां, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं, अभी भी देश में बेची जा रही हैं। इस देश में बेची जा रही हानिकारक/अयुक्तिसंगत औषधियों को हटाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उनकी सतत जांच की जाती है।

कुछ देशों में कभी हटा ली गई कई औषधियां और मिश्रण अन्य देशों में बेची जाती रहती हैं क्योंकि इस बारे में निर्णय खतरे के आकलन की प्रक्रिया पर आधारित है जो कि बहुत से कारणों से प्रभावित होती है जैसे देश में रोग का पैटर्न, जनसंख्या के कुछ जातीय समूहों की औषध के प्रति भिन्न प्रतिक्रियाएं, सुरक्षित विकल्प

की उपलब्धता तथा रोग विशेष के उपचार में होने वाला व्यय आदि।

(ङ) और (च) थालीडोमाइड तीव्र जन्म दोषों का कारण मानी जाती है और इसलिए इस पर विश्व भर में प्रतिबंध है। तथापि, साक्ष्य और अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर यू.एस.एफ.डी.ए. ने थालीडोमाइड औषध की कुष्ठ जनित जटिलताओं के उपचार के लिए अुमति दी हैं जिनके लिए कोई अच्छा वैकल्पिक इलाज ऐसे रोगियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह भी सूचित किया गया है कि थालीडोमाइड मल्टीपल मायेलोमा के अपवर्तक रोगियों के इलाज में लाभकारी पाया गया। इस समय भारत में मल्टीपल मायेलोमा के फिर से हो गए अथवा अपवर्तक रोगियों में थालीडोमाइड की प्रभावकारिता और निरापदता पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

विवरण

कैंसर के उपचार के लिए विनिर्मित/आयात की गई औषधियों की सूची

1. साइक्लोफोसफामिड
2. इफोस्फामाइड
3. क्लोराम्बुसिल
4. मेल्फान
5. बुसुलफान
6. लोमुस्तीन
7. मुस्तीन
8. थियोतेपा
9. मेसना (यूरोथेलियाल टोक्सीसीटी)
10. डोक्सोरूबीसीन
11. दोनोरूबीसीन
12. मितोजनत्रोन
13. मितोमाइसिन
14. मेथोट्रक्सेट
15. साइताराबिन (साइतोसिनेराबीनोसाइड)
16. फ्लुदाराबिन
17. 5-फ्लुरूरासिल
18. मेरकातोपुरिन
19. थियोगुआनाइन
20. विनबलासतीन
21. विनक्रिस्तीन
22. इतोपोसाइड
23. पेसलिटक्सल
24. डोसटक्सल
25. आइरेनोटीकेन
26. टोपोटेकेन
27. कारदोप्लेटिन
28. सिस्प्लेटिन
29. डेकरबाजिन
30. डेक्टीनोमाइसिन
31. हाइड्रोक्सयूरिया
32. ले-एस्पेरेजीनेस
33. एजाथीयोप्रिन
34. साइक्लोस्प्रिन
35. इंटरुरोन
36. एमीफेस्तीन
37. स्टीलदचस्ट्रोल
38. एथीनयल ओस्ट्रेडियोल
39. मेजेस्ट्रोल एस्टेट
40. तमोक्सीफेन
41. फ्लूतमाइड
42. ल्यूपरोरतलिन एस्टेट
43. इमेतीनिब मेसीलेट (ग्लिव्स)
44. थाइमोजन (आई एम 862)
45. बाइकूलेटामाइड

सी.आई.सी.ए. शिखर वार्ता

2483. श्री श्रीनिवास पाटिल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सी.आई.सी.ए. की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि 16 देशों के शिखर सम्मेलन को आतंकवाद को पैदा करने/प्रायोजित करने वाले देशों पर दबाव बनाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने इस शिखर वार्ता में आतंकवाद पर रोक लगाने हेतु पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए रूस के राष्ट्रपति से अलग से बात की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) 4 जून, 2002 को अल्माटी, कजाखस्तान में एशिया में अन्योन्यक्रिया और विश्वासोत्पादक उपायों (सी.आई.सी.ए.) से संबद्ध सम्मेलन की शिखर बैठक में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1373 के क्रियान्वयन, जो विशेषरूप से किसी राष्ट्र को आतंकवाद समर्थन से प्रतिबन्धित करती है–या तो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: नैतिक और राजनैतिक समर्थन प्रदान करने के नाम, एशिया में एक महत्वपूर्ण विश्वासोत्पादक उपाय सिद्ध होगा। उन्होंने देश को अस्थिर करने के निमित सीमा-पार आतंकवाद पर भारत की गंभीर हित-चिन्ता को भी संप्रेषित किया।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से 4 जून, 2002 को अल्माटी में सी.आई.सी.ए. शिखर बैठक के दौरान मिले इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत और रूसी परिसंघ के बीच द्विपक्षीय मसलों, और परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। यह बैठक भारत और रूसी परिसंघ के बीच परम्परागत रूप से संबद्ध सौहार्द और मैत्री वातावरण में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को आतंकवाद पर भारत के दृष्टिकोण पर रूस के पक्के और स्थायी समर्थन की भारत की सराहना संप्रेषित की।

परमाणु विद्युत संयंत्र

2484. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने किन-किन मुख्य परमाणु संयंत्रों को स्वीकृति दी है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा कब तक विद्युत उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या तमिलनाडु स्थित परमाणु संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत दक्षिणी राज्यों की मांग को पूरा करने में सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस परमाणु रिएक्टर के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत सरकार ने जिन परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमति दे दी है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4
1.	तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 (2×500 मेगावाट, जिसे बढ़ाकर 2×540 मेगावाट किया जा रहा है)	तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीपी-4; अप्रैल, 2006 टीएपीपी-3; जनवरी, 2007
2.	कैगा परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 (2×220 मेगावाट)	कैगा, कर्नाटक	कैगा-3; मार्च, 2007 कैगा-4; सितम्बर, 2007

1	2	3	4
3.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 तथा 6 (2×220 मेगावाट)	रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीपी-5; अगस्त, 2007 आरएपीपी-6; फरवरी, 2008
4.	कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना 1 तथा 2 (2×1000 मेगावाट)	कुडनकुलम, तमिलनाडु	केके-1; दिसम्बर, 2007 केके-2; दिसम्बर, 2008

(ग) और (घ) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट) तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 (2×170 मेगावाट) को पहले ही दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में स्थापित किया जा चुका है। इन यूनिटों से तमिलनाडु को वर्तमान में आबंटित की गई बिजली 360 मेगावाट है। इसके अलावा, कैगा 3 तथा 4 और केके 1 तथा 2 परियोजाएं, अपने पूरा होने पर, दक्षिणी ग्रिड को विद्युत की सप्लाई करेंगी। तमिलनाडु को भी, इन यूनिटों से विद्युत का अंश मिलेगा। यह अंश, विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन पर, और उस क्षेत्र में लाभभोगी राज्यों के साथ निश्चित की गई बिजली की आवश्यकता पर भी निर्भर करेगा।

(ङ) परमाणु विद्युत संयंत्रों में काम में लाए जा रहे रिएक्टरों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) और (छ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

रेल पटरी को उखाड़ना

2485. डा. अशोक पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अटारी रेल स्टेशन के निकट 15 किलोमीटर रेल पटरी को उखाड़ दिया है जिससे रेलवे के साथ-साथ व्यापारियों को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संचार माध्यम को नष्ट करने के आशय से अटारी रेलवे स्टेशन के निकट किसी भी स्थान पर रेल लाइन को उखाड़ा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परियोजनाएं

2486. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार कितनी स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैश्विक आतंकवाद

2487. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, रूस और अमरीका ने वैश्विक आतंकवाद को रोकने हेतु कोई संयुक्त कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसी कोई संयुक्त कार्य योजना नहीं है। तथापि, आतंकवाद को रोकने के सम्बन्ध में भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र की संरचना के अन्तर्गत दोनों प्रकार का सहयोग है।

इंटरनेट उपयोगकर्त्ता

2488. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या कितनी है और अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और चीन की तुलना में यह कहाँ ठहरती है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) दूरसंचार विभाग विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर देश में इंटरनेट की पहुंच/सदस्यता के बारे में त्रै-मासिक रिपोर्ट तैयार करता है। भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आईएसपीएआई) से उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 2002 की स्थिति के अनुसार 3.3 मिलियन ग्राहक पंजीकृत हैं। प्रत्येक पंजीकृत इंटरनेट ग्राहक पर औसतन 5 प्रयोक्ताओं को मानते हुए देश में लगभग 16.5 मिलियन इंटरनेट प्रयोक्ता हैं। यह संख्या 1.65 प्रतिशत (1 अरब जनसंख्या के लिए) होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जापान तथा चीन में इंटरनेट प्रयोक्ताओं की प्रतिशत संख्या क्रमश: 58.5%, 55.32%, 53.26%, 39.16% तथा 2.65% है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न देशों और विश्वभर में इंटरनेट प्रयोक्ताओं का विवरण नीचे दिए अनुसार है

देश	इंटरनेट प्रयोक्ता	कुल जनसंख्या	% इंटरनेट प्रयोक्ता
भारत	16.5 मिलियन	1000 मिलियन	1.65% (जून, 02 के अनुसार)
पंजीकृत इंटरनेट ग्राहक - 3.3 मिलियन। प्रत्येक पंजीकृत इंटरनेट ग्राहक पर औसतन 5 प्रयोक्ता मानते हुए देश में 16.5 मिलियन इंटरनेट प्रयोक्ता के होने का अनुमान है।			
यूएसए	164.14 मिलियन	280.58 मिलियन	58.5% (जनवरी, 02 के अनुसार)
ग्रेट ब्रिटेन	33 मिलियन	59.65 मिलियन	52.32% (जून, 01 के अनुसार)
कनाडा	16.99 मिलियन	31.9 मिलियन	53.26% (फरवरी, 02 के अनुसार)
चीन	33.7 मिलियन	1271.70 मिलियन	2.65% (जनवरी, 02 के अनुसार)
जापान	49.72 मिलियन	126.97 मिलियन	39.16% (फरवरी, 02 के अनुसार)
आस्ट्रेलिया	10.64 मिलियन	19.55 मिलियन	54.38% (फरवरी, 02 के अनुसार)
फ्रांस	15.65 मिलियन	59.55 मिलियन	26.28% (दिसम्बर, 01 के अनुसार)
जर्मनी	30.2 मिलियन	83.03 मिलियन	36.37% (फरवरी, 02 के अनुसार)
रूस	9.2 मिलियन	146.03 मिलियन	6.3% (अगस्त, 2000 के अनुसार)
इंडोनेशिया	4.4 मिलियन	227.98 मिलियन	1.93% (जनवरी, 02 के अनुसार)
विश्वभर में	544.2 मिलियन	6073.66 मिलियन	8.96% (फरवरी, 02 के अनुसार)

विवरण-II

सरकार द्वारा देश के ग्रामीण, पहाड़ी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आईएसपी) लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

2. क्षेत्र विशेष में दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या की कोई सीमा नहीं हैं और वहीं कंपनी कई क्षेत्रों के लिए लाइसेंस ले सकती है।

3. 31.10.2003 तक लाइसेंस शुल्क माफ कर दी गई है और इसके पश्चात् यह 1 रुपया प्रति वर्ष होगा।

4. इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को सरकार से अनुमोदन लेने के बाद 1 अप्रैल, 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

5. देश में 428 इंटरनेट नोड प्रतिष्ठापित हैं।

6. भारत संचार निगम लिमिटेड ने 45 प्रमुख इंटरनेट नोडों सहित राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) की स्थापना की है जो अन्य इंटरनेट नोडों का पोषण करते हैं और विदेश संचार निगम लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नै, बंगलौर तथा पुणे में गेटवे स्थापित हैं।

7. देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

8. ग्राहकों को निकटवर्ती नोड तक स्थानीय कॉल दरों के अनुसार इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है।

9. देश के 5926 ब्लॉक मुख्यालयों तक इंटरनेट उपलब्ध कराई गई है।

10. शिलोंग, अगरतला, आर.के. पुर, आईजोल, दीमापुर, ईटानगर, पासीघाट, इम्फाल, कोहिमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गोपेश्वर, सोलन, ऊटी, नामची, गीइजिंग, रांगपो आदि जैसे सुदूरवर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट नोड स्थापित किए गए हैं।

11. भारत संचार निगम लिमिटेड ने फ्रेंचाइज के जरिए स्थापित इंटरनेट ढाबा योजना के माध्यम से 3171 इंटरनेट ढाबों को इंटरनेट डायलअप सम्पर्क उपलब्ध कराए हैं।

12. ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय में सार्वजनिक स्वचलित टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) अभिगम शुल्क पर 25% की छूट के साथ एक नि:शुल्क इंटरनेट अभिगम सम्पर्क प्रदान कर रहा है।

13. भारत संचार निगम लिमिटेड शहरी ब्लॉक मुख्यालयों में भी एक नि:शुल्क इंटरनेट अभिगम सम्पर्क प्रदान कर रहा है, परन्तु यह पीएसटीएन अभिगम शुल्क में 25% के शुल्क छूट के साथ 1500 घंटों तक सीमित है।

14. पूर्वोत्तर के 487 ब्लॉकों में वीसैट सम्पर्क सहित समुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करना।

सायंकाल में अस्पतालों/के.स.स्वा. योजना औषधालयों का खोला जाना

2489. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/सरकारी अस्पतालों में बहिरंग रोगी विभाग सायं में भी खोलने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कर्मचारियों अथवा उनके संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (वरिष्ठ नागरिक) के लिए सायंकाल बाह्य रोगी विभाग शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

जहाँ तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली का संबंध है, सायंकाल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी बहुपारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अपराह्न में (1.30 बजे अपराह्न से 7.30 बजे अपराह्न और रात्रि में 7.30 अपराह्न से 7.30 पूर्वाह्न दूसरे दिन सुबह तक) आपाती सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में 11 द्वि-पारी औषधालय हैं जो 6-6 घंटे की दो पारियों में (7.30 बजे पूर्वाह्न से 7.30 बजे अपराह्न तक) नियमित ओ.पी.डी. सेवाएं मुहैया कराते हैं।

(घ) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के किसी भी यूनियन से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की स्थाई समिति (जे.सी.एम.) के स्टाफ ने मांग की है कि औषधालय को दो पारियों में काम करना चाहिए।

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में एक पारी वाली प्रणाली जे.सी.एम. के स्टाफ के अभ्यावेदन पर वर्ष 1985 में अपनाई गई थी क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों के लिए एक दिन में दो बार अपने दूर के आवास से आना-जाना कठिन था और दो पारियों के कारण औषधालयों को अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता थी। कुछ क्षेत्रों में दो पारियों में औषधालय खोलने के लिए स्टाफ से सुझाव मांगे गए हैं और उनके सुझाव प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. में श्रेणी-वार कर्मचारी

2490. डा. बलिराम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1.11.1998 और 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या अलग-अलग क्या है;

(ख) क्या 1.11.1998 के पश्चात् महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में वर्ग ''क'' और ''ख'' में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि वर्ग ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या में संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समूह ''ख'' अधिकारियों की संख्या में वृद्धि का कारण यह है कि 31.9.98 से जेटीओ संवर्ग को समूह ''ख'' के रूप में घोषित कर दिया गया है तथा साथ ही समूह ''ग'' संवर्ग से समूह ''ख'' संवर्ग में पदोन्नति से भी इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। समूह ''घ'' में कमी का कारण मुख्यत: समूह ''घ'' कर्मचारियों की फोन मेकेनिक के संवर्ग (समूह ''ग'') में पदोन्नति होना है। इसके साथ ही साथ नवीनतम प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से अकुशल कामगारों की आवश्यकता कम हो रही है।

विवरण

1.11.1998 तथा 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार एम.टी.एन.एल. में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या

	1.11.98 की स्थिति के अनुसार	30.6.2002 की स्थिति के अनुसार
समूह ''क''	900	1140
समूह ''ख''	3194	6153
समूह ''ग''	39027	35616
समूह ''घ''	19248	16864

गरूड़ सेल्यूलर सेवा

2491. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में गरूड़ सेल्यूलर सेवा के कितने उपयोगकर्त्ता हैं और कितने उपयोगकर्त्ता प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची के लोगों को कब तक हैंड सेट दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या गरूड़ सेल्यूलर सेवा का किराया पहले लिए गए किराए की तुलना में कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार गरूड़ सेल्यूलर सेवा में भी आई.डी. कालर सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल, दिल्ली में गरूड़ मोबाइल सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या 21890 है। प्रतीक्षा सूची शून्य है, क्योंकि एक्सचेंज की क्षमता का पूरा उपयोग कर लिये जाने के कारण बुकिंग बन्द कर दी गयी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) किराये को मौजूदा 450 रुपये प्रतिमाह से घटाकर 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है जिसमें हैण्डसेटों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह किराया भी शामिल है। विकल्पत: 6000 रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा लेकर सेवा प्रदाताओं द्वारा हैण्डसेट दिया जा सकता है और ऐसे मामले में सेवाओं के लिए किराया 200 रुपये प्रतिमाह होगा। उपर्युक्त प्रभार इस संबंध में टी.आर.ए.आई. के आदेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तारीख से लागू किये जाने हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) मौजूदा नेटवर्क के विस्तार, जिसमें आई.डी. कॉलर सुविधा शुरू किया जाना भी शामिल है, के लिए एक आशय-पत्र (अग्रिम क्रय आदेश) जारी कर दिया गया है और यह सुविधा चालू वर्ष के अंत तक प्रदान कर दिये जाने की आशा है।

[अनुवाद]

नैदानिक प्रयोगशालाएं

2492. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितनी नैदानिक प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं; और

(ख) उनमें से कितनी प्रयोगशालाओं ने परीक्षण और प्रयोगशालाओं की योग्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचना दी है कि कर्नाटक में 1952 नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं।

(ख) शून्य।

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण

2493. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऋण भार किस सीमा तक कम किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से अपनी आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं लिया है क्योंकि ये परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए आबंटित ऋण निम्नानुसार हैं:

निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार	राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित ऋण (करोड़ रुपए)
31.3.2002	3544
31.3.2001	3661
31.3.2000	3795
31.3.1999	7825

1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान सेल की कुल ऋण-स्थिति में 7005 करोड़ रुपए की कमी हुई है और इसमें राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से संबंधित ऋण भी शामिल हैं।

राज्यों को विशेष अनुदान

2494. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पंजाब राज्य में मादा भ्रूण हत्या की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण लिंगानुपात में असंतुलन को रोकने हेतु एक योजना तैयार करने के लिए राज्य को विशेष धनराशि देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों को ऐसे अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) मादा भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 में बनाया गया था जो 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया है। पंजाब में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में शिशु लिंग अनुपात 793 (अर्थात् प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) है जो देश में सबसे कम है। प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के तहत प्रचार के लिए पंजाब सरकार को वर्ष 2001-2002 के दौरान आठ लाख रुपये तथा 2002-2003 के दौरान 15 लाख रुपये की राशि विमुक्त की गई। अधिनियम के प्रावधानों के प्रगति कार्यान्वयन और रिकार्ड आदि रखने के लिए पंजाब सरकार से साफ्टवेयर के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रयोजन के साथ लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार के लिए गुजरात (15 लाख रुपये) हरियाणा (15 लाख रुपये), हिमाचल प्रदेश (11 लाख रुपये), महाराष्ट्र (15 लाख रुपये), राजस्थान (15 लाख रुपय), उत्तरांचल (10 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश (20 लाख रुपये), चंडीगढ़ (5 लाख रुपये), दमन व दीव (5 लाख रुपये) और दिल्ली को (15 लाख रुपये) की निधियां स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

भ्रष्ट अधिकारियों की परिसम्पत्तियों की कुर्की

2495. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने भ्रष्ट अधिकारियों की परिसम्पत्तियों की कुर्की हेतु कानून बनाने के लिए सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) भारतीय विधि-आयोग ने अपनी 166वीं रिपोर्ट में, भ्रष्ट लोक-सेवकों की संपत्ति का जब्त किया जाना प्रस्तावित करते हुए, भ्रष्ट लोक सेवक संपत्ति जब्ती विधेयक के नाम से, एक विधेयक का प्रारूप भेजा था। उपर्युक्त विधेयक के प्रारूप की जाँच-पड़ताल की गई तथा यह तय किया गया कि दाण्डिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित किया गया अवैध धन कुर्क किए जा सकने के प्रावधान पहले से ही होने के कारण लोक सेवकों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई परिसंपत्तियों की जब्ती के बारे में कोई नया कानून बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में उपयुक्त संशोधन करना तय किया गया। तद्नुसार, उपर्युक्त मसला विधि कार्य विभाग को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के संस्थान

2496. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में बोडो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के कुछ संस्थान खोलने पर विचार किया है जिनका उद्देश्य आदिवासी युवकों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

युवा प्रशिक्षण केन्द्र

2497. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में युवा प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों की स्थापना करने संबंधी नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में स्थान-वार ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए मेडिकल कालेज

2498. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कर्नाटक में मेडिकल कालेज आरम्भ करने की अनुमति मांगी है;

(ख) उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2002-2003 से कर्नाटक में नए मेडिकल कालेज आरम्भ करने की अनुमति मिल गई है और उनकी प्रवेश क्षमता क्या है;

(ग) कर्नाटक में उन मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) कर्नाटक में उन मेडिल कालेजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्नातक और स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों दोनों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) कर्नाटक के निम्नलिखित संस्थानों ने कर्नाटक में नए मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है-

1. बी.वी.वी. संघ मेडिकल कालेज, बागलकोट

2. नवोदय एजूकेशन ट्रस्ट, रायचूर

3. श्रीनिवास ट्रस्ट, बंगलौर

4. लक्ष्मी मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट, मंगलौर

5. के.वी.जी. मेडिकल कालेज, सूलिया।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान अभी तक 100 सीटों वाले के.वी.जी. मेडिकल कालेज, सूलिया, कर्नाटक को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने के संबंध में कर्नाटक के निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विभिन्न स्तरों पर विचार कर रही है:

1. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर

2. एम.आर. मेडिकल कालेज, गुलबर्गा

3. एम.एस. रमैय्या मेडिकल, बंगलौर

4. सेन्ट जॉन्स नेशनल एकेडमी आफ हेल्थ साइन्सेज, बंगलौर

5. प्रो. मूलर मेडिकल कालेज, मंगलौर

6. श्री देवराज उर्स मेडिकाल कालेज, कोलार

7. केमपेगोवडा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बंगलौर

इन प्रस्तावों की स्वीकृति बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं, सत्यापन और उस पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसाओं पर निर्भर करती है। तथापि, स्नातक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कर्नाटक का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम/योजनाएं

2499. श्री सुबोध राय :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितने रोग नियंत्रण कार्यक्रम/योजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों/योजनाओं को आयोजित करने हेतु राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ और एड्स के नियंत्रण के लिए पांच प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए राज्य-वार आबंटन/जारी किए गए धन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक के दौरान आबंटन का राज्य/संघ क्षेत्रवार वितरण संबंधी विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र	1999-2000 आवंटन	2000-2001 आवंटन	2001-02 आवंटन	2002-03 आवंटन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	322.86	539.67	249.00	157.53
अरुणाचल प्रदेश	303.27	343.91	486.93	280.72
असम	2267.01	5514.11	1983.27	1625.12
बिहार	481.35	383.07	357.37	77.71
छत्तीसगढ़	–	–	570.71	–
गोवा	10.93	8.71	6.08	8.85
गुजरात	489.04	399.04	92.70	112.37
हरियाणा	259.03	197.22	18.43	60.88
हिमाचल प्रदेश	46.11	90.30	2.20	3.06
जम्मू-कश्मीर	52.73	86.96	22.96	11.94
झारखण्ड	–	–	562.28	147.45
कर्नाटक	602.66	352.68	291.34	176.28
केरल	117.72	84.35	39.24	5.48
मध्य प्रदेश	893.40	533.83	788.25	160.49
महाराष्ट्र	282.97	289.41	468.50	221.58
मणिपुर	403.05	520.37	358.91	121.36
मेघालय	306.70	337.64	381.41	167.63

1	2	3	4	5
मिजोरम	309.56	385.11	433.94	118.51
नागालैंड	240.83	290.38	346.91	212.48
उड़ीसा	329.67	280.43	557.34	122.43
पंजाब	288.96	230.77	49.38	70.79
राजस्थान	2146.16	784.12	397.56	147.35
सिक्किम	11.65	10.65	0.11	4.37
तमिलनाडु	392.31	174.92	99.77	180.11
त्रिपुरा	375.89	599.03	542.45	302.78
उत्तर प्रदेश	622.18	591.14	540.44	198.51
उत्तरांचल	–	–	23.64	7.84
प. बंगाल	296.26	354.86	464.88	153.46
दिल्ली	75.40	90.97	97.57	97.39
पांडिचेरी	10.32	22.03	13.43	22.61
अ. व नि. द्वी.स.	116.46	208.13	226.84	217.85
चंडीगढ़	47.25	50.00	41.06	36.00
दा. एवं. ना. हवेली	25.91	40.03	40.67	34.33
दमन और द्वीव	16.42	18.86	16.08	11.72
लक्षद्वीप	5.81	10.98	6.35	6.10
कुल	11210.00	13826.00	10577.00	5427.00
कालाजार	1000.00	1000.00	1200.00	2000.00
स्थापना/अनु. संधान/प्रचार	690.00	624.00	673.00	673.00
एफ.ए.डी.	12000.00	10000.00	10000.00	15000.00
एन.डी.सी.पी.	100.00	50.00	50.00	–
महायोग	25000.00	25500.00	22500.00	23100.00

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	482.76	448.58	1200.00	1050
अरुणाचल प्रदेश	2.54	95.47	118.38	15.00
असम	114.13	298.62	210.53	391.77
बिहार	1054.73	1029.88	693.96	697.27
गोवा	3.17	12.91	15.41	13.78
गुजरात	1203.88	880.39	803.03	536.22
हरियाणा	79.13	236.71	193.53	179.75
हिमाचल प्रदेश	133.64	116.52	181.97	64.64
जम्मू कश्मीर	37.30	80.80	72.78	95.28
कर्नाटक	701.35	671.49	627.23	534.01
केरल	885.69	607.93	681.25	336.99
मध्य प्रदेश	418.17	765.85	652.65	592.09
महाराष्ट्र	852.84	1275.43	1668.97	1025.81
मणिपुर	31.66	30.09	99.60	30.77
मेघालय	8.60	19.74	19.42	31.74
मिजोरम	3.48	7.58	14.05	11.82
नागालैंड	2.77	13.84	98.50	25.64
उड़ीसा	325.38	455.89	600.00	450
पंजाब	95.98	229.44	279.29	227.65
राजस्थान	397.40	988.05	1063.20	598.74
सिक्किम	1.90	4.43	31.54	6.41
तमिलनाडु	660.48	1133.92	991.12	658.09
त्रिपुरा	13.36	30.25	30.25	33.57
उत्तर प्रदेश	897.57	1695.07	1390.01	1586.38
पश्चिमी बंगाल	2083.18	1143.30	1100.27	849.90

1	2	3	4	5
दिल्ली	0.00	195.04	226.76	146.24
पांडिचेरी	2.78	15.60	11.57	9.96
अंदमान और निकोबार	1.25	2.58	1.52	2.23
चंडीगढ़	3.47	7.38	12.73	9.54
दादरा और नागर हवेली	0.67	0.07	0.04	1.48
दमन और द्वीव	0.49	1.48	0.87	1.48
लक्षद्वीप	0.25	5.53	3.25	1.06
झारखंड	0.00	0.00	54.65	233.91
उत्तरांचल	0.00	0.00	15.42	67.21
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	36.22	183.56
कुल	10500.00	12499.87	13200.00	10700.00

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नगद अनुदान और सहायता अनुदान के रूप में रिलीज की गई निधियां

विश्व बैंक परियोजना	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	434.40	521.00	835.80	615.00
मध्य प्रदेश	740.81	699.13	463.00	405.00
महाराष्ट्र	664.88	581.00	836.00	365.00
उड़ीसा	420.25	1,107.00	300.00	310.00
राजस्थान	314.18	856.00	912.00	291.00
तमिलनाडु	1,009.82	857.00	1,742.25	815.00
उत्तर प्रदेश	789.32	588.00	2,058.23	415.00
छत्तीसगढ़	140.00	107.00	162.00	230.00
उत्तरांचल	50.00	15.00	140.00	160.00
कुल योग	4563.65	5331.13	7449.28	3606.00

1	2	3	4	5
शेष राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	15.00	31.50	34.65	19.00
असम	81.50	182.90	57.50	105.70
बिहार	108.58	275.92	72.00	260.00
दिल्ली	42.40	38.13	13.00	42.00
गोवा	14.50	41.20	18.70	30.00
गुजरात	404.50	384.00	142.04	215.00
हरियाणा	169.27	178.00	102.00	119.05
हिमाचल प्रदेश	85.25	131.00	37.00	83.00
जम्मू व कश्मीर	40.75	106.50	80.80	83.00
झारखण्ड	46.00	54.00	15.30	160.00
कर्नाटक	352.20	290.20	259.20	273.00
केरल	263.39	270.50	124.50	160.00
मणिपुर	9.00	41.60	36.15	24.00
मेघालय	21.00	60.10	66.00	24.00
मिजोरम	26.50	55.40	25.30	29.00
नागालैंड	14.00	40.58	47.15	24.00
पंजाब	199.61	117.60	55.20	135.00
सिक्किम	15.25	26.60	5.60	13.00
त्रिपुरा	35.39	68.80	372.20	46.65
पश्चिम बंगाल	194.10	275.00	120.40	210.00
अ. व नि. द्वीप समूह	10.67	3.75	8.10	8.00
चंडीगढ़	11.44	11.00	8.00	8.00
दा. एवं नगर हवेली	2.50	3.75	5.80	8.00
दमन व दीव	9.40	4.75	4.50	8.00
लक्षद्वीप	5.72	3.75	4.60	8.00
पांडिचेरी	20.82	14.50	5.75	13.00
कुल योग	**2199.74**	**2711.03**	**1721.44**	**2107.40**
महा योग	**6763.39**	**8042.16**	**9170.72**	**5713.40**

विगत तीन वर्षों के दौरान व चालू वर्ष में राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्यवार आवंटन

(लाख में)

क्रमांक	राज्य	1999-2000 विमुक्त	2000-01 विमुक्त	2001-02 विमुक्त	2002-03 विमुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	442.21	508.75	223.83	25.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.36	136.00	62.09	20.00
3.	असम	235.93	112.00	153.85	20.00
4.	बिहार	1322.77	869.80	663.94	95.00
5.	छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	378.34	50.00
6.	गोवा	1.51	1.50	11.52	5.00
7.	गुजरात	230.37	230.00	61.87	25.00
8.	हरियाणा	43.24	23.00	61.94	15.00
9.	हिमाचल प्रदेश	54.53	61.00	49.69	15.00
10.	जम्मू कश्मीर	63.61	87.00	100.55	30.00
11.	झारखण्ड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	356.23	40.00
12.	कर्नाटक	247.98	302.75	196.05	0.00
13.	केरल	147.30	237.00	74.61	30.00
14.	मध्य प्रदेश	794.35	645.36	395.32	50.00
15.	महाराष्ट्र	391.04	398.60	435.99	30.00
16.	मणिपुर	95.71	125.00	71.02	20.00
17.	मेघालय	45.26	47.00	46.94	20.00
18.	मिजोरम	51.22	61.00	60.51	15.00
19.	नागालैंड	106.09	109.00	89.22	15.00
20.	उड़ीसा	581.09	628.00	540.77	50.00
21.	पंजाब	100.39	36.00	32.3	10.00
22.	राजस्थान	148.37	105.00	123.07	10.00
23.	सिक्किम	71.36	41.71	34.87	10.00
24.	तमिलनाडु	385.79	422.74	413.04	30.00

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	47.18	34.00	46.47	20.00
26.	उत्तर प्रदेश	1428.10	1093.51	129.01	95.00
27.	उत्तरांचल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1282.5	40.00
28.	प. बंगाल	841.53	784.00	574.66	50.00
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	5.63	1.00	18.3	10.00
30.	चण्डीगढ़	13.29	3.50	5.5	5.00
31.	दादरा व नगर हवेली	1.17	8.79	6	5.00
32.	दमन व दीव	9.50	14.50	18.4	5.00
33.	दिल्ली	14.38	41.50	48.36	5.00
34.	लक्षद्वीप	1.36	3.00	6	5.00
35.	पांडिचेरी	2.00	7.00	2	5.00
	कुल योग	7984.62	7179.01	6774.86	875.00

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 में विमुक्त	2000-01 में विमुक्त	2001-02 के दौरान विमुक्त	2002-03 के दौरान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1219.67	824.50	850.00	2001.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	159.00	111.00	214.88	152.24
3.	असम	322.00	375.00	653.80	670.53
4.	बिहार	55.00	196.00	809.50	741.74
5.	गोवा	98.00	72.73	99.00	213.50
6.	गुजरात	721.00	347.17	450.00	561.37
7.	हरियाणा	270.00	240.50	266.00	477.18
8.	हिमाचल प्रदेश	318.00	202.50	308.50	355.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	152.00	244.50	391.00

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	801.07	398.65	785.15	1099.22
11.	केरल	280.00	350.63	388.00	602.07
12.	मध्य प्रदेश	352.31	542.00	780.50	1002.86
13.	महाराष्ट्र	998.35	852.00	550.00	–
14.	मणिपुर	352.38	415.30	708.15	772.24
15.	मेघालय	70.14	87.50	224.93	178.13
16.	मिजोरम	100.00	179.00	240.70	328.00
17.	नागालैंड	380.00	250.50	635.50	663.33
18.	उड़ीसा	200.00	358.50	200.00	460.70
19.	पंजाब	312.39	321.50	266.50	416.10
20.	राजस्थान	150.00	380.00	317.50	652.04
21.	सिक्किम	25.00	66.00	120.02	124.89
22.	तमिलनाडु	803.09	1108.30	1393.50	1500.87
23.	त्रिपुरा	50.00	92.00	196.67	188.58
24.	उत्तर प्रदेश	851.00	1175.00	1465.65	1740.17
25.	प. बंगाल	425.00	643.15	1059.50	1005.09
26.	दिल्ली	283.00	239.00	334.00	431.51
27.	पांडिचेरी	25.00	21.50	54.00	137.10
28.	अ. नि. द्वीप समूह	50.00	66.44	95.50	124.74
29.	चण्डीगढ़	115.00	93.11	152.65	172.91
30.	दा. और न. हवेली	25.00	9.00	20.00	68.03
31.	दमन और दीव	95.00	9.00	31.00	97.33
32.	लक्षद्वीप	25.00	9.10	20.50	76.10
33.	मुम्बई	670.00	431.05	585.65	919.34
34.	अहमदाबाद	75.00	54.61	50.30	177.48

1	2	3	4	5	6
35.	चेन्नई	125.00	101.50	62.45	450.09
36.	उत्तरांचल	–	–	98.00	280.49
37.	छत्तीसगढ़	–	–	129.50	370.00
38.	झारखंड	–	–	150.00	277.00
	कुल योग	10075.00	10672.40	15027.00	19881.30

विवरण-II

1999-2000 से 2001-02 के दौरन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियां

(1) राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम

वर्ष	वार्षिक रक्त	छिड़काव (कवर की गई जनसंख्या) करोड़ में	
	जांच दर	लक्ष्य	उपलब्धियां
1999	9.31	8.98	7.76
2000	8.78	9.90	8.09
2001	8.71(पी)	8.35	6.85

प्रति हजार जनसंख्या पर वार्षिक परजीवी घटना दर
वार्षिक रक्त जांच की दर 10%
अनन्तिम

(2) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	थूक	जांच	नए स्मीयर पाजिटिव मामलों का पता लगाना	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1999-2000	4884840	4009727	488480	371521
2000-01	4985720	3673619	498590	447273
2001-02	513510	3838827	513510	400839

(3) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1999-2000	3500065	3500065
2000-01	3644640	3644640
2001-02	183345	592758

(4) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	पता लगाए गए मामले		अस्पताल से छुट्टी दिए गए व्यक्तियों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1999-2000	286365	600068	611666	567831
2000-01	183345	502256	455015	645763
2001-02	183345	592758	455015	537746

(5) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

मार्च, 2002 तक निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:-

245 प्रमुख रक्त बैंकों और 591 जिला रक्त बैंकों की स्थापना की गई है। यौन संचारित रोग क्लीनिकों की स्थापना की गई है। 145 स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। असुरक्षित और सीमान्तीकृत उच्च जोखिम के आचरण वाले समूहों के लिए 571 लक्षित उपचार परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

2500. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री बी.के. पार्थसारथी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानकों का विकास करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व व्यापार के मानकीकरण हेतु ई-वाणिज्य पहल आरम्भ कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो भारत ने चीन को किस सीमा तक ई-वाणिज्य विशेषज्ञता उपलब्ध कराई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) ई-वाणिज्य के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को विधिक मान्यता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं का विकास

2501. **श्री खगेन दास :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के विकास को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों की संचार संबंधी आवश्यकताओं के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों को 3 स्तरीय योजना के अंतर्गत विभिन्न स्वतंत्र पारेषण मार्गों/माध्यमों नामत: माइक्रोवेव, उपग्रह और आप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

इसके अलावा, उच्च क्षमता की अत्याधुनिक आप्टिकल फाइबर प्रणालियां और आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेलीफोन एक्सचेंज भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक रूप से लगाए जा रहे हैं।

एमबड्समैन

2502. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु एमबड्समैन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) प्रश्न शायद एमबड्समैन स्कीम के संदर्भ में है। भारतीय रिजर्व बैंक जून, 1995 में पहले ही बैंकिंग एमबड्समैन स्कीम को शुरू कर चुका है, जिसे अब जून, 2002 में संशोधित कर दिया गया है जिसमें ऋणों तथा अग्रिमों और अन्य विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित बैंकिंग सेवाओं में कमी के मद्दे शिकायतों के निवारण हेतु अथॉरिटी की सीमा तक कार्यक्षेत्र और बैंकिंग एमबड्समैन के कार्यों को बढ़ा दिया गया है। स्कीम में लघु उद्यमों को भी सम्मिलित किया गया है।

सर गंगाराम अस्पताल में उपचार

2503. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली सरकार के निदेशों का सम्मान नहीं करता कि वहां उपचार हेतु जाने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से किसी अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु वे अग्रिम भुगतान के लिए जोर देते है और रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने से पूर्व पूरा भुगतान पर भी जोर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की नई सूची स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी की गई थी। उसके बाद सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली को केवल हृदयरोग विज्ञान, हृदय सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाओं, गुर्दा प्रक्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, जठरोन्त्र प्रक्रियाओं, यकृत, प्रत्यारोपण और आनुवांशिक प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 6.5.2002 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए उक्त अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की श्रेणियों को केवल उपर्युक्त प्रक्रियाओं के लिए ही क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है बशर्ते कि उक्त पैरा में निर्धारित शर्ते पूरी की गई हों। इसके अलावा 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 11 के अनुसार आपात स्थितियों में वैध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्रस्तुत करने पर ही अस्पताल को सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करनी पड़ती है।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण

2504. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान सरकार ने इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वीजा पर पाबंदियां

2505. **श्री राजो सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुबई ने भारतीयों को नए वीजा जारी करने पर पाबंदियां लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला दुबई के अधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) दुबई के अमीर ने भारतीयों पर अलग से वीजा प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। वीजा नीति, संयुक्त अरब अमीरात के संघीय प्राधिकरण द्वारा आबू-धाबी में बनाई जाती है। सरकार को संयुक्त अरब अमीरात के संघीय प्राधिकरण द्वारा 1998 से भारत और पाकिस्तान के अकुशल और अर्द्धकुशल कामगारों को वीजा जारी करने पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी है। तथापि, प्रतिबंधित आधार पर कामगार वीजा जारी करना जारी है। भारतीय राष्ट्रिकों को यात्रा और पारगमन वीजा पहले की ही तरह प्रायोजित आधार पर संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा रहा है। यह प्रतिबंध व्यावसायिकों की भर्ती पर लागू नहीं होता है।

(ग) मामले पर दुबई के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है, लेकिन समय-समय पर इसे संघीय प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया है।

(घ) संयुक्त अरब अमीरात सरकार का दृष्टिकोण यह है कि भारत और पाकिस्तान से कामगारों की भर्ती पर (1) भारत और पाकिस्तान से गए लोगों की असमानुपातिक संख्या से हुए जनसंख्या असंतुलन, (2) संयुक्त अरब अमीरात में मजदूरी की किसी अत्यधिक आपूर्ति को रोकने और (3) अमीरातीकरण यानि प्रबंधकीय पदों और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी विभागों आदि में बाबूगिरी की नौकरियों में विस्थापितों को हटाकर राष्ट्रिकों को लगाने के कारण है। संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट किया है कि भारत से भर्ती अभी भी मामला दर मामला के आधार पर अनुमोदित की जा रही है।

[अनुवाद]

मोतियाबिन्द का उपचार

2506. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय के अर्क के टीकों से आंखों में मोतियाबिन्द देर से होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषत: सेन्टर फार सैल्यूलर एण्ड मोलीक्यूलर वायोलॉजी में क्या अनुसंधान किया गया है; और

(ग) विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेपन से बचने के लिए की गई खोज का प्रचार-प्रसार करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां। चाय में एन्टी-ऑक्सीडेटिव गुण पाए गए हैं और इसलिए मोतियाबिंद के बनने को रोकने में यह सहायता हो सकती है।

(ख) सेन्टर फॉर सैल्यूलर एण्ड मॉलीक्यूलर वायोलॉजी में चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि काली एवं हरी चाय के अर्क के इंजेक्शन से मोतियाबिंद के बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो जाती है। काली चाय के मुकाबले हरी चाय अधिक प्रभावकारी होती है। ग्लूकोमा, रेटिना संबंधी रोगों और मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ओपैसिटी के कुछ मामलों में लेजर से उपचार उपयोगी है।

(ग) मानव में मोतियाबिंद के बनने या इसके बढ़ने पर चाय के प्रभाव की बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। मोतियाबिंद के बढ़ने को रोकने में चाय की उपयोगिता प्रमाणिता होने का बाद ही समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय छात्रों का भविष्य

2507. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के चिकित्सा संस्थानों में अध्ययनरत लगभग 80 भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है जैसा कि दिनांक 2 जुलाई, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग

2508. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति, 2000 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं निचले स्तर पर जनजागरुकता पैदा करने हेतु सरकार गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। परिवार नियोजन प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में दम्पतियों और किशोरों को परामर्श, लिंग, केवल स्तनपान, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (नियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और गर्भनिरोधकों की सुविधा का लाभ उठाने जैसे विषयों के बारे में अल्पसेवित क्षेत्रों में जागरुकता बढ़ाने से संबंधित कार्यकलाप चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को चालू वर्ष के दौरान 22 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। ग्राम स्तर पर पारम्परिक जन्म परिचरों को प्रशिक्षण प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु लोगों में क्षमता निर्माण के लिए भी कुछ गैर-सरकारी संगठन सहायता प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

एड्स की टीका

2509. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री सईदुज्जमा :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एड्स के टीके के लिए कृत्रिम विषाणु विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, पुणे ने एड्स की टीका विकसित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में 'सी' किस्म का एच.आई.वी. विषाणु फैल रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा एच.आई.वी. विषाणु पर नियंत्रण करने के लिए 'सी' किस्म का टीका विकसित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संकाय सदस्यों के अनुसार यहां वैज्ञानिक एच.आई.वी.-1 विषाणु उप-श्रेणी के विरुद्ध डी.एन.ए. वैक्सीनों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। (1) एन्विलय ग्लाइप्रोटीन जीन (जी.पी.-120) डी.एन.ए. वैक्सीन (2) गेग-जीन डी.एन.ए. वैक्सीन और (3) पोल-जीन डी.एन.ए. वैक्सीन का उपयोग करते हुए वैक्सीन तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ग) से (च) अंतरराष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल (आई.ए.वी.आई.) के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक स्वदेशी एड्स वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने और उनको तेज करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत में प्रमुख एच.आई.वी. सब टाइप सी की प्रजाति की समस्या पर ध्यान देगी। भारत सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आई.ए.वी.आई. में करार वैक्सीन के विकास के लिए वैक्सीन परीक्षणों में सहयोग और पारदर्शिता के लिए एक वचनबद्धता पर आधारित है।

संशोधित वैक्सीनिया अन्कारा (एम.वी.ए.) आधारित एच.आई.वी. वैक्सीन का विकास किया जा रहा है। इसमें असंख्य मिश्रित और जटिल कदम शामिल हैं। एम.वी.ए. नैदानिक परीक्षण की अवस्था में नहीं पहुंची है। इस कार्य को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दो सस्थाएं नामत: राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन.ए.आर.आई.) पुणे और राष्ट्रीय हैजा और आन्त्रिक रोग संस्थान (एन.आई.सी.ई.डी.) कोलकाता चला रही हैं।

एक परामर्शी दल का गठन किया जा चुका है। इसमें एड्स से ग्रस्त लोग, गैर-सरकारी संगठन और अनेक विशेषज्ञ विशषतौर से लिंग पर कार्य करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं। यह परामर्शी दल सरकार को वैक्सीन विकास के सभी पहलुओं तथा पहुंच के मुद्दों जैसे नैदानिक परीक्षणों के आचार शास्त्र, लिंग और मानव अधिकारों के मुद्दों, सूचना प्रसार, दिशानिर्देशों को तैयार करने और कलंक दूर करने के लिए नयाचारों तथा एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के बहिष्कार के बारे में परामर्श देगा।

फ्रांस टेलीकॉम द्वारा सैल्यूलर क्षेत्र में निवेश

2510. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस टेलीकॉम ने भारत के सैल्यूलर टेलीफोन क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) मुम्बई में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंसशुदा कंपनी मै. बी.पी.एल. मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. के साथ फ्रांस की कंपनी मै. फ्रांस टेलीकॉम 26 प्रतिशत इक्विटी सहित संयुक्त उद्यम भागीदार थी। मै. बी.पी.एल. मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वह फ्रांस टेलीकॉम द्वारा धारित इक्विटी को फ्रांस टेलीकॉम की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फ्रांस मोबाइल इंटरनेशनल को हस्तांतरित कर दे और उसके बाद फ्रांस मोबाइल इंटरनेशनल से मै. फ्रांस टेलीकॉम पार्टीसिपेशन्स, बेल्जियम एस.ए. (जिसे अब वायर फ्री सर्विसेस बेल्जियम एस.ए. के नाम से जाना जाता है) को हस्तांतरित कर दे।

पोत सेवाएं

2511. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से यात्रियों को अन्य देशों में लाने ले जाने के लिए पोत सेवाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के भीतर एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक यात्रियों को लाने ले जाने के लिए पोत सेवाएं मौजूद हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) जी नहीं। कोई भी भारतीय कंपनी भारत से किसी अन्य देश के लिए यात्री पोत सेवाओं का प्रचालन नहीं करती है।

(ग) और (घ) देश के भीतर भारत के पूर्वी तट और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच तथा केरल तट और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच निर्धारित यात्री नौवहन सेवाओं का प्रचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के भीतर नियमित अंतरद्वीपीय यात्री सेवाएं मौजूद हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान

2512. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थानों को अनुदान सहायता देने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान इन संस्थानों को प्रति वर्ष कितनी अनुदान सहायता दी गई है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान सरकार ने प्रतिवर्ष कितने मूल्य की आयुर्वेदिक औषधियों का आयात/निर्यात किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) सहायतानुदान के लिए मुख्य शर्तें हैं-

(1) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से मान्यता प्राप्त होना (2) पांच वर्षों से अस्तित्व में होना (3) संस्थान में उक्त परिषद् द्वारा अनुमोदित न्यूनतम 30 सीटें अवश्य रहना, और (4) उसमें 60% पलंग भरे होने चाहिए और 50% विहित अध्यापन स्टाफ होना चाहिए।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) आयुर्वेद और यूनानी की विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित/आयातित दवाइयों का मूल्य नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1998-99	133.61	52.58
1999-2000	145.03	81.99
2000-2001	221.51	103.35

(ङ) राज्य सरकारों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पृथक् निदेशालय स्थापित करने की सलाह दी गई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थानों के उन्नयन, औषधियों के मानकीकरण, आंतरिक और बाह्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के माध्यम से सूचना के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने जैसी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया है। विभाग ने आयुर्वेद भेषजसंहिता को भी विकसित किया है।

विवरण-I

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार आयुर्वेदिक कालेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	कालेज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	बिहार	11
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	चंडीगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	5
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू व कश्मीर	1
12.	झारखंड	1
13.	कर्नाटक	45
14.	केरल	5
15.	मध्य प्रदेश	9
16.	महाराष्ट्र	58
17.	उड़ीसा	6
18.	पंजाब	9
19.	राजस्थान	4
20.	तमिलनाडु	6
21.	उत्तर प्रदेश	11
22.	उत्तरांचल	3
23.	पश्चिम बंगाल	2
		196

विवरण-II

आयुर्वेदिक संस्थान 1999-2000

क्र.सं.	कालेज का नाम	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत रकम (रु. लाखों में)
1	2	3	4
	गुजरात		
1.	श्री ओछवलाल एच. नजर आयु.महा., सूरत (प्रा.)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	10.00

1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
1.	राजीव गांधी गवर्नमेंट आयु. कॉलेज, पपरोला, हिमाचल प्रदेश (सरकारी)	उपस्कर एवं पुस्तकालय पुस्तकें	12.00
	कर्नाटक		
1.	गडग श्री जगद्गुरू टंटाडार्य विद्यापीठ सिंदगी शांतीवीरेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हावेरी (प्रा.)	उपस्कर	10.00
2.	डा. बसवराज नागर मेमोरियल रूरल आयु. मेडिकल कालेज एंड और हास्पिटल, बीजापुर, कर्नाटक (प्रा.)	उपस्कर	10.00
	मध्य प्रदेश		
1.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, बुरहानपुर (सरकारी)	होस्टल निर्माण	10.00
	महाराष्ट्र		
1.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे (प्रा.)	कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण	10.00
2.	सेठ गोविंदजी रावजी, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, शोलापुर (सरकारी सहायता प्राप्त)	-तदैव-	10.00
3.	गंगाधर शास्त्री पुणे आयु. महा., अहमद नगर (प्रा.)	अस्पताल बिल्डिंग का निर्माण	10.00
4.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल सेठ चंदनमल मठ आर्यगल वैद्यक महाविद्यालय, सतारा (प्रा.)	उपस्कर	10.00
5.	दादा साहेब सरूप सिंह नाईक आयु. कॉलेज, धुले (प्रा.)	उपस्कर	10.00
6.	कालेज आफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर, अखुर्दी, प्रधानीकरण, पुणे (प्रा.)	उपस्कर	10.00
7.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, नागपुर (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	15.00
		उपस्कर	10.00
		पुस्तकें	2.00
			27.00
8.	आर.ए. पोद्दार आयु. महाविद्यालय, मुंबई (सरकारी)	उपस्कर	10.00
		पुस्तकें	2.00
			12.00
9.	गवर्नमेंट आयु. कालेज, नांदेड़ (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग निर्माण	15.00
		उपस्कर	10.00
		पुस्तकें	2.00
			27.00

1	2	3	4
10.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, उस्मानाबाद (सरकारी)	उपस्कर	10.90
	उड़ीसा		
1.	के.ए.टी.एस. आयुर्वेद कालेज, जिला गंजाम,	उपस्कर खरीद	10.00
	उड़ीसा, (सरकारी)	आवास	15.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			27.00
2.	गोपबंधु गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी	बिल्डिंग निर्माण	5.00
	(सरकारी)	पुस्तकें	2.00
		उपस्कर	10.00
			17.00
	उत्तर प्रदेश		
1.	ललित हरी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज एंड हास्पिताल, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश (सरकारी)	स्नातकोत्तर ब्लाक का निर्माण	13,11,500
2.	गवर्नमेंट गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार (सरकारी)	उपस्कर	7.91
		निर्माण	10.00
			17.91

आयुर्वेदिक संस्थान 2000-2001

क्र.सं.	कालेज का नाम	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत रकम (रु. लाखों में)
1	2	3	4
	बिहार		
1.	दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय, सिवान, बिहार	उपस्कर	4.00
2.	गवर्नमेंट आयु. कालेज, कदमकुआं, पटना,	होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	15.00
	बिहार, (सरकारी)	होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तक	2.00
			27.00

1	2	3	4
	जम्मू और कश्मीर		
1.	जम्मू इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, रायपुर, जम्मू और कश्मीर (प्रा.)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
	हिमाचल प्रदेश		
1.	राजीव गांधी गवर्नमेंट आयु. कालेज, पपरोला, हिमाचल प्रदेश (सरकारी)	लाइब्रेरी ब्लाक का निर्माण	14.705
	कर्नाटक		
1.	आयु. महाविद्यालय, हगेरी एक्स., हुबली (सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
2.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, धन्वंतरी रोड, बंगलूर, (सरकारी)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
3.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, बंगलूर (सरकारी)	महिला छात्रावास का निर्माण	9.20
4.	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर ए.एम.सी., उडुपी	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	15.00
	(सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			27.00
	केरल		
1.	वैद्यरत्नम आयुर्वेदिक कालेज ओल्लुर, थ्रिशूर, केरल (सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
	मध्य प्रदेश		
1.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, रीवा (सरकारी)	होस्टल सुविधाएं	15.00
		उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			27.00
	महाराष्ट्र		
1.	चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, भुसावल (प्रा.)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00

1	2	3	4
2.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पाटूर, अकोला (प्रा.)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
3.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेदिक	उपस्कर	10.00
	मेडिकल कालेज पेट, बड़गांव, कोल्हापुर (प्रा.)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
4.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, उस्मानाबाद (सरकारी)	वर्तमान अस्पताल बिल्डिंग का विस्तार	15.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	1.10
			16.10
5.	श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मित्तल, पुनर्वासु आयु. महाविद्यालय, मुंबई (सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
6.	आयुर्वेद महाविद्यालय, पुसाड, जिला यावतमल (प्रा.)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
7.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर (सरकारी	उपस्कर	10.00
	सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
8.	संगम सेवा भावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय,	उपस्कर	10.00
	संगमनेर, अहमदनगर (प्रा.)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
9.	आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी, अहमद नगर (प्रा.)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00
10.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडली (प्रा.)	उपस्कर	7.59
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			9.59
11.	डी.एम.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, यावतमल	उपस्कर	10.00
	(प्रा.) (सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			12.00

1	2	3	4
12.	भारतीय विद्यापीठ्स डोम्ड यूनीवर्सिटी, कालेज आफ आयुर्वेद, धांकवाडो (प्रा.)	उपस्कर लाइब्रेरी पुस्तकें	10.00 2.00 12.00
	राजस्थान		
1.	मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयु. कालेज, उदयपुर (सरकारी)	फार्मेसी और विच्छेदन कक्ष का निर्माण उपस्कर लाइब्रेरी पुस्तकें	15.00 10.00 2.00 27.00
	उत्तर प्रदेश		
1.	गवर्न. आयुर्वेद कालेज एंड हास्पिटल, वाराणसी, (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण लाइब्रेरी पुस्तकें	10.00 2.00 12.00
2.	गवर्न. आयुर्वेद कालेज एंड अस्पताल, अटारा, बांदा, (सरकारी)	अस्पताल बिल्डिंग उपस्कर लाइब्रेरी पुस्तकें	15.00 10.00 2.00 27.00
3.	स्टेट आयु. गुरूकुल कांगड़ी कालेज, हरिद्वार (सरकारी)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
4.	बुंदेलखंड गवर्न. आयु. कालेज एंड अस्पताल, झांसी (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	20.00

आयुर्वेदिक संस्थान 2001-2002 के दौरान निर्मुक्त अनुदान

क्र.सं.	संस्थान/कालेज का नाम क्या सरकारी/प्राइवेट और स्थापना का वर्ष	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत रकम (रु. लाखों में)
1	2	3	4
	गुजरात		
1.	श्री अखंडानंद गवर्न. आयु. कालेज, भद्र, अहमदाबाद, गुजरात (सरकारी)	उपस्कर	कुल 10.00

1	2	3	4
2.	श्री बाल हनुमान आयु. महाविद्यालय, लोदरा, गुजरात, (सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
3.	आर्य कन्या सुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात (प्रा.)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 24
	हरियाणा		
1.	श्री कृष्णा गवर्न. आयु. कालेज, कुरूक्षेत्र, हरियाणा (सरकारी)	बालिका छात्रावास निर्माण	15.00
		उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 27.00
	जम्मू		
1.	जम्मू इंस्टिट्यूट आफ आयु. एंड रिसर्च, नार्दनी, जम्मू, (प्रा.)	उपस्कर	4.00
	कर्नाटक		
1.	राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रोन, कर्नाटक (प्रा.)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
2.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, बंगलूर, (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	10.80
		उपस्कर	10.00
			कुल 20.80
	केरल		
1.	गवर्न. आयु. कालेज, तिरूवनंतपुरम, केरल (सरकारी)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
2.	गवर्न. आयु. कालेज, त्रिपुनीथुरा, एर्नाकुलम, केरल (सरकारी)	छात्रावास सुविधाएं	15.00
		उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 27.00

1	2	3	4
3.	वैद्यरत्नम आयु. कालेज, ओल्लुर, केरल, (सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	10.00
			कुल 49.00
	महाराष्ट्र		
1.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती, महाराष्ट्र	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	15.00
	(सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 27.00
2.	आर.टी.आयु. महाविद्यालय अकोला, महाराष्ट्र	उपस्कर	10.00
	(सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
3.	आयुर्वेद महाविद्यालय देवपुर, धुले, महाराष्ट्र (प्रा.)	उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
4.	मठ गोविंदजी रावजी आयु. महाविद्यालय	उपस्कर	10.00
	शोलापुर, महाराष्ट्र (सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
5.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहब सावंत आयुर्वेद	उपस्कर	10.00
	महाविद्यालय, सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र (सरकारी	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
	सहायता प्राप्त)		कुल 12.00
6.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	उपस्कर	10.00
	(सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
7.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयु. महाविद्यालय	उपस्कर	10.00
	सिओन, मुंबई (सरकारी सहायता प्राप्त)	लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
			कुल 12.00
	कुल		111.00

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
1.	गवर्न. धन्वतंरी आयु. महाविद्यालय, उज्जैन, म.प्र. (सरकारी)	अस्पताल भवन	15.00
2.	गवर्न. आयु. कालेज, जबलपुर (सरकारी)	कालेज बिल्डिंग का निर्माण	15.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
		कुल	17.00
		कुल	32.00
	पंजाब		
1.	गवर्न. आयुर्वेद कालेज पटियाला, पंजाब (सरकारी)	बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधाएं	20.00
		उपस्कर	10.00
		लाइब्रेरी पुस्तकें	2.00
		कुल	32.00
	राजस्थान		
1.	श्री भंवर लाल दुग्गड आयु. विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर. राजस्थान (सरकारी सहायता प्राप्त)	उपस्कर	5.37
	उत्तर प्रदेश		
1.	ललित हरी राज्य आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल. पीलीभीत, उ.प्र. (सरकारी)	स्नातकोत्तर ब्लाक का निर्माण	8.86

बच्चों में कुपोषण

2513. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय परिवार नियोजन संघ द्वारा कराये गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में 72 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय परिवार नियोजन संघ ने कुपोषण और रक्ताल्पता पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार 3 वर्ष से कम आयु वाले 47 प्रतिशत बच्चों का भार कम है और 6-35 महीने की आयु वाले 74.3 प्रतिशत बच्चों में कुछ सीमा तक रक्ताल्पता है।

(ग) सरकार ने देश में लोगों की स्वास्थ्य और पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- कृषि उत्पादन में वृद्धि।
- आय सृजन स्कीमों के जरिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्य पर अनिवार्य खाद्य सामग्री की उपलब्धता।

- जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित खाद्य आदतों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण• संबंधी शिक्षा।

- अनुपूरक खाद्य कार्यक्रम जैसे:

  (1) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम

  (2) विशेष पोषण कार्यक्रम

  (3) बालवाडी पोषण कार्यक्रम

  (4) गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

  (5) प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना

  (6) दोपहर का भोजन कार्यक्रम

विशिष्ट पोषक तत्व की अल्पता अन्य विकास जैसे:

(क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता और आयरन की कमी के कारण होने वाली पौषणिक रक्ताल्पता को रोकने के लिए कार्यक्रम।

(ग) सूक्ष्म पोषक तत्व के कुपोषण के नियंत्रण हेतु प्रायोगिक परियोजना।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आप्टिकल फाइबर

2514. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषत: जलगांव जिले में आप्टिकल फाइबर और अन्य आवश्यक उपकरणों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आवश्यक उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महाराष्ट्र और विशेषकर जलगांव जिले में, ''ऑप्टिकल फाइबर केबल'' और अन्य आवश्यक उपस्करों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में सेल्यूलर सेवाएं

2515. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा चालू नही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) इस समय, गुवाहाटी और शिलांग में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) चालू है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने अनुरोध किया है कि सी.एम.टी.एस. को पूर्वोत्तर राज्यों में चालू किया जाए। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने वाले उत्तर-पूर्व और असम दूरसंचार सर्किलों में सुरक्षा कारणों से निजी प्रचालकों एवं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस समय सी.एम.टी.एस. का विस्तार करने अथवा नये सिरे से उसकी शुरूआत करने की अनुमति नहीं है।

खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

2516. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कई राज्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान खेल उपकरणों और इनकी खरीद के लिए कितनी राशि रखी गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) सरकार ने अनेक खेल-विधाओं

के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान की है जिनसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है। देश में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती, सिवाय राष्ट्रीय खेलों के लिए जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, किसी राज्य ओलम्पिक संघ को आबंटित किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने पंजाब सरकार को 2001 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा उपस्करों की खरीद हेतु 400.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) खेल उपस्करों के लिए कोई राज्य-वार धनराशि नहीं रखी जाती है।

मलेरिया का पुनः उभरना

2517. श्री सुरेश कुरूप :
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
श्री सुनील खां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सहित देश के विभिन्न भागों से मलेरिया के पुनः उभरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में इस बीमारी के कारणों का सही-सही पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में मलेरिया की कुल घटनाएं 1985 से 2-3 मिलियन वार्षिक के बीच रही हैं। केरल राज्य में पिछले पांच वर्षों में मलेरिया की घटनाओं के रूझान में धीरे-धीरे कमी आई है।

जब भी आवश्यक होता है केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रभावित राज्यों को तकनीकी निर्देशन प्रदान करने तथा निरोधी उपाय करने में उन्हें सहायता देने के लिए विशेषज्ञों के दल भेजे जाते हैं।

मलेरिया नियंत्रण के लिए किए जाने वाले/किए जा रहे निवारण उपाय इस प्रकार हैं:

- रोगी का शुरू में ही पता लगाना और तुरंत उपचार
- चुनींदा रोगाणु नियंत्रण
- वैयक्तिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा
- रोग स्थिति का शुरू में ही पता लगाना और निरोधी उपाय
- वैयक्तिक रोकथाम के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप तथा सामुदायिक सहभागिता
- संस्थागत और प्रबन्धन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और कुशल प्रबन्ध सूचना प्रणाली
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से चेतावनी जारी करना और सभी निवारक और नियंत्रण उपायों का सुझाव देना।

टेलीफोन बिलों का भुगतान

2518. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली ने एटीएम सुविधा युक्त प्राइवेट बैंकों के साथ समझौता किया है ताकि उनके ग्राहक टेलीफोन बिलों का भुगतान इन बैंकों में कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एटीएम सुविधायुक्त और अधिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को ऐसी सेवा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्राइवेट बैंकों के ग्राहकों के ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 25.6.2002 से ए.टी.एम. सुविधा के माध्यम से टेलीफोन बिलों का संग्रह करने की अनुमति दे दी गई हैं।

(ग) से (ङ) इस प्रयोजनार्थ ए.टी.एम. सुविधायुक्त अन्य निजी बैंकों पर भी विचार किया जायेगा, यदि उनसे इस मामले में अनुरोध प्राप्त हो। इस समय, केवल बैंक आफ पंजाब से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

इस्पात उत्पादों के मूल्य

2519. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय इस्पात उद्योग ने इस वर्ष अप्रैल से अपने उत्पादों के मूल्यों में चार गुणा वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न इस्पात कंपनियों द्वारा अप्रैल से विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्यों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की तुलना में कितनी है;

(ग) क्या इस उर्ध्वगामी संशोधन से भारतीय इस्पात कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उनके उत्पादन में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) अप्रैल-जुलाई, 2002 के दौरान छूट समायोजन की दर तथा साथ ही आधार मूल्य में वृद्धिपरक संशोधन किया गया है। मुख्य उत्पादकों के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल)

चपटे उत्पाद-तप्त बेल्लित क्वायलों के संबंध में छूट समायोजन में वृद्धिपरक संशोधन अप्रैल, मई और जून माह में प्रभावी हुआ। यह वृद्धि 900 रुपए से 1300 रुपए प्रति मीट्रिक टन तक भिन्न-भिन्न थी। जुलाई में आधार मूल्य में 1600 रुपए प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि की गई।

गैर-चपटे उत्पाद-तार छड़ों के मूल्य में अप्रैल-जुलाई, 2002 के दौरान दो बार वृद्धि की गई थी। उच्च कार्बन तार छड़ों के मूल्य में 750 रुपए प्रति मीट्रिक टन का वृद्धिपरक संशोधन किया गया था जबकि मृदु इस्पात के मूल्य में 1100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि की गई थी।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.)

आर.आई.एन.एल. का उत्पाद-मिश्र लंबे उत्पादों के अंतर्गत आता है। अप्रैल से जुलाई, 2002 के दौरान घरेलू बाजार में विक्रेय मृदु इस्पात "लंबे उत्पादों" के संबंध में की गई औसत मूल्य वृद्धि निम्नानुसार है:

(रुपए प्रति मीट्रिक टन)

माह	औसत मूल्य वृद्धि
मार्च, 2002 से अप्रैल, 2002	315
अप्रैल, 2002 से मई, 2002	172
मई, 2002 से जून, 2002	147
जून, 2002 से जुलाई, 2002	157

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को)

अप्रैल, 2002 से प्रभावी मूल्य वृद्धि वाणिज्यिक श्रेणियों तक ही सीमित रखे गये थे जिनकी बिक्री मुख्यत: "आन स्पाट बेसिस" पर की जाती है। दीर्घकालिक करार के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादों के संबंध में अप्रैल, 2002 से कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं की गई थी।

मार्च से जुलाई, 2002 के दौरान विभिन्न इस्पात उत्पादों के संबंध में घरेलू मूल्यों में की गई वृद्धि आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि से कम थी।

(ग) और (घ) जी, हां। बिक्री से बेहतर प्राप्ति और मांग में हुई वृद्धि से उम्मीद है कि उत्पादन के मौजूदा स्तर में वृद्धि होगी और देश के मुख्य इस्पात उत्पादकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी भागीदारी

2520. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं में निजी भागीदारी को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार तथा निजी संगठनों की भागीदारी किस सीमा तक होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथापि,

सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 उपयुक्त विनियामक तंत्र से सभी क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत करती है।

नई स्वास्थ्य नीति में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में गैर-सरकारी चिकित्सकों को सहयोजित करने की परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानक उपचार नयाचारों का दिन-प्रतिदिन की प्रैक्टिस में अनुपालन हो।

जन स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद को 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्तमान में 2 प्रतिशत तक लाने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी की अन्य संस्थाओं को बढ़-चढ़ कर शामिल करने तथा इसके साथ-साथ बढ़ते हुए पैमाने पर उनके उच्च प्रेरणात्मक कार्य कौशल का भी उपयोग करने की इस नीति में परिकल्पना की गई है कि रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को केवल इन संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले पता लगाए गए कार्यक्रम संघटकों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत बजट निश्चित किया जाना चाहिए।

आचार संहिता

2521. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने राज्य लोक-सेवा-आयोग के सदस्यों तथा देश में नौकरशाहों के लिए आचार संहिता तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार को केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त से अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

के.स.स्वा.यो. औषधालय का निर्माण

2522. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वसंत विहार में आबंटित भूमि पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) वसन्त विहार, दिल्ली में के.स.स्वा. योजना औषधालय भवन के निर्माण के लिए नक्शे पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस कार्य के लिए प्रारम्भिक अनुमान तैयार करना है।

(ख) निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह प्रारम्भिक अनुमानों के तैयार होने/अनुमोदित होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राजस्थान में परमाणु इकाई का बन्द किया जाना

2523. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के कोटा शहर में स्थित परमाणु विद्युत इकाई एक वर्ष में कितने दिन बन्द रहती है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त इकाई को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई योजना तैयार की है

(ग) क्या सरकार राजस्थान राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी किसी परमाणु इकाई की स्थापना कर रही है अथवा स्थापना का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) राजस्थान स्थित चार परमाणु विद्युत रिएक्टर यूनिटों में से तीन यूनिट नामत: राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर.ए.पी.एस.) यूनिट 2 (200 मेगावाट), राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 (220 मेगावाट), और राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4 (220 मेगावाट), को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा रहा है। इन यूनिटों का कार्यनिष्पादन, उच्च उपलब्धता गुणक दर्ज करते हुए अच्छा रहा है (वह प्रतिशत समय जब ये यूनिट ग्रिड से जुड़े

रहे और काम करते रहे)। वित्त-वर्ष 2001-2002 के दौरान इन यूनिटों द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धता गुणक निम्नानुसार हैं:

यूनिट	उपलब्धता गुणक
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2	86%
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3	79%
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4	83

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, उपस्कर संघटकों के भविष्यसूचक तथा निवारक अनुरक्षण में वर्धन द्वारा यूनिटों को योजनागत रूप से बंद किए जाने की अवधि और मजबूरन बंद किए जाने के मौकों की संख्या को कम करके इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन को और बेहतर बनाने की आशा करता है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के स्वामित्व वाला और एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा परिचालित देश का पहला दावित भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) यूनिट है, को इसके नियामक लाइसेंस की समाप्ति पर 30.4.2002 से बंद कर दिया गया है। इसके बारे में सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से सेवाकालीन निरीक्षण और मूल्यांकन, जिसमें सम्भाव्य शीतलक चैनलों का सामूहिक रूप से बदला जाना शामिल है, संबंधी कार्य जारी है। एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा अपनाई जा रही इस पद्धति के आधार पर, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा इसकी पुनरीक्षा करने और अनुमति देने के बाद ही इस यूनिट के और आगे सतत परिचालन की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

(ग) और (घ) रावतभाटा, राजस्थान (मौजूदा आर.ए.पी.एस. 1 से 4 यूनिटों के निकट) में 220 मेगावाट की क्षमता वाले दो यूनिट (आर.ए.पी.पी.-4 तथा 6) इस समय निर्माणाधीन हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन्हें क्रमश: अगस्त 2007 और फरवरी 2008 में वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करना है।

[अनुवाद]

ट्रांस-एशियन राजमार्ग

2524. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों और म्यांमार के सड़क नेटवर्क के बीच स्थल मार्ग संपर्क का मुद्दा यांगों के हाल ही के दौरे के दौरान उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्तावित ट्रांस-एशियन राजमार्ग का भाग होने जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर इस टांस-एशियन राजमार्ग के निर्माण के लिए मिलकर कार्य कर रहे है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) यांगोन में विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह की यात्रा के दौरान 5-6 अप्रैल, 2002 को यांगोन में भारत, म्यांमा और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तीनों देशों को जोड़ने वाले हाईवे के निर्माण सहित सहयोग के अनेक क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय सिंगापुर से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में सीधी एक्सचेंज लाइनें

2525. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.एस.एन.एल. द्वारा 30 जून, 2002 तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लगाई गई सीधी एक्सचेंज लाइनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान वर्ष में और अधिक सीधी एक्सचेंज लाइनें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) 30 जून, 2002 तक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संस्थापित सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी.ई.एल.) की संख्या क्रमश: 734381 और 30477 हैं और चालू वर्ष (2002-2003) के लिए योजित सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या 116500 और 2100 है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30 जून, 2002 तक सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में संस्थापित और चालू वर्ष (2002-03) के लिए योजित सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी.ई.एल.) की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	सीधी एक्सचेंज लाइनें संस्थापित/योजित	राज्यों के नाम								पूर्वोत्तर क्षेत्र का जोड़
		सिक्किम	असम	मेघालय	त्रिपुरा	मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	नागालैंड	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
1.	30.6.2002 तक संस्थापित सीधी एक्सचेंज लाइनें	30477	438872	53447	73650	46119	47968	34760	39565	734381
2.	वर्ष 2002-03 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य	2100	80000	6500	9200	5800	4600	5200	5200	116500

दूरसंचार सुविधाएं

2526. श्री अनन्त नायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान एन.सी.आर. में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में 91270 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका नगर-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। बी.एस.एन.एल. द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंटरनेट, सेल्युलर मोबाइल फोन, पेजर सेवाएं इत्यादि जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी.ई.एल.) का लक्ष्य

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों का नाम	दूरसंचार सर्किल	2002-03 के लिए डी.ई.एल. के लक्ष्य
1	2	3	4
दिल्ली महानगर क्षेत्र के नगर			
1.	फरीदाबाद	हरियाणा	6300
2.	बल्लभगढ़	हरियाणा	1950

1	2	3	4
3.	बहादुरगढ़	हरियाणा	2150
4.	गुड़गांव	हरियाणा	9600
5.	कुंडली	हरियाणा	350
6.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	11500
7.	नौएडा	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4500
8.	लोनी	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1500
	प्राथमिकता वाले नगर		
1.	रोहतक	हरियाणा	5100
2.	रेवाड़ी	हरियाणा	2050
3.	पलवल	हरियाणा	1800
4.	पानीपत	हरियाणा	3200
5.	धारूहेड़ा	हरियाणा	350
6.	मेरठ	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5000
7.	बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3300
8.	खुरजा	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1800
9.	हापुड़	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3000
10.	अलवर	राजस्थान	6500
11.	एमआईए अलवर	राजस्थान	100
12.	भिवानी	राजस्थान	3820
	काउंटर मेग्नेट नगर		
1.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2000
2.	पटियाला	पंजाब	1000
3.	हिसार	हरियाणा	5400
4.	कोटा	राजस्थान	6000
5.	बरेली	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3000
		जोड़	91,270

विवरण-II

30.6.2002 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने संबंधी स्थिति

क्र.सं.	रा.रा. क्षेत्र के नगरों के नाम	इंटरनेट	पेजर	सेल्युलर मोबाइल फोन	आईएसडीएन	डाटा आई नेट
1.	फरीदाबाद	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
2.	बल्लभगढ़	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	बहादुरगढ़	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	गुड़गांव	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
5.	रोहतक	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध
6.	रेवाड़ी	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	पलवल	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	पानीपत	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	धारूहेड़ा	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	कुंडी	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	गाजियाबाद	उपलब्ध	उपलब्ध (प्राईवेट प्रचालक)	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
12.	नौएडा	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
13.	लोनी	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
14.	मेरठ	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
15.	बुलन्दशहर	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
16.	खुरजा	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
17.	हापुड़	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
18.	अलवर	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	एम.आई.ए.-अलवर	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	भिवानी	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध
	काउंटर मेग्नेट नगर					
21.	ग्वालियर	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
22.	पटियाला	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
23.	हिसार	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध
24.	कोटा	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	बरेली	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध

लीजेंड:

उपलब्ध - सुविधा उपलब्ध है।

अनुपलब्ध - सुविधा उपलब्ध नहीं है।

शिशु-मृत्यु दर

2527. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1 से 5 वर्ष के उम्र समूह में प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर वर्तमान शिशु मृत्यु दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उम्र समूह में कम वजन, कुपोषण और कम पोषाहार पाने वाले बालकों और बालिकाओं की राज्य-वार संख्या क्या है:

(ग) क्या उड़ीसा में कुपोषण और शिशु मृत्यु दर संबंधी घटनाएं अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के लिए तैयार किए गए और लागू किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 68 थी। जहां तक बाल मृत्यु दर का संबंध है अद्यतन सूचना वर्ष 1998 से संबंधित है। उस वर्ष में 0-4 वर्ष आयु वर्ग के बाल मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों पर 22.5 थी। राज्य-वार शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I एवं II में दिया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, 1998-99 के मुताबिक राज्यों में बच्चों का पोषणिक स्तर विवरण-III में दिया गया है। उच्च मृत्यु दर और निम्न पोषणिक स्तर के कारकों में गरीबी, साक्षरता, विशेषकर महिला साक्षरता का निम्न स्तर, संक्रामक रोगों का उच्च दबाव और आधारभूत ढांचे में कमियां शामिल हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए टीकाकरण, तीव्र श्वसनीय संक्रमणों और अतिसार का उपचार प्रबंधन एवं नियंत्रण, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या की व्यवस्था और केवल स्तनपान एवं समुचित सम्पूरक आहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विटामिन-ए और आयरन के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को रोकने के लिए रोगनिरोधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उड़ीसा सहित सभी राज्यों में से कार्यक्रम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटकों के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एकीकृत बाल विकास स्कीम चलाई जा रही है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिशु मृत्यु दर
1	2
भारत*	**68**
बड़े राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	65
असम	75
बिहार	62
गुजरात	62
हरियाणा	67
कर्नाटक	57
केरल	14
मध्य प्रदेश	88
महाराष्ट्र	48
उड़ीसा	96
पंजाब	52
राजस्थान	79
तमिलनाडु	51
उत्तर प्रदेश	83
प. बंगाल	51
छोटे राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	44
छत्तीसगढ़	79
गोवा	23
झारखंड	70
हिमाचल प्रदेश	60
जम्मू एवं कश्मीर	50

1	2
मणिपुर	23
मेघालय	58
मिजोरम	21
नागालैंड	अनुपलब्ध
सिक्किम	49
त्रिपुरा	41
उत्तरांचल	50
संघ क्षेत्र	
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	23
चंडीगढ़	28
दादरा एवं नगर हवेली	58
दमन एवं दीव	48
दिल्ली	32
लक्षद्वीप	27
पांडिचेरी	23

स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली

विवरण-II

बाल मृत्यु दर, भारत और बड़े राज्य 1998

भारत	22.5
आन्ध्र प्रदेश	18.1
असम	27.5
बिहार	22.9
गुजरात	19.6
हरियाणा	22.4
हिमाचल प्रदेश	16.7
कर्नाटक	16.7
केरल	3.6
मध्य प्रदेश	32.6
महाराष्ट्र	12.7
उड़ीसा	29.0
पंजाब	16.8
राजस्थान	27.7
तमिलनाडु	13.0
उत्तर प्रदेश	29.6
प. बंगाल	15.0

स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली

विवरण-III

भारत में 1998-99 के दौरान पोषणिक स्थिति के 3 मानवमिति सूचकों के संबंध में अल्प पोषित के रूप में वर्गीकृत 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का प्रतिशत

राज्य	आयु के हिसाब से भार		आयु के हिसाब से लम्बाई		लम्बाई के हिसाब से भार	
	-3 एसडी से कम प्रतिशत	-2 एसडी से कम प्रतिशत	-3एसडी से कम प्रतिशत	-2 एसडी से कम प्रतिशत	-3एसडी से कम प्रतिशत	-2 एसडी से कम प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
भारत	**18.0**	**47.0**	**23.0**	**45.5**	**2.8**	**15.5**
उत्तर						
दिल्ली	10.1	34.7	18.0	36.8	4.1	12.5
हरियाणा	10.1	34.6	24.3	50.0	0.8	5.3

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	12.1	43.6	18.1	41.3	3.3	16.9
जम्मू एवं कश्मीर	8.3	34.5	17.3	38.8	1.2	11.8
पंजाब	8.8	28.7	17.2	39.2	0.8	7.1
राजस्थान	20.8	50.6	29.0	52.0	1.9	11.7
केन्द्रीय						
मध्य प्रदेश	24.3	55.1	28.3	51.0	4.3	19.8
उत्तर प्रदेश	21.9	51.7	31.0	55.5	2.1	11.1
पूर्व						
बिहार	25.5	54.4	33.6	53.7	5.5	21.0
उड़ीसा	20.7	54.4	17.6	44.0	3.9	24.3
प. बंगाल	16.3	48.7	19.2	41.5	1.6	13.6
पूर्वोत्तर						
अरुणाचल	7.8	24.3	11.9	26.5	2.0	7.9
असम	13.3	36.0	33.7	50.2	3.3	13.3
मणिपुर	5.3	27.5	11.2	31.3	1.8	8.2
मेघालय	11.3	37.9	24.5	44.9	1.0	13.3
मिजोरम	5.0	27.7	13.9	34.6	2.8	10.2
नागालैंड	7.4	24.1	11.7	33.0	2.4	10.4
सिक्किम	4.2	20.6	9.7	31.7	0.8	4.8
पश्चिम						
गोवा	4.7	28.6	4.8	18.1	0.7	13.1
गुजरात	16.2	45.1	23.3	43.6	2.4	16.2
महाराष्ट्र	17.6	49.6	14.1	39.9	2.5	21.2
दक्षिण						
आन्ध्र प्रदेश	10.3	37.7	14.2	38.6	1.6	9.1
कर्नाटक	16.5	43.9	15.9	36.6	3.9	20.0
केरल	4.7	26.9	7.3	21.9	0.7	11.1
तमिलनाडु	10.6	36.7	12.0	29.4	3.8	19.9

टिप्पणी : प्रत्येक सूचक को इन्टरनेशनल रेफरेन्स पापुलेशन के मेडियन से स्टैण्डर्ड डिविएशन यूनिटों (एसडी) में व्यक्त किया गया है। इन्टरनेशनल रेफरेन्स पापुलेशन मेडियन से-3एसडी से कम वाले बच्चे शामिल हैं।

नैदानिक परीक्षण

2528. श्री विजय हान्दिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नयी दवाइयों के मूल उत्पादक देश में होने वाले परीक्षणों के साथ-साथ ही भारत में ऐसे परीक्षण करने की अनुमति देने हेतु नयी दवाइयों के नैदानिक परीक्षणों को शामिल करने संबंधी उपबंधों को संशोधित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'वाई' के मौजूदा उपबंध नैदानिक अनुसंधान के विकास में सहायक नहीं हैं क्योंकि वे सहयोग अनुसंधान और सहवर्ती बहु-केन्द्रिक नैदानिक परीक्षणों को बाधित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिक मंचों पर अनुसूची 'वाई' के उपबंधों को अद्यतन करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है जिससे नैदानिक परीक्षणों को संचालित करने वाली विनियमों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्यता मिल सके।

इस मामले पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड में चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची 'वाई' को संशोधित करने के प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाए। मौजूदा अनुसूची 'वाई' पर विशेषज्ञों और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा की जा रही है और समीक्षा की जा रही है।

भेषज निर्यात

2529. श्री रामरती बिन्द : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अनुचित किस्म के भेषज निर्यातों से संबंधित रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) निर्यात की गई औषधों की गुणवत्ता की अलग से जांच नहीं की जाती है। तथापि, भारत से औषधों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डी.जी.सी.आई.एस.) के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स एंड फाईन केमिकल्स के निर्यात में हुई वर्षवार वृद्धि इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपए
1998-99	6256.07
1999-2000	7230.16
2000-2001 (अनंतिम)	8729.89

(ग) औषधों की गुणवत्ता मूलभूत रूप से समग्र गुणवत्ता प्रबंधन नीतियों से जुड़ी है जो कि अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने पर निर्भर करती है। देश में प्रत्येक औषध निर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी विनिर्माण नीतियों की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11.12.2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 894(ई) के द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'एम' में संशोधन किया है।

जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र

2530. श्री राजैया मल्याला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र कहां-कहां हैं;

(ख) इन केन्द्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ग) क्या उनके कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिसर के विदेशों में 14 केन्द्र हैं और इनमें से तीन "जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र" के नाम से हैं। ये मास्को (रूस), जकार्ता (इंडोनेशिया), और लंदन (यू.के.) में स्थित हैं।

(ख) ये सांस्कृतिक केन्द्र अपने कार्यक्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए उत्तरदायी हैं। इन गतिविधियों में व्याख्यानों, दृश्य कलाओं की प्रदर्शनियां, निबंध प्रतियोगिताएं, नृत्य एवं संगीत, नाटकों का मंचन, भारतीय फिल्में दिखाना, संगोष्ठियां आदि आयोजित करना शामिल है। दो सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को और जकार्ता भारतीय

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, तबला, योग और हिन्दी में प्रशिक्षण और कक्षाएं चलते हैं। केन्द्र पुस्तकालय, वाचनालय, और दृश्य श्रव्य पुस्तकालय में सम्पोषित कर रहे हैं।

अपनी गतिविधियां आयोजित करने के अलावा ये सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक गतिविधियां समन्वित करने के लिए अपने-अपने भारतीय दूतावासों को भी सहायता उपलब्ध कराते हैं।

(ग) और (घ) परिषद, इन केन्द्रों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, इनकी गतिविधियों को लगातार प्रबोधन और पुनरीक्षा करती है। इस उद्देश्य के लिए परिषद ने इन केन्द्रों द्वारा अपनी गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट के लिए एक प्रणाली गठित की है। परिषद, इन देशों में दूतावास प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श कर इन केन्द्रों के कार्यों की विशेष पुनरीक्षा भी करती है।

वीजा मानदंडों को उदार बनाया जाना

2531. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री भीम दाहाल :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की हाल में हुई बैठक के दौरान व्यापारिक साझेदारों पर इस बात के लिए बल डाला गया कि वे भारतीय व्यवसायियों के लिए वीजा मानदंडों को उदार बनाएं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिनसे इस संबंध में अनुरोध किया गया तथा इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्मारक डाक टिकटें

2532. श्री दिनशा पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात के प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकों के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकटों की सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार को स्वर्गीय दूला भाया काग (कागबापू) के सम्मान में डाक टिकट जारी करने संबंधी एक सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति के सामने रखने के लिए प्रामाणिक जीवनवृत्त का विवरण एकत्र किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1999, 2000, 2001 तथा इस वर्ष आज तक गुजरात के प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर जारी डाक टिकटों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	व्यक्ति का नाम	जारी करने की तिथि
1.	1999	झावरचन्द कालीदास मेघानी	14.9.1999
2.	1999	छग्गन के. पारिख	9.10.1999
3.	1999	इन्दू लाल कन्हैया लाल याग्निक	9.12.1999
4.	2000	बलवन्त राय मेहता	17.2.2000
5.	2001	–	–
6.	2002 (आज तक)	–	–

मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि

2533. श्री वाई.वी. राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए सीटों की मांग और उपलब्धता में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्र सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। किसी राज्य में चिकित्सा जनशक्ति की आवश्यकता का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति संरचनात्मक सुविधाओं तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की उन पर सिफारिशों के प्राप्त होने पर निर्भर करती है।

कल्याणी अस्पताल में चिकित्सा उपचार

2534. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर कल्याणी अस्पताल, गुड़गांव (हरियाणा) को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थियों के लिए रेफरल अस्पताल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी इस अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं। कल्याणी अस्पताल गुड़गांव को के.स.स्वा. योजना के लाभभोगियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है जहां पर पैंशनर लाभभोगी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा सेवारत के.स.स्वा. योजना लाभभोगी संबंधित कार्यालय/विभाग की अनुमति/प्राप्त करने के बाद इलाज करा सकते हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य विभाग के 28.3.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस. 14025/7/2000-एम.एस. के अनुसार के.स.स्वा. योजना के तहत न आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले तथा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्दर आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के.स.स्वा. योजना के तहत मान्यताप्राप्त किसी भी प्राईवेट अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कल्याणी अस्पताल गुड़गांव में भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

यूटिलाइज्ड बल्क टर्मिनल को कंटेनर में बदलना

2535. श्री सुबोध मोहिते: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीओटी फारमेट का प्रयोग करके निजी क्षेत्र के सहयोग से यूटिलाइज्ड बल्क टर्मिनल को आईएलएचपी वाले कंटेनर टर्मिनल में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिक संघ इस अभियान का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान बल्क कार्गो ट्रैफिक में आयी कमी और जवाहर लाल नेहरू पत्तन में भविष्य में बल्क कार्गो ट्रैफिक में वृद्धि की परोक्ष संभावनाओं तथा भविष्य में कंटेनर ट्रैफिक में वृद्धि की व्यापक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन के मौजूदा बल्क टर्मिनल को, न कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आई एल एच पी को कंटेनर टर्मिनल से पुन: विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने सिद्धान्त रूप से बी ओ टी आधार पर बल्क टर्मिनल को पुन: विकसित करने का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) और (घ) श्रमिक संघ ने बल्क टर्मिनल को बीओटी आधार पर कंटेनर टर्मिनल में बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है। पत्तन सुविधाओं के विकास और प्रचालन में निजी पूंजी और

विशेषज्ञता को शामिल करने के उद्देश्य से पत्तन क्षेत्र में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना सरकार की उदारीकरण नीति का एक भाग है। इस संबंध में सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत परिकल्पना की गई है कि निजी सहभागिता की अनुमति देते समय मौजूदा श्रमिकों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

2536. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों में पोलियो के पूर्ण उन्मूलन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य द्वारा क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या देश के कुछ राज्यों में अभी भी पोलियो के विषाणु का संक्रमण जारी है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन करने हेतु उन राज्यों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सरकार का उद्देश्य 2005 तक देश से पोलियो का उन्मूलन करना और पोलियो मुक्त प्रमाण प्राप्त करना है। पोलियो मुक्त स्तर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। पोलियो के मामलों की संख्या 1998 में 1934 से कम होकर 1999 में 1126, 2000 में 265 और 2001 में 268 हो गई है। यद्यपि 2001 में पोलियो के मामलों की संख्या कमोबेश 2000 के बराबर ही रही तथापि, देश में पोलियो स्थानिकमारी वाले जिलों की संख्या 1998 में 314 से कम होकर 1999 में 192, 2000 में 89 और 2001 में 63 रह गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पोलियो के मामलों की राज्यवार संख्या विवरण में है। पोलियो मुख्यतया: अब उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानिकमारी के रूप में है जिनमें कुल 268 मामलों में से 2001 में क्रमश: 216 और 27 मामले है। कम संचरण वाले मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों और उन क्षेत्रों, जिनमें पोलियो के नए मामलों का पता लगाया गया हो, में मॉप-अप वैक्सीनेशन दौर शुरू किये जा रहे हैं।

सरकार ने चालू वर्ष के सर्दी के दौरान देशभर में दो राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में दो अतिरिक्त उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों की योजना बनाई है।

विवरण

1991 से 2001 तक राज्यवार पोलियो के मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	घातक पोलियो विषाणु		
		1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	0	0
2.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	0	1
5.	बिहार	123	50	27
6.	चंडीगढ़	2	1	0

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़	–	1	0
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
9.	दमण एवं दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	73	3	3
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	9	2	1
13.	हरियाणा	19	4	5
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
16.	झारखंड	–	–	2
17.	कर्नाटक	21	8	0
18.	केरल	0	1	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	17	2	0
21.	महाराष्ट्र	18	7	4
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	4	0	5
29.	राजस्थान	18	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	7	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	–	–	0
34.	उत्तर प्रदेश	773	179	216
35.	प. बंगाल	21	8	1
	योग	1126	265	268

हेपेटाइटिस-बी

2537. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई मिलियन लोग हेपेटाइटिस-बी के विषाणु से पीड़ित हैं और उनमें से अनेक लोगों को यकृत की गंभीर समस्या हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या हेपेटाइटिस-बी के टीके की कीमत घटाकर लगभग आधी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस टीके को सरकारी अस्पतालों विशेषकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभग्राहियों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) यद्यपि सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमान लगाया गया है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु चिरकालिक रूप से लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या को संक्रमित करता है। सरकार ने हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- उच्च जोखिम वाले केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के कार्मिकों को हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध रोग प्रतिरक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के उपाय करने का परामर्श दिया गया है;
- सभी रक्त बैंकों में रक्त के अनिवार्य परीक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन संबंधों को बढ़ावा देना;
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संक्रमित सिंरिजों और सुईयों के प्रयोग करने के खतरे के बारे में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, और
- प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग-अलग विसंक्रमित सिंरिजों और सुईयों का प्रयोग करने के लिए राज्य प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) सरकार हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का मूल्य नियत नहीं करती है।

(घ) से (च) उन मामलों में जहां हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने का खतरा होता है, किसी भी सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष के नुस्खे पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी परियोजना

2538. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माणी वाहिनी परियोजना' की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां राष्ट्रीय पुनर्निर्माणी वाहिनी परियोजना' क्रियान्वयनाधीन है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्णन): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना महाराष्ट्र के पांच जिलों नामत: मुम्बई, बीड़, जालना, सिन्धुदुर्ग तथा गढ़चिरौली में लागू की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए अमरावती जिले को भी इसमें जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के स्वयंसेवकों की सहभागिता के साथ, कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड में मजदूरी समझौता

2539. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के गैर-कार्यपालक कामगारों के साथ हुए समझौते को लागू करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी नहीं। कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है। बीएसएनएल में गैर-कार्यपालक कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें करने के बाद मजदूरी संबंधी करार पर 26 अप्रैल, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। 20.5.2002 को आयोजित बैठक में बीएसएनएल बोर्ड ने इसे अनुमोदित कर दिया और यह 29.5.2002 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज दिया गया। मंत्रालय में इस करार की जांच की जा रही है और इस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) द्वारा नये पोतों की प्राप्ति

2540. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) नये पोत प्राप्त कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किये जाने वाले निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) जी हां। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान छह नए बिल्डिंग जलयान प्राप्त करने/उनके निर्माण का क्रयादेश देने की योजना बनाई गई है जिन पर 428 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया जाना है जोकि जलयानों के निर्माण की अवधि अर्थात् 2-3 वर्षों में किया जाएगा।

चिकित्सीय परामर्श

2541. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई प्राधिकृत चिकित्सक 16 कि.मी. के दायरे में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सीय परामर्श देता है; और

(ख) यदि हां, तो सैक्टर 21, 22, 23, 23ए, पालम विहार, गुड़गांव के निवासियों को गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में चिकित्सा सुविधा न देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 2(क) के अनुसार अधिकृत चिकित्सीय परिचर की नियुक्ति उक्त नियम के उपाबंध क में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार की जाएगी जो अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट करता है कि अधिकृत चिकित्सा परिचर की सेवाएं विनिर्दिष्ट क्षेत्र के 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध होंगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव 21, 22, 23, 23ए और पालम विहार, गुड़गांव के क्षेत्रों सहित हुडा के सभी सेक्टरों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उक्त औषधालय गुड़गांव में ही डी.एल.एफ. और सुशांत लोक क्षेत्रों में रह रहे लाभार्थियों को भी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्र

2542. श्री अम्बरीश: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कस्बों/शहरों के राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित अस्पतालों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

(1) संजय गांधी एक्सीडेंट हास्पिटल एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर;

(2) के.आर. हास्पिटल, मैसूर और

(3) श्री जया चरमराजेन्द्र हास्पिटल, हासन

(ग) इन प्रस्तावों की जांच की गई है और कर्नाटक सरकार से कतिपय अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

समुद्रतटीय क्षेत्रों में भारी खनिजों के भंडार

2543. श्री बी.वी.एन. रेड्डी:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्रतटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल में भारी खनिजों के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय समुद्रतट के रेत में पाए जाने वाले भारी खनिजों का उपयोग केवल देश में ही किया जाता है या उनका निर्यात किया जाता है या दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक संघटक यूनिट है, ने पिछले पांच दशकों में, इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, मोनाजाइट आदि जैसे भारी खनिजों जोकि देश के तटीय क्षेत्रों में असंहत बालुका के रूप में पाए जाते हैं, का सर्वेक्षण, अन्वेषण और मूल्यांकन किया है। इन खनिजों का राज्य-वार वितरण निम्नानुसार है:

(मिलियन टनों में भंडार)

राज्य	इल्मेनाइट	रूटाइल	जर्कन	मोनाजाइट	गार्नेट	सिल्मेनाइट
केरल	95.51	6.61	6.45	1.35	1.19	39.07
तमिलनाडु	97.91	4.82	8.35	1.73	24.38	21.09
आंध्र प्रदेश	100.10	4.42	4.43	2.29	48.99	47.02
उड़ीसा	45.05	1.88	1.44	1.18	32.61	21.23

(ग) और (घ) पुलिन बालुका में से प्राप्त किए गए इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, सिल्मेनाइट और गार्नेट जैसे खनिजों के स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में, विभिन्न उद्योगों जैसे कि पेंट, फाउंडरी, नाभिकीय रिएक्टरों में इलैक्ट्रोडों की वैल्डिंग, कैलेंड्रिया/ शीतलक ट्यूबें और ईंधन ट्यूबें, अपघर्षक आदि में, विविध अनुप्रयोग होते हैं।

प्रत्यर्पण संधि

2544. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन यूरोपीय देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत सरकार ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या उन देशों के साथ कोई वार्ता की गई है जिनके साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स, रूस, स्विटजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और स्पेन के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) फ्रांस और पोलैण्ड के साथ प्रत्यर्पण संधियों के पाठ को सरकारी स्तर पर अंतिम रूप दे दिया गया है। बुल्गारिया और इटली के साथ प्रस्तावित संधियां प्रारंभिक अवस्था में हैं।

सरकारी कर्मचारी का निलंबन

2545. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने यह सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकारी कर्मचारी को निलंबित किए जाने पर केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को 24 घंटे के अन्दर सूचित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने मार्च, 2002 में यह सुझाया था कि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आधार पर निलंबित किए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा उससे (केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से) परामर्श किया जाए। केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने यह बताया था कि वह तीन कार्य-दिवसों के भीतर यह दर्शाते हुए अपनी सलाह दे देगा कि क्या प्रस्तावित निलंबन न्यायसंगत है या नहीं और यदि तीन कार्य-दिवसों के भीतर, उससे (उपुर्यक्त आयोग से) कोई भी उत्तर नहीं मिले तो यह माना जा सकता है कि कर्मचारी को निलंबित किये जाने के प्रति उसे (उपर्युक्त आयोग को) कोई भी आपत्ति नहीं है। जिन मामलों में कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाना हो, उनके बारे में उपर्युक्त आयोग ने यह सुझाया था कि कर्मचारी को निलंबित किए जाने के 24 घंटों के भीतर ही ऐसा मामला उसे उसकी सलाह हेतु भेज दिया जाए और यदि वह (उपर्युक्त आयोग) कर्मचारी के निलंबन के प्रति सहमत नहीं हो तो, उसे बहाल कर दिया जाए।

(ग) उपर्युक्त आयोग के उपर्युक्त सुझाव पर संगत नियमों के आलोक में विचार किया गया और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भी तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का पुनर्गठन

2546. श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (आईएसएम एंड एच) सेवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्यक्रम/परियोजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। तथापि, भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में कुछ नीति निर्धारण समाविष्ट हैं जिनका देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी में सुधार करने पर प्रभाव पड़ता है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) 10वीं योजना के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर कार्य दल ने कुछ स्कीमें अनुमोदित की हैं जिनसे भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी सेवाओं में वृद्धि होगी। ये निम्नलिखित हैं: जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की शाखा खोलना, आधुनिक अस्पतालों में विशेषज्ञ क्लीनिक/थिरेपी, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधालयों को औषधियों की आपूर्ति।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में दिए गए नीतिगत निर्धारण जिनका देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी में सुधार लाने पर प्रभाव पड़ता है:

(1) सरकारी अंशदान को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 0.9 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 5.2 से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक करना।

(2) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रावधान में विभिन्न तरह की असमानताओं और असंतुलनों को कम करने हेतु प्राथमिक क्षेत्र के क्षेत्रीय परिव्यय को बढ़ाकर कुल जनस्वास्थ्य निवेश को 55 प्रतिशत तक करना।

(3) सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक एकल क्षेत्रीय प्रशासन के अधीन क्रमिक विलय, तथापि, क्षयरोग, मलेरिया, एच.आई.वी./एड्स जैसे बड़े रोगों के नियंत्रण के लिए शीर्ष कार्यक्रमों तथा प्रजनन व बाल स्वास्थ्य एवं व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को तब तक जारी रखना जब तक व्याप्तता का मध्यम स्तर हासिल न हो जाए।

(4) वर्ष 2005 तक विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में विकेन्द्रीकरण।

(5) विकेन्द्रीकृत पद्धति के जरिए केन्द्रीय सरकार के वित्तपोषण के अधीन अनिवार्य औषधें प्रदान करके प्राथमिक स्वास्थ्य पद्धति को फिर से चालू करना।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2547. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री सुबोध राय:
श्री जसवंतसिंह यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या विवरण-I पर दी गई है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पूर्ववर्ती न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम) तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत धन प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/ बुनियादी न्यूनतम सेवा तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए धन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की जा चुकी है। हाल ही में, असम (382.16 करोड़ रुपए), राजस्थान (338.22 करोड़ रुपए) तथा तमिलनाडु (650.00 करोड़ रुपए) राज्यों के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष पेश किए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण I

देश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1386	219
2.	अरुणाचल प्रदेश	65	20
3.	असम	610	100
4.	बिहार	1648	101
5.	झारखण्ड	512	114
6.	गोवा	19	5
7.	गुजरात	1001	242
8.	हरियाणा	401	64
9.	हिमाचल प्रदेश	302	65
10.	जम्मू और कश्मीर	337	53
11.	झारखण्ड	561	47
12.	कर्नाटक	1676	249
13.	केरल	944	105
14.	मध्य प्रदेश	1178	228
15.	महाराष्ट्र	1768	351
16.	मणिपुर	69	16
17.	मेघालय	85	13

1	2	3	4
18.	मिजोरम	58	9
19.	नागालैंड	46	9
20.	उड़ीसा	1352	157
21.	पंजाब	484	105
22.	राजस्थान	1674	263
23.	सिक्किम	24	2
24.	तमिलनाडु	1436	72
25.	त्रिपुरा	58	11
26.	उत्तरांचल	257	23
27.	उत्तर प्रदेश	3551	287
28.	पश्चिम बंगाल	1262	99
29.	अं. और निको. द्वी. समूह	18	4
30.	चंडीगढ़	0	1
31.	दादरा एवं नगर हवेली	6	1
32.	दमण और दीव	3	1
33.	दिल्ली	8	0
34.	लक्षद्वीप	4	3
35.	पांडिचेरी	39	4
	अखिल भारत	22842	3043

आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया धन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-00 विमुक्ति	2000-01 विमुक्ति	2001-02 विमुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,961.98	1,662.15	2,027.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	155.24	175.72	136.26
3.	असम	727.83	474.86	1,198.53
4.	बिहार	1,385.88	2,711.64	1,678.45
5.	झारखण्ड	0.00	37.00	450.35
6.	गोवा	41.11	10.40	23.08
7.	गुजरात	726.28	983.39	7,439.26
8.	हरियाणा	895.38	1,664.30	1,225.25
9.	हिमाचल प्रदेश	312.48	427.02	277.80
10.	जम्मू और कश्मीर	346.54	555.39	342.30

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	537.58	1,671.15	1,188.66
12.	केरल	764.87	1,217.74	769.03
13.	मध्य प्रदेश	1,836.42	3,553.34	1,297.96
14.	छत्तीसगढ़	0.00	314.10	845.07
15.	महाराष्ट्र	1,403.87	1,256.71	1,927.91
16.	मणिपुर	500.98	421.71	661.86
17.	मेघालय	107.84	65.64	129.28
18.	मिजोरम	563.80	729.58	728.70
19.	नागालैंड	145.78	146.96	117.51
20.	उड़ीसा	1,132.50	1,524.79	1,871.77
21.	पंजाब	426.26	686.25	617.63
22.	राजस्थान	1,255.65	2,313.58	2,960.59
23.	सिक्किम	51.60	43.07	58.30
24.	तमिलनाडु	1,475.36	2,373.39	542.27
25.	त्रिपुरा	255.43	166.18	447.87
26.	उत्तर प्रदेश	3,990.12	4,654.45	7,236.00
27.	उत्तरांचल	0.00	208.59	417.98
28.	पश्चिम बंगाल	1,455.89	2,073.46	1,933.32
29.	अं. और निको. द्वी. समूह	33.57	31.04	36.26
30.	चंडीगढ़	43.07	117.61	24.20
31.	दादरा एवं नगर हवेली	26.43	3.88	15.02
32.	दमण और दीव	32.05	4.87	9.66
33.	दिल्ली	127.31	311.22	298.60
34.	लक्षद्वीप	28.72	21.44	12.42
35.	पांडिचेरी	49.28	21.79	22.58
	कुल	22,797.09	32,634.40	38,969.46

आंकड़े अनंतिम हैं

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी)/बी एम एस कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया धन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000 (एम एन पी/बी एम एस)	2000-2001 (पी एम जी वाई)	2001-2002 (पी एम जी वाई)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1197.00	2841.90	2841.00
अरुणाचल प्रदेश	998.00	1022.56	1231.00
असम	4534.00	2693.56	4011.00
बिहार	10800.00	2154.37	2457.90
छत्तीसगढ़	–	471.00	351.71
गोवा	106.55	11.70	11.70
गुजरात	11342.82	485.92	725.60
हरियाणा	2700.00	251.70	398.45
हिमाचल प्रदेश	3319.83	1334.15	1596.40
जम्मू और कश्मीर	6312.79	1286.85	4164.00
झारखण्ड	–	1016.85	759.20
कर्नाटक	17200.25	1126.94	1300.00
केरल	607.00	1036.20	800.00
मध्य प्रदेश	4056.69	1235.55	1460.62
महाराष्ट्र	6856.93	1486.94	1344.42
मणिपुर	550.00	728.40	900.00
मेघालय	2329.00	608.86	854.90
मिजोरम	1830.00	303.08	1054.15
नागालैंड	1139.00	616.96	575.90
उड़ीसा	4127.72	1478.26	1103.80
पंजाब	2458.00	606.00	452.50
राजस्थान	9656.00	1446.00	1646.00
सिक्किम	540.05	421.65	650.00

1	2	3	4
तमिलनाडु	2442.99	1571.84	2173.60
त्रिपुरा	630.00	762.44	920.00
उत्तर प्रदेश	15413.57	3526.25	5651.00
उत्तरांचल		188.40	140.70
पश्चिम बंगाल	3246.00	2517.30	2518.00
कुल		38231.63	42093.55
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5525.00	आवंटन नहीं	180.00
पांडिचेरी	453.00	71.55	72.09
अं. और निको. द्वी. समूह	956.00	275.00	237.50
चंडीगढ़	250.50	आवंटन नहीं	128.25
दादरा एवं नगर हवेली	121.45	आवंटन नहीं	14.80
लक्षद्वीप	141.09	आवंटन नहीं	19.80
दमण और दीव	128.00	आवंटन नहीं	12.00
कुल		346.55	664.44

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या

2548. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987-88 और 2001-2002 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) वर्ष 1987-88 और 2001-2002 में गरीबी का मानदंड क्या था; और

(ग) दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में गरीबी उपशमन के कौन-कौन से लक्ष्य रखे गये थे?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्ष के अन्तराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। ऐसा नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 (एनएसएस का 55वां दौर) में कराया गया था। वर्ष 1987-88 और वर्ष 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) योजना आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय को मानदण्ड के रूप में अपनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति उपभोग को वर्ष 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु. प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु. प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कि. कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कि. कैलोरी की कैलोरी आवश्यकता के मानदण्ड के आधार पर मद समूह तथा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुरूप है। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का अनुमान राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकों तथा अंतर्राज्यीय मूल्य विभेदकों का उपभोग करते हुए, राष्ट्र स्तर गरीबी रेखाओं से लगाया जाता है। वर्ष

1987-88 और वर्ष 1999-2000 की राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अपने दृष्टिकोण पत्र में दसवीं योजना के मॉनीटर किये जाने योग्य लक्ष्यों में वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात में 5 प्रतिशत प्वाइंट की कमी तथा वर्ष 2012 तक 15 प्रतिशत प्वाइंट की कमी लाने का प्रस्ताव किया है।

विवरण I

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनंसख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	1987-88	1999-2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25.86	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.22	33.47
3.	असम	36.21	36.09
4.	बिहार	52.13	42.60
5.	गोवा	24.52	4.40
6.	गुजरात	31.54	14.07
7.	हरियाणा	16.64	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	15.45	7.63
9.	जम्मू और कश्मीर	23.82	3.48
10.	कर्नाटक	37.53	20.04
11.	केरल	31.79	12.72
12.	मध्य प्रदेश	43.07	37.43
13.	महाराष्ट्र	40.41	25.02
14.	मणिपुर	31.35	28.54
15.	मेघालय	33.92	33.87
16.	मिजोरम	27.52	19.47
17.	नागालैण्ड	34.43	32.67
18.	उड़ीसा	55.58	47.15
19.	पंजाब	13.20	6.16
20.	राजस्थान	35.15	15.28
21.	सिक्किम	36.06	36.55
22.	तमिलनाडु	43.39	21.12
23.	त्रिपुरा	35.23	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	41.46	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	44.72	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.89	20.99
27.	चंडीगढ़	14.67	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	67.11	17.14
29.	दमन और द्वीव	–	4.44
30.	दिल्ली	12.41	8.23
31.	लक्षद्वीप	34.95	15.60
32.	पांडिचेरी	41.46	21.67
	अखिल भारत	38.86	26.10

विवरण II

राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं
(रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह)

क्र.सं.	राज्य	1987-88		1999-2000	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	91.94	151.88	262.94	457.40
2.	असम	127.44	126.60	365.43	343.99

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	120.36	150.25	333.07	379.78
4.	गुजरात	115.00	173.18	318.94	474.41
5.	हरियाणा	122.90	143.22	362.81	420.20
6.	हिमाचल प्रदेश	122.90	144.10	362.81	420.20
7.	कर्नाटक	104.46	171.18	309.59	511.44
8.	केरल	130.61	163.29	374.79	477.06
9.	मध्य प्रदेश	107.00	178.35	311.34	481.65
10.	महाराष्ट्र	115.61	189.17	318.63	539.71
11.	उड़ीसा	121.42	165.40	323.92	473.12
12.	पंजाब	122.90	144.98	362.68	388.15
13.	राजस्थान	117.52	165.82	344.03	465.92
14.	तमिलनाडु	118.23	165.82	307.64	475.60
15.	उत्तर प्रदेश	114.57	154.15	336.88	416.29
16.	पश्चिम बंगाल	129.21	149.96	350.17	409.22
17.	दिल्ली	122.90	176.91	362.68	505.45
	अखिल भारत	115.20	162.16	327.56	454.11

दक्षेस हेतु आर्थिक कार्यसूची

2549. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षेस राष्ट्रों के लिए कोई विशिष्ट आर्थिक कार्यसूची प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार 1985 में सार्क के प्रारंभ होने से ही आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल देती रही है। 1993 में सार्क सदस्य देशों द्वारा जिस व्यापार के संवर्द्धन से सम्बद्ध संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह भारत द्वारा तैयार किया गया था। दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार समझौते के अधीन भारत ने सार्क सदस्य देशों को व्यापार की 2565 मदों को सीमा शुल्क रियायत प्रदान की है। भारत, अन्य व्यापार सुविधा उपाय निकालने में भी नेतृत्व कर रहा हैं। हम, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार को शीघ्र अंतिम रूप देने और अन्तत: लंबी अवधि के लक्ष्य के रूप में एक दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ की स्थापना के लिए उत्सुक हैं। भारत, सार्क देशों में भारतीय व्यापारियों द्वारा निवेश को भी प्रोत्साहित करता है।

चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति

2550. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और फिनलैंड सरकार के बीच उच्च-तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिनलैंड सरकार कर्नाटक में सरकारी अध्ययन अस्पतालों को उच्च-तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आपूर्ति किये जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की लागत क्या है; और

(ङ) उन अध्यापन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इन उपकरणों की आपूर्ति किया जाना शेष हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद करने हेतु फिनलैंड सरकार से उदार शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त हुआ एक प्रस्ताव दिसम्बर, 2000 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

दूरसंचार स्विच निर्माता

2551. श्री पी.सी. थामस: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) प्रौद्योगिकी घरेलू दूरसंचार स्विच निर्माताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) यह आशंका सही नहीं है कि डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी घरेलू दूरसंचार स्विच निर्माताओं के लिए खतरा पैदा कर रही है। वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का उपयोग एक्सेस नेटवर्क में उपभोक्ताओं को ''लास्ट माइल कनेक्टिविटी'' प्रदान करने के लिए किया जाता है और यह वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क का एक विकल्प है। एक्सेस नेटवर्क कॉल पूरी करने, तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए स्विच से जुड़ा होता है और इस प्रकार इसका अलग अनुप्रयोग क्षेत्र है। अत: डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से घरेलू दूरसंचार स्विच निर्माताओं को किसी खतरे की कोई आशंका दिखाई नहीं देती।

एम्स में नियुक्ति

2552. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2002 के 'द हिन्दू' में 'पेशेन्ट केअर सफर्स डयू टू एम्स पालिसी' प्रकाशित शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां केवल तदर्थ आधार पर की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रोफेसरों के पदों को स्वीकृत पदों की संख्या के अनुरूप नहीं भरा जाता है जिसके कारण रोगियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) यह सच नहीं है कि इस संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के पद पर नियुक्ति के अभाव में रोगी परिचर्या सेवाओं में दिक्कतें आ रही हैं। संकाय के पदों में आरक्षण के मामले पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संकाय द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका पर दिनांक 15.11.1994 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्तरिम आदेशों के कारण इस संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति का सहारा लेना पड़ा। इस समय करीब 135 सहायक प्रोफेसर तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.11.2001 को निर्णय दिया है और माननीय न्यायालय के निदेशानुसार, नियमित नियुक्ति करने के लिए विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों को सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण के साथ विज्ञापित कर दिया गया है। इन पदों के चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इस संस्थान में प्रोफेसर के 110 पद हैं जिनमें से प्रोफेसर के सिर्फ 11 पद रिक्त हैं। नियमित नियुक्तियां करने हेतु भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार प्रणाली के उन्नयन हेतु आवंटित धनराशि

2553. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार प्रणाली के उन्नयन हेतु अब तक वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) दूरभाष उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई शिकायतों को दूर करने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार प्रणाली के उन्नयन पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	डी.ओ.टी.	बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.	जोड़
1.	1999-2000	12562.58	–	958.75	13521.33
2.	2000-2001	8629.74*	9136.94#	838.47	18605.15
3.	2001-2002	–	12231.00##	977.66	13208.66
4.	2002-2003	–	3440.00***	65.89**	3505.89

*14.4.2000 से 30.9.2000 तक व्यय। दूरसंचार सेवा/दूरसंचार प्रचालन विभाग का निगमीकरण हो गया और 1.10.2000 से बीएसएनएल का गठन हुआ।

#1.10.2000 से 31.3.2001 तक व्यय।

##अनंतिम व्यय। लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**1.4.2002 से 30.6.2002 तक व्यय।

***25.7.2002 तक अनुमानित व्यय।

विवरण II

टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

(1) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोष मरम्मत की मॉनिटरिंग और वे जनता को आसानी से उपलब्ध होते हैं।

(2) दोषों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(3) कुछ शहरों में दोषों को शीघ्र संप्रेषित करने के लिए लाइन स्टाफ को पेजर प्रदान करना।

(4) मियाद समाप्त टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(5) बाह्य संयंत्र का पुनरुद्धार/उन्नयन।

(6) उपभोक्ताओं के परिसर तक केबल नेटवर्क को कम करने के लिए अधिक से अधिक रिमोट लाइन यूनिटों की शुरुआत करना क्योंकि केबलें ही दोष दर में वृद्धि का प्रमुख कारण होती हैं।

(7) भूमिगत केबल की आवश्यकता समाप्त करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप, डिजिटल लाइन कंसेंट्रेटर आदि नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना।

(8) सतर्कता और जन-शिकायत कक्षों का कार्य करना.

[अनुवाद]

बंगलौर में निमहान्स अस्पताल

2554. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बंगलौर में सिमहान्स अस्पताल में कुल व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों से निमहान्स अस्पताल के शत-प्रतिशत अनुदान के अनुरोध हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा किए गए कुल व्यय में से, उस धनराशि का क्रमश: 67% और 69% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में जारी किया गया था। बाकी का वहन कर्नाटक राज्य सरकार से अनुदान के रूप में तथा आंतरिक संसाधनों से किया जाता है।

सरकार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को शत-प्रतिशत अनुदान देने के लिए संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

2555. श्री के. येरननायडू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए 3000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए 3000 करोड़ रुपये के मुक्त अनुदान पैकेज की मांग की है।

(ग) वित्तीय संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु के लिए 3000 करोड़ रुपये के पैकेज के संबंध में, वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए सिफारिश की गई योजना से भिन्न सहायता के लिए नए मार्ग खोलना संभव नहीं होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था की वर्तमान मंद गति ने राज्य तथा संघ दोनों को समान रूप से प्रभावित किया है। अत: केन्द्र के लिए अनुदान के रूप में कोई अतिरिक्त सहायता देना व्यावहारिक नहीं है।

दूरसंचार सेवा सुविधाएं

2556. श्री सानछुमा खुगुर बैसीमुथियारी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत-भूटान सीमा तक फैले पिछड़े और सुदूरवर्ती बोड़ो जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दूरसंचार कनैक्टिविटी के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा सृजित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। बोडो जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित अवसंरचना की योजना बनायी गयी है:

(1) बोराबाजार, सेरफंगुड़ी और कचुगांव में एक्सचेंजों को चालू करना।

(2) वर्ष 2002-2003 के दौरान गोएलपाड़ा-कूचबिहार के बीच डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली (6 गीगाहर्टज) चालू करना।

(3) वर्ष 2002-2003 के दौरान कूच बिहार तथा गुवाहाटी के बीच अति उच्च क्षमता (एसटीएम-16) वाली ऑप्टीकल फाइबर प्रणाली चालू करना जिससे असम के बाड़पेटा, बोंगईगांव तथा कोकराझार जिलों को दूरसंचार सेवा मिल सके।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

2557. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा डाक संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) डाक विभाग पर डाक सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व है। विभाग के प्रचालन-कार्यों में सुदार करने एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए सुसंगत प्रौद्योगिकीय विकास का उपयोग किया जा रहा है। नई सेवाओं के डिजाइन की अवधारणा एवं विभाग को उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करने में सहायता देने के लिए एक स्थायी समिति है। इस समिति में शैक्षणिक/वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एन.पी.टी.) द्वारा कंटेनरों की सम्भलाई

2558. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एन.पी.टी.) द्वारा हैंडल किये जाने वाले कंटेनरों की संख्या में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एन.पी.टी.) में कम पोत रुके थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पोत वणिकों ने पत्तन पर कंटेनरों को हैंडल करने में कतिपय समस्याओं और विलंब का उल्लेख किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) अगले दो वर्षों में पत्तन पर यातायात की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरनावुकरसर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) रेल कंटेनरों की हैंडलिंग (भराई और उतराई) में विलंब हुआ था। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में सेवा स्तरों में सुधार लाने के लिए आई सी डी रेल कंटेरनों को हैंडल करने हेतु दिनांक 14 जुलाई, 2002 से दो अतिरिक्त रेल लाइनों 6 और 8 पर प्रचालन शुरू करने की व्यवस्था की गई थी। इस पत्तन पर लम्बित आई सी डी कंटेनरों की निकासी करने के लिए और आई सी डी यात्राओं के आवागमन समय में सुधार लाने के लिए किराया आधार पर अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग उपस्कर जुटाया गया है।

(छ) जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर चालू वर्ष और अगले दो वर्षों के लिए यातायात संबंधी पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) (आंकड़े टीईयू-बीस फुट समकक्ष यूनिटों में)	न्हावा शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) (निजी टर्मिनल) (आंकड़े टीईयू-बीस फुट समकक्ष यूनिटों में)
2002-03	7,00,000	10,30,000
2003-04	8,90,000	10,30,000
2004-05	10,00,000	10,30,000

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2559. श्री सुबोध राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से उनके राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डिजीटल डी.एन.ए. पार्क

2560. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाई-एंड जेनोमिक्स, बायो इनफोरमैटिक्स, प्रोटेओमिक्स और चैमिनफोरेटिक्स आदि के विकास के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और नेटवर्किंग अवसंरचना में भारी कमी की समस्या को दूर करने हेतु डिजीटल डी.एन.ए. पार्क की स्थापना के लिए कोई संकल्पना पत्र तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद को बढ़ावा

2561. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने की दृष्टि से, सरकार ग्रामीण खेल कार्यक्रम'' की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, चयनित खेल विधाओं में ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं। राज्य स्तरीय खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को प्रति खेल विधा 30,000 रुपये की दर से तथा संघ शासित क्षेत्र स्तरीय खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रति खेल विधा 15,000 रुपये की दर से वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से, ब्लाक तथा जिला स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं। यह योजना भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वी राज्यों के अन्यथा उपेक्षित क्षेत्रों में खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए तथा वहां छिपी हुई प्रचुर प्रतिभा का पता लगाने के लिए, सरकार प्रतिवर्ष उत्तर-पूर्वी खेल महोत्सव के आयोजन के लिए इस योजना के एक घटक को कार्यान्वित कर रही है।

(ग) चालू वर्ष के लिए 125 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

डाकघर बचत बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं

2562. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेटवर्क, खातों और वार्षिक जमा के संदर्भ में डाकघर बचत बैंक देश में सबसे बड़ा बैंक है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाकघर बचत बैंक ने निजी क्षेत्र के सहयोग से अनेक नई वित्तीय सेवाओं की शुरुआत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नई योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां, नेटवर्क, लेखा और वार्षिक जमा के लिहाज से डाकघर बचत बैंक देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) डाक विभाग ने निजी क्षेत्र के सहयोग अनेक नई वित्तीय सेवाएं शुरू की हैं। इन नई वित्तीय सेवाओं का उद्देश्य

आम आदमी और कॉरपोरेट क्षेत्र को आधुनिक वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभाग के लिए राजस्व अर्जित करना भी है। योजनावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

नई वित्तीय सेवाओं का योजनावार ब्यौरा

* अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण सेवा: वेस्टर्न यूनियन के सहयोग से परिचालित यह सेवा ग्राहकों को 190 से अधिक देशों से प्रेषित धन रीयल टाइम आधार पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा अप्रैल 2001 में आरंभ की गई और इस समय यह 1000 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। यह सेवा विशेषकर प्रवासी भारतीयों को धनराशि तुरंत घर भेजने में सहायता प्रदान करती है।

* म्यूचुअल फंड व प्रतिभूति वितरण फरवरी 2001 से लगभग 200 डाकघरों के बढ़ते हुए नेटवर्क द्वारा चुनिंदा म्यूचुअल फंडों और बॉण्डों का वितरण हो रहा है। यह सेवा देश के पूंजी बाजार की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ आम आदमी को बाजार आधारित निवेश विकल्प भी आसानी से उपलब्ध कराती है।

* इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण सेवा: अक्तूबर 2001 में शुरु हुई यह सेवा विभाग के वीसैट नेटवर्क का उपयोग करके कॉरपोरेट क्षेत्र और पूंजी बाजार की ओर से बैंकों द्वारा एंड-टू-एंड अंतरण सुविधा उपलब्ध कराती है।

* वारंट भुगतान योजना: डाकघर देशभर में वारंट जारी करने और इनके भुगतान की सुविधा सिंगल विंडों पर उपलब्ध कराते हैं।

गांवों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2563. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में 30% से ज्यादा गांवों में अभी तक कोई डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इन गांवों में ये सुविधायें प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन गांवों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी हां। देश में 77.24% गांवों में डाकघर नहीं है लेकिन देश के सभी गांवों में डाक-टिकटों एवं डाक-लेखन सामग्री की बिक्री, डाक संग्रहण एवं वितरण की बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। देश में 82.28% गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) डाक नेटवर्क का विस्तार एक योजना कार्यकलाप है तथा डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने एवं अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में 250 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 25 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां तक दूरसंचार सुविधाओं का संबंध है, सरकार से निधि की उपलब्धता एवं उपस्कर की समय पर आपूर्ति के आधार पर बसे हुए शेष सभी गांवों में 2002 तक ये सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन प्रयासों को निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (पीबीएसओ) द्वारा सम्पूर्ण किया जाना है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2564. योगी आदित्यनाथ:
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री वाई.जी. महाजन:
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किये गये कार्यों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत सफलता हासिल हुई है;

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में जनसंख्या विस्फोट को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पिछले उपलब्ध तीन वर्षों के लिए अशोधित जन्म दर और शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

* 21-20 की जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या पर)

* 45-40 की शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

* प्रजनन और बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत और व्यापक कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन के मामले शामिल हैं।

* जिला/जिला स्तर से नीचे एकीकृत सेवा प्रदानगी के प्रावधान के माध्यम से गर्भनिरोधनों की पूरी नहीं हुई आवश्यकताओं को पूरा करना।

* छोटे परिवार के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

* कमजोर राज्यों/जिलों में अतिरिक्त निवेश का प्रावधान।

विवरण

अशोधित जन्म दर और शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीबीआर			आईएमआर		
		1998	1999	2000*	1998	1999	2000*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22.4	21.7	21.3	66	66	65
2.	असम	27.9	27.0	26.9	76	76	75
3.	बिहार	31.1	30.4	31.9	67	63	62
4.	गुजरात	25.5	25.4	25.2	64	63	62
5.	हरियाणा	27.6	26.8	26.9	70	68	67
6.	कर्नाटक	22.0	22.3	22.0	58	58	57
7.	केरल	18.3	18.0	17.9	16	14	14
8.	मध्य प्रदेश	30.7	30.7	31.2	98	90	88
9.	महाराष्ट्र	22.5	21.1	20.9	49	48	48
10.	उड़ीसा	25.7	24.1	24.3	98	97	96
11.	पंजाब	22.4	21.5	21.5	54	53	52

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	31.6	31.1	31.2	83	81	79
13.	तमिलनाडु	19.2	19.3	19.2	53	52	51
14.	उत्तर प्रदेश	32.4	32.1	32.8	85	84	83
15.	पश्चिम बंगाल	21.3	20.7	20.6	53	52	51
16.	अरुणाचल प्रदेश	22.5	22.3	22.3	44	43	44
17.	छत्तीसगढ़	28.7	26.9	26.7	94	78	79
18.	दिल्ली	19.4	20.3	20.3	36	31	32
19.	गोवा	14.3	14.3	14.3	23	21	23
20.	हिमाचल प्रदेश	22.6	23.8	22.1	64	62	60
21.	जम्मू व कश्मीर	19.9	20.9	19.6	45	52	50
22.	झारखंड	26.9	26.3	26.5	62	71	70
23.	मणिपुर	19.0	18.6	18.3	25	25	23
24.	मेघालय	29.2	28.7	28.5	52	58	58
25.	मिजोरम	15.8	17.0	16.9	23	19	21
26.	नागालैंड	11.9	11.8	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	20.9	21.6	21.8	52	49	49
28.	त्रिपुरा	17.6	17.0	16.5	49	42	41
29.	उत्तरांचल	23.6	19.6	20.2	58	52	50
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17.7	18.1	19.1	30	25	23
31.	चण्डीगढ़	17.9	17.9	17.5	32	28	28
32.	दादरा और नगर हवेली	34.1	34.2	34.9	61	56	58
33.	दमण और दीव	21.7	26.9	23.7	51	35	48
34.	लक्षद्वीप	23.0	25.1	26.1	26	32	27
35.	पांडिचेरी	18.2	17.7	17.8	21	22	23
	अखिल भारतीय	26.5	26.1	25.8	72	70	68

*अनंतिम

स्रोत: एनआरएस

[अनुवाद]

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं

2565. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिलों और उप-जिलों के अस्पतालों की स्थिति में सुधार हेतु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे देश में जिलों और उप-जिलों के अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार के पास राज्यों को राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजनाएं बनाने के लिए सहायता देने हेतु कोई स्कीम नहीं है। तथापि, राज्यों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता के लिए योजना आयोग अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्पर्क बनाया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार के लिए जनवरी 1999 से 6 वर्षों की अवधि के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति में कार्य कुशलता को सुधारना है। विश्व बैंक द्वारा दी जा रही कुल सहायता 134 मिलियन अमरीकी डालर है। पिछले 3 वर्षों के लिए वितरण इस प्रकार है:

1999-2000	शून्य
2000-2001	1.22 मिलियन डालर
2001-2002	9.60 मिलियन डालर

(ग) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और इसलिए जिला और उप-जिला अस्पतालों की स्थितियों को सुधारने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। तथापि, राज्य सरकारों को विश्व बैंक सहायता के लिए स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक ऐसी परियोजनाएं सात राज्यों; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं।

विद्यालय स्तर पर कोचिंग की सुविधाएं

2566. श्री सुनील खां: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग की सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं। खेल राज्य का विषय है और मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों में टेली-मेडिसन सुविधा

2567. डा. अशोक पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जी.बी. पंत हास्पिटल, पोर्ट ब्लेयर और सर रामचन्द्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर एंड होस्पीटल, चेन्नई को टेली-मेडिसन सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य बड़े अस्पतालों में टेली-मेडिसीन सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग ने सूचित किया है उपग्रह के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या ग्रामीण, दूरवर्ती और समुद्र तट से परे द्वीपसमूह तक पहुंचाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) की दूर चिकित्सा प्रायोगिक परियोजना के अधीन जी.बी. पन्त अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और श्री रामचन्द्र मेडिकल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई के बीच दूर चिकित्सा संबद्धता प्रदान की गई है।

दूर चिकित्सा पद्धति में आवश्यकतानुसार बनवाए गए चिकित्सा साफ्टवेयर के साथ एकीकृत कम्प्यूटर हार्डवेयर और चिकित्सीय नैदानिक उपकरण को प्रत्येक रोगी स्थल (पोर्ट ब्लेयर) और विशेषज्ञ डाक्टरों (चेन्नई) से वी.एस.ए.टी. से सम्बद्ध किया गया है और इनसेट उपग्रह के जरिए जोड़ा गया है। सामान्य तौर पर रोगी का चिकित्सीय रिकार्ड/हिस्ट्री (पूर्ववृत्त) विशेषज्ञ डाक्टरों को भेजा जाता है जो आगे उसका अध्ययन करते हैं, निदान करते हैं और रोगी के साथ वीडियो-सम्मेलन के दौरान उपचार प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटी वाली औषधियां

2568. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न जड़ी-बूटियों का पता लगाया है और उनके सत् के संपाक तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान शुरू की गई नई जड़ी-बूटी वाली औषधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) (1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) ने 63 आयुर्वेदिक संपाकों पर काम किया है तथा विभिन्न रोगों के रोगियों पर उनका परीक्षण किया है। इससे 11 मामलों में सफलता मिली। एंटी-गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर के नए योग पर पूर्व-निदान परीक्षण चल रहे हैं।

(2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) ने हल्के मधुमेह रोग में नैदानिक परीक्षण करने के लिए विजयसार (टेरोकार्पस मार्सुपियन) की काष्ठमज्जा से तैयार योगों का उपयोग किया है।

(3) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) लखनऊ ने घाव भरने के लिए मंडूकपर्णी (सैंटेला एसियाटिका), तनावरोधी सक्रियता के लिए हरीतकी (टर्मिलेनिया चेबुला), जिंकोबाइलोवा तथा पैनस से नए योगों के निर्माणार्थ पादप चिन्हित किए हैं। इसी प्रकार पिक्टराइजा कुर्रा से निर्मित एक ग्लाइकोसाइड, पिक्टोलिव यकृत रक्षक उत्पाद के रूप में विकसित किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत डाकघर

2569. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश में पांच डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

(ख) इस पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(ग) परियोजना का पूरा होना समय पर धन की उपलब्धता, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और आवश्यक हार्डवेयर प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

2570. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत कुछ महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने हेतु किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में गुजरात से जिले-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो सरकार के समक्ष लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) इस समय गुजरात में पीसीओ आबंटन के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए पीसीओ की संख्या

क्र.सं.	यूनिट का नाम	2000-2001	2001-02
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	92	204
2.	आंध्र प्रदेश	24401	20446
3.	असम	2412	2157
4.	बिहार	9924 झारखंड सहित	10433
5.	छत्तीसगढ़	-	151
6.	गुजरात	6804	10256
7.	हरियाणा	4535	4240
8.	हिमाचल प्रदेश	1919	875
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2630	2334
10.	झारखंड	-	1540
11.	कर्नाटक	12770	13912
12.	केरल	9863	10656
13.	मध्य प्रदेश	3156 छत्तीसगढ़ सहित	3405
14.	महाराष्ट्र	26352	31041
15.	पूर्वोत्तर-1	1173 पूर्वोत्तर-II सहित	379
16.	पूर्वोत्तर-2	-	37
17.	उड़ीसा	5587	3745
18.	पंजाब	5402	1878
19.	राजस्थान	7294	6836
20.	तमिलनाडु	17471	18849
21.	उत्तरांचल	-	840
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10020	9119
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12763 उत्तरांचल सहित)	7023
24.	पश्चिम बंगाल	2190	5751
25.	कोलकाता	4938	9699
26.	चेन्नई	14075	10785
	भारत संचार निगम लि. के नेटवर्क में कुल	185771	186591
27.	एमटीएनएल दिल्ली	5935	7728
28.	एमटीएनएल मुंबई	19418	19460
	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नेटवर्क में कुल	25353	27188

चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती

2571. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार एक चिकित्सक का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल के पहले एक विशेष अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शर्तों का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की शर्तों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने डाक्टरों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती को अनिवार्य नहीं बनाया है। वैसे, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के छठे सम्मेलन के संकल्प के अनुपालन में, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गई है कि वे कम से कम तीन वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर चुके सेवारत अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा कालेजों में, इस बंधपत्र (बान्ड) के साथ कि वे कम से कम पांच वर्षों तक सरकार के लिए कार्य करेंगे, 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें आरक्षित करें। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के उक्त संकल्प को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लागू किया जाना है क्योंकि डाक्टरों की नियुक्ति तथा तैनाती पूरी तरह से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम

2572. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम देश में टीके के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

धूल नियंत्रण प्रणाली की स्थापना

2573. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी मात्रा में कार्गो की संभलाई करने वाले देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पत्तनों ने धूल नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से पत्तन हैं जहां ये स्थापित की गई हैं और इन्होंने कार्य करना भी शुरू कर दिया है;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में मार्च, 1990 में स्थापित धूल नियंत्रण प्रणाली प्रयोग में लाई गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे अपव्यय के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ङ) 5 महापत्तनों अर्थात् कोलकाता पत्तन, पारादीप पत्तन, विशाखापत्तनम पत्तन, चेन्नै पत्तन और जवाहर लाल नेहरू पत्तन ने धूल निरोध प्रणाली सहित धूल नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की है जिसके अंतर्गत धूल पैदा करने वाले कार्गों पर जल छिड़कना भी शामिल है। ये प्रणालियां 4 महापत्तनों अर्थात् कोलकाता पत्तन, पारादीप पत्तन, विशाखापत्तनम पत्तन और चेन्नै पत्तन में प्रचालनरत हैं।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में ठेकेदार द्वारा ठेका-2 बल्क हैंडलिंग सुविधा के भाग के रूप में एक धूल नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति की गई थी और इसे मार्च, 1990 में संस्थापित किया गया था। पत्तन न्यास द्वारा 1992-1997 की अवधि के दौरान बल्क कार्गो हैंडल करते समय इसका उपयोग किया गया था। तथापि, पत्तन न्यास ठेकेदार द्वारा बल्क हैंडलिंग सुविधा संबंधी ठेके के तहत आपूर्ति की गई धूल नियंत्रण प्रणाली तथा कुछ अन्य प्रणालियों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं था। इसलिए पत्तन न्यास ने माल और सेवाओं के मूल्य के संबंध में ठेकेदार को किए जाने वाले 10% के अंतिम चरण के भुगतान को रोक दिया। ठेकेदार से चूकों और कमियों का सुधार करवाने के बारे में पत्तन न्यास द्वारा किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं निकले। ठेकेदार द्वारा दिए गए हवाले पर ठेकेदार को भुगतान रोक देने का मुद्दा माध्यस्थम् की विषयवस्तु बन गया। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को रोके गए भुगतान को जारी करने संबंधी निर्देश देने का माध्यस्थम् अधिनिर्णय जुलाई, 1997 में प्रकाशित किया गया था। माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान चूकों और कमियों में सुधार करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। माध्यस्थम् अधिनिर्णय निपटान के बाद पत्तन न्यास ने धूल नियंत्रण प्रणाली के प्रचालन के पुन: प्रयास किए परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में विगत कुछ समय के दौरान हैंडल किए गए शुष्क बल्क यातायात की मात्रा और निकट भविष्य में उर्वरकों, उर्वरकों संबंधी कच्ची सामग्री और खाद्यान्नों में और अधिक वृद्धि की नगण्य संभावनाओं को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने धूल नियंत्रण प्रणाली को प्रचालन योग्य बनाने में और अधिक व्यय करना उचित नहीं समझा है।

डाकघर बचत बैंक

2574. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघर बचत बैंक के कार्यकरण के संबंध में किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या-क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस बी) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं की सीमा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट/भारतीय औद्योगिक विकास के साथ समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां।

(ख) डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस बी) की स्थापना के समय से ही इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की कि देश के वित्तीय सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इसे बुनियादी राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधा के रूप में मान्यता दी जाए। इस दिशा में समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि डाकघर बचत बैंक को लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त म्युचुअल फण्ड एवं प्रतिभूति के वितरण, इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, मुद्रा विनिमय उपयोगी बिलों के सीधा भुगतान, कतिपय वित्तीय उत्पादों का वितरण एवं इलैक्ट्रानिक बैंकिंग जैसी नई सेवाओं की शुरुआत करनी चाहिए।

(ग) जी हां।

(घ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार डाक विभाग अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा, म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों का वितरण, वारण्ट भुगतान तथा नकदी प्रबंधन सेवाएं शुरू कर चुका है।

(ङ) जी हां।

(च) समझौते में वस्तुत: एक दूसरे के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की बिक्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विचार किया गया है जिसमें वारंट का भुगतान, नकदी प्रबंधन सेवाएं और एटीएम लगाना शामिल है।

विद्यालयों में कम्प्यूटर

2575. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्प्यूटरों की अनुपलब्धता के कारण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रदान किए गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से अनेक विद्यालयों को वंचित रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे छात्रों (विशेषकर गरीब छात्रों) को सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान से अवगत हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए पहली आवश्यकता यह है कि स्कूल के पास आवश्यक हार्डवेयर (कम्प्यूटर) होना चाहिए।

(ख) से (घ) सरकार ने अधिगम परिवेश में प्रौद्योगिकीय साधनों तथा इंटरनेट का एकीकरण करने के लिए 'विद्या वाहिनी' नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में विद्यार्थियों, शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक वर्ग का विकास करने और उसे प्रशिक्षण देने के लिए कम्प्यूटर साधित अधिगम तकनीकों का इस्तेमाल करने पर और पाठ्य सामग्री एवं पाठों का अंकीय रूप में विकास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। स्थानीय भाषा में सूचना सामग्री का विकास करने और उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लगभग 140 सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर सहित आवश्यक मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में संशोधित कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य सरकारों को स्कूलों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से सुसज्जित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

अधिशेष भूमि की बिक्री

2576. श्री पी.आर. किन्दिया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित भू-उपयोग नीति के अंतर्गत मुम्बई एवं कोलकाता पत्तन न्यास के प्राधिकारियों को व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास करने हेतु अधिशेष भूमि के भाग को बेचने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पत्तनों की अधिशेष भूमि की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए फालतू भूमि के भाग को बेचने के लिए मुम्बई तथा कोलकाता पत्तन न्यासों से कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मुम्बई पत्तन न्यास से पत्तन के उपयोग में न आने वाली भूमि को बेचने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें टिटवाला में 28.39 हेक्टेयर की बिक्री, शहर में विभिन्न स्थानों पर पड़े 24 वर्ग मीटर से 3000 वर्ग मीटर तक के अन्य छोटे खाली प्लाटों की 3.63 हेक्टेयर भूमि तथा 2951 पट्टेदारों/किरायेदारों को किराये पर दी गई 306.75 हेक्टेयर भूमि की बिक्री शामिल है।

(ग) और (घ) खाली भूमि की बिक्री बाजार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। किराये पर दी हुई भूमि की प्रस्तावित बिक्री के मामले में बिक्री मूल्य के परिकलन में बहुत सी परिवर्तनशीलताओं को ध्यान में रखना पड़ता है इसलिए होने वाले प्रतिलाभ तथा निर्णय लिए जाने में लगने वाले समय का ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना इस समय संभव नहीं है।

[हिन्दी]

एच.आई.वी. पाजीटिव रक्त का सर्वेक्षण

2577. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एच.आई.वी. पाजीटिव रक्त दाताओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्त की मांग को पूरा करने के लिए रक्त-दान की कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त रक्त प्राप्त करने हेतु, पहले से ही कई कदम उठाए हैं यथा टेलीविजन, आकाशवाणी और समाचारपत्रों के माध्यम से जन प्रचार अभियान चलाना, एक के सामने एक के लिए सम्प्रेषण हेतु सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण सामग्री का विकास करना, प्रत्येक वर्ष पहली अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाना, क्लिनिक चलाने वालों के बीच रक्त के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना और स्वैच्छिक रक्त दान की सहायतार्थ जनता को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

2578. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
डा. बलिराम:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री रामजी मांझी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मारे गए छापों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्यवार कितनों पर आरोप लगाया गया/निलंबित किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि कई मामले लंबे समय से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जांचाधीन हैं परन्तु इस संबंध में आज तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसने (केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो) ने पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष, 1999, 2000, 2001 और वर्ष 2002 में 30.6.2002 तक की अवधि के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित 9140 सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध मामले दर्ज किए, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	अन्य सरकारी कार्मिक	कुल
1999	14	05	3,188	3,207
2000	18	05	2,569	2,592
2001	17	03	2,264	2,284
2002 (30.6.2002 तक)	04	01	1,052	1,057
कुल				9,140

इन मामलों में संलिप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
1	2	3	4
1999	हरियाणा	–	1
	गुजरात	4	–
	पंजाब	1	–
	उत्तर प्रदेश	4	2
	तमिलनाडु	1	–
	कर्नाटक	1	–
	मध्य प्रदेश	1	–
	सिक्किम	1	–
	संघ राज्य क्षेत्र	1	2
2000	हरियाणा	1	2
	पंजाब	1	–
	उत्तर प्रदेश	1	1

1	2	3	4
	उड़ीसा	2	1
	राजस्थान	1	–
	बिहार	1	–
	ए.जी.एम.यू.टी.	1	1
	सिक्किम	1	–
	जम्मू और कश्मीर	2	–
	गुजरात	4	–
	आंध्र प्रदेश	2	–
	पश्चिम बंगाल	1	–
2001	संघ राज्य क्षेत्र	1	2
	पंजाब	1	1
	झारखण्ड	3	–
	तमिलनाडु	1	–
	उत्तर प्रदेश	2	–
	मध्य प्रदेश	1	–
	उत्तरांचल	1	–
	जम्मू और कश्मीर	1	–
	महाराष्ट्र	3	–
	बिहार	1	–
	कर्नाटक	1	–
	मणिपुर	1	–
2002	उत्तर प्रदेश	1	–
	ए.जी.एम.यू.टी.	1	–
(30.06.2002 तक)	केरल	1	–
	मणिपुर-त्रिपुरा	1	–
	उड़ीसा	–	1

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान, वर्ष 2000 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को आरोप-पत्र जारी किया गया और वर्ष, 2001 में उपर्युक्त सेवा के 3 अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी किया गया, जबकि, वर्ष, 2000 में, भारतीय पुलिस-सेवा के एक अधिकारी को आरोप-पत्र जारी किया गया। इनमें से किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया। जहां तक अन्य कार्मिकों का संबंध है, वर्ष, 1999 में 680 कार्मिकों, वर्ष, 2000 में 954 कार्मिकों, वर्ष, 2001 में 1084 कार्मिकों और इस वर्ष 30.6.2002 तक 482 कार्मिकों को आरोप-पत्र जारी किया गया। इनमें से 180 कार्मिक निलम्बित किए गए।

(ग) और (घ) व्यापक क्षेत्र की छान-बीन की अपेक्षा से युक्त मामलों का अन्तर राज्यीय फैलाव होने के कारण और अधिसंख्य दस्तावेज एकत्र किए जाने तथा उनकी संवीक्षा एवं अधिसंख्य साक्षियों की जांच-पड़ताल किए जाने की अपेक्षा पूरी किए जाने की आवश्यकता जैसे अनेक कारणों से, कई मामलों में आरोप-पत्र दायर नहीं किए जा सके।

(ङ) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार-निरोधी नीति निर्धारित करने तथा उपर्युक्त नीति का कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन पर लगातार नजर रखने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के काम-काज के संचालन में और अधिक पारदर्शिता लाना सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रयोजन से संबंधित संगठनों की क्रियाविधियों और योजनाओं से संबंधित जानकारी मुहैया करवाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सूचना-सुविधा-काउंटर स्थापित किए गए हैं। संबंधित विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता से, सतर्कता से संबंधित काम-काज की भी देख-रेख कर रहे उस विभाग के सचिव, उस विभाग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों में दूरभाष सुविधा

2579. श्री भीम दहाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में दूरभाष सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी पंचायतों के टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) इनके खराब होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त के निराकरण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में कब तक दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सिक्किम के सभी 148 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। जिला-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता तथा विक्रेताओं द्वारा विक्रय पश्चात सेवा न देने के कारण 20 एनएआरआर टेलीफोन खराब पड़े हैं।

(घ) खराब पंचायत टेलीफोनों को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) या लैण्ड लाइनों द्वारा चरणबद्ध रूप से बदलने की योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सिक्किम राज्य में जिले-वार पंचायत टेलीफोनों की स्थिति

जिले	पंचायत टेलीफोनों की संख्या
सिक्किम पूर्व	53
सिक्किम पश्चिम	42
सिक्किम उत्तर	18
सिक्किम दक्षिण	53

[हिन्दी]

वीजा रद्द करना

2580. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आस्ट्रेलिया ने कई भारतीय विद्यार्थियों के वीजे को या तो रद्द कर दिया है अथवा अपने देश से उन्हें स्वदेश वापिस भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को आस्ट्रेलिया के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर आस्ट्रेलिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। आस्ट्रेलियाई उत्प्रवासन प्राधिकारियों ने अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 के बीच 6000 विदेशी विद्यार्थियों को स्वदेश वापिस भेज दिया है। इनमें से लगभग 800 भारतीय थे।

(ख) वीजाओं को रद्द करना और स्वदेश वापस भेजने के कारण छात्र वीजा विनियमों का उल्लंघन करना जिसमें परिसर से बाहर सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे की कार्य सीमा निहित है अथवा अपनी वीजा अवधि के बाद रुकना है। ये विनियम सभी विदेशी छात्रों पर लागू होते हैं। विशेष रूप से भारतीय छात्रों पर नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों ने वीजा विनियमों के संबंध में छात्रों के लिए जानकारी शिविरों का आयोजन करने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है।

[अनुवाद]

अगरतला एवं सिलचर के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना

2581. श्री खगेन दास: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगरतला और सिलचर के बीच आप्टिकल फाइबर केबल संपर्क कब तक स्थापित हो जाएगा;

(ख) क्या सरकार अगरतला एवं सिलचर के बीच आप्टिकल फाइबर संपर्क के स्थापित होने तक राज्य की राजधानी अगरतला को वैकल्पिक तौर पर उपग्रह से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) अगरतला से सिलचर तक ऑप्टिकल फाइबर लिंक के मार्च, 2003 तक चालू कर दिए जाने की योजना है बशर्ते कि तेलियामुरा-मानुघाट विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था में सुधार हो।

(ख) और (ग) राज्य की राजधानी अगरतला उपग्रह प्रणाली पर पहले से ही नई दिल्ली और शिलौंग से जुड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

ईरान को सहायता

2582. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22 जून, 2002 को ईरान में आए भूकंप से हुए विनाश के दृष्टिगत ईरान को किसी तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने, ईरान में विनाशकारी भूकंप पर ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खतामी को संबोधित अपने संवेदना संदेश में, तथा भारत की यात्रा पर आने वाले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, सचिव, श्री हसन रुहानी के साथ बैठक के दौरान, इस संकट से निपटने में ईरान द्वारा अपेक्षित हर संभव राहत सहायता देने के भारत की इच्छा के प्रस्ताव का संकेत दिया था।

[अनुवाद]

औषधि खरीद संबंधी मानदण्ड

2583. डा. बलिराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की खरीद संबंधी मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औषधियों की खरीद में हुई अनियमितताओं के कारणों की पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथिक औषधालयों के लिए फार्मूलरी औषधों का प्रापण देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के अधीन सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं को अग्रिम रूप से वार्षिक मांग पत्र भेज कर किया जाता है। चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन सभी मांगकर्ताओं के लिए औषधों की खरीद कड़ाई से सरकारी मानदण्डों के अनुसार करता है और उसके बाद उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सहित मांगकर्ताओं को सप्लाई करता है।

यदि चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को औषधों की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो उन्हें अलग-अलग लाभार्थियों की नुस्खा पर्चियों के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से खरीदा जाता है और उसके बाद लाभार्थियों को सप्लाई किया जाता है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा

2584. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में एस्कार्ट हास्पिटल एंड रीसर्च सेन्टर, फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों एवं सरकारी पेंशनभोगियों के उपचार एवं अस्पताल में भर्ती करने की चिकित्सीय सुविधा को वापिस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के उक्त निर्णय से पहले उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) फरीदाबाद में रह रहे केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी भी हैं के लिए उपलब्ध चिकित्सा-अस्पताल में भर्ती होने संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन सरकारी कर्मचारियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को अधिकृत अस्पतालों की सूची में एस्कार्ट अस्पताल, फरीदाबाद को शामिल करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 18.9.96 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त 24 निजी अस्पतालों में उपचार कराने की अनुमति दी गई थी। एस्कार्टस अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद इन 24 अस्पतालों में से एक था जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय/राज्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं के अतिरिक्त उपचार करा सकते थे।

नवम्बर, 2000 में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन निजी अस्पतालों को नए सिरे से मान्यता देने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत 55 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई थी। दिनांक 7.9.2001 के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा पूर्व के दिनांक 18.9.96 के कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण किया गया था।

एस्कार्टस अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद ने नवम्बर, 2000 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर स्वरूप आवेदन नहीं किया था और इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता देने हेतु उस पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर स्वरूप फरीदाबाद में स्थित एक नैदानिक केन्द्र को छोड़कर अन्य किसी भी निजी अस्पताल से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) फरीदाबाद में रह रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001, 15.3.2002, 6.5.2002 और 14.5.2002 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त 63 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के अलावा केन्द्रीय/राज्य सरकारी अस्पतालों मे चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(च) और (छ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों को मान्यता देना चलती रहने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। एस्कार्टस अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त करने हेतु हाल ही में आवेदन किया है।

औषधियों का आयात

2585. श्री रामरती बिन्द: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी श्रेणी की औषधियों के आयात के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार की औषधियों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24.8.2001 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(ई.) के तहत औषध एवं प्रसाधन नियमों के विभिन्न उपबंधों में संशोधन किया है और विदेशी औषध विनिर्माता के विनिर्माण परिसरों और अलग-अलग औषधों के देश में आयात से पूर्व उनके पंजीकरण हेतु एक नया उपबंध समाविष्ट किया है। इस अधिसूचना द्वारा अन्य उपबंध अर्थात, औषधों की सभी श्रेणियों हेतु आयात लाइसेंस, बढ़ा हुआ आयात लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस की मान्यता की वर्धित अवधि, वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं हेतु बल्क औषधों के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता में छूट को हटाना, आयातित औषधों हेतु धारित शेल्प लाईफ (मीयाद) के कम से कम 60% की आवश्यकता और सरकारी अस्पतालों द्वारा उनके अपने रोगियों इत्यादि के उपाचर हेतु नई औषधों की कम मात्रा के आयात के लिए प्रावधान, भी समाविष्ट किए गए हैं। पहली जनवरी 2003 से पंजीकरण/आयात लाइसेंस के बिना वाणिज्यिक उपयोग हेतु किसी भी औषध को आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

देश में अनुपलब्ध औषधें रोगियों द्वारा, पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों द्वारा निर्धारित किए जाने पर, उनके व्यक्तिगत उपयोग हेतु मुक्त रूप से आयातित की जा सकती हैं।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का पुनर्गठन

2586. श्री वाई.वी. राव: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में "अखिल भारतीय खेल परिषद (ए.आई.सी.एस.)" की एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापना की है। अन्य उद्देश्यों के अलावा, परिषद का एक मुख्य उद्देश्य देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सलाह देना है। इस परिषद में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों के अलावा, 22 सदस्य होंगे। परिषद के सदस्यों का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। केवल पदेन को छोड़कर, सभी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत: तीन वर्षों का होगा। यह परिषद समय-समय पर और कम से कम एक तिमाही में एक बार अपनी बैठक बुला सकती है ताकि खेलों के विकास से संबंधित मामलों पर बातचीत की जा सके।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए धन

2587. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के लिए आबंटित, संवितरित एवं व्यय किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु तमिलनाडु को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ तथा एड्स जैसे बड़े रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को आवंटित/जारी किए गए धन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश एवं प्रशासन, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण सेवाओं, औषधों के प्रापण, प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत तथा रखरखाव इत्यादि से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु को करीब 325 करोड़ रुपये (वर्ष 1999-2000, 20000-01 तथा 2001-02 के दौरान क्रमश: 105.77 करोड़ रुपये, 99.43 करोड़ रुपये, 119.48 करोड़ रुपये) की कुल सहायता दी जा चुकी है।

विवरण

बड़े रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत तमिलनाडु को आबंटित/जारी किया गया धन और किया गया व्यय

(रुपये लाख में)

रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1999-2000		2000-01		2001-02	
	आबंटित/जारी	व्यय	आबंटित/जारी	व्यय	आबंटित/जारी	व्यय
मलेरिया*	392.31	114.19	174.92	133.90	99.77	85.72
क्षयरोग	660.48	597.57	1133.92	886.13	991.12	679.31
दृष्टिहीनता**	1009.82	864.79	857.00	1167.96	1742.25	1072.37
कुष्ठ	385.79	269.42	422.74	282.32	413.04	106.74(पी)
एड्स	883.09	1416.71	1108.30	755.03	1393.50	1309.87

*इसमें बाह्य सहायताप्राप्त घटक शामिल नहीं है।
**इसमें सामग्रीरूपी अनुदान शामिल नहीं है।
पी. अनंतिम

लघु उद्योग में निवेश की सीमा

2588. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 13 बल्क दवाओं एवं औषधि इंटरमीडिएट्स के लिए लघु उद्योग में निवेश की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में पांच औषधि इंटरमीडिएट्स को लघु उद्योग से अनारक्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश में इन उत्पादों के निर्यात बाजार में किस सीमा तक सुधार होगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार ने लोक सभा में 19.7.2002 को एक ड्राफ्ट आर्डर प्रस्तुत किया है। जिसमें ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स सेक्टर के दस उत्पादों के संबंध में लघु उद्योग में निवेश सीलिंग (सीमा) को एक करोड़ रु. से पांच करोड़ रु. करने की मांग की गई है। इन मदों की सूची विवरण पर संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 20.5.2002 के सं.आ. 533(ई.) द्वारा चार ड्रग इंटरमीडिएट्स को अनारक्षित किया गया है। ये हैं अदर सिटरेट्स, मेथाइल एंड सैलीसिएलेट (परचेज्ड सैलीसिलेट एसिड पर

आधारित), ग्लाईसिरो फोस्फेट्स एंड हालोजिनेटिड हाइड्रोक्सी-क्यूनोलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 8-हाइड्रोक्सी-क्यूनोलाइन के विनिर्माण के लिए एकीकृत स्कीम के सिवाय 8-हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन।

(ङ) चार मदों के अनारक्षण तथा दस मदों के संबंध में निवेश सीमा को बढ़ाने से लघु उद्योग यूनिटों को प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अपनाने के माध्यम से घरेलू तथा निर्यात मार्किट दोनों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विवरण

ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स सेक्टर

31060101	पैरा एमिनो फेनोल-औ. ग्रेड।
310628	पाइराजोलोन।
310650	बेनजायल बेनजोएट।
310658	नियासिनामाइड।
313125	पैरासिटामोल।
31315801	पैरा हाइड्रोक्सी बेनेजोइक एसिड से शुरू होने वाले मेथाइल पैराबेन्स और सोडियम।
31315901	पैरा हाइड्रोक्सी बेनेजोइक एसिड से शुरू होने वाले ईथाइल पैराबेन्स और सोडियम।
31319501	पैरा हाइड्रोक्सी बेनेजोइक एसिड से शुरू होने वाले प्रोपाइल पैराबेन्स और सोडियम।
3131960	कैल्शियम ग्लूकोनेट।
310126	एल्युमीनियम हाइड्रोक्साइड जैल।

चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

2589. श्री टी. गोविन्दन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में स्ववित्तपोषित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति के लिए अगस्त, 2001 में केरल से निजी सोसायटियों/ट्रस्टों से 26 आवेदन प्राप्त हुए थे। केवल 5 आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए गए थे और इनको निरीक्षण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेज दिया गया था। बाकी के 21 आवेदन अधूरे पाए गए और ये आवेदकों को लौटा दिए गए। अब तक अल्माकरा, कोची में अमृता इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज एंड रिसर्च सेन्टर की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा, सी.एस.आई. साऊथ केरल मेडिकल मिशन, कारकोनाम द्वारा कारकोनाम में, पुष्पगिरी मेडिकल सोसायटी द्वारा तिरूवल्ला में, मलंकार आर्थोडौस सिरियन मेडिकल मिशन हॉस्पिटल द्वारा कोलेन्चेरी में नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने के लिए आशय-पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) जारी कर दिए गए हैं। पांचवें मामले में इमाम राजी मुस्लिम एजूकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, पलाक्कड द्वारा माठ्ठा, त्रिसूर में आधारभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का सत्यापन करने के लिए मैडिकल कालेज का निरीक्षण करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

2590. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने वाले टीकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक टीकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतगत हेपेटाइटिस-बी सहित अन्य टीकों को शामिल करने के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छह वैक्सीन निवार्य रोगों नामत: बाल्यावस्था के क्षयरोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, खसरा तथा नवजात टेटेनस के नियंत्रण के लिए देश भर में बच्चों को वैक्सीनें दी जाती हैं। सरकार ने प्रायोगिक आधार पर शिशुओं के लिए हेपेटाइटिस-बी के टीके को

भी शामिल करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2002-03 के दौरान 15 महानगरों तथा वर्ष 2003-04 के दौरान 32 जिलों की मलिन-बस्तियों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रायोगिक परियोजना को वैश्विक वैक्सीन एवं प्रतिरक्षण एलाएन्स द्वारा सहायता दी जाती है जो यूनिसेफ के माध्यम से इस प्रायोगिक परियोजना हेतु 23.89 करोड़ रुपये मूल्य की पूर्ण सामग्री रूपी सहायता (वैक्सीन तथा आटोडिजेटबल सिरिंज) (स्वत: नष्ट होने वाले) प्रदान कर रहा है।

डॉल्फिन मोबाइल सेलुलर फोन

2591. श्री अधीर चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का डॉल्फिन सेल्यूलर फोन सेवा निजी सेल्युलर फोन सेवाओं की तुलना में अपनी सेवा को और सस्ती बनाने के लिए दरों में कटौती करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी सेलुलर फोन कंपनियों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से बेहतर सेवा प्रदान करा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सेल्युलर फोन सेवाओं में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की डाल्फिन सेल्यूलर फोन सेवा निजी सेल्यूलर फोन सेवाओं की तुलना में काफी कम मूल्य पर प्रदान की जा रही है। इस प्रकार दरों में पुन: कमी करने पर इस समय विचार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही सेल्यूलर मोबाइल सेवा किसी भी निजी सेल्यूलर प्रचालक द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के समान स्तर की है।

वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल

2592. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का 6 शहरों को जोड़ने और लम्बी दूरी की कालों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल की स्थापना करने का प्रस्ताव है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) 7.258 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छ: शहरों नामत: अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली कोलकाता और पुणे को प्रायोगिक आधार पर जोड़ने वाला वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क संस्थापनाधीन है और वर्ष 2002-03 के दौरान इसे चालू करने की योजना है। इस समय वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए की जाने वाली कॉलों का टैरिफ वही होगा जो परम्परागत नेटवर्क के माध्यम से की जाने वाली कॉलों के लिए लागू है।

प्री-पेड कार्ड खरीददारों की पहचान

2593. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रयोक्ताओं की सही पहचान को सत्यापित किए बिना ही प्री-पेड कोर्डों को विधिमान्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सेल्यूलर संचालकों के लिए प्री-पेड कोर्डों के खरीददारों की पहचान को सत्यापित किया जाना अनिवार्य न किए जाने के क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सेल्युलर मबोाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) संचालकों को सेवा प्रदान करने से पहले, प्री-पेड/कैश कार्ड सेवा सहित सेल्युलर सेवा के प्रत्येक उपभोक्ता की पहचान की पूरी अग्रिम जांच सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने का निर्देश दिया गया है।

एड्स पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

2594. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11-12 मई, 2002 को नई दिल्ली में एड्स नियंत्रण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में एड्स नियंत्रण के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य देशों के मुकाबले एड्स-रोधी टीकों या औषधियों के विकास के क्षेत्र में क्या प्रगति की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। एच.आई.वी./एड्स पर अन्तरराष्ट्रीय नीतिनिर्माताओं का सम्मेलन नई दिल्ली में 11-12 मई, 2002 को हुआ था। भारत के अलावा, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देश थे: दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, युगान्डा, नाईजीरिया, थाईलैण्ड, नेपाल, चीन और ब्राजील।

(ग) भाग लेने वाले देशों ने एच.आई.वी./एड्स महामारी के कारण सामने आई जटिलताओं और चुनौतियों पर ध्यान देने के अपने वादों को बताते हुए दिल्ली घोषणापत्र का समर्थन किया। दिल्ली घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) प्रभावी एड्स निवारण पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावित देशों के साथ निकट सम्पर्क में रहकर कार्य करते हुए कार्यनीतियों संबंधी सूचना देना, शिक्षा देना उन्हें सम्प्रेषित करना और उनका विकास करना;

(2) उन कारकों की पहचान करके उन पर ध्यान देना प्रारंभ करना जो अल्प विकास, गरीबी, अशिक्षा, महिलाओं को अधिकार सम्पन्नता की कमी और सभी प्रकार के यौन शोषण सहित व्यक्ति को एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति विशेष रूप से कमजोर बनाता हो;

(3) एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त सभी लोगों के मान-मर्यादा और अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकार्यता और सम्मान को बढ़ावा देना और सभी प्रकार के कलंक और भेदभाव का विरोध करना;

(4) एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों को उपचार तथा परिचर्या के सर्वोच्च प्राप्य मानक को प्रगामी तथा सतत् ढंग से प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास करना;

(5) विकासशील दुनिया की अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एड्स वैक्सीनों तथा अन्य निवारक तकनीकों के अनुसंधान और विकास हेतु सहायता देना;

(6) संबंधित देशों में नीतिनिर्माताओं के बीच समर्थ वातावरण तैयार करना और क्षमता निर्माण करना और विशेष रूप से वैधानिक और विनियामक पद्धतियों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करना;

(7) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक स्तरों पर राजनैतिक वचनबद्धता जुटाना; और

(8) इस घोषणापत्र में की गई वचनबद्धताओं को आगे बढ़ाने हेतु सरकारों, लोगों के प्रतिनिधियों, निजी उद्योगों, अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना।

(घ) एच.आई.वी./एड्स विश्वमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम दीर्घावधि आशा एक सुरक्षित, प्रभावी और वहनीय निवारक वैक्सीन है लेकिन इसके विकास में अभूतपूर्व वैज्ञानिक चुनौतियां सामने आई हैं। चरण VII के 60 से अधिक परीक्षणों में 30 से अधिक परीक्षणार्थ वैक्सीनों की जांच हजारों स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं पर की गई। इनमें से अधिकतर परीक्षण अमेरिका तथा यूरोप में किए गए हैं लेकिन अनेक परीक्षण ब्राजील, क्यूबा, हैती, कीनिया, थाइलैण्ड, त्रिनिदाद, टोबैगो और यूगान्डा जैसे विकासशील देशों में भी किए गए हैं। प्रथम उत्पादन एच.आई.वी. वैक्सीनों के क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अमेरिका में 1998 में और थाइलैण्ड में 1999 में चरण-III के पहले परीक्षण प्रारंभ किए गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने भारत में सर्वाधिक व्याप्त एच.आई.वी. सबटाइप सी की प्रजातियों से छुटकारा दिलाने वाली एक स्वदेशी एड्स वैक्सीन को विकसित करने के प्रयासों को तेज करने तथा बढ़ावा देने हेतु इन्टरनैशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव के साथ 4 दिसम्बर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

संशोधित वैक्सीनियां अंकारा आधारित एच.आई.वी. वैक्सीन विकास की अवस्था में है तथा इसमें जटिलता तथा पेचिदगी वाले अनेक स्तर निहित हैं। संशोधित वैक्सीनिया अंकारा नैदानिक परीक्षण के स्तर तक नहीं पहुंची है।

सरकार भारतीय भैषजिक उद्योग को जेनेरिक एन्टी रिट्रोवायरल औषधों का विकास करने, उन्हें परिशोधित करने तथा उनका विनिर्माण करते रहने तथा इनकी आवश्यकता महसूस करने वालों के लिए इन्हें और अधिक वहनीय बनाने पर ध्यान देते हुए प्रोत्साहित करती है।

कोकराझार में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना

2595. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय निधि से कोकराझार में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की भूमिका

2596. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री भीम दाहाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से उपमहाद्वीप में विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच व्याप्त तनाव के समाधान में सक्रियता से भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद की समस्या के समाधान को ढूंढने में वह किसी तरीके से शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने से हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल से उत्पन्न स्थिति के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी चिंता जाहिर की थी। इस संरचना में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आतंकवाद से सम्बद्ध सभी कृत्यों की निंदा की और यह कहा कि ऐसी गतिविधियों, विशेषरूप से, कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार होने वाली गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने वक्तव्यों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से यह भी आग्रह किया है कि 12 जनवरी, 2002 को दिए गए अपने भाषण में बताई गई नीतियों को पूर्णत: क्रियान्वित करने के लिए वह सशक्त कार्रवाई करें।

कार्गो की सम्हलाई

2597. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास तरलीकृत और सामान्य कार्गो के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्गो की सम्हलाई नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और निर्धारित लक्ष्य से कम सम्हलाई करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आने वाली बाधाओं की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में पत्तन न्यास के सामने कौन-कौन सी प्रमुख कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ङ) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा कार्गो के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ङ) जी हां। वित्त वर्ष 2001-2002 तथा चालू वर्ष 2002-03 के लक्ष्य की तुलना में हैंडल किए गए कार्गों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कार्गो	लक्ष्य (एमटी)	प्राप्त किया (एम टी)	कमी (एमटी)
2001-02	तरल	3,338,000	2,846,753	491,247
	सामान्य कार्गो	812,000	794,043	17,957
2002-03	तरल	879,000	875,569	3,431
(अप्रैल से जून, 2002)	सामान्य कार्गो	345,000	175,969	169,301

कार्गो की हैंडलिंग में कमी का मुख्य कारण उर्वरक एवं कच्चे माल के आयात के लिए सरकार की नीति में परिवर्तन आना, उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के फलस्वरूप उर्वरक के आयात में तेजी से गिरावट आना, घरेलू उर्वरक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप उर्वरक एवं उर्वरक कच्चे माल के आयात में तीव्र गिरावट आना सरणीकरण समाप्त करना जिसमें उर्वरक संयंत्र के स्थानों के पास अवस्थित लघु पत्तनों के माध्यम से छोटे जलयानों का उपयोग होना, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास आदि के आस-पास आबद्ध जेट्टियों का विकास होना है।

शुष्क बल्क यातायात में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप यंत्रीकृत बल्क हैंडलिंग संयंत्र का कम उपयोग हुआ है। तदनुसार पत्तन ने बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल में बदलने का निश्चय किया है। तरल कार्गो तथा सामान्य कार्गो मुख्यत: मैसर्स बी पी सी एल द्वारा निर्मित दो तरल बर्थों पर बी ओ टी आधार पर तथा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा निर्मित नई छिछले डुबाव वाली बर्थ तथा पत्तन क्राफ्ट बर्थ पर हैंडल किया जाएगा।

अल्प आयु मृत्यु दर

2598. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अल्प आयु में मत्यु की दर में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981, 1991 और 2001 में अल्प आयु जन्म दर कितनी थी;

(ग) वर्ष 1981, 1991 और 2001 में जनसंख्या की वृद्धि दर का प्रतिशत कितना था; और

(घ) सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी से कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार अशोधित जन्म दर के अनुमान इस प्रकार हैं:

वर्ष	अशोधित जन्मदर
1981	33.9
1991	29.5
2000	25.8

(ग) जनगणना के अनुसार औसत वार्षिक जनसंख्या घातांकी वृद्धि दर इस प्रकार है:

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1981	2.22
1991	2.14
2001	1.93

(घ) सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* प्रजनन और बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत और व्यापक कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन पर ध्यान दिया जाता है।
* जिला/जिला स्तर से नीचे एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करके गर्भ-निरोधकों की पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करना।
* छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।
* कमजोर राज्यों/जिलों में अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था।

राज्य लोक सेवा आयोगों में घोटाले

2599. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों के राज्य-लोक सेवा आयोगों में हुए कई घोटालों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घोटालों में कितने लोग दोषी पाए गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में हुए घोटाले, हाल ही में केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ग) और (घ) राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। फिर भी, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/किसी सदस्य के पद से हटाने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। केन्द्र सरकार को पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के कदाचार के बारे में, उपर्युक्त राज्यों की सरकारों से पत्र मिले हैं, जिनमें यह बताया गया है कि प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से उपर्युक्त अधिकारियों के कदाचार की पुष्टि हो गई है। जबकि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के कदाचार के बारे में महाराष्ट्र राज्य की पुलिस द्वारा आगे और जांच-पड़ताल की जा रही है, पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर मुकदमा चलाए जाने हेतु भारत सरकार ने जरूरी मंजूरी दे दी है।

[हिन्दी]

पत्रिकाओं के लाइसेंसों को रद्द करना

2600. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अंतर्गत कतिपय पत्रिकाओं के लाइसेंसों को रद्द किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जाएगी और सभापटल पर रख दी जाएगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सड़कों की मरम्मत

2601. **डा. अशोक पटेल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सोसायटियों में केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है और सोसायटियों को उनकी मरम्मत के लिए स्वयं ही काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। सोसायटियों में एमटीएनएल द्वारा खोदी गई सड़कों को संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए टेलीफोन केबल बिछाने के पश्चात् फिर से भर दिया जाता है। एमटीएनएल की प्रथा के अनुसार सोसायटियों को सड़क की मरम्मत करने के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाती है। तथापि, सोसायटी में उनसे परामर्श लेकर तथा सामान्यत: कच्चे क्षेत्र में केबल बिछायी जाती है। केबल बिछाने के पश्चात् एमटीएनएल द्वारा इसे भर दिया जाता है। यदि पक्के क्षेत्र में खुदाई करनी हो तो ट्रेंचलैंस विधि का भी उपयोग किया जाता है। जहां तक संभव हो सड़क को टूट-फूट से बचाने का प्रयास किया जाता है।

(ग) जी हां। एमटीएनएल ट्रेंचलैस विधि से टेलीफोन केबल बिछाता है ताकि सोसायटियों/जनता को असुविधा न हो।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष मिशन

2602. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के लिए निर्धारित सभी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कौन-कौन सी परियोजना के दसवीं योजना तक में चलते रहने की संभावना है; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान उपग्रहों के प्रक्षेपण में कुल कितना व्यय किया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय, दोनों लक्ष्यों को अधिकांशत: प्राप्त कर लिया गया है। नौवीं योजना के दौरान निर्धारित और पूरे किए गए प्रमुख अन्तरिक्ष मिशनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) निम्न का प्रमोचन और प्रचालनीकरण:

(1) प्राकृतिक संसाधन प्रंबध उपयोगों के लिए पी.एस.एल.वी.-सी1 द्वारा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1डी) का प्रमोचन।

(2) भारत के पी.एस.एल.वी.-सी2 द्वारा भारत के प्रथम समुद्रविज्ञानीय उपग्रह, आई.आर.एस.-पी4 (ओशनसैट) का प्रमोचन।

(3) उच्च विभेदन प्रतिबिंबिन उपयोगों के लिए पी.एस.एल.वी.-सी3 द्वारा भारत के अत्यन्त आधुनिक सुदूर संवेदन उपग्रह, प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.) का प्रमोचन।

(4) संचार कार्यों के लिए इन्सैट-2डी उपग्रह का प्रमोचन।

(5) संचार और मौसमविज्ञानीय सेवाओं के लिए इनसैट-2 श्रृंखला के उपग्रहों में अत्यन्त आधुनिक इन्सैट-2ई उपग्रह का प्रमोचन।

(6) संचार सेवाओं के लिए तीसरी पीढ़ी के इन्सैट-3 श्रृंखला के इन्सैट-3बी और इनसैट-3सी उपग्रहों का प्रमोचन।

(2) इन्सैट श्रेणी के 2 टन वर्ग के उपग्रहों को प्रमोचित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में परीक्षणात्मक जीसैट-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रमोचित करते हुए भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस. एल.वी.-डी1) की प्रथम विकासात्मक उड़ान।

इसके अलावा, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन की इसकी सम्पूर्ण उड़ान अवधि के लिए सफलतापूर्वक जांच की गई है। योजना अवधि के दौरान शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में द्वितीय प्रमोचन पैड की स्थापना के लिए चल रही परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

उपर्युक्त के अलावा, नौवीं योजना के लिए निर्धारित जी.एस.एल.वी.-डी2, जी.एस.एल.वी.-डी-3, आई.आर.एस.-पी6 (रिसोर्ससैट) और इन्सैट-3ए मिशनों के संबंध में चल रहे कार्यों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है और प्रमोचन कार्य बहुत मामूली रूप में दसवीं योजना अवधि के प्रारंभ के लिए निर्धारित किया गया है।

(घ) नौवीं योजना के दौरान उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया गया कुल व्यय 1349.52 करोड़ रुपये है।

नीलगिरि के विकास हेतु वित्तीय सहायता

2603. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नीलगिरी के विकास हेतु वर्ष 2002-03 के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत नीलगिरि के लिए वर्ष 2002-03 हेतु 2210 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रक मृदा संरक्षण, वानिकी, बागवानी, पशुपालन और डेयरी विकास, सड़कें, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण ऊर्जा संरक्षण रेशम उत्पादन, आदि हैं।

वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकार को एचएडीपी के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त जारी कर दी गई है।

डाक ट्रैफिक योजना

2604. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार प्रौद्योगिकी में तीव्र गति के परिणामस्वरूप डाक ट्रैफिक की मात्रा में उत्तरोत्तर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2000-2001 में डाक परियात में 1999-2000 की तुलना में 10% की गिरावट आई है।

(ग) डाक के पारेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) डाक का विभिन्न चैनलों जैसे मेट्रो, राजधानी, ग्रीन चैनल और पत्रिका चैनल में पृथकीकरण।

(2) डाक मार्गों और वितरण की नियमित मॉनीटरिंग।

(3) विस्तारशील शहरी बस्तियों में पर्याप्त कर्मचारियों की पुनर्तैनाती द्वारा वितरण को युक्तिसंगत बनाना/पुनर्गठित करना।

(4) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित रूप से लाइव मेल सर्वे करना ताकि कमजोर संपर्कों की पहचान हो सके और व्यवस्था को कारगर बनाया जा सके।

(5) बड़ी संख्या में डाक भेजने वालों को पूर्व-छंटाई के लिए प्रोत्साहित करना।

(6) सीजनल डाक को निपटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ अलग केन्द्र खोलना।

इसके अलावा, समय के लिहाज से संवेदनशील डाक तथा कारोबारी डाक के लिए स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जैसे नए उत्पाद भी शुरू किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

2605. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संगठनों को दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सेल्यूलर लाइसेंस

2606. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुली बोली के माध्यम से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बजाय वर्तमान मोबाइल फोन ऑपरेटरों को तीसरी पीढ़ी के सेल्यूलर लाइसेंस आवंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2607. श्री वाई.वी. राव:
श्री रामदास आठवले:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार टेलीफोन किराया कम करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कुल 2045886 व्यक्ति दर्ज हैं। 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा मार्च 2003 तक प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के प्रयास किये जा रहे हैं बशर्ते निधि और सामग्री हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्यवार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	राज्य	30.6.2002 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	477
2.	आंध्र प्रदेश	82678
3.	अरुणाचल प्रदेश	2938
4.	असम	10500
5.	बिहार	86834
6.	छत्तीसगढ़	3115
7.	गोवा	8524
8	गुजरात	92828
9.	हरियाणा	98737
10.	हिमाचल प्रदेश	25377
11.	जम्मू और कश्मीर	42266
12.	झारखंड	14212
13.	कर्नाटक	125719
14.	केरल	600635
15.	मध्य प्रदेश	12818
16.	महाराष्ट्र	211699
17.	मणिपुर	5720
18.	मेघालय	1582
19.	मिजोरम	1079
20.	नागालैंड	825
21.	उड़ीसा	17908
22.	पंजाब	109598
23.	राजस्थान	127063
24.	सिक्किम	176
25.	तमिलनाडु	66439
26.	त्रिपुरा	7018
27.	उत्तर प्रदेश	96906
28.	उत्तरांचल	9593
29.	पश्चिम बंगाल	170974
30.	दिल्ली	11648
	कुल	2045886

[हिन्दी]

संचार सेवा

2608. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के कितने गांवों में संचार सेवा प्रारम्भ हो गई है और कितने गांवों में अभी होनी शेष है;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान राजस्थान के गांवों में संचार सेवा प्रारम्भ करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क)

दूरसंचार

अब तक भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्थान में 23858 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की है और राजस्थान के निजी बुनियादी आपरेटर मेसर्स श्याम टेलीलिंक ने राजस्थान के 312 गांवों में वीपीटी कनेक्शन प्रदान किए हैं। अभी राजस्थान के 15,313 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जाने हैं।

डाक

डाक के दैनिक वितरण और संग्रहण तथा डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री संबंधी संचार सेवा राजस्थान के सभी गांवों में उपलब्ध है। तथापि 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, 9645 गांवों

में डाकघर विद्यमान हैं और ग्राम पंचायतों में 204 पंचायत संचार सेवा केन्द्र उपलब्ध हैं। शेष गांवों में डाकघर/पंचायत संचार सेवा केन्द्र विद्यमान नहीं है।

(ख) से (घ)

दूरसंचार

राजस्थान के शेष गांवों में मेसर्स श्याम टेलीलिंक द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान की जायेगी और यह कार्य कम्पनी द्वारा दिसम्बर 2002 के अंत तक पूरा किया जाना है।

सरकार कम्पनी से आग्रह कर रही है कि वह अतिरिक्त कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी और गारंटी विलेख प्रस्तुत करके दिसम्बर 2002 के अंत तक अपने अपूर्ण लक्ष्य को पूरा करे।

डाक

2001-02 के दौरान राजस्थान के गांवों में डाक काउन्टर सुविधा प्रदान करने के लिए 20 नये डाकघर तथा 70 नये पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2001-02 के दौरान राजस्थान के गांवों में 20 नये डाकघर तथा ग्राम पंचायतों में 80 नये पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गये।

[अनुवाद]

आंवला पर अनुसंधान

2609. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंवला (एम्बलिका ऑफिशिनालिस अथवा फाइटान्थस एम्बलिका) की खेती की जाती है और इसे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक औषधि के लिए आंवला की खेती करने वालों को सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आंवले पर विस्तृत अनुसंधान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पादपों के कृषि कार्य में वित्तपोषण करने के लिए आमला समेत 31 औषधीय पादपों को चिन्हित किया है। उसने प्रचार-प्रसार हेतु गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने संबंधी योजना का वित्तपोषण भी किया है।

[हिन्दी]

आतंकवाद पर भारत-अमरीका ग्रुप की बैठक

2610. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और अमरीका के संयुक्त वर्किंग ग्रुप आतंकवाद पर वाशिंगटन में एक बैठक सम्पन्न हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मामलों पर चर्चा की गई; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्यकारी दल की 5वीं बैठक 11-12 जुलाई, 2002 तक वाशिंगटन डी.सी. में हुई।

(ख) दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया अन्य जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का आकलन किया और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने तथा बहुपक्षीय प्रयासों को संवर्द्धित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

(ग) आतंकवादी कार्रवाइयों को रोकने और आतंकवादी संगठनों को निष्प्रभावी बनाने की अपने-अपने देशों की साझी वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए दोनों पक्ष आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग को और तेज करने के लिए सहमत हुए जिसमें आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण को व्यापक और उन्नयित करने तथा अनेक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण; आसूचना आदान-प्रदान को संवर्द्धित करना, कार्रवाइयों का समन्वय तथा जांच सहयोग को सघन बनाना, आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी और उपकरण के आदान-प्रदान में सहयोग को संवर्द्धित करना; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध सतत सार्वभौमिक कार्रवाई के लिए व्यापक और अनिवार्य संरचना का प्रावधान है, के पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर कार्य करना शामिल है।

चीन को सहायता

2611. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जून 2002 में विनाशकारी बाढ़ों के कारण विस्थापित हुए/मारे गए लोगों के आश्रितों की सहायता करने हेतु चीन को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फरीदाबाद में मंजूरशुदा चिकित्सक/औषधालय

2612. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के हकदार केन्द्र सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में फरीदाबाद में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद में इस समय कार्यरत और सीजीएचएस के लाभार्थियों को विशेष उपचार के लिए फरीदाबाद के अस्पतालों में भेजने के लिए प्राधिकृत मंजूरशुदा चिकित्सकों/औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फरीदाबाद में बसने वाले केन्द्र सरकार के लाभार्थियों की बढ़ती हुई संख्या की पूर्ति करने हेतु और चिकित्सकों/औषधालयों और अस्पतालों को उपचारार्थ/अस्पताल में भर्ती कराने के लिए प्राधिकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में 4501 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड धारक पंजीकृत हैं जो 19,205 लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनर) के बराबर हैं।

(ख) फरीदाबाद में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001, 15.3.2002, 6.5.2002 और 14.5.2002 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त 63 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के अतिरिक्त बादशाह खान अस्पताल (राज्य सरकार का) सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं ले सकते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों को मान्यता देना एक सतत् प्रक्रिया है। एस्कोर्ट अस्पताल और रिसर्च सेन्टर, फरीदाबाद ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता के लिए आवेदन किया है।

नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमति

2613. श्री रामरती बिन्द: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) नैदानिक परीक्षणों, जैव-पर्यायों तथा विपणन को अनुमति प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जैव-प्रौद्योगिकीय उत्पादों के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) 2002 के दौरान औषध मंजूरी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से अभी तक कितनों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) अनुमति देने में कितना समय लगा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) जेनेटिक रूप से आशोधित चिकित्सीय उत्पादों (बायोटेक उत्पाद) के आयात/विनिर्माण के प्रस्तावों का मूल्यांकन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 103 के अनुसार और औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में अनुसूची "वाई" के अनुसार किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग/जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा संतोषजनक मूल्यांकन करने तथा सिफारिश किये जाने के बाद औषध महानियंत्रक (भारत) का कार्यालय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित आठ सदस्यीय बहुविषयक विशेषज्ञ दल की सहायता से जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को अनुमोदित करता है।

(ग) और (घ) नए औषध अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन अनुसूची "वाई" के अनुसार एक जटिल और सतत् प्रक्रिया है और यह अणु (मोलिक्यूल)/औषध की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। इसलिए, अनुप्रयोग की प्रकृति के आधार पर अन्वेषणात्मक नई औषध (अर्थात एक ऐसा औषध मालिक्यूल जिसे विश्व में कहीं भी मानव पर परखा नहीं गया (के अनुमोदन के लिए औसतन 5 वर्ष से अधिक, कहीं भी अनुमोदित की गई औषध के प्रथम बार के अनुमोदन लेकिन जिसके लिए पुष्टिकारक क्लिनिकल जांच की जरूरत हो, के लिए लगभग 1-3 वर्ष और पहले से अनुमोदित औषधों के बाद के अनुप्रयोगों के लिए लगभग 2-3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन यह औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची वाई के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित सभी ब्यौरे (डाटा) के प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन है। सा.का.नि. संख्या 900(अ) दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के द्वारा राजपत्र अधिसूचना के जारी होने से 30 जून, 2002 तक विभिन्न श्रेणियों की नई औषधों, जिनमें अन्वेषणात्मक नई औषधें, अनुमोदित नई औषधें, नई औषधों के जेनेरिक रूपान्तर, खुराक के नए रूप और नई औषधों की आशोधित निर्मुक्तियां आदि शामिल हैं, के अनुमोदन के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ 528 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से सन्तोषजनक क्लिनिकल जांच/जैव-समतुल्यता अध्ययन रिपोर्ट, प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आदि के आधार पर निम्नलिखित 70 मामले अनुमोदित किए गए हैं:

1. नई औषध अनुप्रयोग के मामले-9
2. बड़ी मात्रा में (बल्क) औषध के मामले-4
3. बाद की नई औषध अनुप्रयोग (जेनेरिक) के मामले-29
4. आशोधित औषध रिलीज फार्मूलेशन के मामले-एक
5. निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण के मामले-10
6. खुराक के नए रूप के मामले-16
7. नए लक्षणों के मामले-एक

शेष मामले मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे क्लिनिकल जांच के अधीन/और अथवा जैल समतुल्यता अध्ययन, अथवा विषय के विशेषज्ञ के साथ परामर्श अथवा प्रयोगशाला जांच अवस्था आदि के अंतर्गत हैं। जैसे ही प्रयोगशाला/आवेदक से संतोषजनक रिपोर्टें प्राप्त होंगी, अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा।

मलेशिया में भारतीयों का उत्पीड़न

2614. श्री भीम दाहाल:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मूल के लोगों का मलेशिया में निरंतर उत्पीड़न होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि मलेशिया में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिक यदा-कदा भारतीय हाई-कमीशन कुआलालम्पुर से शिकायतें करते हैं जो सामान्यत: नियोक्ता द्वारा रोजगार संविदा की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में होती है।

(ग) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर मिशन आपसी स्वीकार्य समाधान पाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है। यदि किसी मामले में नियोक्ता भारतीय कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने में सहयोग नहीं करते हैं तो उन मामलों को मलेशिया सरकार के श्रम विभाग को भेज दिया जाता है। मिशन, भारत सरकार के उत्प्रवासी संरक्षक को सूचित करके उक्त मलेशियाई नियोक्ता/कंपनी को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई करता है।

प्रत्यर्पण संधियां

2615. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विदेशों से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोध पर प्रवृत्त संधि और भारतीय

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अनुसरण में विचार किया जाता है। द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की जांच एजेंसियों से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोधों की जांच की जाती है और उन्हें संबद्ध देश को भेजा जाता है।

(ख) विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इन ब्यौरों को प्रकाशित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या निम्नलिखित हैं:

वर्ष	1998	2000	2001
भारतीय कैदियों की संख्या	8945	9243	4556

(ग) कैदियों पर स्थानीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है। संबद्ध भारतीय मिशन/केन्द्र के कोंसली अधिकारी यात्राओं के जरिए भारतीय कैदियों के हित कल्याण पर नजर रखते हैं। उपयुक्त मामलों को स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है।

विदेशी फुटबाल प्रशिक्षक

2616. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने फुटबाल के प्रशिक्षकों को स्काउट क भांति कार्य करने हेतु एक दल विदेश भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कितने विदेशी प्रशिक्षकों को कार्य में लगाया गया है; और

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फुटबाल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए किन राज्यों का चयन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कुल 42 विदेशी प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है अर्थात 27 को दीर्घावधिक आधार पर और 15 को अल्पावधि के लिए।

(घ) खेल राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष खेल का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य खेल परिसंघ की जिम्मेदारी होती है। फिर भी, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अपनी खेल संचालन योजनाओं जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष क्षेत्र खेलों के अंतर्गत, अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फुटबाल सहित विभिन्न खेल-विधाओं को बढ़ावा दे रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, फुटबाल की खेल-विधा में प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र 378 लड़के तथा 38 लड़कियां।
2. विशेष क्षेत्र खेल-96 लड़के।
3. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना-155 लड़के तथा 12 लड़कियां।
4. सेना बाल खेल कम्पनी योजना-86 लड़के।

अफ्रीकी देशों को सहायता

2617. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अफ्रीकी देशों को वित्तीय और तकनीकी क्षेत्रों में सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) संगत ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अफ्रीकी देशों की निधि के लिए सहायता, आईटेक और जी-15 कार्यक्रमों के अंतर्गत सब-सहारा देशों को दी गई सहायता

क्र.सं.	देश	सहायता
1	2	3
1.	सेनेगल	4.49 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत के अंतर्गत जी-15 के तहत भारतीय तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से उद्यमी प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र का निर्माण। यह परियोजना अप्रैल,

1	2	3
		2002 में सेनेगल के प्राधिकारियों को सौंप दी गई है।
2.	सेनेगल	कृषि विकास परियोजना। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि विशेषज्ञों को भेजा गया और टेक्टर दान में दिए गए। इस परियोजना का उद्देश्य धान की खेती का विकास करने तथा कपास की बेहतर किस्म के उत्पादन के लिए सेनेगल के प्राधिकारियों को विशेषज्ञता तथा उपकरण देना है। परियोजना की लागत 10 करोड़ रुपये है।
3.	बुरकिना फासो	भारत-बुरकिना फासो कृषि सहायता परियोजना। भारत से भेजे गए 6 भारतीय कृषकों तथा तकनिशियनों की सहायता के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बुरकिना फासो पक्ष को टैक्टर और अन्य कृषि उपकरण दान में दिए गए। इस परियोजना का उद्देश्य गुणवत्ता किस्म के बीजों का उत्पादन करने के लिए मशीनीकृत खेती में बुरकिना फासो के कृषकों को सहायता तथा प्रशिक्षण देना है। एक चल कार्यशाला भी दान में दी गई।
4.	नार्मीबिया	भारत-नामीबिया प्लास्टिक प्रौद्योगिकी केन्द्र। राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन से तैनात चार इंजीनियरों द्वारा अगस्त 2000 में पूरा किया गया और चालू किया गया।
5.	नामीबिया	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने जून, 2000 में 10 बायो गैस प्लांट स्थापित किए।
6.	नामीबिया	वर्ष 2000-01 में इंदिरा गांधी प्रसूती केन्द्र, ओनेमाया नामीबिया के लिए अस्पताल उपस्कर और एक एम्बूलेंस दिया।
7.	घाना	कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता सुधार में सहायता के रूप में 1999 में प्रायोगिक आधार पर 15 गेहूं उत्पादक भेजे गए।
8.	तंजानिया	दो काजू प्रोसेसिंग प्लांट भेंट किए गए और वर्ष 2000-01 में स्थापित किए गए।
9.	नाइजीरिया	एच एम टी (भारत) द्वारा नाइजीरिया मशीन टूल्स को पुनर्जीवित करने के लिए सितम्बर, 2001 में 5 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान किए।
10.	जिम्बाब्वे	जी-15 के अंतर्गत छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों के विकास की प्रक्रिया चल रही है।
		दान
1.	मोजाम्बिक	2000 में मोजाम्बिक के बाढ़ पीढ़ितों को 25,000 मच्छरदानियां और मलेरिया प्रतिरोधक दवाईयों का दान।
2.	मोजाम्बिक	1998-99 में दवाईयों और चिकित्सा उपस्कर
३.	सेशेल्स	2000 में दवाईयों और खाने के तेल का दान
4.	घाना	2000 में सिलाई मशीनों, बाइसाइकिलों, मोटर साइकिलों, जल पम्पों का दान।
5.	घाना	1998-99 में चिकित्सीय और चीरफाड़ के उपस्कर।
6.	बेनिन	वर्ष 2000 में जल पंप और भूसा बनाने के उपस्कर, चावल और मटर।
7.	इथियोपिया	2000-01 में सूखा पीड़ितों के लिए 82 मीट्रिक टन दूध।
8.	जाम्बिया	जून 2000 में हैजा और मलेरिया प्रतिरोधी ड्रग।
9.	उगांडा	2000-01 में उगांडा के अस्पताल को चिकित्सीय उपस्कर

1	2	3
10.	तंजानिया	1999-2000 में 100 मीट्रिक टन चावल।
11.	कोट डीआईवाएर	1998-99 में 300 सिलाई मशीन और 40 डीजल पंप।
12.	कीनिया	1998-99 में औषधि और एक्स रे फिल्म।
13.	मेडागास्कर	2000-01 में हैजा महामारी प्रतिकार करने के लिए दवा।
14.	नामीबिया	एक सरकारी अस्पताल के लिए एक्स-रे मशीन तथा 1998-99 में बालदूध पाउडर।
15.	उगाण्डा	25 मीट्रिक टन उच्च फसल मक्का बीज और 1998-99 में 100 डीजल पम्प
16.	नाईजीरिया	1999 में आम चुनाव के लिए पक्की स्याही
17.	बेनिन	2001 में आम चुनाव के लिए पक्की स्याही
18.	लेसोथो	2001 में नगरपालिका चुनावों के लिए पक्की स्याही
19.	उगाण्डा	2000 आम चुनावों के लिए पक्की स्याही

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

2618. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 मई, 2002 को नई दिल्ली में नई दिल्ली और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए अधिकारिक स्तर की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को सुधारने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) यूरोपीय संघ के साथ संस्थागत वार्ता के भाग के रूप में विदेश सचिव स्तर पर भारत-यूरोपीय संघ ट्राइका के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में 2 मई, 2002 को हुई। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझी सामरिक भागीदारी है जो लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता तथा विधिसम्मत शासन के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास के संवर्धन एवं समृद्धि पर आधारित है। हमारे संबंध की सुदृढ़ता भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्षिक शिखर-सम्मेलनों की शुरुआत से परिलक्षित होती है।

पोतान्तरण सुविधाएं

2619. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के पास किसी भी पत्तन पर विशाल अन्तर्राष्ट्रीय पोतों को ठहराने की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश पत्तन व्यापार छोटे देशों यथा कोलम्बो, सिंगापुर इत्यादि की ओर आकर्षित हो जाता है क्योंकि उनके पास विदेशी माल वाहक पोतों को ठहराने की सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में किसी प्रमुख पत्तन पर इस प्रकार की पोतान्तरण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ङ) भारत से कंटेनर ट्रैफिक के अधिकांश भाग का यानान्तरण मुख्यत: कोलम्बो, सिंगापुर तथा गल्फ क्षेत्र जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। बाहरी पत्तनों पर यानान्तरण करने के कारणों में से एक कारण भारतीय महापत्तनों पर सीमित गहराई होना है जो कि मेनलाइड, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के बड़े जलयानों को हैंडलिंग की अनुमति नहीं देती है। अत: सरकार ने वालापथम, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय यानान्तरण कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस टर्मिनल के विकास तथा प्रचालन के लिए प्राप्त एक मात्र बोली सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना

2620. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता दी गयी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस योजना के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र किस सीमा तक और किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पंजीकृत खेल संगठनों पर बल देने के लिए इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तहसील स्तर पर स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, किसी राज्य में खेल विद्या की लोकप्रियता तथा अपेक्षित अवस्थापना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पता लगाई गई खेल विधाओं में, जिला प्रशिक्षण केन्द्र (डीसीसी) को दो प्रशिक्षक तथा राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) को 8 प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में, 1539 प्रशिक्षक हैं जिनमें से 792 प्रशिक्षक राज्य सरकारों के पास हैं तथा शेष 747 प्रशिक्षक भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं तथा संबंधित कार्यक्रमों के साथ संबद्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, केवल राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों तथा जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात प्रशिक्षकों का वेतन केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इन प्रशिक्षकों को भुगतान किये गये वेतन का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(घ) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू) ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का अध्ययन किया है तथा यह देखा है कि डीसीसी के अंतर्गत जिला स्तर पर तैनात किए गए प्रशिक्षकों ने संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाए हैं और इसीलिए, इन्होंने डीसीसी से प्रशिक्षकों को हटाने की सिफारिश की है। यही कार्य प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण, केन्द्र, विशेष क्षेत्रीय खेल केन्द्र, सेना बाल खेल कंपनी, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना तथा उत्कृष्टता केन्द्रों जैसी भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं में स्थानांतरित करके किया जा रहा है।

(ङ) जैसाकि ऊपर बताया गया है, पता लगाए गए डीसीसी/एससीसी में तैनात प्रशिक्षक भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण खेलों की एक पृथक योजना है जिसका कार्यान्वयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है:

(1) खेल संबंधी गतिविधियों में खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा ग्रामीण युवाओं की व्यापक भागीदारी।

(2) निचले स्तर पर खेलों को सुदृढ़ बनाना।

(3) प्रतियोगिताओं की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ग्रामीण युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना।

(4) और अधिक विकास करने के लिए प्रतिभा का पता लगाना।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाएं

2621. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक शुल्कों में वृद्धि के अनुसार शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में डाक पारगमन/छंटाई/वितरण में सुधार आया है;

(ख) हवाई और सड़क मार्ग से ली जाई जाने वाली डाक सामग्रियों की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकियों के आवागमन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार मानसून के दौरान ग्रामीण डाकिए को जल रोधी रेनकोट और डाक थैला देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) डाक के पारेषण, छंटाई और वितरण में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और इसकी कड़ी मॉनीटरिंग की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभारित शुल्क पर ध्यान दिए बिना समय पर डाक वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ख) प्रथम श्रेणी की पूरी डाक, जिसमें पत्र, पोस्ट कार्ड, पत्र कार्ड और मनीऑर्डर शामिल हैं, विमान सेवा की उपलब्धता और वितरण सुविधा के आधार पर हवाई मार्ग से भेजी जाती है। द्वितीय श्रेणी की डाक जैसे बुक पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र, पैटर्न व सैंपल पैकेट और अंध साहित्य के पैकेट, उन मामलों को छोड़कर जिनमें वायु शुल्क का भुगतान किया गया हो, सड़क मार्ग से भेजे जाते हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकियों की गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग साइकिल खरीदने के लिए साइकिल अग्रिम और साथ ही रखरखाव भत्ता भी देता है। तथापि, ग्रामीण डाक सेवकों को रखरखाव भत्ता तभी दिया जाता है यदि उनके पास साइकिल हो और वे उसका उपयोग डाक वितरण के लिए करते हों।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर जहां साइकिल का उपयोग करने की शर्त नहीं है, विभाग ग्रामीण डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को उस मामले में पहले से वाटर-प्रूफ रेनकोट सप्लाई कर रहा है यदि वे वितरण के लिए साइकिल का प्रयोग कर रहे हों। डाकियों को वाटर-प्रूफ वितरण बैग सप्लाई किये जाते हैं।

बाल टीकाकरण कार्यक्रम

2622. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चों को प्राण घातक संक्रमण से बचाने वाले टीके नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समूचे देश को कब तक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर परन्तु निवारणीय रोगों नामत: बाल्यावस्था क्षयरोग, डिपथीरिया, काली खांसी, पोलियो, खसरा और नव-जात बच्चों को होने वाले टेटनस के नियंत्रण के लिए पूरे देश में बच्चों को वैक्सीने दी जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ के मूल्यांकन के अनुसार 2000-2001 में इन छह रोगों के प्रति देश में पूरी तरह प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 53.6 था। अपेक्षाकृत कम राष्ट्रीय (मूल्यांकित) कवरेज का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में निष्पादन का स्तर कम 25% से कम) है। जनस्वास्थ्य आधारभूत ढांचे और प्रदानगी पद्धति में कमी और महत्वपूर्ण स्तरों पर पर्यवेक्षण में अपर्याप्तता और रिक्तियों के कारण इन राज्यों में कवरेज कम रही है।

इन राज्यों को (1) सहायक नर्स धात्री और जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों की भरती करने (2) प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने, और (3) नेमी प्रतिरक्षण की पहुंच, गुणवत्ता और मॉनीटरिंग को सुधारने के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया गया है।

गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश कुल मिलाकर पोलियो वायरस के फैलाव से मुक्त है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कर्मचारियों की मांगें

2623. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूरे देश में सीजीएचएस कर्मचारियों द्वारा गत दो महीनों से थोड़े-थोड़े अन्तराल से लगातार कलम रोको हड़ताल की जानकारी है जिससे लाभार्थियों को परिहार्य असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में जुलाई/अगस्त, 2002 के दौरान प्रतिदिन एक से तीन घंटे के लिए विरोध प्रदर्शित करने की सूचना दी है।

(ख) संघ की मुख्य मांगों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी कर्मचारियों को प्रोन्नति देना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों द्वारा किए गए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान से छूट देना, स्टोर-कीपर सह लिपिक (होम्यो.) के पद

को पुनः पदनामित करना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्टाफ के संबंध में चिकित्सा व्ययों की संपूर्ण प्रतिपूर्ति करना और निजी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराने के लिए क्रेडिट सुविधाएं देना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए धुलाई भत्ते की दर को बढ़ाना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे अवर श्रेणी लिपिकों और अपर श्रेणी लिपिकों का अनुपात 60 : 40 करना, दवाइयों की समयपूर्वक और अच्छी आपूर्ति, पदों की कुछ श्रेणियों के संबध में भरती नियमों को संशोधित करना, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (ए.सी.पी. स्कीम) को कार्यान्वित करना, ड्रेसर के वेतनमान को बढ़ाना, खाली पड़े पदों को भरना, वर्दियों की लागत की प्रतिपूर्ति करना, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने और मकान निर्माण पेशगी के संबंध में भी शक्तियों को विकेन्द्रीकृत करना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी का वेतनमान देना, और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों की तदर्थ सेवाओं को उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित करना शामिल हैं।

(ग) संबंधित विभागों/एजेन्सियों के परामर्श से संघ की मांगों पर विचार करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। कर्मचारी संघ के साथ एक सतत् बातचीत जारी है। संघ की कुछ मांगों पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और इसकी सूचना संघ को दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

त्वरित परियोजनाएं

2624. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है और इस पर कितना व्यय होगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) अक्टूबर 2001 में, 100 करोड़ रुपये और अधिक परिव्यय वाली 92 परियोजनाओं की पहचान त्वरित कार्यान्वयन के लिए की गई है। इनमें से 27 परियोजनाएं 11,263 करोड़ रुपये की समस्त लागत से जून 2002 तक पूरी की जा चुकी है।

(ख) और (ग) शेष 65 परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि (माह/वर्ष)	मूल लागत (करोड़ रु.)	आरसीई अनुमोदन की तिथि (माह/वर्ष)	अनुमोदित संशोधित लागत (करोड़ रु. में)	अब प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	अब तक अनुमोदन संचयी लागत (करोड़ रु. में)	प्रारंभ करने की तिथि (माह/वर्ष)		अब प्रत्याशित	(माह) संबंधित विलंब अद्यतन अनुमोदित मूल
								मूल	अद्यतन अनुमोदित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कोयला											
1.	टीपीएस-1 एक्स (एनएलसी) निगवेली, तमिलनाडु	2/1996	1590.58	12/2001	1420.27	1423.47	1053.88	3/2001	05/2002	12/2002	7(आर1)
2.	रविन्द्रखानी न्यू टैक्नी. यूजी (एससीसीएल), आंध्र प्रदेश	12/1995	242.95	-	-	242.94	21.26	3/2003	-	3/2003	0(ओ)
3.	झंझरा यू.जी.(ईसीएल) पश्चिमी बंगाल	12/1982	184.55	08/1995	403.96	386.44	370.15	3/1994	03/1998	3/2003	60(आर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	पूतकीबलहार (बीसीसीएल) धनबाद, झारखंड	12/1983	199.87	04/1997	199.87	182.60	169.27	3/1994	03/2000	3/2003	36(आर1)
5.	खान-1ए (एनएलसी) निगवेली (तमिलनाडु)	2/1998	1032.81	-	-	1015.74	707.51	3/2003	-	3/2003	0(ओ)
6.	सतग्राम यूजी(इसीएल) बूदवन प. बंगाल	5/1979	26.37	02/2002	118.87	118.87	111.02	3/1989	03/2003	3/2003	0(आर3)
7.	खान का विस्तार-1 (एनएलसी) निगवेली, मद्रास, तमिलनाडु	3/1992	1336.93	12/2001	1658.38	1667.76	1414.38	10/1996	04/2003	4/2003	0(आर1)
8.	दुधीचुआ (एनसीएल) मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	8/1992	868.93	03/2001	1281.39	1281.39	1045.76	3/1998	03/2004	3/2004	0(आर2)
	कुल		5482.99		5082.74	6319.21	4893.23				
उर्वरक											
9.	नामरूप संयंत्र रिवेम्प (एचएफसी) नामरूप, असम	10/1997	350.00	09/2001	509.40	509.40	276.69	5/2001	02/2002	10/2002	8(आर1)
	कुल		350.00		509.40	509.40	276.69				
खान											
10.	स्मेलटर एवं सीपीपी (नाल्को) का विस्तार, अंगूल, (भू) उड़ीसा	2/1998	2061.98	-	-	2061.98	1396.26	5/2002	-	1/2003	8(ओ)
	कुल		2061.98			2061.98	1396.26				
इस्पात											
11.	10/11ए बैलाडिला डिपोजिट (एनएमडीसी) जि. बस्तर, म.प्र.	8/1995	430.50	-	-	449.02	293.73	8/1999	-	8/2002	36(ओ)
	कुल		430.50			449.02	293.73				
पैट्रोलियम											
12.	बरौनी रिफाईनरी का विस्तार (आईओसी) बरौनी, बिहार	2/1999	1803.00	-	-	1979.00	1454.77	5/2002	-	8/2002	3(ओ)
13.	कोटीकली डिओसिंग यूनिट हल्दिया, (आईओसी) हल्दिया, प. बंगाल	7/1999	422.00	-	-	394.00	237.23	5/2003	-	9/2002	-8(ओ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	न्यू सलवेंट डिओसी यूनिट (आईओसी) डिगबोई डिगबोई, असम	2/1999	419.00	-	-	406.00	325.39	11/2002	-	12/2002	1
15.	डिगबोई, रिफाईनरी में हाई, डिगबोई, असम	2/1999	343.00	-	-	351.00	272.72	5/2002	-	12/2002	7(ओ)
16.	विरोगगोकली पाईपलाईन (आईओसी), गुजरात	5/2001	329.05	-	-	180.69	9.79	3/2003	-	3/2003	0(ओ)
17	कोयली-विरगाम-सिद्धपर, पाईप (आईओसी) गुजरात	8/2001	119.01	-	-	119.01	3.68	7/2003	-	7/2003	0(आ)
18.	इंटीग्रेटिड पारा-ओक्सलाईन (आईओसी), पानीपत, हरि.	6/1999	4228.00	-	-	5104.00	244.96	8/2003	-	8/2004	0(ओ)
	कुल		7663.06			8533.70	2548.54				
विद्युत											
19.	लोड डिस्पैच योजना (एडीसी) उत्तरी क्षेत्र	3/1995	479.51	02/2002	658.92	658.92	465.44	3/2000	07/2002	7/2002	0(आर1)
20.	यू. लोड डि. स्कीम (यूएलडीसी) पश्चिमी क्षेत्र	2/1995	621.57	02/2002	683.00	683.80	454.74	3/2000	07/2002	7/2002	0(आर1)
21.	एचवीडीसी लिंक-उत्तर-पूर्वी यू.पी./बिहार	9/1998	671.56	-	-	671.56	380.72	12/2001	-	10/2002	10(ओ)
22.	सिमादरी टीपीपी एसटी (एनटीपीसी) विजाग, आं.प्र.	7/1997	3650.79	-	-	4155.03	2738.10	12/2002	-	12/2002	0(ओ)
23.	टिहरी ट्रमि. सिस्टम (पीजीआई) दिल्ली/यू.पी.	3/1994	421.00	-	-	720.97	488.04	3/1999	-	12/2002	45(ओ)
24.	पश्चिमी क्षेत्र में स्थीरिंग सि. आ.प्र./तमिलनाडु	2/2001	396.28	-	-	396.28	222.96	2/2003	-	2/2003	0(ओ)
25.	टिहरी बांध एवं एच.पी.पी. (टीएचडीसीएल)	3/1994	2963.66	-	-	5209.10	4218.05	3/1999	-	8/2003	53(ओ)
26.	दुल्हस्ती पनबिजली परि. (एनएचपीसी) किस्तवार, जे.के.	11/1982	183.45	07/1989	3559.77	4227.92	335.76	11/1990	03/2001	12/2003	33(आर2)
27.	एलडी एवं सी योजना एनईआर (पीजीसीआईएल) द.पू. राज्य	8/1997	158.93	-	-	267.35	63.35	3/2000	-	12/2003	45(ओ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	नाथपा झाकरी (एनजेपीसी) किन्नौर/शिमला, हि.प्र.	4/1989	1678.02	06/1998	7666.31	9083.30	6589.32	4/1996	03/2002	12/2003	21(आर)
29.	यूएलडीसीएस-पश्चिमी क्षेत्र (पीजीसीआईएल) द.पू. राज्य	2/2001	262.18	-	-	254.82	10.15	2/2003	-	6/2005	28(ओ)
30.	तिस्ता एचई परि. स्टेज-5 (एनएचपीसी), सिक्किम	2/2000	2198.04	-	-	2198.04	414.72	2/2007	-	2/2007	0(ओ)
31.	लोकटक डी/एस(एनएचपीसी) मणिपुर	12/1999	578.62	-	-	578.62	18.58	6/2006	-	12/2008	30(ओ)
	कुल:		14263.62		12568.00	29087.71	19400.03				
रेलवे											
32.	कटपडी-पकला (जीसी) आ.प्र./तमि.	4/1992	63.00	-	72.31	180.64	66.50	3/1994	03/1998	9/2002	54(आर)
33.	थाणे-डरबी-निरू-वालसी (एमटीपी), मुंबई, महा.	5/1992	403.39	-	-	430.39	222.83	3/2000	-	12/2002	33(ओ)
34.	तिरूमलाई-वैलाछेरी एक्स (एमटीपी), चैन्नई, तमि.	4/1996	605.70	-	-	684.32	421.82	3/2002	-	12/2002	9(ओ)
35.	बैलापुर-सिबूड-उरन ई.दो.ला. (एमटीपी) मुंबई, महा.	3/1996	401.81	07/1997	-	495.44	30.67	-	-	3/2003	-
36.	खरागपुर, भूवनेश्वर (आरई) आ.प्र बंगा/उड़ीसा	3/1995	258.58	-	-	317.35	192.45	3/2000	-	3/2003	36(ओ)
37.	होटगी-गडक (जीसी) महा./कर्ना.	6/1995	180.00	-	-	263.91	136.61	3/1999	03/2003	3/2003	
38.	कालीकट-मैगलोर दो.द.रे. कर्ना/केरल	2/1996	240.00	-	-	488.90	441.59	-	-	12/2003	-
39.	दैतारी-क्योंझार-वनसपानी ला. उड़ीसा	3/1993	242.50	11/2000	537.74	591.05	310.71	12/1997	-	12/2003	72(ओ)
40.	जम्मूतवी-उधमपुर लाईन उत्तरी रेल, जे. एवं क.	3/1981	50.00	03/1990	112.00	479.00	390.52	3/1994	-	3/2004	120(ओ)
41.	नई जलपाईगुरी-नईबोगीगांव (जीसी)जलापाईगुरी, प.बं./असम	11/1998	536.85	-	-	523.82	276.82	3/2003	-	3/2004	12(ओ)
42.	गुदुर-रेनीगुंटा (एलडी) द.म.रे. आं. प्रदेश	4/1997	139.69	-	-	139.69	68.53	-	-	3/2004	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	कूपम्म वाटी फि.दोह.1(द.रे.) कनाका एवं आं. प्रदेश	3/1992	108.11	05/2002	105.01	162.23	78.65	3/1996	–	3/2004	96(ओ)
44.	विरमगांम-भिलडी दे.रे. जीसी राज./गुज	4/1990	155.66	–	–	134.80	16.27	6/1995	–	3/2004	105(ओ)
45.	भडा प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) अ.भा.	3/1984	520.00	11/1989	1098.00	426.12	255.52	3/1995	–	3/2004	108(ओ)
46.	अम्बाला-मुरादाबाद (आईई) प./हरि./उ.प्र.	3/1993	152.21	–	–	152.21	123.44	3/1998	–	3/2004	72(ओ)
47.	बोरीवली-विरार क्वां. म.रेल, बंबई, महा.	4/1995	326.90	–	–	509.13	112.95	3/2001	06/2000	3/2004	45(आर2)
48.	आरसीकेरी-हसन-मंगलौर जीसी द.रे., कर्नाटक	4/1995	186.16	–	–	321.78	183.40	3/1996	–	3/2004	96(आर)
49.	तामलूक-भिगा (एनेल) द.पू.रे. प. बंगाल	3/1984	43.72	–	–	293.97	66.92	3/1997	–	3/2004	84 (ओ)
50.	पनवेल-करजात (एनएल) म.रे. महाराष्ट्र	2/1996	89.00	–	–	137.00	68.89	3/1997	–	3/2004	84(ओ)
51.	लूनी-बारमर-मूनाबाउ (जीसी) उ.रे. राजस्थान	4/1997	240.00	–	–	283.94	104.06	–	–	3/2004	–
52.	एकलाखी-बालूघाट (एनएल) एनएफ आर, प. बंगाल	1/1986	36.80	04/1994	105.91	274.41	135.05	–	–	3/2005	–
53.	गुना-ईटावा, म.रे. मध्य प्रदेश/उ.प्र.	4/1985	158.77	01/2001	274.56	400.00	296.07	3/1994	–	3/2005	132(ओ)
54.	प्रभानी पुरना-मुडखेड-आदि जीसी (द.म.रे.) म.प्रे.	4/1985	117.97	–	–	14.22	7.98	3/1995	–	3/2005	120(ओ)
55.	सिकंदराबाद मुडखेड-जलकंपेट गांधान जीसी द.म.रे. आ./महा.	8/1997	283.52	06/1998	276.28	287.83	88.20	–	–	3/2005	–
56.	कुमार घाट अगरतला (एनएल) एनईएफआर, त्रिपुरा	4/1996	575.00	–	–	895.00	192.35	–	–	3/2005	–
57.	चैन्नई बिच-चिंगलपट वाया टमबरम, चैन्नई/तमि.	4/1999	464.99	–	–	464.99	115.50	4/2004	–	3/2005	11(ओ)
58.	रेलकोच फैक्टरी, कपूरथला चरण-2 उ.रे., कपूर. पंजाब	8/1985	180.00	02/1989	314.57	452.68	354.87	3/1992	–	3/2005	156(ओ)
	कुल		6760.33		2896.82	9905.82	4759.17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग											
59.	एनएच-5 जगतपुर 4 लेन चंडीखुल-उड़ीसा (27.68 कि.मी.) जगतपुर उड़ीसा	2/1995	137.60	-	-	173.00	65.66	11/2002	-	2/2003	3(ओ)
60.	अहम-बडो. एक्स.वे. जीक्यू गुजरात	1/1986	128.40	-	137.20	500.00	199.92	12/1991	12/1991	6/2003	138(आर)
61.	नैनी पुल लिंक रोड एनएच-2 एनएच-27, इलाहाबाद, उ.प्र.	3/1995	100.36	-	300.00	219.78	79.00	6/2001	06/2001	2/2004	32(आर)
	कुल		366.36		437.20	892.78	344.58				
जहाजरानी एवं पत्तन											
62.	उद्योग का अर्जन एलआर-2 टेंकर, कोचीन शिपयार्ड, मु. महा.	3/2000	151.29	-	-	149.65	126.91	7/2002	-	8/2002	1(ओ)
63.	एमआरपीएल के लिए पत्तन सुविधाएं आरईएफ का विस्तार (एनएमपीटी) पनम मंग. कर्ना.	7/1999	236.50	-	-	236.50	109.93	1/2002	-	10/2002	9(ओ)
64.	हिन्दु महा. से 700 यात्री सहित 160टी मालवाहन पोतों का अ. अर्जन, महाराष्ट्र	6/2000	129.62	-	-	129.62	49.34	2/2003	-	8/2003	6(ओ)
	कुल		517.41			515.77	286.18				
शहरी विकास											
65.	दिल्ली मैट्रो रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम चरण-1 दिल्ली	9/1996	4860.00	-	-	8800.00	2094.48	3/2005	-	9/2005	6(ओ)
	कुल		4860.00	-	-	8800.00	2094.48				
	कुल जोड़		42756.25		21493.72	67075.39	36292.89				

संकेत:

एएआई: एयरपोर्ट अथौरिटी ऑफ इंडिया
एआईआर-आल इंडिया रेडियो
डबल-दोहरी लाईनें
एफओआईएस-भाडा प्रचलन एवं सूचना प्रणाली
एच एवं एफडब्ल्यू-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आईओसी-इंडियन ऑयल का. लि.
एनएचपीसी-नैशनल हाइड्रो इलैक्टिक पावर कां.
यूजी-भूमिगत
एलडीसी-भार प्रेषण केन्द्र
एमटीपी-मैट्रो ट्रांसपोर्ट परियोजना
जीक्यू-गोल्डन क्वाडिलेट्रल
एनसीएल-नार्थन कोल फील्ड लि.
एनएल-नई लाईनें
आरडी एवं बीआर-सड़क एवं पूल
आरई-रेलवे विद्युतीकरण
टीएचडीसी-टिहरी हाईडो इलैक्ट्रिक पावर कां. लि.
वीएसएनएल-विदेश संचार निगम लि.
डब्ल्यूएस एवं पीयू-कार्यशाला एवं उत्पादन ईकाईयां
ओसी-ओपन कास्ट
जीसी-गेज परिवर्तन
एनआर-उत्तरी रेल
आरसीई-संशोधित लागत प्राक्कलन

[अनुवाद]

कन्ट्रोल ड्रग लैबोरेटरी, कोलकाता

2625. श्री रामरती बिन्द: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई दवाओं के प्रतिदर्शी को स्वीकृति देने के लिए कन्ट्रोल ड्रग लैबोरेटरी (सीडीएल) कोलकाता की एकमात्र प्रयोगशाला है;

(ख) क्या सभी नई दवाओं को परीक्षण के लिए सीडीएल, कोलकाता भेजा जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रयोगशाला में नई दवाओं को स्वीकृति देने में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता के अतिरिक्त केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, थाणे तथा केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में भी नई औषधों के नमूनों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीलंका को सहायता

2626. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीलंका को 51 मिलियन डालर का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उद्देश्य क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच कोलम्बो में 3 जुलाई, 2002 को 51 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने के लिए दो करार संपन्न हुए थे। पहला करार भारत से गेहूं की खरीद के लिए 31 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण से संबंधित है। यह ऋण दिसम्बर, 2001 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक अनुरोध के जवाब में श्रीलंका की सरकार को प्रदान किया जा रहा है। इस ऋण आय का उपयोग अनुमानत: 15,000 मीट्रिक टन प्रति माह की दर से 20 माह की एक अवधि में 300,000 मीट्रिक टन गेहूं आयात के लिए किया जाएगा। रियायती ऋण में भारत से आयातित गेहूं का एफ ओ बी मूल्य का शत प्रतिशत शामिल होगा। यह ऋण एक रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया गया है और 5 वर्ष की एक छूट अवधि के साथ 15 वर्ष की अवधि पुनर्अर्दायगी अवधि है।

दूसरा करार अप्रैल, 2001 में एक एवजी व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ श्रीलंका की सरकार द्वारा तय आर्थिक स्थायित्व कार्यक्रम को सहायता पहुंचाने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने के संबंध में है। इस ऋण की आय से श्रीलंका की सरकार के भुगतान संतुलन की अपेक्षाओं को सहायता मिलेगी। यह ऋण भी रियायती ब्याज दर पर 2005 से आरंभ होकर 9 वर्ष की पुनर्अदायगी अवधि के साथ प्रदान किया गया है।

बच्चों में जिंक और लौह तत्व की कमी

2627. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 75 प्रतिशत बच्चे लौह तत्व और 40 प्रतिशत बच्चे जिंक तत्व की कमी से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली नगर निगम के साथ मिल कर दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता में जिंक की कमी की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो उन बच्चों की संख्या कितनी है जिन पर यह परीक्षण किया जा रहा है;

(ङ) इस परीक्षण के परिणाम कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(च) प्रत्येक बच्चे पर रोज निगरानी रखने और रिकार्ड रखने के कार्य का पर्यवेक्षण किस प्रकार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार छह से पैंतीस माह के आयु समूह में 74 प्रतिशत बच्चों को रक्ताल्पता से ग्रस्त पाया गया। उत्तरी भारत से सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के छह से पैंतीस माह के आयु समूह के 30-40 प्रतिशत बच्चों में प्लाज्मा जिंक के स्तर कम हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली नगर निगम ने बच्चों में जिंक और आयरन की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस अध्ययन के उद्देश्यों में यह देखने के लिए एक मूल्यांकन शामिल हैं कि क्या जिंक लेने की मात्रा में सुधार करने से मृत्यु दर और उच्च रोग-दर जैसे अतिसार, न्यूमोनिया, सेप्टीसीमिया और मेनिंनजाइटिस में कमी होगी और बच्चों के शारीरिक विकास में सुधार होगा। इस अध्ययन में लगभग 80,000 बच्चे शामिल हैं जिसे दो वर्षों के समय में पूरा किया जाएगा।

(च) दिल्ली नगर निगम के प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा बच्चों को अनुपूरक आहार दिया जाता है। इस कार्यकलाप का सर्वेक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रशिक्षित फिजीशियनों और पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें रोज लिए जाने वाले अनुपूरक आहार को दर्ज किया जाता है। इस रजिस्टर की हर सप्ताह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रशिक्षित एक पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षा की जाती है। यह सभी प्रकार की सूचना कम्प्यूटरीकृत की जाती है और इसकी समीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल चिकित्सा विशेषज्ञों के दल द्वारा की जाती है।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए शुल्क मुक्त नंबर

2628. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश भर में प्राकृतिक आपदा-प्रबंधन सेवाओं के लिए दो चार अंकों वाले शुल्क मुक्त टेलीफोन नंबर आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए फील्ड एरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के शुल्क मुक्त नंबरों ने आंध्र प्रदेश के चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तटीय आंध्र प्रदेश में शुल्क-मुक्त नंबरों की स्थिति क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा प्रवण-क्षेत्रों के लिए बीएसएनएल द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश के चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में शुल्क मुक्त नंबरों को अभी चालू किया जाना है। जिला प्रशासनों से शुल्क मुक्त नंबर प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ङ) सामान्यत: बी.एस.एन.एल. द्वारा चक्रवात के समय प्रभावित जिलों में तत्काल उपाय के रूप में इनमारसेट टर्मिनल लगाए जाते हैं।

प्री-पेड कार्ड के लिए मानदण्ड

2629. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) को अलग-अलग सेवाप्रदाताओं द्वारा भिन्न नियम और शर्तें अपनाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं जैसाकि 12 जुलाई 2002 के ''द हिन्दू'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्राई ने सभी सेलुलर कंपनियों को प्रीपेड कार्ड के लिए कुछ मानक नियम और शर्तें अपनाने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ निर्धारण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) जिम्मेदार है। ट्राई द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उसके ध्यान में आया है कि

सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सी.एम.एस.पी.) द्वारा प्रस्तावित प्री-पेड सेवाओं की शर्तों में अनेक कारणों से प्राय: एक सेवा प्रदाता से अन्य सेवा प्रदाता की शर्तों में अन्तर होता है। इसके कारण, प्री-पेड सेवाओं के उपभोक्ता प्रस्तावित शर्तों की सार्थक तुलना नहीं कर पाते हैं।

(ख) ट्राई ने 11.7.2002 को सभी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सामान्य पैरामीटरों में कतिपय न्यूनतम जानकारी शामिल करने का निर्देश दिया है ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित प्री-पेड टैरिफ योजनाओं के बीच तुलना की जा सके। उक्त निर्देश 1.8.2002 से लागू होगा।

(ग) उक्त निर्देश की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

ट्राई के द्वारा दिनांक 11.7.2002 को सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सी.एम.एस.पी.) को प्री-पेड कार्डों के बारे में दिए गए निर्देश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भविष्य में शुरू की जाने वाली अपनी सभी टैरिफ योजनाओं में निम्नलिखित शर्तें शामिल करनी चाहिए:

(1) प्री-पेड कार्ड का रुपये (प्री-पेड कार्ड का वर्ग) में मूल्य।

(2) प्री-पेड कार्ड की वैध अवधि।

(3) खोये हुए/चोरी हुए/खराब हुए सिम कोडों का प्रतिस्थापन प्रभार।

(4) अधिशेष तथा रियायती अवधि बढ़ाने संबंधी शर्तें।

(5) उपभोक्ताओं को शेष राशि की जानकारी देने तथा क्या यह सुविधा टॉल-फ्री है अथवा नहीं, यह बताने संबंधी सुविधा का उल्लेख करना।

(6) प्रवेश शुल्क (एसआईएम एक्टीवेशन शुल्क) सहित कार्ड/रिचार्ज कूपन की लागत, रिचार्ज कूपन का अधिकतम खुदरा मूल्य, रिचार्ज कूपन में उपलब्ध टॉक टाइम की कुल राशि। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि शेष राशि प्रशासनिक प्रभारों, अन्य प्रभारों तथा सेवा कर के लिए है।

(7) एयर टाइम/पीएसटीएन प्रभारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। किसी भी परिवर्तन के मामले में इसके प्रभावी होने के तुरन्त बाद इसे प्रसारित/विज्ञापित किया जाये।

(8) उपभोक्ता देखरेख केन्द्र से संपर्क की प्रक्रिया।

(9) टॉल-फ्री नम्बरों की उपलब्धता।

(10) अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं की उपलब्धता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2000 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आयोग के परामर्श को स्वीकार न करने के कारणों को दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5890/2002]

(3) (एक) निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5891/2002]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): महोदय, मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2002, जो 24 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5892/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) संशोधन नियम, 2002 जो 25 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5893/2002]

(2) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5894/2002]

(4) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5895/2002]

(6) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्सिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5896/2002]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब उप-प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा। उनकी ओर से वक्तव्य कौन दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): गृह मंत्री कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि उनकी ओर से राज्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर भूख से मौतें हो रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले वक्तव्य पूरा होने दीजिए। उसके बाद मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट रखने से भी गंभीर सवाल है। देश के अंदर भूख से मौतें हो रही हैं। *...(व्यवधान)* इस पर चर्चा भी हुई थी और कृषि मंत्री जी ने इस

पर अपना वक्तव्य भी दिया था। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, आपका मैटर बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे मालूम है। कृपया मेरे साथ कोआपरेट करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, मैं आपको इजाजत देने वाला हूं। इस विषय का महत्व मैं जानता हूं और इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा और अभी भी कहा,

[अनुवाद]

कि वक्तव्य में पांच मिनट से अधिक नहीं लगेगा। वक्तव्य पूरा होने दीजिए तब शून्य काल के दौरान मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए, वक्तव्य समाप्त होने के बाद कृपया मुझे अनुमति दीजिए। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा): महोदय, पहले मेरा नाम पुकारिए क्योंकि मैं कल से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

झारखंड राज्य में विद्यमान स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, सरकार की तथाकथित ''अधिवासी नीति'' के पक्ष और विपक्ष में झारखंड के विभिन्न भागों में 18 जुलाई, 2002 से उपद्रव हुए। जबकि झारखंड दिशोम पार्टी, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी जनाधिकार मंच, सादान छात्र संघ जैसे संगठनों ने सरकार की नीति का समर्थन किया है, वहीं छात्र युवा संघर्ष समिति, झारखंड उपेक्षित युवा मंच, झारखंड यूथ एसोसिएशन इत्यादि जैसे अन्य संगठनों ने इसका भारी विरोध किया है।

इस नीति के विरोधियों ने 18 और 26 जुलाई को और नीति के समर्थकों ने 20 और 24 जुलाई, 2002 को बंद का आयोजन किया जिसके कारण नीति समर्थकों और विरोधी आन्दोलनकारियों के बीच झड़पें हुईं। इसके फलस्वरूप भारत सरकार के कुछ उपक्रमों जैसे मिकोन, सेल और प्रमुख महालेखाकार के कार्यालय सहित सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

उपद्रवों में पांच व्यक्ति मारे गए। 25 जुलाई, 2002 को रांची शहर के तीन पुलिस स्टेशनों में कर्फ्यू लगाया गया जिसे 26 जुलाई, 2002 को 5 पुलिस स्टेशनों में बढ़ाया गया। इन घटनाओं में कथित रूप से संलिप्त अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

झारखंड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने कोई नई ''अधिवासी नीति'' जारी नहीं की है। तथापि, बिहार सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग के दिनांक 3 मार्च, 1982 के आदेश द्वारा ''स्थानीय व्यक्तियों'' को परिभाषित किया था, जिसके अनुसार एक जिले को एक यूनिट माना जाना था और वे व्यक्ति, जिनके स्वयं के या उनके पूर्वजों के नाम रिकार्ड आफ राइट्स के पिछले सर्वेक्षण में रिकार्ड किए गए थे उन्हें ''स्थानीय'' माना जाना था और इन ''स्थानियों'' को रोजगार के मामले में नौकरियों की कतिपय श्रेणियों में प्राथमिकता दी जानी थी। झारखंड सरकार ने आगे सूचित किया है कि बिहार सरकार के इसी आदेश को, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 के अंतर्गत, दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के राजकीय आदेश के तहत उन्होंने अंगीकार किया है।

झारखंड सरकार ने प्रेस नोट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कोई नयी ''अधिवासी नीति'' नहीं बनाई गई है, केवल बिहार सरकार द्वारा 1982 से अपनाई जा रही नीति को ही नव सृजित राज्य द्वारा अपनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान सरकारी सेवा के ग्रुप ''ग'' और ''घ'' श्रेणियों की भर्तियों के संबंध में है जिसमें पुलिस सिपाही भी सम्मिलित हैं जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रावधान केवल स्थानिकों को ''प्राथमिकता'' देने के लिए है और आवेदन सभी उम्मीदवारों से स्वीकार किए जा रहे हैं तथा चयन प्रक्रिया में किसी के भी भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

केन्द्र सरकार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति और राज्य में लोगों के जान-माल को हुई क्षति के संबंध में अपनी चिंता जताई है और राज्य सरकार को हर हालत में कानून और व्यवस्था बनो रखने के निर्देश दिए हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने और राज्य में शांति और अमन चैन भंग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

राज्य सरकार ने अब शांति तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सिविल और सशस्त्र पुलिस तथा साथ ही साथ केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जैसे-जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं वैसे-वैसे कर्फ्यू में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिदिन कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1 अगस्त, 2002 को सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है। इस मुद्दे पर तीन रिट याचिकाएं झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं 'शून्य काल' शुरू करता हूं। कृपया मुझे सहयोग दें। मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना है और आप नियमों को भलीभांति समझते हैं। नियमों के अनुसार वक्तव्य पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

अब मैं 'शून्य काल' शुरू कर रहा हूं। मुझे 'शून्य काल' के लिए 55 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ वास्तव में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं और इसलिए मैं उन्हें एक-एक कर लेता हूं। मैं पहले महत्वपूर्ण मुद्दों को लूंगा और उसके बाद यदि समय रहता है तो मैं दूसरों को भी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, कृपया पहले मुझे अनुमति दीजिए। मैं कल से प्रतीक्षा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* इसे कुछ अग्रता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं नि:संदेह आपका मुद्दा लेने जा रहा हूं। श्री कमलनाथ एक सूचना है जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उसके तत्काल बाद आपका स्थान होगा।

श्री कमल नाथ: महोदय, मेरे मुद्दा को पहले क्यों नहीं लेते? मैं सिर्फ एक या दो मिनट का समय लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, मुझे भी एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उठाना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक हैं, मैं श्री कमल नाथ को एक मिनट का समय देता हूँ क्योंकि वह एक मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमारे रूल्स में नहीं है। मुझे इजाजत देना मुश्किल है। आप इस विषय को फिर उठा सकते हैं। लेकिन इस विषय पर नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): भूख गम्भीर मामला है। भूख के मामले पर क्या इन्तजार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके बाद मौका दे रहा हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

गोधरा रेल घटना के संबंध में कुमारी ममता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा प्रेस को दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): धन्यवाद, महोदय। पिछले सप्ताह, जब गुजरात मुद्दे पर वाद-विवाद चल रहा था, मैंने यह उल्लेख किया था कि गुजरात में चुनाव की घोषणा करने में सरकार की कतिपय बाध्यताएं थीं और इन बाध्यताओं में से एक, जो मैंने कहा था, जो एक महत्वपूर्ण बाध्यता थी, जो संभव है। कुछ अत्यन्त ही सनसनीखेज तथ्यों का उजागर होना था। *...(व्यवधान)* कल समाचार पत्रों में छपा है-और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार यहां बैठे हैं-कि कुमारी ममता बनर्जी ने कहा है कि "श्री नीतीश कुमार को गोधरा के लिए पुरस्कार दिया गया है। मैं फोरेन्सिक रिपोर्ट जानता हूं। यह पूर्व नियोजित था। आग बाहर से नहीं लगी, अपितु अंदर से लगी थी।" *...(व्यवधान)* महोदय, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। यह वही विषय है जिसे मैंने पिछले सप्ताह इन सभा में चर्चा में उठाया था।

अब, आज, कुमारी ममता बनर्जी ने पुन: दोहराया है कि "श्री नीतीश कुमार, गोधरा नरसंहार के संबध में, लीपापोती की अपनी भूमिका से कुछ अधिक जानते हैं। *...(व्यवधान)* मैंने उसके लिए पूछा था। *...(व्यवधान)* यह उनका रहना है। *...(व्यवधान)*

महोदय, वे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। क्या ऐसा है कि वे ही बोलें हम नहीं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह हमारा आरोप नहीं है, यह उनके सहयोगी का आरोप है। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं कह रहा हूं कि कुमारी ममता बनर्जी उनके साथ है। *...(व्यवधान)* तृणमूल कांग्रेस एन डी ए का सहयोगी है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उन्होंने अत्यन्त ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। वह है लीपापोती। मैंने मांग किया था कि फोरेन्सिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* माननीय गृह राज्य मंत्री यहां हैं। मैंने पिछले सप्ताह यह भी पूछा था कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर मारे गए लोगों का नाम बताया जाना चाहिए। उस समय मैंने कहा कि यह बाध्यता है, कि इसे गुप्त रखा जाए और इस प्रकार बाध्यता चुनाव की घोषणा करना हैं।

कल, कुमारी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं यह आरोप लगाया *...(व्यवधान)* उन्होंने स्वयं यह आरोप लगाया।

उन्होंने आज भी कहा:

''प्रधान मंत्री कार्यालय का अपहरण कर लिया गया है। कुछ समय के लिए प्रधान मंत्री को अलग-थलग कर दिया गया है। वास्तविक प्रधान मंत्री कौन है? वह यह पूछ रही हैं।*...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने समझा कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक 'महिला' थीं। अब वह एक और महिला का उल्लेख कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: कुमारी ममता बनर्जी यह भी पूछती हैं कि ''वास्तविक प्रधान मंत्री कौन है? तब वह कहती हैं कि श्री वाजपेयी मुगल बादशाह शाहजहां की भांति जेल में हैं। वह अलग-थलग पड़ गए हैं। उनका अपहरण कर लिया गया है। महोदय, यह अत्यन्त ही बड़ा और गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: अब मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, महोदय, कि कृपया गृह मंत्री को निर्देश दें कि फोरेन्सिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखने और गोधरा नरसंहार में मारे गए लोगों की सूची भी सभा पटल पर रखी जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं और आप बोलने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह एन डी ए के एक सहयोगी का आरोप है। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह सिर्फ उनका आंतरिक मामला नहीं है। यह पूरे देश से संबंधित है। *...(व्यवधान)* वह उनके साथ हैं। उनकी पार्टी एन डी ए में ही सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह सिर्फ उनका आंतरिक मामला नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष जी, गुजरात के बारे में कुछ न कहा जाए। यह गुजरात की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हम भी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी चांस दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, इस प्रश्न पर मुझे अन्य सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। मैंने श्री कलमनाथ को ही बोलने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि वे कल से ही इस मुद्दे को उठाने के लिए कहते रहे हैं। यदि आप इसका उत्तर देना चाहते हैं तो कुछ समय इन्तजार कीजिए। बाद में, मैं आपसे उत्तर देने के लिए कहूंगा। आप उस समय उत्तर दे सकते हैं।

अब, कुंवर अखिलेश सिंह एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। उन्हें यह मुद्दा उठाने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): अध्यक्ष जी, खुशी की बात है कि दिल्ली में बारिश की बौछार हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: यहां तो जीरो-आवर में प्रश्नों की बौछार हो रही है।

श्री जवाहर लाल जायसवाल (चंदौली): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र चन्दौली जनपद के नवगढ़ ब्लॉक में धन-कुवारडी गांव में दो लोगों की भूख से मौत हो गयी है। *...(व्यवधान)* भारत सरकार ने वायदा किया था कि किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष जी, इसका डबल-रोल है जो दोनों खड़े हुए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): एक ही सवाल पर सब लोगों ने नोटिस दिया है, इसलिए दोनों खड़े हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में यह परम्परा नहीं है। कुंवर अखिलेश सिंह इस पर बोलना चाहते हैं। उन्होंने सूचना दी थी। इसलिए, मैंने उन्हें बोले की अनुमति दी है। अन्यथा, सदन की कार्रवाई का संचालन कैसे हो सकता है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के नवगढ़ ब्लॉक में धनकुमारी कलां गांव में भूख से दो गरीब लोगों की मृत्यु निश्चित तौर पर दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद की ग्राम-पंचायत धनकुमारी कलां के गांव कुबरा की 50 साल की दगिया तथा 60 वर्ष के बूढ़े विश्वनाथ हरिजन की मौत हुई है। उस ग्राम-पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा जिला-कलैक्टर को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना दी गयी। उस क्षेत्र के माननीय सांसद जवाहर लाल जायसवाल द्वारा जिला-अधिकारी और जिला प्रशासन को सूचना दी गयी लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस जनपद के जिला-अधिकारी, जिला प्रशासन तथा प्रदेश प्रशासन द्वारा इस मौत को दबाने के लिए इस घटना से इंकार किया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश प्रशासन ही इस मौत के साथ यह क्रूर मजाक नहीं कर रहा है बल्कि इस देश के कृषि मंत्री आदरणीय अजीत सिंह जी द्वारा जब आपने नियम 193 के अंतर्गत सूखे पर चर्चा करायी थी इस सदन के माध्यम से संपूर्ण देश को आश्वासन दिया था कि हमारे गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं और हम सूखे से किसी भी व्यक्त को मरने नहीं देंगे। लेकिन मान्यवर, माननीय अजीत सिंह जी का वह वक्तव्य इस सदन को ही नहीं सम्पूर्ण देश को गुमराह कर रहा है। आज जब देश के गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं, ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की दर्दनाक मौत निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिह्न है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन लोगों ने सदन को गुमराह करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये।

जो व्यक्ति भूख से मरे हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जो। हम यह भी मांग करेंगे कि सदन की एक संयुक्त समिति मौके पर जाकर इसकी जांच करे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। माननीय जायसवाल जी का संसदीय क्षेत्र चंदौली है। वहां के नवगढ़ गांव का ब्लॉक धनकुमारीकलां है और उसका मजरा मल्ला है जिसे कुंवरडीह कहते हैं। वहां 50 साल के दगिया और 60 साल के विश्वनाथ की भूख से मौत हो गई है। हमने स्पष्ट नाम, स्पष्ट गांव, जिला और ब्लॉक का नाम यहां बता दिया है। वहां दो लोगों की भूख के कारण मौत हो गई। इस बारे में प्रधान ने सूचना भी दी लेकिन जिला प्रशासन ने बार-बार मना कर दिया। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने बार-बार सदन में कहा और अखबार भी उनके इस बयान से भरे पड़े हैं कि गोदाम देशी-विदेशी अन्न से भरे पड़े हैं लेकिन इसके बाद भी मौतें हो रही हैं। यह गम्भीर मामला इसलिए है कि पूरे विपक्ष ने आपको इससे सावधान किया था। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने और मध्य प्रदेश के कई माननीय सदस्यों ने भी आपको इससे सावधान किया था कि अब मजदूर और खेतिहर मजदूर भूखों मरेंगे लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई गम्भीर कदम नहीं उठाए। अब यह सवाल है कि अगर इस तरह की मौतें हो रही हैं तो क्या हम लोग उन्हें बर्दाश्त करेंगे या हमें जनता से यह कहना पड़ेगा कि जितने गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं, भूखों मरने की बजाय अब पुलिस, प्रशासन और सरकार की गोली से मरना स्वीकार करें और उन गोदामों का ताला तोड़ कर अन्न बांट लें क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। यह गम्भीर स्थिति आने वाली है। इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं और उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? यह सच्चाई है कि माननीय जायसवाल जी ने डीएम से मिल कर सूखे की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। जहां यह इलाका है, वहां

गम्भीर स्थिति है। वहां पानी का अभाव है। पूरा का पूरा इलाका माफिया लोगों का गढ़ है। इस मामले को गम्भीरता से लेकर समस्या को हल करें क्योंकि जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप ही हैं, इसलिए आप निर्देश दीजिए। यदि नहीं देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोग भूखों मरेंगे तो सबसे पहले हम लोग होंगे, जो गोदाम तोड़ने के लिए जनता को आह्वान करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अभी मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी ने जो सवाल ठाया कि चंदौली में सूखे के कारण दो मौतें हुई, वह हमारे साथी जायसवाल जी का संसदीय क्षेत्र है। यह जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह बहुत गम्भीर मामला है। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई होती थी। जिन लगों को काम नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी, वह धान की रोपाई से जीवन-यापन करते थे। इस साल पानी की कमी से धान की रोपाई नहीं हुई और लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिला। उसी का परिणाम है कि दगिया और विश्वनाथ की मौत हो गई। यह बहुत गम्भीर मामला है। आज चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है। देश के सामने गम्भीर संकट उपस्थित हो गया है। जो हालात हो रहे हैं उससे जमाखोरी बढ़ेगी। जैसा मुलायम सिंह जी ने अभी कहा कि सरकार ने कहा कि गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं। यह अजीब स्थिति है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पर्याप्त अन्न है और दूसरी तरफ भूख से लोग दम तोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई हो नहीं सकती है। आज हालत यह हो गई है कि जिन लोगों के पास अपने पशु हैं, जानवर हैं, उनको खिलाने के लिए चारे का इंतजाम नहीं है। वह उन्हें कुट्टी खिलाने के लिए बेबस हैं। इस सवाल पर सरकार का कोई सकारात्मक रवैया नहीं है। उपप्रधान मंत्री और गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी है जिसमें वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह, कृषि मंत्री श्री अजित सिंह, खाद्य मंत्री श्री शरद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शान्ता कुमार सदस्य हैं। सूखे से निपटने के लिए क्या रेल मंत्री, जल संसाधन मंत्री की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों मंत्रियों को इसमें क्यों नहीं रखा है? मैं मजबूती से कहना चाहता हूं कि सरकार घोषित करे कि उसने अब तक सूखे से निपटने के लिए क्या किया है?

इस सरकार का रोल क्या रहता है। आज श्री अजित सिंह जी का बयान छपा है। हालत यह है कि ऐसी स्थिति में छोटे किसानों के ब्याज माफ हो सकते हैं। आज हमें जो बताया जाता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर 55 लोगों के भाषण हो चुके हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या सकारात्मक कदम उठा रही है, इसकी घोषणा सरकार करे। टास्क फोर्स गठित हो रही है, सरकार कहती है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या कर रही है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर जिन लोगों ने नोटिस दिया है, मैं उन्हें इजाजत दूंगा। चन्द्रशेखर जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री चन्द्रशेखर (बलिया उ.प्र.): जी हां।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, श्री जायसवाल के बाद बोलियेगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष जी, आज के अखबारों में चन्दौली जिले में दो व्यक्तियों की मौत भूख से होने का समाचार छपा है। लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक पर हालत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो जाती है। एक महीना बीत जाने के बाद जब बरसात नहीं हुई तब केन्द्र और प्रदेश सरकार ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि हम उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास न तो अपनी जोत है, न अपनी जमीन है और न जोत या जमीन के द्वारा वे लोग कमाई कर सकते हैं, वे केवल मजदूरी पर आश्रित हैं। चूंकि इस बार बरसात नहीं हुई है, इसलिए जुताई और बुवाई का कोई काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। उन लोगों को मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है। उनकी हालत यह है कि आज तो दो व्यक्तियों की मौत की खबर अखबारों में छपी है, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि दर्जनों व्यक्तियों की मौत भुखमरी से हो गई हो। इस बात का ताज्जुब नहीं कि अगले 10-15 दिनों में यही स्थिति रही तो सैंकड़ों की तादाद में इस तरह की घटनायें घट सकती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब देश के एफ.सी.आई. गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है, हमारे प्रदेश में भुखमरी हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडम्बना और कोई नहीं हो सकती। यहां माननीय कृषि मंत्री भाषण दें, वहां प्रदेश के मुख्य मंत्री भाषण दें, भाषण से कहीं राशन मिलता है? क्या भूख से ऐसे मौतें होती रहेंगी? ये लोग भाषण देते रहेंगे, व्यवस्था बनाते रहेंगे, नीतियां बनाते रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप कृषि मंत्री को निर्देश दें और उत्तर प्रदेश प्रशासन से अनुरोध करें कि जहां कहीं भुखमरी की स्थिति हो रही है, वहां अनाज भंडार खोल दिये जायें और कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में भूख से नहीं मरना चाहिये।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है कि इस पर चुप रहना संभव नहीं। दो तरह की स्थिति है—एक तो अन्न के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं। जो भी सरकार है, वह क्या कर रही हैं, कम से कम साधारण जनता को इसका पता नहीं है। लेकिन क्या इस स्थिति पर हम विवाद करें, क्या इस स्थिति पर बहस होगी? मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां से सम्माननीय सदस्यों की एक समिति वहां भेजें जो देखे कि स्थिति क्या है? अगर सरकार यह कहती है कि लोग भूख से नहीं मरें लेकिन ग्राम प्रधान कहता है कि भूख से मरे हैं और अगर श्री जायसवाल जी, जो वहां से सांसद हैं, कहते हैं कि मरे हैं, तो फिर इस पर विवाद की क्या बात है? कभी-कभी इस सदन को भी पहल करनी चाहिए। भूख जैसे मामले पर इस सदन को बांटना नहीं चाहिये। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। अगर यह स्थिति है, अगर मुलायम सिंह जी कहें या नहीं कि लोग मजबूरन हिंसा पर उतारू होंगे लेकिन उस हिंसा का असर भारत सरकार पर होने वाला नहीं है। अभी गृह राज्य मंत्री जी बयान दे रहे थे, जिसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। अगर वे समझते हैं कि झारखंड की स्थिति उसी तरह से जैसा बयान दिया है. तो ठीक है, थोड़े दिन और देख लें कि स्थिति क्या होती है। चाहे दवा का प्रश्न हो, चाहे झारखंड का सवाल हो, चाहे भूख का सवाल हो, हर सवाल पर सरकार मौन रहना ही उचित समझती है। जब यह मौन टूटेगा, तब तक जनता के लिए इस मौन को बर्दाश्त करना संभव न होगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, श्री जवाहर लाल जायसवाल उस इलाके से सांसद हैं जहां यह घटना हुई है। कृपया इन्हें दो मिनट बोलने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय: इनका नोटिस नहीं है। आपकी पार्टी से आप बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, संसद में सदस्य बनने से पहले उसे शपथ लेनी होती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई मौतें हुई हैं और अपवादस्वरूप मैं उन्हें संक्षेप में बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जवाहर लाल जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, चन्दौली के नौगढ़ ब्लाक में ग्राम सभा धनकुवारी के क्वारडीह गांव में भूख से दो लोगों की मौत हो गई है। नौगढ़ ब्लाक जंगल एरिया है और चन्दौली जनपद में सिंचाई बांधों से होती है। वहां नारायणपुर और भूपोली दो पम्प कैनाल हैं। नारायणपुर गांव में 18 पम्प चलते हैं और भूपौली में 11 पम्प लगे हुए हैं। जब मैं 13 तारीख को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला था तो नारायणपुर में केवल तीन पम्प ही चल रहे थे। वहां धान की नर्सरी के लिए किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह सारे पम्प चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बाद केवल छ: पम्प ही चलाये गये और टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया। वहां धान की नर्सरी नहीं लग पाई है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। अगर वहां के पम्पों के लिए दस करोड़ रुपये मुहैया करा दिये जाएं तो सारे पम्प चल सकते हैं। लगभग एक साल पहले जनपद के कलक्टर ने सरकार से दस करोड़ रुपये की मांग की थी और कहा था कि अगर दस करोड़ रुपये मुहैया करा दिये जाएं तो सारे पम्प चलने शुरू हो जायेंगे। सरकार द्वारा केवल दस करोड़ रुपये न देने के कारण वहां की सारी खेती बर्बाद हो रही है। आज वहां भूख से दो मौतें हुई हैं, लेकन अगर धान की फसल नहीं हुई तो वहां हजारों मौतें होंगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां तुरंत पानी की व्यवस्था करायें, ताकि लोगों को भूखों मरने से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह सार्वजनिक महत्व का मामला है। आप जानते हैं कि इस सदन में पद ग्रहण करने से पहले संसद के प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी होती है और यदि वह उस शपथ का उल्लंघन करता/करती है तो वह अयोग्य हो जाता/जाती है। यही बात केन्द्रीय मंत्रियों के संबंध में भी है। उसे कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ ग्रहण करनी होती है। शपथ में कहा गया है:

> "मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा; मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा; मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निवर्हन करूंगा तथा सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

महोदय, यदि कोई मंत्री अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है तो वह केन्द्रीय मंत्री होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। .....* *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आप इस प्रश्न को उठाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैंने यह आपको दे दिया है *...(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एलटीटीई का समर्थन किया है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: जब लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है *...(व्यवधान)* तो कोई मंत्री लिट्टे का समर्थन कैसे कर सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं किसी मुद्दे के उठाए जाने की बात नहीं करता परन्तु सदस्यों को समुचित सूचना देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: उन्होंने कहा कि वे लिट्टे का समर्थन करना जारी रखेंगे *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, बिना सूचना के यदि कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसे कार्रवाई-वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कोई विशेष आरोप लगाए बिना ही किसी मुद्दे को उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह एक कानूनी प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आप नियमों को जानते हैं। अब, जो भी उन्होंने आरोप के रूप में मंत्री के खिलाफ कहा है उसे कार्रवाई-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं कानून की बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कोई भी समाचार-पत्रों से उल्लेख कर सकता है *...(व्यवधान)* उसे कार्यवाही-वृत्तांत से कैसे निकाला जा सकाता है *...(व्यवधान)* महोदय, केवल इसलिए कि संसदीय कार्य मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह इस कारण से नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय वर्ष 1984 में श्री बालकृष्ण पिल्लई जो केरल में मंत्री थे ने एक शब्द कहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया एक मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट से उल्लेख कर रहे हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वे मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख कर रहे थे। वो कोई आरोप नहीं लगा रहे थे।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, यह कोई आरोप नहीं है। वे समाचार-पत्र की रिपोर्ट से उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे से संबंधित सभी नियम स्पष्ट हैं। यदि कोई सदस्य आरोप लगाना चाहता है तो वह सूचना देकर सकता है और उस मंत्री के विरुद्ध आरोप भी लगा सकता है। मुझे इस संबंध में श्री पांडियन से कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री पी.एच. पांडियन: यह कोई आरोप नहीं है। यह सच है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए वह हमेशा कह सकते हैं कि मंत्रीजी ने गलत वक्तव्य दिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह हमेशा कह सकते हैं कि मंत्रीजी वक्तव्य देने के संबंध में हमेशा सही नहीं थे। परन्तु मैं किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने की उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: बालकृष्ण पिल्लई ने एक शब्द कहा था कि केरल पंजाब में बदल जाएगा। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकार पृच्छा रिट दायर की गई। केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि यह संसद या विधानमण्डल का काम है कि अयोग्यता का निर्णय करे। *...(व्यवधान)* मैं इसलिए यहां आया हूं। श्री प्रमोद महाजन, आप भी अपने मंत्री का वक्तव्य देखिए। *...(व्यवधान)* एम डी एम के के मंत्री राजग सरकार का भाग हैं। यदि वे लिट्टे का समर्थन जारी रखेंगे तो वे मंत्री कैसे रह सकते हैं क्योंकि लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है? *...(व्यवधान)* लिट्टे पोटा के अंतर्गत एक प्रतिबंधित संगठन है। क्या, वे केन्द्र सरकार से कोई कार्रवाई चाहते हैं या वे पोटा के अंतर्गत राज्य सरकार कोई कार्रवाई चाहते हैं या सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है? मैं एक प्रति दे चुका हूं। आप यहां सर्वोत्तम शक्ति हैं। कार्रवाई करना अध्यक्ष का काम है।

[श्री पी.एच. पांडियन]

आप ब्राडलॉ का मामला जानते ही होंगे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में पद की शपथ का उल्लंघन किया था। उन्हें तीन कार्यकालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे तीन बार के लिए अयोग्य हो गए थे। इसलिए, महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से पूंछूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: भावना जी, आप अपनी बात बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। कृपया बैठ जाइए। श्रीमती भावनाबेन चीखलिया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है। उन्हें अपना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, आपका काम कार्रवाई करना है। संसद को संविधान के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने सभा को कतिपय वक्तव्य के बारे में बताया है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और वे कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है या नहीं।

श्री कमल नाथ: मंत्री जी को बोलने दें।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, वे मंत्री नहीं हैं।

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, मुझे खेद है।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने वाला हूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही पूरी कर चुके हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

इस सदन में आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे हैं। प्रधान मंत्री के अनुसार आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे हैं। कार्रवाई करना आपका काम है। यह आपका काम है कि किसी मंत्री को अयोग्य साबित करने के लिए आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आप उसे प्रारम्भिक सदस्यता से भी अयोग्य कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* इस सभा में भी ऐसे दृष्टान्त रहे हैं। श्रीमती गांधी को अयोग्य करके निकाल दिया गया था। क्या ऐसा नहीं हुआ था? श्रीमती गांधी को निकाल दिया गया था। ऐसा दृष्टान्त है। मान लीजिए पद की शपथ का उल्लंघन होता है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। आप कृपया कार्रवाई कीजिए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: कोई सदस्य भी पद की शपथ का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह पहले सदस्य है फिर मंत्री। क्या यदि वह संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत पद की शपथ का उल्लंघन करता है तो क्या वह सदस्य बनने के लिए योग्य होगा?

डा. सी. कृष्णन: उल्लंघन केवल यह है कि तमिलनाडु सरकार ने पोटा का गलत तरीके से उपयोग किया है। इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा गलत तरीके से नियंत्रित किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए। भावना जी आप सदन के सामने अपनी बात रखिए। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैंने इसीलिए बालकृष्ण पिल्लै के मामले का उल्लेख किया था। बालकृष्ण पिल्लै ने त्यागपत्र दे दिया था। मैंने एक उदाहरण दिया है। तमिलनाडु में, 1985 में दस सदस्यों को अयोग्य कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का उसमय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: जब आपने एक मिनट मांगा तो मैंने दो मिनट दिए हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। तमिलनाडु में संविधान की अवहेलना करने पर 10 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु में दस सदस्य अयोग्य करार दिए गए हैं और अब उच्चतम न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा है।

महोदय, अत: मैं विक्रमादित्य के सिंहासन से यह अनुरोध करता हूं कि कोई कार्रवाई करे, उन्हें कैबिनेट से निकालने के लिए प्रधान मंत्री को निदेश दें और इस सदन में कार्रवाई आरंभ करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती भावना चीखलिया।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आपका क्या विनिर्णय है? *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, माननीय मंत्री जी को बोलने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्रीमती भावना चीखलिया का नाम पुकारा है। कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, कल रात से आज सुबह तक गुजरात में लाइन न होने के कारण रेलवे की यातायात, अस्पताल एवं अन्य आवश्यक सेवाएं ठप्प हो गई और पूरा गुजरात अंधेरे में डूबा रहा। इस प्रकार से गुजरात को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका कारण मध्य प्रदेश द्वारा पश्चिमी ग्रिड से 1120 मेगावाट बिजली लेने की बजाय मध्य प्रदेश ने 1600 मेगावाट बिजली लेना है। इस प्रकार से पश्चिमी ग्रिड से 500 मेगावाट बिजली ज्यादा लेने के कारण गुजरात को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में पिछले पांच-छ: साल से बिजली नहीं है और ये कल की बात कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं भी एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। कृपया इसके लिए मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया सदन में शांति बनाए रखें। उन्हें विद्युत संबंधी मामला उठाने दें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश द्वारा ज्यादा बिजली लेने की अनुशासनहीनता करने के कारण पश्चिमी ग्रिड से सम्बद्ध छ: राज्यों को कल रात से आज प्रात: तक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, बिजली की फ्रिक्वेंसी 47.08 होनी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश की अनुशासनहीनता के कारण 48.52 हो गई। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और दमन-दीव आदि राज्यों में कल रात से ही बिजली नहीं है और इन सभी राज्यों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज न्यूज पेपर्स में *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कल की बात कर रही हैं, वहां बिजली नहीं होने के कारण आज भी तकलीफ झेल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कमल नाथ जी, आप तो सीनियर मैम्बर हैं। कृपया आप बैठिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश द्वारा पश्चिमी ग्रिड से ज्यादा बिजली लेने के कारण, मध्य प्रदेश की अनुशासनहीनता के कारण पश्चिमी ग्रिड के पूरे राज्यों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कल शाम से आज सुबह तक बिजली नहीं होने के कारण गुजरात और पश्चिमी ग्रिड के अन्य छ: राज्यों में रेलवे का यातायात बहुत प्रभावित हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक यह परेशानी चलती रहेगी। सदस्य महोदया केवल कल की बात कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चार साल पहले गुजरात की क्या स्थिति थी, उसके बारे में वे क्यों नहीं बता रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार की अनुशासनहीनता के कारण गुजरात एवं अन्य पश्चिमी ग्रिड के राज्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के उप-प्रधान मंत्री बनने के बाद अटल जी की पावर कम हो गई है, ऐसा लगता है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: सर, चार साल से पॉवर इधर है और 'ग्रिड' उधर है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, अब तो ऐसा लगता है कि आडवाणी जी के पॉवर ग्रिड में पॉवर नहीं आ रही है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, जो कुछ उन्होंने कहा है उससे आप स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सुबोध मोहिते।

...(व्यवधान)

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दें। हम भी उड़ीसा में गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग आत्महत्या कर रहे है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया ने कल रात से आज सुबह तक गुजरात राज्य में बिजली नहीं होने के कारण वहां के लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, इस बारे में जो मामला सदन में उठाया है, मैं भी उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, सदन में मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि वे इस बारे में बयान दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की समस्या के बारे में सुना अब कृपया उड़ीसा की समस्या के बारे में भी सुनें *...(व्यवधान)*

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, इस माह की 27 तारीख को एक किसान ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आत्महत्या की। हमने सुना है कि उ.प्र. में किसानों ने भुखमरी के कारण आत्महत्या की हैं। किन्तु, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, भारतीय खाद्य निगम किसानों से रबी की फसल तथा धान नहीं खरीद रहा है। जो कुछ भी धान खरीदा गया है उसका भी भुगतान भारतीय खाद्य निगम समय पर नहीं कर रहा है। एक गरीब किसान भूखा मर रहा था। भारतीय खाद्य निगम, जो कि मिल एजेन्टों के माध्य से धान खरीद रहा है, ने कई माह से किसानों का भुगतान नहीं किया है। अत: उस किसान ने जिलाधीश कार्यालय के सामने जहर पी लिया और मर गया। ऐसा सभी जगह होने वाला है।

अत:, महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह भारतीय खाद्य निगम से धान की खरीद का किसानों को तुरन्त भुगतान करवायें अन्यथा और अधिक किसान काल के ग्रास बन जाएंगे *...(व्यवधान)*

महोदय, यह एक गंभीर समस्या है और आप सरकार को इस समस्या का ध्यान रखने का निर्देश दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, गुजरात की सम्माननीय सदस्या श्रीमती भावना चीखलिया जी ने जो भावना सदन के सामने रखी है। मुझे ऐसा लगता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग करें तो आप सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। अन्यथा, सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना दुष्कर कार्य होगा। समय समाप्त हो जाएगा और सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, यहां पर श्रीमती भावना चीखलिया जी ने जो इलैक्ट्रिसिटी का विषय रखा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया उनकी बात सुनें। वह पहले से ही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या आप इस पर बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहितेः अध्यक्ष महोदय, भावना जी द्वारा जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि वह राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)* पावर सैक्टर की राज्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि कल शाम से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा आदि इन चार-पांच स्टेट्स में बिजली नहीं है। गुजरात में भी नहीं है जहां पर हमने इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी फेस की है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया सदन में शांति बनाए रखें। यह आपके हित में है। अन्यथा अधिकांश सदस्य सदन में मुद्दे उठाने से वंचित रह जाएंगे। कृपया सहयोग करे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहितेः मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो ग्रिड फेल हुई है, वह सबसे स्ट्रांगैस्ट ग्रिड है। इंडिया में आज तक वेस्टर्न ग्रिड कभी फेल नहीं हुई थी। नादर्न ग्रिड जरूर फेल हुई है लेकिन वेस्टर्न ग्रिड जिसके बारे में हम समझते थे कि कभी फेल नहीं होगी, वह फेल हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। इसका यह कारण दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ज्यादा से ज्यादा इलैक्ट्रिसिटी ड्रा की थी। मैं इस कारण को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। *...(व्यवधान)* उसका साइंटिफिक रीजन यह है। *...(व्यवधान)* मध्य प्रदेश ने ज्यादा इलैक्ट्रिसिटी ली, यह मैं मान सकता हूं लेकिन साइमलटेनियसली हमारा जो चैक्स एंड बैलेंसेस पावर ग्रिड का है, वह भी एक मेजर रीजन है। मैं समझता हूं कि इन्होंने जो रीजन दिया कि उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी ले ली, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपको मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता। आपका समय पूरा हो गया है इसलिए आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहितेः महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं *...(व्यवधान)* यह एक टेक्नीकल विषय है। मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से पूरा सदन सहमत होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री सुबोध मोहिते, 'शून्य काल' में आपको संक्षेप में बोलना चाहिए और मात्र दो अथवा तीन मिनट में बात करनी चाहिए और उससे अधिक नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहितेः अध्यक्ष महोदय, जब मैं सवाल उठा रहा था तब माननीय मंत्री जी यहां बैठी हुई थीं और जब मेरा सवाल खत्म हुआ, मंत्री जी चली गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैंने अपनी बात रखने के लिए कहा था। सच कहें तो मैं आपको केवल इतना ही कह सकता था कि आप भी उनके साथ एसोसियेट हो जाओ। आप इस समय पूरा भाषण नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहितेः अध्यक्ष महोदय, मेरी इतनी ही रिक्वैस्ट है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टीगेशन हो और उसकी रिपोर्ट इस सदन में रखी जाये।

...(व्यवधान)

श्री शिबु सोरेन (दुमका): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपका विषय अलग है। आप इस सदन के रूल्स अच्छी तरह जानते हैं। रूल्स के मुताबिक मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता।

श्री शिबु सोरेनः फिर समय खत्म हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे मेरे चैम्बर में मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि विषय कैसे उठाते हैं।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, गुजरात की सांसद भावना जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उसके साथ अपने आपको जोड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैस्टर्न ग्रिड के फेल्योर, 2200 मेगावाट पावर प्लांट ऑफ कोरबा, की वजह से 5-6 प्रदेशों में बिल्कुल अंधेरे का वातावरण रहा जिससे बहुत बड़े राज्य को नुकसान हुआ। भावना जी ने यह कहने का यत्न किया है कि मध्य प्रदेश के 500 मेगावाट अधिक पावर मांगने के कारण यह टेक्नीकल स्नैग पैदा हुआ जिससे ब्लैक आउट हुआ। मैं आपके ध्यान में एक रिपोर्ट लाना चाहूंगा जो यह है-

[अनुवाद]

"एमपीएसईबी अधिकारियों के अनुसार 2200 मेगावाट एनटीपीसी ताप संयंत्र में मंगलवार शाम को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी ग्रिड में फ्रिक्वेंसी कम हो गई।"

[हिन्दी]

यह कारण केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, टेक्नीकल ग्रिड और कोरबा थर्मल प्लांट के कारण यह समस्या पैदा हुई। मैं अपने आपको इस बात से जोड़ता हूं कि अस्पताल और अन्य इमरजैंसी के स्थानों में बिजली न होने के कारण आम लोगों को काफी नुकसान हुआ। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए आप कोई ऐश्योरैंस देंगे या नहीं। *...(व्यवधान)* मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ड्राउट की कंडीशन के समय में जो फेल्योर और ग्रिड कोलैप्स हुआ, आने वाले समय में ऐसी कोई खराबी पैदा न हो, क्या भारत सरकार इसके बारे में देश और सदन को कोई आश्वासन देगी।

[अनुवाद]

हमें सरकार से आश्वासन चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप कृपया विद्युत के मुद्दे को उठाएं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) महोदय, मैं श्रीमती भावनाबेन चीखलिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हिन्दुस्तान टाईम्स में यह छपा है कि मध्य प्रदेश की लापरवाही के कारण, पांच राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण और दीव बिजली पूर्णतया गुल हो गई *...(व्यवधान)* सारा क्षेत्र अंधकार में डूब गया। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं बाधित हुई। सर्वाधिक नुकसान किसानों को हुआ *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं बोलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उस बात को उठा रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि, वरिष्ठ सदस्यों को, हमें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए *...(व्यवधान)* जब हम महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हों तो सदस्यों को हमें सुनना चाहिए *...(व्यवधान)* महोदय, मैं, श्रीमती भावनाबेन चीखलिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब हमने शून्यकाल को आरंभ किया था, तो कहा था कि रेल मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं और रेलवे जोन के मामले पर वे उत्तर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार शून्य काल के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई थी। चूंकि मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, हम सभी उन्हें सुनना चाहते हैं। मैं माननीय सोमनाथ चटर्जी से बोलने का अनुरोध करता हूं, तत्पश्चात् माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हमें भी बोलने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अनेक सदस्य पहले बोल चुके हैं। मैं प्रत्येक को बोलने का अवसर नहीं दे सकता अन्यथा मंत्री महोदय नहीं बोल पाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सदन के दूसरे छोर से श्री प्रभुनाथ सिंह बोलना चाहते हैं। अत: मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, सीधे-सीधे हम किसी भी प्रकार के झमेले से बचना चाहते हैं। हम मामले को दो राज्यों के बीच झगड़े की जड़ नहीं बनने देना चाहते।

श्री कमल नाथ: महोदय, मैंने इस मुद्दे को उठाया था और मंत्री जी उत्तर देने को तैयार थे। अत: जब वे उत्तर दें तो मेरे बिन्दु पर भी उत्तर दे सकते हैं।

पूर्व रेलवे जोन के विभाजन के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हम उत्तेजित हैं क्योंकि सभा में बिना किसी चर्चा के, अथवा संबंधित सरकारों व मुख्य मंत्रियों से चर्चा के बिना अथवा इस विभाजन पर बिना किसी विचार के, ऐसा इस तर्क पर किया गया कि 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष पूर्व कोई निर्णय लिया गया था। महोदय, इस देश में उपलब्ध इस बारे में सभी रिपोर्टों के आधार पर जिनमें सी एण्ड एजी रिपोर्ट, स्थायी समिति रिपोर्ट, रेलवे कन्वेंशन समिति रिपोर्ट, राकेश मोहन समिति रिपोर्ट तथा रेलवे बोर्ड के पूर्व छह अध्यक्ष सहित सभी हैं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह प्रचालन का संकट खड़ा करेगा।

महोदय, हम रेलवे के भविष्य को लेकर चिंतित है। दुर्भाग्यवश यह एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक मुद्दा बनता जा रहा है। हम इसे टालना चाहते हैं। किन्तु हम इस दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं। यह राष्ट्र को स्वीकार्य दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। यह विभाजन रा.ज.ग. सरकार के कुछ सहयोगियों के हित और एक राज्य और दूसरे राज्य क बीच विभाजन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व एकपूर्ण चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक को अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह ही हमारी मांग है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री जी से इस बारे में जल्दबाजी न करने को कहें। उन्हें प्रत्येक को विश्वास में लेना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मित्रों, कृपया समझने का प्रयास करें। इस पर पहले भी चर्चा हुई थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह तरीका नहीं है। प्रत्येक को अपना-अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। मेरा प्रत्येक से अनुरोध है कि अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें, प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो क्या मैं यह मान लूं कि आप इस प्रश्न के बारे में मंत्री महोदय का उत्तर नहीं चाहते?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग पीछे जांइये। आप लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: पूरी चर्चा होने दें *...(व्यवधान)* हम सदन में पूरी चर्चा चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को मिनिस्टर का उत्तर नहीं चाहिए क्या?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): पहले इनको तो बैठाइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा में शांति व्यवस्था बनाना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): इस जोन के मामले में उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमें इसका उत्तर दिया जाये। यह भी हाजीपुर जोन में आ रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, आपने मुझे पुकारा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम बिहार के विरुद्ध नहीं हैं। कृपया हमें समझने की कोशिश करें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, मैं आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवगौड़ा एक सुझाव देना चाहते हैं। उन्हें अपना सुझाव देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस मामले को विशेषज्ञ समिति की भेजा जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री को सभा में बोलने नहीं देंगे तो यह दुर्भाग्य की बात है। क्या बात है? कृपया बैठ जाएं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने मेरा नाम पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह सभा में कैसे शांति बहाल रखी जा सकती है और कैसे मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं उस संबंध में सुझाव देना चाहते हैं। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। लेकिन आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने आपका नाम पुकारा है और आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुरा): महोदय, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

रेल जोनों के सृजन का मुद्दा विगत कई वर्षों से लंबित था हालांकि कई समितियों द्वारा इससे संबंधित प्रतिवेदन दिए गए हैं। मेरे शासनकाल में हमने छः नए रेल जोनों के सृजन का निर्णय लिया था। मैं यहां राजनीति नहीं करना चाहता। हमने सिफारिशों के आधार पर कतिपय निर्णय लिए थे और सिफारिशों का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं श्री नीतिश कुमार जी का अत्यधिक सम्मान करता हूं, लगभग एक माह पूर्व उन्होंने कहा था कि इन नए रेल जोनों के सृजन के निर्णय का आधार राजनीति है।

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार): मैंने ऐसा नहीं कहा है। मुझे नहीं मालूम कि यह कहां प्रकाशित हुआ है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: यदि यह गलत रिपोर्ट किया गया है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने प्रकाशित समाचार पढ़ा है और यदि आप चाहें तो मैं इसकी कतरन आपको दिखा सकता हूं। यह सच अथवा झूठ है, मैंने जो कुछ भी कहा है वह उस समाचार पर आधारित है। मैं उस बैठक में नहीं शामिल था। मैं केवल इसकी आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता तक सीमित हूं। सात नए डिवीजन सृजित किए गए हैं। इसकी व्यवहार्यता के संबंध में विचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 380 किलोमीटर के तीन नए डिवीजन सृजित किए गए हैं। क्या रेलवे को चलाने का यही तरीका है? क्या रेल बोर्ड ने इन डिवीजनों को सृजित किए जाने पर अपनी सहमति दी थी? *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपने हाजीपुर डिवीजन का उद्घाटन किया था। आपने ही किया था। *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं बिहार अथवा किसी और के विरुद्ध नहीं हूं। मुद्दा यह है कि नए रेल जोन के सृजन के अतिरिक्त नए डिवीजन सृजित *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): आपने ही शिलान्यास किया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैने किसी नए डिवीजन का उद्घाटन नहीं किया था। इस पर सभा में स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस पर कोई निर्णय ले। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह आप पर है और यह आपका निर्णय है। मैं इस पर तब तक कोई प्रश्न अथवा आपत्ति नहीं उठा सकता जब तक कि आपको सभा में बहुमत प्राप्त है। एकमात्र बात यह है कि सरकार ने राजनीतिक आधार पर इस पूरे मुद्दे पर किस प्रकार कार्यवाही की है इस पर चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व): यदि यह आपके द्वारा किया जाता है, यह राजनीतिक नहीं होता है और यदि यह हमारे द्वारा किया जाता है यह राजनीतिक हो जाता है *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा: रेल जोन के अतिरिक्त उन्होंने नए डिवीजन सृजित किए हैं। एकरूपता अथवा आर्थिक व्यवहार्यता का कोई प्रश्न नहीं है। महोदय, इस मुद्दे पर सभा में स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हम स्पष्ट चर्चा चाहते हैं और मंत्री महोदय को उत्तर देने दें यही उचित है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने ममता बनर्जी के एक बयान का सवाल उठाया। सोमनाथ दादा रेलवे जोन की बात उठा रहे हैं। हम आज तक जानते थे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सोच राष्ट्रीय स्तर पर होती है। *...(व्यवधान)* लेकिन आज जो इनका बयान सुना, तो लगा कि राष्ट्रीय स्तर की सोच की जो भावना हमारे दिल में इनके प्रति थी, वह सही नहीं थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अनुचित है। मैं प्रभुनाथ सिंह जी से लोगों को नहीं बांटने का अनुरोध करता हूं। मैंने अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ शुरू की कि मेरी बात बिहार के विरुद्ध नहीं है। करोड़ों बिहारी मित्र, भाई और बहनें पश्चिम बंगाल के हैं। यह सभी जानते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

हम उनके विरुद्ध नहीं हैं। एकमात्र बात यह है कि यह भावना है कि कुछ ऐसा निर्णय लिया गया है जो देश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वाहक से संबंधित है और शायद यह देश और रेलवे के लिए हितकारी नहीं होगा। अत: हमारा अनुरोध है कि हम सभा में इस संबंध में चर्चा चाहते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करें। मेरे मित्र भी यही करेंगे। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके भी कतिपय विचार हैं। ये विचार आने चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से उचित चर्चा के पश्चात उचित जवाब आना चाहिए। मैं क्या अपराध कर रहा हूं। आप यह क्यों कह रहे हैं कि मैं बिहार के विरुद्ध हूं *...(व्यवधान)* मैं बिहार के विरुद्ध कतई नहीं हूं। दोहरा मानदंड कहां है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी जगह पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह क्या हो रहा है। मैं आपको इसके कारण बोलने की अनुमति नहीं दे पा रहा हूं। माननीय सदस्यगण इस मुद्दे पर स्वनियंत्रण के साथ बोलने हेतु तैयार नहीं हैं। अत: अब माननीय मंत्री को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमें अपनी बात कहने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रसन्न आचार्य: यह आपका न कि हमारा निर्णय है *...(व्यवधान)* यह सरकार केवल निर्णय को कार्यान्वित कर रही है। यह आपका निर्णय था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह लोक सभा है या क्या है? यहां क्या चल रहा है? आप बैठिए। यह अच्छी बात नहीं है। यह मैम्बर्स को शोभा नहीं देता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। श्री सोमनाथ चटर्जी मेरा अनुरोध है कि श्री प्रभुनाथ सिंह जी का अपना विचार है। उन्हें अपना विचार प्रकट करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, सोमनाथ दादा अगर कहते हैं कि उनके मन में बिहार और बंगाल के प्रति कुछ नहीं है तो हम उनको बधाई देते हैं लेकिन उनके मन से जो भाव निकल रहा है, लगता है कि वह बंगाल तक सीमित हो गये हैं। बंगाल से बाहर निकलने की स्थिति में वह नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय में क्यों जाते हैं? आप अपनी भूमिका रखिए। आप बोलिए कि आपकी भूमिका क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, कमलनाथ ने उठाया था कि पुरस्कार मिला है। हम जानना चाहते हैं कि ममता बैनर्जी *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा कि ममता बैनर्जी जी कह रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने कहा कि ममता बैनर्जी के बयान को उन्होंने कहा था। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: मैंने कहा कि ममता बैनर्जी जी कह रही हैं कि यह उनको कोई पुरस्कार मिला है और यही बात थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ स्टॉर्टलिंग बातें आ सकती हैं, इसीलिए चुनाव कराना चाहती हैं। *...(व्यवधान)* इसके बाद आप तो उस दिन थे न वहां। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपका तो मैंने सुना है। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: पर आपने ठीक से नहीं सुना है, लगता है। मैं यह कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपकी बोली लटपटा जाती है। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: मेरी बोली नहीं लटपटाती। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: ममता जी ने कहा है कि पुरस्कार के रूप में उनको मिला है जिसको कमलनाथ जी ने इस सदन को बताया है। हम जानना चाहते हैं कि ममता जी एन.डी.ए. की सदस्या रही हैं, पार्टनर रही हैं।*...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: अभी भी हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अब जाने वाली हैं। *...(व्यवधान)* आज भी हैं, भले ही कल चली जाएं, वह अलग बात है। बीच में गई थीं, फिर आई और अब फिर जाने वाली हैं लेकिन हम यह कहते हैं कि जब वह इतने दिनों से पाटर्नर हैं और रेल मंत्री जी ने कोई तथ्य छिपाया था, इस बात को उनको याद नहीं पड़ रहा है। *...(व्यवधान)* याद उनको तब पड़ा जब वह कहती थीं कि हमें रेल मंत्रालय चाहिए और जब रेल मंत्रालय नहीं मिला और जोन का मामला आया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोन के मामले पर, अपने कैबिनेट में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो देश के हित में हो सकता था, हाजीपुर जोन को उन्होंने कह दिया कि वह यथावत बरकरार रहेगा तो आज ममता जी को गोधरा और गोधरा में तथ्य छिपाने की बात याद आ रही है। *...(व्यवधान)* उनको इस बात की भी चिंता नहीं है। उनको इस बात की चिंता है कि जिस समय वह रेल मंत्री थीं, उस समय एक सप्लायर के माध्यम से काफी घपला, घोटाला हुआ था और उनके मन में यह बात बनी हुई है कि इस मामले को सामने लाया जाएगा और इसकी जांच होगी। इसलिए बेचैनी में वह इस तरह का आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: कहा क्यों नहीं उनसे? *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें अभी मालूम हुआ है। हम इस सदन में ले आएंगे। *...(व्यवधान)* हमको अभी यह मालूम हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय सदस्य ने एनडीए सरकार और इसके भतूपूर्व मंत्री द्वारा गलत कार्य करने संबंधी एक आरोप लगाया है। अत: एनडीए सरकार सभा के प्रति इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। सरकार द्वारा इस आरोप के संबंध में पूरी सच्चाई निश्चित रूप से बतायी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: वे अपनी ही सरकार के विरुद्ध एक आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपका टाइम पूरा हो रहा है। आप किसी भी विषय पर एर्लीगेशन न करते हुए अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे और सदन को अभी नीतिश कुमार को सुनना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि श्री प्रभुनाथ सिंह जी अपनी बात दो मिनट में पूरी कर लेते हैं तब मैं श्री आचार्य को अपनी बात कहने हतु बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उस बयान में यह भी आया था कि प्रधान मंत्री कौन है और उप-प्रधान मंत्री पर एक तरह से बयान में हमला था। कमलनाथ जी, यहां विपक्ष की नेता बैठी रहती हैं* *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: महोदय, यह अत्यधिक गलत है। उन्हें इस प्रकार की भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत के रिकार्ड से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह एक महिला सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह क्या है? *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह एक महिला सदस्य को गाली दी गई है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि उन्हें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें विद्यालय में जाकर भाषा समझनी चाहिए। वह संसद सदस्य होने के लायक नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका जो मैटर है, उसको पूरा करिये। आप दूसरे विषय पर क्यों जा रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं जोन्स के विषय पर आ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसी विषय पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर्वप्रथम उन्हें माफी मांगने दें। वह इस सदन के सदस्य होने के लायक नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने उस शब्द को अभिलेख से निकाल दिया है।

श्री कमल नाथ: मैंने वही कहा था जो कि कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था। उन्होंने कहा, "पीएमओ को हाईजेक किया जा रहा है। वास्तविक प्रधान मंत्री कौन है?" मैं उस बात का उल्लेख कर रहा था। वह विपक्ष की नेता को गाली दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: किसी भी सदस्य के लिए उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आपको सदस्यों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने वह शब्द निकाल दिया है। जो कुछ भी उन्होंने विपक्ष के नेता के लिए कहा उसे निकाल दिया गया है। विपक्ष के नेता का भी वही आदर है जो कि सदन के नेता का है। मैंने वह शब्द निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे सकते। सर्वप्रथम उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

श्री कमल नाथ: यह पता लगाने की बजाय कि मैंने क्या कहा था, वह विषय बदल रहे हैं और सदन के एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। चाहे यह विपक्ष का नेता हो अथवा अन्य कोई सदस्य। क्या यह तरीका है जिससे हम सदन के सदस्य के बारे में कुछ कहें?

श्री सोमनाथ चटर्जी: किसी भी सदस्य के लिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): सर्वप्रथम उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम भी संसदीय और असंसदीय भाषा जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको दिया हुआ समय पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उनके पास बिहार अथवा बंगाल के लिए कहने को कुछ नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अगर वह माफी नहीं मांगते तो हम उन्हें बोलने नहीं देंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: वह सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने उस शब्द को अभिलेख से निकाल दिया है। उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अपराह्न 1.08 बजे

(इस समय श्री संतोष मोहन देव आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: वह सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सदन में विपक्ष के नेता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अपराह्न 1.09 बजे

(इस समय श्री संतोष मोहन देव अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे यह असंसदीय भाषा नहीं है। ...*(व्यवधान)* अगर मेरी भाषा से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं उस बात को वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं चाहता था कि मंत्री महोदय उत्तर दें। मैं किसी भी समय चर्चा स्थगित कर सकता हूं क्योंकि 'शून्य काल' का समय समाप्त हो गया है। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अनेक सदस्य बोल चुके हैं, मैं समझता हूं कि मंत्री जी जवाब देंगे। अब मैं श्री बसुदेव आचार्य को दो मिनट का समय दे रह हूं और तत्पश्चात मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं अन्य किसी को भी इस मामले पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य, आप भी बिना कोई आरोप लगाए बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष जी, एक ही पार्टी के क्या दस-दस सांसद बोलेंगे। ...*(व्यवधान)* क्या हम लोग केवल सुनने के लिए ही हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठ जाइये। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं हाउस को एडजोर्न कर दूंगा। यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं सदन की बैठक स्थगित कर दूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं यह मान लूंगा कि आप मंत्री जी का उत्तर नहीं चाहते।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, इस पर हम भी एक मिनट बोलना चाहेंगे। ...*(व्यवधान)* जब वे बोल सकते हैं तो मैं भी एक मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने उस दिन भी तो बोला था।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, रघुवंश बाबू को भी बोलने दीजिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): सर, हमें भी समय दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, एक नए जोन जिसका मुख्यालय हाजिपुर में होगा, के सृजन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे जोन का बंटवारा किया जा रहा है। यह भी एक तथ्य है कि 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री ने 6 नए जोनों की स्थापना की घोषणा की थी और 1998 में वर्तमान रेल मंत्री ने एक और अतिरिक्त जोन के गठन की घोषणा की थी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप देश की बात कीजिए, बंगाल-बंगाल क्या कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: यह बंगाल की बात नहीं पूरे देश से संबंधित बात है।

[अनुवाद]

महोदय, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या नए जोनों का गठन भारतीय रेल के हित में है या नहीं। रेल मंत्री ने एक भी नई परियोजना की घोषणा नहीं की है क्योंकि भारतीय रेल संसाधनों की अत्यन्त कमी से जूझ रही है।

महोदय, जब मैं 1996 में रेलवे संबंधी स्थायी समिति का सभापति था, रेलवे संबधी स्थायी समिति ने इस निर्णय की आलोचना की थी। इसके पश्चात्, सी एण्ड ए जी और रेलवे बोर्ड के सभी पूर्व अध्यक्षों ने भी नए जोन के गठन की आलोचना की थी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, हाजीपुर रेलवे जोन का फैसला 1996 में हुआ था *...(व्यवधान)* उस पर बार-बार चर्चा हुई और पाया कि वह जनहित और देशहित में है *...(व्यवधान)* अगर उसमें कुछ भी हेराफेरी की जाती है तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, नए जोन के गठन से भारतीय रेलवे की प्रचालन कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होगी। कैबिनेट ने 1996 में लिए गए निर्णय पर सहमति व्यक्त की है और कोई समीक्षा नहीं की है। अत: हम यह मांग करते हैं कि इस सारे मामले को एक विशेषज्ञ समति को भेजा जाए जो कि यह अध्ययन करे कि अतिरिक्त जोन की आवश्यकता है या नहीं। हम यह भी मांग करते हैं कि सदन में इस पर पूर्ण चर्चा हो।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, कई दिनों से रेलवे जोन के सवाल पर भिन्न-भिन्न स्तरों पर चर्चाएं हो रही हैं। कैबिनेट का निर्णय इस बारे में सन 1996 में हुआ था। उस समय हम भी सासंद थे और हाजीपुर में उसका शिलान्यास भी हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के लोगों ने कोई एग्रीमेंट कर दिया है कि वे गुलामी ही करेंगे। हमने बंगाल के किसी भी हिस्से को लेने का प्रयास नहीं किया है। न जब बिहार में एक नये जोन की स्थापना हुई *...(व्यवधान)* तो इन लोगों की छाती पर सांप लोट रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: कृपया इस पर गुण-दोष के आधार पर चर्चा करें। यह ही हमारा अनुरोध है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस देश में अनेक समस्यायें हैं *...(व्यवधान)* समस्याओं की कमी नहीं है *...(व्यवधान)* हम विषयनिष्ठ चर्चा करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। अब मंत्रीजी को उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, कमलनाथ जी ने यहां एक विषय का उल्लेख किया और उस सिलसिले में

[श्री नीतीश कुमार]

उन्होंने मेरा जिक्र किया। मैं मूलत: उसी विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। इस बीच जोन और डिविजन के बारे में भी चर्चा हुई है। मैं उसके बारे में संक्षेप में दो शब्द कहना चाहूंगा लेकिन जो पहले कमलनाथ जी ने सदन की सदस्या द्वारा, सदन के बाहर दिए गए किसी बयान का हवाला दिया और जैसा कमलनाथ जी ने बताया, उस बयान में यह कहा गया है कि गोधरा कांड में कवर अप करने या जो इरादा हो, तथ्य छुपाने के लिए मुझे रिवार्ड दिया गया। इतने दिन की हमारी सार्वजनिक जिन्दगी है। मुझ पर सार्वजनिक जिन्दगी में कोई तथ्य छुपाने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मैं स्वयं स्तब्ध हूं। पहले मैंने जब उस बायन को देखा तो मुझे हंसी आई लेकिन जब आदरणीय कमलनाथ जी, जिन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने यह सवाल उठाया तो मेरा यहां कहना मुनासिब होगा। इसके बारे में कल कुछ समाचार पत्रों के साथियों ने भी मुझ से पूछा तो मैंने कुछ बातें कहीं थी। गोधरा कांड का विक्टिम रेलवे है। उसमें रेल यात्री मारे गए, रेलवे प्रॉपटी को नुकसान हुआ। रेल मंत्रालय के पास कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन को जांच के दौरान मांगा गया और रेल मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया? कौन से ऐसे तथ्य हैं जो रेल मंत्री के पास हैं और रेल मंत्री ने उस तथ्य को जगत को नहीं बताया? यह मेरे लिए बहुत बड़ा एजुकेशन होगा। सदन में सब को पता है कि ऐसे मामले में रेल मंत्रालय की क्या भूमिका है? जब कोई एक्सीडैंट होता है तो एक्स ग्रेशिया पेमैंट होता है, उसका क्लेम होता है और वह रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल के माध्यम से मिलता है। एक्स ग्रेशिया पेमैंट तत्काल रेल प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। बाद में एक्ट में संशोधन करके अनटूवर्ड इनसिडैंट्स को भी जोड़ा गया। जो इनसिडैंट गोधरा में हुआ, वह अनटूवर्ड इनसिडैंट है। उस सिलसिले में रेलवे की तरफ से जो एक्स ग्रेशिया पेमैंट होना था, वह किया गया है। जिन की पहचान हो पाई, जो विक्टिम लोग थे, जो मृत थे, वैसे लोगों के बारे में, घायलों के बारे में, ग्रीवियस इनजर्ड थे या सिम्पल इनजर्ड थे, उनके बारे में सब कुछ किया गया है।

जांच का काम स्टेट पुलिस का होता है। रेल मंत्रालय अलग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है। जांच से मेरा मतलब इनवैस्टिगेशन से है। ऐसी कौन सी बात इनवैस्टिगेशन में है, मैं जरूर जानना चाहता हूं? मैं कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि यह तथ्य पहले लाया जाय कि कौन सा तथ्य रेल मंत्रालय ने और रेल मंत्री ने छुपाया जिससे जांच कार्य प्रभावित हुआ। मेरे अन्दर की जो शक्ति है उसे पूरे कमांड के साथ मैं कहना चाहता हूं। मैं इसको बिल्कुल रिफ्यूट करना चाहता हूं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी तथ्य को छुपाया गया और उसके चलते जांच कार्य प्रभावित हुआ। जो घायल हुए या मरे, या जिन की शिनाख्त हो सकी, उन सबकी लिस्ट प्रकाशित हुई। उसमें कोई खास बात नहीं है। लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और जिन का चार्ट में रिजर्वेशन था, उनका नाम है। वह किसी भी समय उपलब्ध करायी जा सकती है। मुझ से एक समाचार-पत्र ने भी इसे मांगा था। मैं उस समाचार-पत्र का नाम लेना चाहता हूं और वह टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे उन्होंने पत्र लिख कर उसे मांगा। मैंने रेल मंत्रालय के डायरैक्टर पब्लिक रिलेशन को रैफर किया।

आप उनके मामले को लेकर उपलब्ध कराइये। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है कि जो लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स चार्ट है, जिस दिन यह वाकया हुआ, उस दिन, यह गाड़ी जो मुजफ्फरपुर से चलती है, उसके रास्ते में फैजाबाद आता है, कोच एस-6 में ज्यादातर रिजर्वेशन लखनऊ और कानपुर से था, एकाध आगे के भी थे। मैंने खुद वह चार्ट देखा है। उस ट्रेन की स्थिति यह थी कि पीछे से पहले ही उसमें लोग भरे हुये थे।

अपराह्न 1.20 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

रिजर्वेशन वालों को चढ़ने में असुविधा हुई है। वे लोग किस प्रकार से गये या नहीं गये हैं, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। लिस्ट ऑफ चार्ट उपलब्ध है लेकिन कितने लोग गये हैं, इस बारे में टी.टी.ई. ने चार्ट पर लिख दिया कि उस कोच में इतने लोग भरे हुये थे, रैली के लोग आये हुये थे, उन्होंने कोच पर कब्जा कर रखा था, इस कारण जांच-पड़ताल नहीं कर पाये। इस कोच में रिजर्वेशन या बिना रिजर्वेशन वाले कितने लोग चढ़े हैं, इसकी जांच नहीं करा पाये। इसलिए जहां तक चार्ट को दिखाने का प्रश्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चार्ट वाले लोग चढ़े हैं या नहीं, इसका पता नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि जिन लोगों को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट हुआ है, उसमें 4-5 मृत केसेज ऐसे हैं जो रिजर्वेशन चार्ट में हैं। ग्रीवियस इंजुरी में ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन सिम्पल इंजुरी में कुछ कम मिलता है। उस हिसाब से डैड या इंजर्ड को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट हुआ है। हमने पता किया है कि रेलवे कलेम्स ट्रिब्युनल में कितने लोगों का क्लेम आया है। मुझे बताया गया है कि संभवत: आठ लोगों ने क्लेम किया है। हमने यह भी देखा है कि जो मर गये हैं, उनके परिवार वालों की तरफ से क्लेम किया गया है। उसमें जो नाम दिखाये गए हैं, उसमें 7 मृत और 1 घायल कुल आठ बताये गये हैं लेकिन चार्ट के हिसाब से 9 लोग मृत और घायल की श्रेणी में हैं। बाकी लोगों ने ट्रेवल किया या नहीं, इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को पता करने का निर्देश दिया है। मैंने यह भी पूछा है कि उसमें से कितने लोगों ने रिजर्वेशन कैंसिल कराया। पता चला कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोगों की संख्या 6 बतायी गई है। फिगर्स को ठीक किया जा सकता है जिन लोगों ने रिजर्वेशन कैंसिल कराई।

मैंने आदेश दिया है कि रेलवे स्टाफ या इंस्पैक्टर को भेजकर चार्ट में दिये गये लोगों के पते पर जाकर पूछिये कि क्या वे ट्रेवल कर पाये या नहीं? कोच एस-6 में आग लगी, न केवल इस कोच के बारे में बल्कि यह निदेश भी दिया है कि जिन लोगों का उस ट्रेन में रिजर्वेशन था, उनके पते पर जाकर पूछिए। इस सब काम को पूरा करने में यानी दरयाफ्त करने में समय लगता है। जो भी तथ्य हमारे सामने आयेंगे, मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगा। इसमें कोई तथ्य छिपाने की बात नहीं है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से और रेल प्रशासन की तरफ से कोई तथ्य छिपाया नहीं जा सकता है और न ही छिपाया जायेगा। हमने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा है। इतना वीभत्स हत्याकांड हुआ है जिसके बारे में जांच चल रही है। उसका जो भी नतीजा हो, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। रेलवे प्रशासन की तरफ से सम्पूर्ण रूप से सहायता पहुंचाई गई है और पहुंचाई जा रही है। हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी किया जा सकेगा, हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। हमारा जितना रेल से संबंधित स्टाफ है, आर.पी.एफ. है, सब लोगों से पूछताछ की है, हमने रिकार्ड देखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे कौन से तथ्य हैं, जिस पर मैं चुप रहा, आप सार्वजनिक करें। मैं भी जानूं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिससे रिवार्ड मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लेन-देन की राजनीति नहीं करता। हम एन.डी.ए. के साथ हैं और हमारी पार्टी समता पार्टी है। हमने एक साथ चुनाव लड़ा है। हमारा अलायंस लेन-देन पर नहीं है। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसे नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। जब तक नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के हिसाब से काम-काज चलता रहेगा, हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। अगर दो पार्टियों के बीच में कोई मतभेद होगा, हम मिलकर उस पर विचार करेंगे। इसलिए रेलवे जोन्स मसले पर कोई लेन-देन नहीं है। मैं सबसे पहले श्री देवेगौड़ा जी की बात को क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैंने जो कुछ किया है, उनके समय के मंत्रिमंडल में लिये गये फैसले को अमल में लाया गया है। उन्होंने डिवीजन की बात कही। इसमें कोई कनफ्यूजन न रहे, यह जोन्स का फैसला युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने लिया था *...(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए। आप मुझे इस तरह से इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): यह कौन सी नई बात है? जब आप पूरे हाउस से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है *...(व्यवधान)* जब आपने पूरे हाउस से पूछा है कि ऐसी कौन सी बात रह गई है गोधरा कांड के बारे में जिससे *...(व्यवधान)* आप पूछ रहे हैं *...(व्यवधान)* आपने पूछा, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप मुझे एक मिनट सुनिये, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब उन्हें पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला: उन्होंने गोधरा कांड के बारे में सारे सदन से पूछा था *...(व्यवधान)* जब मैं खड़ा हुआ तो वह नहीं बोलने देते। मुझे अफसोस है। वह अपने निमंत्रण से मुकर गए हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, वह सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दे रहे हैं। उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: जब उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से पूछा तो उन्हें मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। मुझे अफसोस है। वह गोधरा कांड के बारे में सदन को बताने के बारे में दिए गए निमंत्रण से मुकर गए हैं *...(व्यवधान)* उन्हें बोलने दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह अभिलेख में जाना चाहिए कि वह बोलने का मौका नहीं देना चाहते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैंने कौन सी ऑब्जैक्शनेबल बात कही है। मैंने कहा आप कौन सी जानकारी चाहते हैं, जो हमारे पास है और हम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अगर रेल मंत्रालय के पास कोई जानकारी है तो हम उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इसमें हमने कोई ऑब्जैक्शनेबल बात नहीं कही है। मेरी जानकारी में *...(व्यवधान)*

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): आपने सदन में पूछा है कि ऐसी कौन सी बात है। यह आपके लिए एजूकेशन न हो, मेरे लिए एजूकेशन होगी। आप बतायें। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मैं बता रहा हूं, मैं रिस्पांड कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर के रिप्लाई के बाद आप पूछिए। वह रिप्लाई दे रहे हैं, आप क्यों ऑब्जैक्ट कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र लिखकर पूछ सकते हैं, सदन में प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे बनाये गये नियमों के हिसाब से पूछ सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। महोदय, हम इस पर पूरी चर्चा चाहते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आपको उनसे और क्या चाहिए?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह सदन वाद-विवाद और चर्चा के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, वह अलग बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: एक अहम मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। यह ही हमारा अनुरोध है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह उसके लिए भी सहमत हैं। समय निकालना सदन पर निर्भर है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उन्हें बोलने दें। इस पर चर्चा के मुद्दे पर बी.ए.सी. में निर्णय किया जा सकता है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री देवेगौड़ा जी ने अपने कथन में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिनके तथ्यों का जवाब सदन के समक्ष देना आवश्यक है। जोन के मसले को छोड़कर उन्होंने डिवीजन की बात कही है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जोन का फैसला 1996 की कैबिनेट ने लिया था। फिर 1998 की कैबिनेट ने लिया और जहां तक डिवीजन का फैसला है, यह रेल मंत्रालय का फैसला उससे भी ज्यादा पुराना था। आप आश्चर्य करेंगे कि नांदेड़ डिवीजन का फैसला 1980 के दशक का है। 1995-96 साल में इसी सदन में कुछ और डिवीजन क्रिएट करने का ऐलान तत्कालीन रेल मंत्री जी ने किया था। हमने आठ डिवीजन *...(व्यवधान)* यह क्या है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनके भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह विवरण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: हम कुछ बता रहे हैं। श्री देवेगौड़ा जी को यह भ्रम था कि डिवीजन हमने सुओ-मोटो क्रिएट कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। डिवीजन पहले से क्रिएट किए हुए थे। हमने उन्हें ऑपरेशनलाइज करने का नोटीफिकेशन जारी किया। उसमें से नांदेड़ डिवीजन का हमने उदाहरण दिया, वह 1980 के दशक में तय था। उसके बाद *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अब यह रनिंग कमेन्ट्री होगी तो यह अच्छी बात नहीं है। यह मेरे लिए परेशानी है कि रनिंग कमेन्ट्री का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: रनिंग कमेन्ट्री का जवाब नहीं देना है।

श्री नीतीश कुमार: दसवीं लोक सभा में हम खुद रनिंग कमेन्ट्री के एक्सपर्ट थे, लेकिन आज भूमिका बदल गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: आज वह रिपीट हो रहा है।

श्री नीतिश कुमार: हमारे उस समय के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज जी पाटील बैठे हुए हैं, उसका जवाब तो अभी हम नहीं दे सकते।

श्री प्रमोद महाजन: दसवीं लोक सभा में लंच ऑवर भी होता था।

श्री नीतीश कुमार: कभी-कभी नहीं भी होता था।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है जब साइड उधर जाती है तो वहीं से यह हो जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने ही आपको प्रोत्साहित किया है।

श्री नीतीश कुमार: हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी लंच के लिए भी एडजर्न करना है।

श्री नीतीश कुमार: महोदय, आठ डिवीजन का नोटिफिकेशन पुराने निर्णयों के आधार पर हुआ। हमने कोई नया डिवीजन अपनी मर्जी से क्रियेट नहीं किया है। शायद उनको गलतफहमी थी, हम उनके साथ बैठकर उनको पूरी जानकारी देंगे। डिविजन के बारे में उनको गलतफहमी थी इसलिए हमने उसके बारे में बता दिया।

जोन्स का जो मसला है, पुराने निर्णय हैं, मंत्रिमंडल के निर्णय हैं। क्षेत्र निर्धारण के लिए रेल मंत्रालय को कहा गया है। क्षेत्र निर्धारण करके हमने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है, इस सदन में उसकी सूचना दी जा चुकी है। इस पर कोई विस्तृत चर्चा कराना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर चर्चा हो सकती है, अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन यह विषय तो नोटिफाइ हो चुका है। इसको लेकर बाहर बहुत कुछ कहा जा रहा था। मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को संपुष्ट कर दिया, उसके बाद आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो सदन तो सर्वोपरि है, आप कोई चर्चा कर सकते हैं और मैं चर्चा से बाहर नहीं हूं, चाहे सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर करें, मैं विस्तृत उत्तर देना चाहूंगा। क्योंकि 1.30 बज रहे हैं और सब लोग लंच पर जाने के लिए व्यथित हैं *...(व्यवधान)* हंगर और एंगर में बहुत कम फासला होता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उस प्रकार की परिस्थिति बने। अच्छे माहौल में इस पर चर्चा करें। मैं विस्तृत रूप से उसकी ऑपरेशनल फीजीबिलिटी के बारे में एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस पर चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, सुझाव दिए जा चुके हैं। आपने भी अपने सुझाव दिए हैं। सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। फिर आपको कार्यमंत्रणा समिति से समय के नियतन का पता लगा सकते हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: महोदय, मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। मैं अधिक से अधिक दो मिनट का समय लूंगा। जब माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं तो मैं बीच में बिल्कुल व्यवधान नहीं डालता हूं। मैं अपने स्थान से खड़ा नहीं होता हूं। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। असम्मान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 1996 में हमने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि 1998, 2000 में क्या हुआ और उसके बाद अब अधिसूचना के बारे में अंतिम निर्णय हुआ है। मैंने अधिसूचना को पढ़ा है। एक नए रेलवे डिवीजन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। मेरे पास अधिसूचना की एक प्रति है। इसके साथ-साथ नए रेलवे जोन के लिए भी अधिसूचना जारी की गई थी। अब मैं गुण-दोषों की बात नहीं करना चाहता। परन्तु इस सभा को पूरे मामले पर चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे यह राजनैतिक सुविधा पर आधारित हों या विशेषज्ञों, रेलवे प्राधिकारियों या रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सलाह पर आधारित हो। वित्तीय व्यवहार्यता, तकनीकी व्यवहार्यता इन सभी बातों पर इस सभा में चर्चा करनी होगी। हमें 1800 करोड़ रुपये देने होंगे। मैं सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। यह बिहार या कर्नाटक का प्रश्न नहीं है। *...(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप हमें चर्चा का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब पूरी सभा चर्चा के लिए सहमत है। आप कार्यमंत्रणा समिति से समय का पता लगा सकते हैं। तत्पश्चात आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मैं चर्चा के खिलाफ नहीं हूं।*...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को समय निर्धारित करना चाहिए। यही मांग है। अन्यथा, माननीय मंत्री का उत्तर हमें संतुष्ट नहीं कर सकता।

श्री प्रमोद महाजन: उन्हें यह समझना चाहिए। मैं सभा से शामिल होने का अनुरोध करूंगा कि कार्यमंत्रणा समिति में हम लंबित महत्वपूर्ण विधान, विधेयकों और अध्यादेशों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि कार्यमंत्रणा समिति के पास इस चर्चा के लिए समय हो तो कोई समस्या नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अत: सभा इससे सहमत है।

अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.33 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.33 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोदीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में मोदीगनर एक औद्योगिक नगरी है। यह नैशनल हाइवे नं. 58 के दोनों तरफ बसा हुआ है। देश के विभिन्न भागों से व्यापारी, उद्योगपति व्यापार की दृष्टि से यहां आते हैं और नैशनल हाइवे होने के कारण भारी संख्या में ट्रैफिक मोदीनगर से होकर गुजरता है जिससे आए दिन वहां रास्ता जाम हो जाता है। कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो लोग धरना, प्रदर्शन करते हैं तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। मोदीनगर के लोगों की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि मोदीनगर में बाईपास बनना चाहिए, जिससे कि यातायात की समस्या का निदान हो सके। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मोदीनगर में नैशनल हाईवे पर तुरन्त बाईपास बनाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र में वसई-दीवा रेलवे लाइन पर मुम्बई उप-नगरीय रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन वनगा (दहानू): महोदय, वसई-दीवा रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। इस मार्ग पर मुम्बई उप नगरीय रेल सेवा आरम्भ करने की मांग काफी समय से लंबित है। ठाणे जिला का मुख्यालय ठाणे है। ठाणे जिले में कल्याण और उल्हासनगर शहर बड़े शहर हैं। तलासवी, दहानु, पालगर, बसई और गुजरात की ओर लोग ठाणे बारास्ता दादर रेलवे स्टेशन जाते हैं। इस वजह से दादर स्टेशन तक रेलगाड़ियों में भीड़ रहती है। यदि इस मार्ग पर उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाती हैं तो यात्री सीधे ठाणे जा सकते हैं और इससे गाड़ियों में भीड़भाड़ कम हो जाएगी।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग पर मुम्बई उपनगरीय गाड़ी चलाई जाए।

[हिन्दी]

(तीन) झारखंड में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखंड में व्याप्त निरक्षरता की तरफ दिलाना चाहता हूं। हालांकि केन्द्र सरकार राज्यों की साक्षरता बढ़ाने हेतु धन उपलब्ध करवा रही है और कई योजनाएं चला रही है। झारखंड में अभी भी 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक निरक्षरता है और आदिवासियों एवं महिलाओं में यह इससे भी ज्यादा है। देखा यह गया है कि इस प्रदेश में निरक्षरता का मुख्य कारण अध्यापकों की कमी है। आज स्वीकृत पदों की अपेक्षा कम अध्यापक काम कर रहे हैं जिसके कारण झारखंड में केन्द्र सरकार द्वारा साक्षरता को बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं और कई स्कूल टीचरों के अभाव में बन्द पड़े हैं। अत: प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में टीचरों की अत्यंत आवश्यकता है और व्यावसायिक कोर्स भी अत्यंत आवश्यक हैं जिससे लोग काम सीख कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि झारखंड प्रदेश में आवश्यकतानुसार टीचर नियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अगर धन की आवश्यकता है तो वह भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में अंतर-राज्य बिक्री के लिए छोटे एककों को अनिवार्य रूप से "सी" फार्म प्रस्तुत करने से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): दमण में अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर 'सी फार्म' दिया जाना आवश्यक कर दिया

गया है जहां 98 प्रतिशत बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बिक्री होती है और उद्योग को इस पर अमल करने में अत्यधिक व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि औद्योगिक एकक दमन को छोड़कर अन्य राज्यों में चले जाएं जिससे केन्द्र सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में और विशेषकर दमन जैसे बहुत छोटे क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के मूल विचार पर अमल नहीं होगा जहां वस्तुओं का निर्माण होता है और अधिकांशत: व्यक्तियों द्वारा अन्तर-राज्य बिक्री पर ही इनका व्यापार निर्भर है।

महोदय, यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ये उद्योग लगभग तीन हजार करोड़ रुपये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राष्ट्रीय कोष में जमा करा रहे हैं तथा रोजगार का सृजन भी हो रहा है।

महोदय, मैं समझता हूं कि फार्म ''सी'' प्रस्तुत करना अनिवार्य किए जाने के बाद जो लघु इकाइयां संबंधित राज्यों में अपनी बिक्री के लिए व्यक्तियों पर निर्भर हैं उनके पास दमन से चले जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

मैं वित्त मंत्रालय से विनम्र निवेदन करता हूं कि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को आवश्यक रूप से 'सी-फार्म' दिए जाने की शर्त से मुक्त रखा जाए।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिलबिल्ला में उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ शहर के बीचों-बीच चिलबिला स्थान पर उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहती हूं। यह स्थान फैजाबाद और इलाहाबाद के मार्ग पर स्थित है और मौजूदा समय में इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के ही नहीं अपितु अन्य राज्यों के व्यावसायिक वाहन भी इस मार्ग से गुजरते हैं। चिलबिला मार्ग पर आये दिन जाम रहता है और यह जाम कई घंटों तक रहता है जिससे यहां के लोगों को बहुत दिक्कत होती है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच इस राजमार्ग के प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला स्थान पर एक उपरिपुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

[अनुवाद]

(छह) कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड के केरल में वल्लरपदम में ''ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल'' की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जार्ज ईडन (एर्णाकुलम): कोचीनपत्तन न्यास की वल्लारपदम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण परियोजना है। 1990 में व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था और इसे 1998 में अद्यतन किया गया था। वल्लारपदम संबंधी अद्यतन व्यवहार्यता अध्ययन में इस परियोजना को चरणों में लिए जाने की सिफारिश की गई है, इसकी कुल अनुमानित लागत 1875 करोड़ रुपए है। वल्लापदम परियोजना से नई परियोजनाओं जैसे पुत्थुवीपेन में पेट्रोनेट टर्मिनल को सहायता मिलेगी और एलएनजी परियोजना द्वारा भी डिपेंड चैनल का लाभ उठाया जाएगा। इससे केरल के उद्योगों में मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पत्तन न्यास बोर्ड ने 7.9.2000 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित किया था और इस प्रस्ताव को सितम्बर 2000 को पोत परिवहन मंत्रालय के पास भेज दिया गया था। परन्तु अभी तक यह परियोजना शुरू नहीं हुई है।

केरल राज्य में काफी लंबे समय से कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजना के रूप में तथा जो कोचीन पत्तन न्यास के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, मैं पोत परिवहन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए।

(सात) पश्चिमी बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में, प्रशिक्षु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बिकास चौधरी (आसनसोल): मैं इस सभा तथा माननीय रेल मंत्री का ध्यान उन अप्रैंटिसों के रोजगार के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने अप्रैंटिस कोर्स के साथ चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में कार्यशाला प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इन प्रशिक्षुओं ने अखिल भारती ट्रेड परीक्षा भी पास की है। इससे पहले चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप से अप्रेंटिस कोर्स पूरा करने वाले और शॉप ट्रेनिंग पूरा करने वाले अप्रेंटिसों को चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु पिछले 3-4 वर्ष से प्रबंधन ने चितरंजन लोको वर्क्स में अथवा

रेलवे में कहीं भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है। लगभग 350 अप्रेंटिस रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। प्रबंधन ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में हाल ही में 400 अकुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया है, परन्तु इन कुशल और प्रशिक्षित अप्रेंटिसों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है।

अत: मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बिना विलंब के इन अप्रेंटिसों, जो पिछले 4 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, को रोजगार अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।

(आठ) जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों पर मूल उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): चिकित्सा उपकरणों पर उत्पाद शुल्क के बढ़ाए जाने से चिकित्सा क्षेत्र पर भारी असर पड़ा है। जीवन रक्षक औषध उपकरण और यन्त्रों पर पांच प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत की सीवीडी द्वारा अन्य विभिन्न वस्तुओं पर 20.8 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ मूल शुल्क में वृद्धि से आम आदमी को हानि हुई है।

वित्त विधेयक 2002-03 में 156 जीवन रक्षक उपकरणों और यन्त्रों (एक हजार रुपए से डेढ़ लाख रुपये मूल्य तक के) पर मूल उत्पाद शुल्क 5 प्रतिशत लगाया गया है। यह आयातित उपकरण हैं और इनका उपयोग हृदय, मनोरोग और नेफ्रोलोजी तथा पेरीफेरल वेस्कुलर रोगों आदि में किया जाता है। उदाहरण के लिए, कार्डिक स्टैट्स और कैथेटर्स, कैथ लैब और सी ए पी डी उपकरण (डायलिसिस में प्रयुक्त) किये जाते हैं।

इसके अलावा, कुछ अन्य जटिल औषध उपकरणों में भी अब 16 प्रतिशत सी वी डी लागू होगा।

उत्पाद शुल्क अधिसूचना में कहा गया है कि जिन निर्माण कंपनियों पर मोडवेट लागू है उनको 4 प्रतिशत सीवीडी देना होगा और इसके विपरीत आयातित उपकरणों पर 16 प्रतिशत सीवीडी देना होगा।

कीमतों के बढ़ने के कारण भारत का चिकित्सा बाजार संकुचित हो जाएगा और विदेशी निवेशक यहां आने से कतरायेंगे।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश में सामान्य स्वास्थ्य रक्षा के हित में स्टैंट, कैथेटर इत्यादि जैसे जीवन रक्षक उपकरण और यन्त्रों पर बढ़ते शुल्क पर पुन: विचार करके उसे कम किया जाये।

[हिन्दी]

(नौ) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शेष गांवों को सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो केन्द्र सरकार की योजना है, जिसमें नियम है कि यदि किसी गांव की आबादी 1000 से अधिक है और वह कहीं से किसी भी सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो इस योजना में सड़क बनेगी। सम्पूर्ण देश में उ.प्र. में मेरे लोक सभा क्षेत्र जलेसर में पी.एम.जी.एस.वाई. में फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 बन चुकी है। अंतिम उद्देश्य 2007 तक 250 से 500 तक की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ना है। राज्य सरकारों द्वारा जिले का मास्टर प्लान बनाते समय भौतिक सत्यापन न करने के कारण इस योजना की शर्तों को पूरा करने के बाद भी बहुत से गांव कार्य योजना बनाते समय छूट गए हैं जो विकास से वंचित रह जाएंगे। मेरे लोक सभा क्षेत्र के टूंडला जिला फिरोजाबाद के गांव नगलाछैंकुर, रामपुर, पखरपुरा, हरचन्दपुर, नारखी ब्लाक के गांव भरतपुरा, नगला, गड़रिया, गढ़ी, अहिवरन, फिरोजाबाद ब्लाक के गांव सदासुख तथा जलेसर (जिला एटा) ब्लाक के गांव नगवाई, नगला मीरा, फाजिलपुर, क्यार, अवागढ़ ब्लाक के गांव दुपरिहा, बलीदादपुर, नारऊ, मदेसरा, नगला उदई तथा सादाबाद ब्लाक जिला हाथरस के गांव फत्ता का नगला, विधिपुर तथा ब्लाक सहपऊ के गांव नगला ब्राह्मण तथा इसी प्रकार निधौली कलां एवम् मारहरा ब्लाक जिला एटा के प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सभी अर्हताएं पूर्ण करने के बाद वंचित रह गए। कृपया राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि प्रत्येक गांव का भौतिक सत्यापन पुन: करके छूटे हुए गांवों को पूरे देश में समाहित करें तथा मेरे लोक सभा क्षेत्र के छूटे हुए गांवों को अविलम्ब शामिल करने का निर्देश देने का कष्ट करें तथा इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का शिलान्यास सांसदों से कराने का निर्देश भी राज्य सरकारों को भेजने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ''हाई डेंसिटी पोली एथलीन मोनोफिलामेंट यार्न मॉस्किटो नेट्स'' के निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नास्वामी (करूर): महोदय, तमिलनाडु में करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाई डेंसिटी पोली इथेलीन मोनो फिलामेंट

यार्न मच्छरदानी का उत्पादन करने के लिए मशहूर है। दो लाख से अधिक कामगार इन उत्पादन करने वाली इकाईयों में कार्य करते हैं और उत्पादित सामान की पूरे उत्तर भारत में आपूर्ति की जा रही है। लेकिन अब ये उत्पादक बंगलादेश और भूटान से नायलोन की मच्छरदानी की भारत में तस्करी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तस्करी किये गये मच्छरदानी को सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है जिससे हाई डेंसिटी पोली इथेलीन मोनो फिलामेंट यार्न मच्छरदानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

इन उद्योगों को बन्द होने से बचाने और लाखों कामगारों को बेरोजगारी में बचाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से नायलोन मच्छरदानी की जगह इन मच्छरदानियों की खरीद करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मामले को मैंने पहले ही 10 मई, 2002 को माननीय प्रधान मंत्री के साथ उठाया था। सरकार को बेरोजगारी और भुखमरी से लाखों कामगारों को बचाने के उद्देश्य से कोलकत्ता के माध्यम से बंगलादेश और भूटान से मच्छरदानियों की तस्करी रोकने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

(ग्यारह) मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों को अन्य विश्व-विद्यालयों में प्रवेश लेने में आ रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): महोदय, मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक 16 मार्च, 2000 को इस माननीय सदन द्वारा पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल, 2000 को इसे अपनी सहमति दी थी। तदनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति विजिटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।

मिजोरम विश्वविद्यालय जुलाई, 2001 से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। पहली सार्वजनिक परीक्षा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार चालू वर्ष अर्थात 2002 में आयोजित की गई थी। छात्रों को प्रमाणपत्र दिए गए थे।

तथापि, मिजोरम विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुए छात्रों अथवा स्नातक हुए छात्रों को कुछ संस्थानों में प्रवेश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और राजनीतिक शास्त्र विभाग में छात्रों के आवेदनों को आधार पर नामंजूर किया गया है कि उन्हें मिजोरम विश्वविद्यालय के बारे में मालूम नहीं है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में नहीं है। उनके आवेदन-पत्रों को नामंजूर किया गया है और छात्रों को वापस मिजोरम जाना पड़ रहा है। मिजोरम विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और हमारे छात्रों के साथ अन्य संस्थानों का व्यवहार निंदनीय है।

अत: मैं मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सामना की जा रही इस समस्या को उठाता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारी द्वारा उन समस्याओं को शीघ्र हल किया जाये।

[हिन्दी]

(बारह) पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रख-रखाव के लिए निधियों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, मैं आपके माध्यम से जल-भूतल परिवहन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, लेकिन भारत सरकार की नीति के तहत मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रख-रखाव हेतु समान धनराशि दी जाती है, जिससे मैदानी भागों में रख-रखाव ठीक प्रकार से होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश जहां राजमार्ग अत्यंत दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में हैं तथा जहां प्राय: वर्षा एवं बर्फबारी के कारण ल्हासे गिरते रहते हैं और सड़कें जगह-जगह से टूट जाती हैं, वहां उन्हें बनाने एवं भूस्खलन के कारण सड़क पर आए मलबे को हटाने हेतु जहां मशीनरी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां श्रमिक भी ज्यादा संख्या में लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के मैंटिनेंस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि कम पड़ती है और इसे अपनी ओर से उन्हें चुस्त-दुरुस्त रखने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

ऐसी विषम परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड बनाए जायें और उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश को मैदानी भागों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु अधिक धनराशि दी जाए, ताकि प्रदेश सरकार ठीक प्रकार से उनका रख-रखाव कर सके।

अपराह्न 2.54 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (सामान्य) 1999-2000 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2002-2003

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम अगली मद को लेते हैं। अतिरिक्त अनदान की मांग (सामान्य) और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर एक साथ चर्चा की जाएगी। चर्चा के लिए आवंटित समय 2 घन्टे है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 100 के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदान से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग सं. 1, 9 से 14, 23 से 26, 28, 38 से 40, 42, 48, 54, 56, 58, 61, 66, 71, 75, 78, 81 से 83, 85, 88 और 102"

आवंटित समय दो घन्टे है। प्रत्येक वक्ता को इस समय सीमा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1999-2000 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
100	चंडीगढ़	–	492010
कुल जोड़		–	492010

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि तथा सहकारिता विभाग	–	100000
कोयला और खान मंत्रालय			
9.	खान विभाग	1300000000	300000000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
10.	वाणिज्य विभाग	10100000	100000
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	100000	–

1	2	3	4
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
12.	डाक विभाग	6400000	–
13.	दूरसंचार विभाग	100000	7200000000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	100000	–
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	1800000000	–
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	178300000	–
विदेश मंत्रालय			
25.	विदेश मंत्रालय	1254600000	–
वित्त मंत्रालय			
26.	आर्थिक कार्य विभाग	195500000	–
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	31914100000	1618400000
38.	अप्रत्यक्ष कर	–	100000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
39.	उपभोक्ता मामले विभाग	51200000	–
40.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	11400000	–
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
42.	स्वास्थ्य विभाग	100000	–
गृह मंत्रालय			
48.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	40700000	–
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
54.	भारी उद्योग विभाग	5455000000	300000
श्रम मंत्रालय			
56.	श्रम मंत्रालय	14240000	–

1	2	3	4
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय			
58.	निर्वाचन आयोग	100000	–
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
61.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	100000	–
विद्युत मंत्रालय			
66.	विद्युत मंत्रालय	300000	–
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	80100000	–
इस्पात मंत्रालय			
75.	इस्पात मंत्रालय	1860000000	1450000000
कपड़ा मंत्रालय			
78.	कपड़ा मंत्रालय	1300000000	–
जनजाति कार्य मंत्रालय			
81.	जनजाति कार्य मंत्रालय	52800000	32000000
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
82.	शहरी विकास विभाग	–	13460000000
83.	लोक निर्माण कार्य	–	100000
85.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	–	15000000
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय			
88.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	24000000	–
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
102.	लक्षद्वीप	–	27500000
	कुल जोड़	**45677500000**	**24103600000**

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैंने सोचा कि आप मुझे इतना समय दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में उस समय खड़ी हुई हूं जब अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई सरकार को बधाई दे। जैसाकि पहले ही कहा गया है कि यह अत्यन्त कठिन दौर में है। इस समय में विभाग के मुखिया को बदल दिया गया है जबकि सरकार जानती है कि अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा रही है। तथापि, जैसाकि हर कोई पूछ रहा हैं ''अब यह महाशय क्या कर सकते हैं?'' यह अपनी छवि है सभी कह रहे है ''यह महाशय अब क्या कर सकते हैं?'' आपकी सभी कूटनैतिक विशेषज्ञताएं आपका सभी सम्मोहन जिसका आपने विदेश मंत्री के रूप में राजनैतिक क्षेत्र में प्रयोग किया है, मैं समझती हूं कि प्रधान मंत्री जी अपेक्षा करते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व का प्रयोग कर इस मंत्रालय को अवश्य राहत पहुंचाएंगे अथवा दूसरा इसका कारण यह हो सकता है कि उन्हें सुविधाजनक हो कि भूतपूर्व वित्त मंत्री इतने सारं प्रश्नों के जवाब दे जो उनसे पूछे गए हैं और वे समझते हों कि आप उनका स्पष्टीकरण राजनयिक के रूप में यथासम्भव कर पाएं।

महोदय, आज की अर्थव्यवस्था को देखिए तो हमें पता चलता है कि औद्योगिक विकास स्थिर हो गया है और निर्यात में गिरावट आई है। केबिनेट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है मेरा कहना है कि सरकार के निरन्तर इस आश्वासन के बावजूद कि वह नौकरशाही में कमी कर रही है ताकि प्रशासन पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपज तेजी से समाप्त हो रहे हैं जबकि सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक पूंजीवाद के संबंध में प्रयास किये गये हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है और भारत को एक परालम्बी राष्ट्र बना रही है जिसको हमने कभी नहीं होने दिया था।

यदि हम इसके कुछ प्रभावों को देखें तो आज हम देखते हैं कि राजस्व उगाही में गिरावट आई है और ब्याज भुगतान में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। ऋण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का एकमात्र साधन बन गया है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश से यह समस्या और बढ़ रही है जिससे बजटीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

मुझे पी एम ओ से एक नए प्रस्ताव का पता चला है कि केबनेट सचिव पेंशन तथा कर्मचारी राज्य बीमा का निजीकरण करने जा रहे हैं। आप पेंशन योजना का निजीकरण कर 19 मिलियन परिवारों के साथ उसी प्रकार खिलवाड़ करेंगे जैसेकि आपने यूटीआई के मामले में किया था और जनता भी वही व्यवहार करेगी जैसाकि उन्होंने यूटीआई के साथ किया था। आप कहते हैं कि यही तरीका है लेकिन आप नौकरशाही में कटौती करने के लिए वही तरीका नहीं अपनाते हैं।

महोदय, मैं प्रत्येक घोटाले के विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस पर इस सदन में हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। 70,000 करोड़ के शेयर शेयर बाजार घोटाले का अब नामोनिशान नहीं है। मैं संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य हूं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): आप बिना मतलब के आरोप लगा रही हैं। आप नाम लेकर आरोप लगाएं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप मेरी बात का उत्तर दे दीजिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि: आप लोगों ने खुद ही घोटाले किए हैं और आप यहां बिना मतलब के आरोप लगा रही हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: जब आपका सब्जैक्ट आये तब आप बोलियेगा। फाइनेंस के ऊपर आप मत बोलिये।

[अनुवाद]

कृपया आप मुझे तंग न करें। आप इन्हें बोलने का समय दीजिए और यह अपनी बात कहेंगे। इन्हें मेरी कही गयी बातों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

अन्दर की बात लीक हो जाने से यूटीआई से भारी मात्रा में धन निकासी से यू.टी.आई. का पतन हुआ। प्रेस में क्या आया है? पिछले ही सप्ताह हमें सी आई आई द्वारा संक्षेप में बताया गया था और मेरे पास वह आंकड़े हैं। संसद सदस्यों की जानकारी के लिए विशेष रूप से संक्षेप में बताया गया था। यूटीआई के पास इस वर्ष 30 जून की योजना का शोधन करने के बाद कोई पैसा नहीं बाकी है। इस वर्ष चार योजनाओं का शोधन होना है और आगामी वर्ष में आठ अन्य योजनाओं का शोधन किया जाना है। वर्ष 2002 के लिए ही आपको 3000 से 3500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तभी आप लोगों को की गई वचनबद्धताओं का भुगतान कर पाएंगे। यह धन कहां से आएगा। मुझे लगता है कि आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचेंगे अथवा आप विश्व के उस बैंक से ऋण लेंगे जो आपको संकट से उभरने के लिए तैयार होगा। गरीब लोगों की लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बचत यूटीआई घोटाले में लगी है और ये लोग बड़े घरानों के लोग नहीं हैं। बड़े घरानों के लोगों ने समय से धन निकाल लिया था क्योंकि उन्हें भीतर के स्रोतों से समय पर जानकारी मिल गई थी लेकिन गरीब लोग जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत यूटीआई में

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

निवेशित की थी आज आप से पूछ रहे हैं कि आपने उनके धन का क्या किया है और वे अब कहां जाएं।

महोदय, रक्षा घोटाले भी देखने को मिले हैं। आयोग इसकी जांच कर रहा है। रक्षा मंत्री आयोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। रक्षा मंत्रालय में शीर्ष स्तर के लोग इसमें लिप्त हैं। उनमें से कुछ का कोर्ट मार्शल किया गया है और कुछ के खिलाफ जांच की जा रही है। आयोग की बैठकें हो रही हैं। फिर भी राजनीतिक दलों को अधिक धन दिया जा रहा है जबकि आयोग अभी भी जांच कर रहा है।

यदि मैं कहूं कि अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। पलायन करना आम बात होती जा रही है। ज्यादातर नवयुवक जो सोचते थे कि सूचना प्रौद्योगिकी युग उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा आज भारत में उन्हें वापस जाने के फरमान मिलने शुरू हो गए हैं। दूरसंचार घोटाले पर चर्चा की गई है और मैं उस पर बात नहीं करूंगी। कई कम्पनियां हैं जो लाइसेंस फीस कम करने के बजाय उन्हें निकाल रही है। मैं यह पूछना नहीं चाहती कि किसे लाभ हुआ और कहां हुआ।

महोदय, कल विनिवेश मुद्दे पर चर्चा है और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती। तथापि, आपने दसवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में विनिवेश के लिए प्रतिवर्ष 16,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। अब आप और क्या बेचेंगे? आप प्रतिवर्ष 16,000 करोड़ रुपये किस प्रकार इकट्ठा करेंगे? क्या आप सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर और विनिवेश करके इसे करने वाले हैं।

[हिन्दी]

पता नहीं क्या-क्या बेचना पड़ेगा? राष्ट्रपति भवन को बेचना पड़ेगा।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के लिए आपका वार्षिक लक्ष्य दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार जिसे आपने परिचालित किया है, 16,000 करोड़ रुपये है? हमने माडर्न फूड्स, बालको, मारुति का विनिवेश देखा है और यदि मैं कहूं कि अब नवरत्नों की नीलामी की बारी है। नाल्को मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई थी। धन किसके लिए खर्च किया जा रहा है?

[हिन्दी]

''आपने कहा कि आप भी कर रहे थे।''

[अनुवाद]

जब श्री मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने भी विनिवेश किया था। उनकी कार्यवाही योजना थी धन का पुनः निवेश रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए किया गया था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निकाले गए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कोष सृजित करने के लिए किया गया था। एक प्रणाली और योजना थी। आज आप क्या कर रहे हैं? आपकी बजटीय आवश्यकताओं में अंतर को पूरा करने के अलावा धन का कहां प्रयोग किया जा रहा है?

आपने अनुपूरक मांग यहां रखी है। मैं समझता हूं कि अक्तूबर तक और फिर जनवरी तक आप पुनः आयेंगे। मुझे पता नहीं 'एक्सटर्नल अफेयर्स' के लिए अचानक पैसे की जरूरत कैसे पड़ी? वर्ष के मध्य में, विदेश मंत्रालय ने इतना बड़ा क्या किया? कूटनीतिक स्तर पर विफलता मिली है कि अमरीकी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है और अन्य घोषणा कर रहे हैं कि भारत जाना सुरक्षित नहीं है। भारत में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और भी पैसे चाहते हैं पता नहीं क्यों।

वित्त मंत्रालय धन की मांग कर रहा है; उपभोक्ता मंत्रालय धन मांग रहा है किन्तु इसमें दुःखद यह है कि मैंने सोचा कि इन मांगों में कहीं सूखा आपदा निधि के लिए इस समय शीर्ष होगा, जिसके लिए सरकार अन्य मंत्रालयों से धन लेगी और इसमें रखेगी किन्तु यहां उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम इस शताब्दी के सबसे जबर्दस्त सूखा का सामना कर रहे हैं। हमारे देश के अनेक भागों में गांव सूखा से प्रभावित हैं तथा वहां पीने के लिए भी पानी नहीं हैं तथा सभी वर्षा के एक-एक बूंद पानी के लिए भी आसमान की ओर निहार रहे हैं। टीम जाकर देखेगी, आयेगी लेकिन कब तरह हम यह होते हुए देख रहे हैं। सभा में इस पर वाद-विवाद हुआ, आश्वासन दिए गए तथा टीम भेजे गए। हम टी मभेजेंगे, टीम जाएगी, हम अशेसमेंट करेंगे, देखेंगे लेकिन कब तक? किंतु प्रवास शुरू हो गया है। गांव में सिर्फ वृद्ध, महिलाएं, बालक और पशु रह गए हैं तथा समर्थ व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जा रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं कि 'सूखा राहत निधि' के साथ राजनीति नहीं कीजिए। मानव जीवन का प्रश्न है चाहे वे किसी भी राज्य के हैं।

महोदय, मेरे राज्य के मुख्य मंत्री कर्नाटक से आपकी पार्टी सहित सभी पार्टियों के नेताओं के साथ अगले दिन यहां थे। मैं यहां कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 2000-2001 में सूखा पड़ा था और हमने 900 करोड़ रुपए की मांग की थी किंतु

हमें एक भी रुपया नहीं मिला। उसके बाद हमने ओलावृष्टि के कारण नष्ट फसलों के लिए 80 करोड़ रुपए की मांग की। इस वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए की मांग की है। किंतु दूसरे दिन सरकार की प्रतिक्रिया अत्यन्त उदासीन रही। हमने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 70.51 करोड़ रु. की राशि मांगी थी और पहली बार हमें 30 करोड़ रु. मिला. ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें वह राशि मिल गई है। अत्यन्त ही भयानक स्थिति जिसका हम सामना कर रहे हैं उसके प्रति सरकार का यह रवैया है।

महोदय, हम मध्य प्रदेश के मामले को लें। मैं विशेष रूप से उन राज्यों की बात कर रहा हूं जिससे हमारा संबंध है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य राज्य महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं पांच या छः कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में परेशानी में है हरियाणा और पंजाब का भी यही मामला है। बिहार और असम अभूतपूर्व बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं किंतु सरकारी गोदामों में 60 मिलियन टन खाद्यान्न भरे पड़े हैं। इसका सरकार क्या कर रही है? जब लोग वर्षा और काम के अभाव के कारण मर रहे हैं क्या आप उन्हें ऐसे ही पड़े रहने देंगे सूखे की स्थिति की गहनता को महसूस करते ही प्रधान मंत्री को 'काम के लिए अनाज योजना' शुरू कर देना चाहिए काम क्या हो रहा है? क्या हम इस नौकरशाही रीति से मानवीय दुर्दशा देख सकते हैं जिसमें टीम जाएगी, उनका आतिथ्य सत्कार किया जाएगा, ख्याल रखा जाएगा और घुमाया जाएगा? वे लौटेंगे तब मूल्यांकन करेंगे और फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्या हो रहा है?

महोदय, मैं 1980 के दशक में राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन समिति का सदस्य था जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी के अधीन मंत्री था। उन्होंने प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की। हमारा पूरा नियंत्रण था। हम लोगों को प्रत्येक बात की निगरानी करनी पड़ती थी। हमें अलग-अलग राज्यों का प्रभार दिया गया था। मुझे दो अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ राजस्थान का प्रभार दिया गया था। हमें हैण्ड पम्पों की जांच करनी पड़ती थी, हमें पानी की जांच करनी पड़ती थी और ऐसा माना जाता था कि हम वहां जाएं। प्रत्येक सप्ताह प्रधान मंत्री कार्यालय में बैठक होती थी। जिसकी अध्यक्षता वे करते थे और यह कहते थे कि यह उनकी रिपोर्ट हैं और हमारी रिपोर्टों के बारे में पूछते थे। पुनः जांच की व्यवस्था थी यहां मंत्रीगण बैठे हुए हैं। इस सरकार में 79 मंत्री हैं उनमें से कई शिकायत करते हैं कि उनके पास फाइल नहीं जाती है, उनके बैठने के लिए कमरा नहीं है और उनके पास कोई काम नहीं है। कृपया उन्हें उन क्षेत्रों में भेजिए, उन्हें सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में बैठने दीजिए और देखिए कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा और क्या किया जाना है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मेरा विश्वास कीजिए, यह सूखा हमारी अर्थव्यवस्था को या तो बना देगा या तोड़ देगा। हमें कैसे प्रबंध करना चाहिए? यह राहत का प्रश्न नहीं है। यह सूखा प्रबंधन का सवाल है जैसा कि राजीव गांधी ने कहा था। आपको इसका प्रबंधन करना है।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बी उत्तर पूर्व): इस सभा में सूखे की स्थिति पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं जानती हूं कि *...(व्यवधान)* किंतु, मैं उस दिन नहीं बोली थी *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं समझता हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री सूखे की स्थिति पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो आप यहां मौजूद थीं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं अपने समय का उपयोग नहीं कर रही हूं। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं समझता हूं कि आप वहां थीं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं आपकी भावनाओं का समर्थन करता हूं। किंतु, मैं समझता हूं कि आप वहां थीं। क्या आप वहां थीं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। संभवतः वह वित्तीय सहायता के लिए कह सकती हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: यही मैं आपसे कह रही हूं। यह कैसे हो सकता है कि आपने इन अनुपूरक मांगों में राज्यों को एक भी रुपया विशेष अनुदान देने का उल्लेख नहीं किया है? मैंने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): राष्ट्रीय आपदा राहत निधि है, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि है। उस कोष से निधि जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मंत्री द्वारा भी इसकी पहले से घोषणा की जा चुकी है। इमसें इसके उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम की पहले ही घोषणा कर दी गई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। दो घंटे का समय आवंटित है। कृपया बैठे जाइये।

श्री बिक्रम केशरी देव: देश में माननीय उप प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब वह बोल रही है तो कोई भी व्यवधान नहीं डाल सकता। कोई परस्पर बातचीत नहीं हो सकती।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, क्या मैं माइक्रोफोन चालू करने के नियमों को जान सकता हूं? जब उस पक्ष से सदस्य बोलते हैं तो माइक्रोफोन चालू होते हैं और जब हम बोलते हैं तो माइक्रोफोन चालू नहीं होता है। मैं नियम जानना चाहता हूं? जब कभी किरीट बात करते हैं तो माइक्रोफोन चालू होती है, जब कभी मैं बात करता हूं माइक्रो फोन चालू नहीं होता है। क्या रहस्य है? यह पक्षपात क्यों है?

सभापति महोदय: मैं इसका पता करूंगा। जब अध्यक्ष अपनी सहमति देते हैं, माइक्रोफोन चालू कर दिया जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है। मैं पता करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं अपने मित्र किरीट की मंत्री बनने के संघर्ष की प्रशंसा करता हूं। किंतु उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मंत्री यहां हैं। वह उत्तर देने में सक्षम हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैंने केवल इतना ही सवाल पूछा कि क्या वह उस दिन डिस्कशन में उपस्थित थीं। ...*(व्यवधान)* हम उनकी चिन्ता को समझते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कांग्रेस के लिए 25 मिनट का समय आवंटित किया गया है। हमें कांग्रेस के तीन वक्ताओं को मौका देना है। उन्होंने 20 मिनट लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह माइक्रोफोन का प्रश्न नहीं है, यह एक माननीय सदस्य अथवा कुछ माननीय सदस्यों का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: पूरी पार्टी वहां नहीं थी। जब मंत्री जवाब देते हैं, आप बाहर चले जाते हैं।

सभापति महोदय: श्री सोमैया, यह ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं उनसे संसदीय शिष्टाचार सीखने को तत्पर नहीं हूं, उन्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: बिल्कुल ठीक। हमें उनसे नियम सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके संसद में आने से काफी पहले से संसद में हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें दूसरों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, सभा के इन सभी स्वयंभू अभिभावकों को हमें पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए अध्यक्षपीठ है। यदि कोई सदस्य समुचित ढंग से नहीं बोल रहा है अथवा अप्रासंगिक बातें कर रहा है तो नियम पुस्तिका में नियम हैं, सभापति को उसका निर्णय करना चाहिए। इस सभा के सभी स्वयंभू अभिभावक सबको पाठ पढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): आप भी यही कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को छोड़ कर किसी अन्य सदस्य को कोई सहमति नहीं दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान एक सदस्य को वित्त मंत्री से सूखा राहत के लिए आवंटन हेतु कहने का अधिकार है। यदि आप कहते हैं नहीं, तो आप व्यवस्था दीजिए और वह उस पर नहीं कहेंगी। यदि आप कहते हैं वह बोल सकती हैं, तो वह बोलना जारी रखेंगी।

सभापति महोदय: उन्हें इसका अधिकार है। श्री सोमनाथ चटर्जी वरिष्ठ सदस्य हैं। वह सदस्यों को, किंतु सबको नहीं, सलाह दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं सलाह नहीं दे रहा था। मैं नम्रतापूर्वक सभा की प्रक्रिया नियम का उल्लेख कर रहा था। मैं वित्त मंत्री की बात मानूंगा। मुझे विश्वास है कि यदि उनके दल के सदस्यगण उनकी बात सुनेंगे तो वे उनका मार्गनिर्देशन करेंगे। मैं नहीं जानता? वाजपेयी जी की वर्तमान स्थिति के कारण वे उनकी बात शायद ही सुनें।

सभापति महोदय: मैं आपके सलाह की प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: ठीक है, हम सूखे का मामला छोड़ देते हैं, क्योंकि सोमैया को इस विषय पर आपत्ति है।

सभापति महोदय: श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, आप 20 मिनट का समय ले चुकी हैं, आपके दल को 25 मिनट का समय आवंटित है। मुझे कांग्रेस दल के तीन और उपभोक्ताओं को अवसर देना है। हमें दो घंटे के अंदर चर्चा समाप्त करनी है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि वे बढ़ते हुए अलाभकारी परिसंपत्तियों के बारे में क्या करने जा रहे हैं। यह लगभग 83000 करोड़ रुपए है। आज सकल वित्त का लगभग 13 प्रतिशत अलाभकारी परिसंपत्ति है। ठीक है कि उन्होंने 21 जून को इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है मानो इससे ही समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं अगले कदम

के बारे में जानना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि वि-राष्ट्रीयकरण उनके कार्यसूची में है। लेकिन आपको ऐसा करने में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। अत: आपको इसके लिए अन्य तरीका अपनाना होगा।

आईएफसीआई दीवालिया हो चुकी है। 26 मार्च को इसके द्वारा वरीयता वाले शेयरों के पुनर्भुगतान में चूक की गई। मैं जरूर कहूंगी कि इसकी एनपीए सकल पूंजी से 600 प्रतिशत से अधिक है। इस स्थिति के उत्पन्न होने तक वित्त मंत्री क्या कर रहे थे। यह पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, इसे अपर्याप्त सुरक्षा स्तर की श्रेणी में रखा गया है और कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और धर्मार्थ न्यासों के पेंशन फंड आईएफसीआई में निवेश किए गए हैं। अत: आपको इनकी सहायता करनी होगी। आपको इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मैं वित्त मंत्री से पूछ रही हूं। आपको तो यहां बिठा दिया है अभी। आपको तो कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती हूं कि क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी अथवा कोई विशेष तरीका है जिससे बैंकों अथवा कतिपय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से पूरा धन प्राप्त किया जा सके। मैं केवल आपको वह धनराशि बता रही हूं जिसकी आवश्यकता आपको वर्ष के दौरान पड़ेगी यह अनुपूरक बजट एक छलावा है। उन्हें आगामी कुछ महीने में कई करोड़ रुपए की और व्यवस्था करनी होगी।

हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में यह कहा जायेगा। इसमें क्या है। मैं उनसे केवल पूछ रही हूं। निवेश केवल सट्टा संबंधी निवेश स्टाक और शेयर बाजार, उपभोक्ता माल, त्वरित लाभ वाले क्षेत्र इत्यादि में है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसमें कितनी धनराशि निवेश की जायेगी। विशेषकर दाभोल और एनरान के बाद कितनी विद्युत क्षेत्र, बुनियादी ढांचा क्षेत्र और रोजगार सृजन इत्यादि में निवेश की जायेगी। प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजित किए जाने के वादे के स्थान पर वीआरएस और लघु उद्योगों को बंद करने का कार्य हो रहा है, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा हो रही है। बिन्दी तक ओजीएल में उपलब्ध है। हिन्दुस्तान की महिलाओं के लिए बिंदी भी कभी से आ सकती है। सब्जियां, फल, दुग्ध, इत्यादि सभी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसका आयात हो रहा है। यहां की हर चीज बिकाऊ है। असहाय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। एयर इंडिया की भी बिक्री की जा रही है। वे एयर इंडिया के यात्रियों को प्रसन्न रखने के लिए मालिश का इंतजाम करने जा रहे हैं। प्लेन ही नहीं रहेगा। मसाज के लिए। वह भी बिकने के लिए तैयारी हो रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछती हूं कि एक तरफ वे विनिवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए कुछ आंकड़े भी दे रही हूं।

मंजूरी की तुलना में वास्तविक आगम की प्रतिशतता वर्ष 1991 में 47.7 थी जो 1998 में घटकर 33.8 प्रतिशत रह गई। हमें बताया गया है कि इसमें और भी गिरावट आने वाली है। किसी स्थिर राजनैतिक समाज का कोई आश्वासन नहीं है। गुजरात में कितनी क्षति हुई, यह 5000 करोड़ रुपए की है। अब अन्य राज्यों में निवेश किया जा रहा है। लोग निवेश हेतु सुरक्षित वातावरण चाहते हैं जो आपके द्वारा धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में मंदी आयी है और उनके पास कोई निश्चित नीति नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया (जूनागढ़): आ रहे हैं। कल भी आने वाले थे और आगे भी आएंगे। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हम उधर देख रहे हैं। आपके मंत्री को भी एड्रेस करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपनी बात अपनी बारी आने पर रख सकते हैं। अन्यथा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के आधार पर उन्हें अधिक समय मिलेगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, विश्व व्यापार संगठन के कारण हमारे लघु क्षेत्र के उद्योग और अन्य उद्योग बंदी के कगार पर हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। लघु उद्योग में रुग्णता बढ़ रही है। यह सब सर्वत्र व्याप्त प्रतिस्पर्द्धा के कारण है। शैम्पु और अन्य प्रसाधन की वस्तुएं भी अन्य देशों से आ रही हैं। इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों ने मुझे यह जानकारी दी है। उन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे ऐसी स्थिति में कारोबार नहीं कर सकते हैं।

हम पर्यटन क्षेत्र का हाल जानते हैं क्योंकि 11 सितम्बर को हुए हादसे के पश्चात लोगों द्वारा पूरे सीजन के लिए कराई गई बुकिंग रद्द करा दी गई थी। इस हादसे के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र को सर्वाधिक क्षति हुई है, होटलों में कमरों की बुकिंग मात्र 33 प्रतिशत रही है।

मैं केवल यह कह रही हूं कि मंत्री महोदय को मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और केवल ऐसी गंभीर परिस्थितियों में मधुर भाषण न दें। मैं यह नहीं कह रही हूं कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, यह सबको ज्ञात है कि यदि आप अपनी रक्षा सेनाओं को सीमाओं पर गर्मी और सर्दी के दिनों में अत्यधिक चौकन्ना रखते हैं, तो इस पर कितना व्यय होता है। सामान्यत: सीमा पर आठ अथवा दस महीने तैनात रहने के पश्चात लड़ाई

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

नहीं लड़ी जाती है। आप युद्ध करें और इसे समाप्त करके वापिस आ जायें। लेकिन यहां जिस प्रकार अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है वह हम सब जानते हैं और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती।

मैं अपनी अंतिम बात कहकर भाषण समाप्त करूंगी। वे इस पर पुन: कहेंगे कि यह परिप्रेक्ष्य से परे है लेकिन मंत्री महोदय ने लोक कार्यों और अन्य कार्यों हेतु अनुदान मांगा है। मैं प्रधान मंत्री की ग्रामीण सड़क योजना का स्वागत करती हूं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वास्तव में गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों को सड़क द्वारा जोड़े जाने का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके लिए ठेकों के संबंध में लागू शर्तें वास्तव में बड़े ठेकेदारों, जो भारी धनराशि जमा कर सकते हैं, पर ही लागू हो सकते हैं और वे कार्य लेने में सफल होते हैं और इनमें से कई जिनके पास निवेश है, जिनके पास ठेका श्रमिक हैं और बड़ी पार्टियां नहीं हैं की हटा दिया जाता है और वे वास्तव में संकट में हैं। हम यह कह रहे हैं कि जब आप इन ठेकों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रहे हैं, तो कम धनी लोगों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए ताकि वे इसमें भाग ले सकें अन्यथा आप उन्हें उनके निवेश के बावजूद भी दीवालिया बना देंगे।

मैंने समय लिया है और मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करती हूं। अंतत: मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि आर्थिक वृद्धि की दर पांच प्रतिशत अथवा कम होने, सूखा और बाढ़ के कारण कृषि प्रभावित होने जिससे हमारी आशाएं क्षीण होती हैं, औद्योगिक निवेश में एक तिहाई की कमी आने, निर्यात वृद्धि के 20 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में 5 प्रतिशत प्राप्ति होने और आय और क्षेत्रीय असमानता में और वृद्धि होने के मद्देनजर गैर-सरकारीकरण के प्रति सरकार के जुनून और सरकारी व्यय में कटौती में वृद्धि होगी, लेकिन इसे सीमित करना होगा। एक गैर-जिम्मेवार सरकार जो असमान, असंतुष्ट और विभक्त समाज की बुनियाद पर शासन कर रहा है, सामाजिक और राजनीतिक विघटन का कारण बन सकता है और ऐसे परिदृश्य में मैं पुन: पूछती हूं "यह गरीब व्यक्ति क्या कर सकता है।"

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): माननीय सभापति जी, अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी माननीय आल्वा जी अपने विचार व्यक्त कर रही थीं। मैं उनके विचारों को अपनी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति अचानक कुछ वर्षों की देन नहीं है, कुछ महीनों की देन नहीं है और कुछ दिनों की देन नहीं है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और वर्षों से जो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं परिणामों के कारण वर्तमान स्थिति है। जैसा माननीय आल्वा जी ने स्वयं कहा कि ड्राइवर बीच में बदला गया है, मुझे लगता है कि गति को और ठीक बनाने के लिए, गति को तीव्र करने के लिए, गति को व्यवस्थित करने के लिए, इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि माननीय सिन्हा साहब, वर्तमान वित्त मंत्री से पहले के वित्त मंत्री देश की जनता की जरूरतों के अनुरूप काम करते आ रहे थे और जो भी हमारे पास था, देश के पास था, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, उसके लिए ही माननीय जसवन्त सिंह जी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है और उसका स्वागत देश के अखबारों ने किया है।

देश के वित्तीय संस्थाओं ने किया, देश के वित्तीय जानकारों ने किया। प्राय: सभी क्षेत्रों से इस परिवर्तन का स्वागत हुआ। केवल यह परिवर्तन मंत्रिमंडल में नहीं हुआ बल्कि यह परिवर्तन नीतियों में भी दिखाई दे रहा है और उसके परिणाम भी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने नेतृत्व में आर्थिक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने उनसे देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए सलाह मांगी थी। जो सलाह उन्होंने दी, उसके कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की गई है। उस योजना के तहत काम शुरू हुआ है।

मुझे विश्वास है कि हम वर्ष के अंत तक उत्पादकता की उस स्थिति तक पहुंच जायेंगे जिसको हमने अपने अनुमान में सामने रखा है, वैसी अनुमानित प्रगति होगी। जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जिस मंदी से गुजर रहे हैं, बाजार जिस स्थिति में है, उस स्थिति में हम अपने लोगों को सुरक्षा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

अभी माननीय सदस्या श्री अल्वा जी ने यू.टी.आई. के बारे में चर्चा की। यह एक दुखद प्रसंग था। इससे कोई भी असहमत नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटे-छोटे निवेशक थे जिन्होंने अपनी कमाई उसमें लगाई थी और यह उम्मीद की थी उनको इससे लाभ मिलेगा। यू.टी.आई. कोई रातों-रात बनी हुई संस्था नहीं थी। वे बहुत पुरानी संस्था थी। उस वित्तीय संस्था पर लोगों का भरोसा बना था लेकिन जो स्थिति बनी, उससे लोगों को धक्का लगा लेकिन उसकी भरपाई की गई। अनुपूरक बजट में जो एक बड़ी रकम दिखाई पड़ रही है, वह इसलिए दिखाई पड़ रही है कि जो छोटे निवेशक थे, उनको निराशा न हो और उनका जो धन है, वह जब चाहें तब उनको वापिस दिया जा सके। इसके लिए निवेश किया गया है। यही वह बड़ी रकम दिखाई पड़ रही है। इसी तरह दूसरे बैंकों में भी निवेश करने वाले लोगों को जो दिक्कतें आयें,

उनको भी दूर करने का प्रयास सरकार की मंशा में दिखाई पड़ रहा है। सरकार उसको करती दिखाई पड़ रही है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी डब्ल्यू.टी.ओ. की बात कही गई। विदेशी वस्तुओं की भारत के बाजार में आने की बात कही गयी। अल्वा जी को याद होना चाहिए कि जिस समय ये दरवाजे खोल रहे थे, उस समय वे मंत्री थीं। ये दरवाजे हमने नहीं खोले हैं। जब डब्ल्यू.टी.ओ. पर दस्तखत किये जा रहे थे, उस समय हम यहां नहीं थे तब वे यहां बैठी थीं। उस समय हमने आवाज उठाई थी कि इसके लिए हम जब तक देश को तैयार न कर लें, देश की आर्थिक परिस्थितियों उसके योग्य न हो जायें तब तक इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किये जायें। इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अखाड़े में तभी उतरें जब उतनी ऊर्जा हमारे अंदर हो, पहलवानी की ताकत हमारे अंदर हो लेकिन हमने अपनी स्थिति में नहीं देखी। उस समय हम आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के इशारे पर चल रहे थे। उनकी दी हुई रकम से हम अपना कर्जा चुका रहे थे। कर्जा लेकर कर्जा चुका रहे थे। उस विपन्न आर्थिक स्थिति में हमने पहलवानी का दंभ भरा था, पहलावनी का धोखा हमने देश को दिया था और हम अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में उतरने के लिए आगे आये थे। अगर हम उस समय इंतजार कर लेते जैसे चीन ने हस्ताक्षर नहीं किये वैसे हम भी हस्ताक्षर न करते और देश की आर्थिक स्थिति को, छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को, ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देकर और देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता के शिखर पर ले जाकर खड़ा कर देते, उसके बाद आराम से हम इस पर दस्तखत कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। चीन ने आज दस्तखत किये हैं। उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमें इसके लिए तैयार करना चाहिए था। हमारी लड़ाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वित्तीय नियम बदल रहे हैं, उन बदलते हुए नियमों में देश के हितों की, देश के आम आदमी के हितों की, देश के साधारण आदमी के हितों की रक्षा कैसे की जाये क्योंकि देश हित के साथ हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम कभी भी आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के दबाव में अपना बजट नहीं बनाते रहे हैं।

अभी एक पूर्व वित्त मंत्री का नाम लिया गया था। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मुझे याद है, उस समय मैं लोक सभा में था। उस समय आई.एम.एफ. या विश्व बैंक ने जो-जो कहा था, वही बजट में प्रावधान किया गया था। वह गलती हम नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दबाव में काम नहीं किया है। हम अपने हिसाब से परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन परिस्थितियों में हमने जो कुछ किया, उससे देश उभरा है, आगे बढ़ा है। जब रेटिंग का सवाल आता है तब भारतीय वित्तीय संस्थाओं और भारत सरकार को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जा रहा है। जहां तक विनिवेश का सवाल है, उसमें भी भारत को कहीं भी गिरी हुई नजर से नहीं देखा जा रहा है। भारत की वित्तीय स्थिति का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह बार-बार कहा जाता है कि आप दही बेच रहे हैं या और कुछ बेच रहे हैं। मेरा कहना है कि हमने अपना बाजार उनको नहीं सौंपा है। हमने बाजार नहीं खोला था। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश होना चाहिए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश होना चाहिए, लेकिन जो स्थिति हमें मिली, उसमें हम अपना बचाव कर सकें। जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो यह कहा जा रहा था कि यहां डम्पिंग शुरू हो जायेगी, चीन का माल भर जायेगा, फ्रांस का माल भर जायेगा, वहां का माल भर जायेगा। आज भारत के बाजार में हमें चीन का माल कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कहां से क्या आया, कहां से डम्पिंग हुई। केवल कल्पना के आधार पर आरोप लगाये जायें, यह बात समझ में नहीं आती। जहां तक जो काम हो रहा है, जो दरवाजे खुले हैं, उन पर भी नजर डालनी चाहिए।

आज तक ऐसी अर्थव्यवस्था बनती थी, जो मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनती थी, लेकिन आज बैंकों के दरवाजे गांव की उन महिलाओं के लिए खुले हैं, जिनके पास आज तक कोई साधन नहीं था, जो केवल गोबर उठाती थीं, गोबर पाथती थीं, उन बेचारी महिलाओं को भी भैंस खरीदने का कर्ज आज बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। आज वे अपनी स्वयं को बैंकिंग प्रणाली शुरू कर रही हैं। हमें तो यह आश्चर्य हुआ, जब हमने गांवों में जाकर स्वसहायता समूहों की गतिविधियां देखीं, एस.एन.जी. की गतिविधियां देखीं। वे अपनी बैंकिंग व्यवस्था स्वयं संभाल रही हैं। वे 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करके अपने रोजगार के अवसर क्रिएट कर रही हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता आ रही है। मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में देखा है, आज वे सीजन से हटकर फल उगा रही हैं, फूल उगा रही हैं। उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे उनको लाभ मिले, ऐसी चिन्ता करनी चाहिए। लेकिन गांवों को नजर में रखा गया है, गांव की जरूरतों को नजर में रखा गया है।

आल्वा जी ने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख किया। हम 50 साल से कहते रहे कि यह देश गांवों का देश है, लेकिन गांवों तक पहुंचने के लिए हमने रास्ता नहीं दिया। गांव से दिल्ली तक तो छोड़ दें, गांव से बाजार तक जो का रास्ता हमने नहीं दिया। गांव से मंडियों तक जाने का रास्ता नहीं दिया। हमारे

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

यहां ऐसे-ऐसे गांव हैं, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में अब भी कुल 272 गांव ऐसे हैं, जहां अभी सड़कें नहीं हैं, आने-जाने का रास्ता नहीं है। यह देश गांवों से जुड़ा है, लेकिन गांवों में विद्युतीकरण का जहां तक सवाल है, कितने गांवों तक हम बिजली पहुंचा पाये थे। आज यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतने वर्ष के बाद कोई ऐसा गांव नहीं होगा, जहां विद्युत की लाइनें नहीं होंगी, विद्युत नहीं पहुंची होगी। हां, यह जरूर है कि ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसमें निवेश की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि जहां सरकार गांव-गांव में बिजली पहुंचाना चाहती है, वहां उनकी जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा भी करना चाहती है। यह उनकी नीयत में दिखाई पड़ रहा है, उसके उद्देश्य में दिखाई पड़ रहा है।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब सड़कें बनती हैं. तब सड़कें ही नहीं बनती हैं, तब सीमेंट के कारखाने भी चलते हैं, तब लोहे के कारखाने भी चलते हैं, तब मजदूरों को काम भी मिलता है। मिट्टी उठाने वाले लोगों को काम मिलती है, रोजगार मिलता है। केवल गांव की सड़कें ही नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का इरादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। हमने पश्चिम को एक एक्सप्रैस वे से पूरब से जोड़ा। 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वह पैसा किसकी जेब में जा रहा है, वह विदेशी कम्पनियों की जेब में नहीं जा रहा है, भारत के गरीब लोगों की जेब में जा रहा है। उससे उनकी रोजी चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। यह बात हमें नजर में रखनी चाहिए।

सूखे की बात की जा रही थी। मैं नहीं समझता, ईश्वर न करे, लेकिन किसी देश में इतना बड़ा अकाल पड़े। आज बहुत बड़ा अकाल हमारे सामने है। कम से कम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह ईश्वरीय स्थिति है, इसके बारे में न हम कुछ कर सकते हैं, न आप कुछ कर सकते हैं। हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार किस तरह हैं, सूखे की चर्चा करने की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हमने पर्यावरण को बचाने की कोशिश नहीं की, हमने पेड़ों को बचाने की कोशिस नहीं की, हमने पहाड़ों को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर हमने पहाड़ों पर पेड़ बचाये होते, अगर पहाड़ों पर हमने पानी रोकने का इन्तजाम किया होता, हरियाली का इन्तजाम किया होता तो हिमालय सुरक्षित होता, उत्तरांचल सुरक्षित होता, हिमाचल प्रदेश सुरक्षित होता। मैं अभी देखकर आया हूं, उन नंगे पहाड़ों को देखकर दया आती है कि इनके पेड़ कहां गये। जहां टीक के पेड़ हुआ करते थे, जहां चीड़ के पेड़ हुआ करते थे, वहां आज खाली पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वहां हमने इन्तजाम नहीं किया। लेकिन इस सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास योजनाओं में आज उसकी पहल की जा रही है। आज उन पहाड़ों पर पेड़ लगें, उन पहाड़ों पर आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन हो, उन पहाड़ों पर फल-सब्जी का उत्पादन हो, इस परिस्थिति में हम जा रहे हैं। इस सरकार को और हमें उत्पादकता की लड़ाई लड़नी होगी। धन पैदा कैसे होता है, हमें इस पर नजर डालनी होगी, धन की उत्पादकता की ओर नजर डालनी होगी और उस धन के वितरण और धन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर धन पैदा होगा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश में आम आदमी को उसमें हिस्सा मिलेगा, आम आदमी उसमें खुशहाल होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस पर कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसे प्रतिपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि जहां भी कमी दिखाई दे, तो वह सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करे। लेकिन केवल कमी निकालने के लिए कमी की बात की जाए तो उसका कोई औचित्य इस अर्थ व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है।

मैं अपने वित्त मंत्री जी को और उनके सहयोगी मंत्रियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मान को सम्भालते हुए जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है।

आप सेना की बात करते हैं। उस पर जांच चल रही है। हमने 1991 से 1995 तक बहुत जांच देखी हैं। तब रोज घोटाले होते थे और रोज कोई न कोई जांच होती थी। आप किस जांच की बात कर रहे हैं, आप ताबूतों की जांच की बात कर रहे हैं। जब कोई मरता है तो कफन का सौदा नहीं किया जाता, लेकिन आप सौदा करना चाहते हैं और उसका भी भाव तय करना चाहते हैं। यह बहुत अभिनंदनीय नहीं है। अगर सीमा पर सेना खड़ी है, तो किन परिस्थितियों में खड़ी है, यह आलोच्य नहीं है, यह आलोचना का विषय नहीं है। हमने सेनाओं को सीमाओं पर क्यों तैनात किया है, यह हम सभी जानते हैं। आज आतंकवाद हमें चुनौती दे रहा है। विश्व के बड़े-बड़े देश आज इस मामले में हमसे सहमत होकर हमारे साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति है, उसमें युद्ध में उतरना चाहें तो भी उचित नहीं है और हम सैनिकों को सीमाओं से हटा लें, यह भी देश हित में नहीं है। उसके बाद की परिस्थिति की भी आपको कल्पना करनी चाहिए। इसलिए सीमाओं पर कुछ खर्च हो रहा है, सेनाओं पर खर्च हो रहा है, कम से कम सदन में उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सैनिकों का मनोबल और विश्वास बढ़ाने के लिए उस खर्च का उत्साहपूर्वक समर्थन करना चाहिए। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, सीमाओं पर आतंकवाद जिस तरह से इस देश

को लक्ष्य बनाकर काम कर रहा है, वह देश के सामने एक चुनौती है और उसका सामना करने के लिए जो वित्तीय कठिनाई पैदा हुई है, अगर उससे हम देश को निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी यह आलोचना का विषय नहीं बनता है।

मैं अपने जिम्मेदार गतिशील और प्रगति को खुली आंखों से पहचानने वाले वित्त मंत्री जी का और उनके सहयोगी मंत्रियों का सम्मान करते हुए इस अतिरिक्त अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विद्यमान चिंताजनक स्थिति का उल्लेख करूंगा। सभी जानते हैं कि स्थिति देशभर में गंभीर है। कई स्थानों पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और श्रमिक बंदी की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। ये हमारे देश की संपत्ति हैं। लेकिन रोजगार के अवसर शून्य है। इस प्रकार की बातें व्याप्त हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। जब हम राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो सरकार केवल विदेशी मुद्रा भंडार की चर्चा कर रही है। नि:संदेह यह हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हैं। हमें इन मुद्दो पर भी ध्यान देना चाहिए। महोदय, आपको ज्ञात है कि तथाकथित उदारीकरण का दौर 1991 में शुरू हुआ। अब तक ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं। विद्यमान सरकार का तथाकथित उदारीकरण दौर के दौरान लगभग एक तिहाई काल तक शासन रहा है। विद्यमान सरकार इस समय की चिंताजनक और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति की जिम्मेवारी से इंकार नहीं कर सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में मंदी का माहौल है। जहां तक सामान्य वृद्धि का प्रश्न है यह केवल 5.4 प्रतिशत अथवा इसके आसपास है।

अपराह्न 3.37 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

मैं हमारे नए वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि नौ प्रतिशत वृद्धि दर की अभिकल्पना का क्या हुआ। आज यह छः प्रतिशत भी नहीं है। जहां तक औद्योगिक वृद्धि का प्रश्न है इसमें तेजी से गिरावट आ रही है। वर्ष 2001-02 में इसके प्रथम ग्यारह महीने के दौरान यह केवल 2.6 प्रतिशत थी। उदारीकरण से पूर्व यह 8.9 प्रतिशत थी। देश में अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में जैसे, निर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, पूंजी और उपभोक्ता वस्तुएं क्षेत्र में खराब वृद्धि दर दर्ज की गई है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में वृद्धि हाल के समय में सर्वाधिक खराब रही है।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चिंताजनक स्थिति व्याप्त है क्योंकि वर्ष 2000-01 में यह 20.7 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2001-02 में अप्रैल से जून तक यह केवल 1.8 प्रतिशत थी। अत: स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है।

जहां तक कृषि का संबंध है, इसमें ठहराव जारी है। हर एक इस बात को जानता है। जहां तक कर संग्रहण का संबंध है, यह 2001-02 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से 20 प्रतिशत का है। जहां तक वित्तीय घाटे का संबंध है, यह सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य 5.3 प्रतिशत से बढ़कर छह से सात प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की यह धूमिल और चिन्ताजनक तस्वीर है। माननीय मंत्री को इस पर चौतरफा ध्यान देना होगा।

दूसरी ओर, आम आदमी पर हमला प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं एक साधारण सा उदाहरण दूंगा। पिछले लगातार तीन बजटों में, इस सरकार को कार्पोरेट क्षेत्र और व्यावसायिक धरानों को 13,500 करोड़ रुपये की रियायत उपहार में दी। दूसरी ओर गत तीन बजटों में इस सरकार ने आम आदमी पर 20,000 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर का बोझ लाद दिया। इस सरकार का लोकहित मुखौटा कहां है? मैं इस प्रश्न को हमारे नए वित्त मंत्री के समक्ष उठाना चाहता हूं।

अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की ओर आता हूं। श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा ने पहले ही इस बारे में बता दिया है। महत्वपूर्ण संस्थानों पर सतत हमला हो रहा है। सरकार महत्वपूर्ण संस्थानों यथा बाल्को, मारुति और अन्य को न्यूनतम मूल्य पर बेच रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 54 वर्षों के बाद यह बात नोट करके आश्चर्य होता है कि हमारे प्रिय राष्ट्र को एक विनिवेश मंत्री का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कार्य देश के संस्थानों को बेचना है। और तो और महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन क्षेत्र को भी भारतीय और विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया गया है। यह कोयला क्षेत्र और रेलवे भी निजीकरण करना चाहते हैं और सरकारी विभागों में कटौती करना चाहते हैं।

कृषि के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र से आता है। कृषि क्षेत्र में संकट पैदा हो रहा है। हमारे देश में व्याप्त यह ठहराव की स्थिति है। ऐसा कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट और राजसहायता की समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को इस गंभीर स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक रोजगार का संबंध है। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का वायदा है। यह

[श्री मोइनुल हसन]

वायदा राजग सरकार ने पहले किया था। किन्तु इसे भी भारी आघात पहुंचा है।

मैं रोजगार वृद्धि दर के बारे में कुछ बिन्दुओं को संदर्भित करना चाहूंगा। वर्ष 1987 से 1994 तक यह 2.37 प्रतिशत था, और 1994 से 2000 तक यह 1.05 प्रतिशत था। यह रोजगार की वृद्धि दर है। संक्षेप में, यदि 24 लोग नौकरी की तलाश में हैं तो एक को नौकरी मिलती है।

मैं आपके समक्ष एक ओर चिन्ताजनक तस्वीर रखना चाहता हूं। जहां तक रोजगार का संबध है, सरकारी संगठित रोजगार बिखर गया है। वर्ष 1995-96 में 1242 मिलियन कार्यदिवस थे। वर्ष 2000-01 में इसमें गिरावट आई। अब यह मात्र 480 कार्यदिवस रह गए हैं। आप इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते। वर्ष 2001-2002 के प्रथम दस महीनों में 180 मिलियन कार्यदिवस हैं। रोजगार कार्यालयों में मार्च 2001 तक पंजीकृत युवकों की संख्या 4.12 करोड़ है। अत: मैं यह कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौतरफा संकट की ओर अग्रसर हो रही है।

अब मैं राज्य वित्त की ओर आता हूं। सभी राज्य वित्त के संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकारों के खजानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वे अपने विकास कार्यों में कटौती कर रहे हैं। वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। सभी इस बात से अवगत हैं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आ गई है और भारत सरकार ने कोई जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ली है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री येनमला रामकृष्ण नायडू का वक्तव्य, जो कि समाचार पत्र में छपा था, की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> ''केन्द्र से राज्यों को अनुदानों में धीरे-धीरे कटौती और ऋण में वृद्धि का राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गत वर्ष अनुदान 54.50 प्रतिशत से गिरकर मात्र 2.60 प्रतिशत रह गया किन्तु ऋण 12.80 प्रतिशत रह गया किन्तु ऋण 12.80 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.50 प्रतिशत हो गया। इसका परिणाम यह होगा कि राज्य ऋण जाल में फंस जाएंगे।''

राज्यों की यह वास्तविक आवाज है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। आपके दल से एक और वक्ता हैं किन्तु आपके दल के लिए नियत समय समाप्त हो गया है।

श्री मोइनुल हसन: महोदय, मैं मात्र दो मिनट लूंगा। यह विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों का मत है। अत: इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने राज्य, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ प्रवण, सूखा प्रवण और अपरदन प्रवण राज्य है। वर्ष 2000-01 में पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ की स्थिति का हमने सामना किया। हमने 1487 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की थी किन्तु हमें मात्र 103 करोड़ रुपये ही मिले। अत: इसका हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस स्थिति से सरकार चलाना कैसे संभव हो सकता है? फिर तीन-चार जिलों जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया आदि शामिल है में अपरदन हो रहा है किन्तु हमें भारत सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके साथ ही पुरुलिया, मिदनापुर और बांकुरा जिलों में सूखे की स्थिति है और फिर भी भारत सरकार से कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिल रही है। जहां तक सूखे का प्रश्न है, इस पर तो श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पहले ही बोल चुकी हैं। 11वें वित्त आयोग की राज्यों की ओर अधिक धन देने के बारे में अनेक सिफारिशें हैं किंतु अब तक इस पहलू पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत भयंकर है। इस पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। विभिन्न कारणों से विभिन्न मांगों के आने के कारण अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर संसद का अनुमोदन लेना एक सामान्य बात है। इस बार यह राशि 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है जो कि काफी बड़ी राशि है। इस राशि का अधिकांश भाग वित्तीय संस्थानों के भुगतान और फिर दूसरा बड़ा भाग ग्रामीण विकास में चला जाएगा। सम्भवत: यह दिल्ली मैट्रो विकास परियोजना में जा रहा है और यह राशि 1346 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही दूरसंचार, खान, भारी उद्योग, वस्त्र, इस्पात मंत्रालय और अन्य दोनों की आवश्यकताएं भी काफी हैं। किन्तु मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूं कि कृषि क्षेत्र जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है के लिए प्रावधान अधिक नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण मद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष है। सरकार को इन दो मदों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने चाहिए थे।

आज हमारे समक्ष देश में एक विशेष समस्या है। एक तरफ तो हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमा पर तैनात हैं और दूसरी ओर देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ा है। प्राकृतिक आपदा वर्षों से हमारे देश की एक नियमित समस्या होती जा रही है। गत वर्ष गुजरात

में भयंकर भूकम्प आया था और इस वर्ष देश भर में भयंकर सूखा है और कुछ राज्यों में बाढ़ भी आई हुई है। अतीत में हम नदियों को जोड़ने की बात कर रहे थे किन्तु हमने उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। यदि हमने वह किया होता तो काफी समय लग गया होता परन्तु इसके साथ ही बाढ़ से होने वाली हानि से बचाव में हमारी मदद होती और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हम फालतू पानी का उपयोग कर सकते थे और उन नदियों में पानी पहुंचा सकते थे जो कि सूख गई हैं तथा सूखे से प्रभावित जलाशयों में भी जलापूर्ति कर सकते थे। हम फालतू पानी को जल विद्युत परियोजनाओं जो कि वर्षा के अभाव के कारण विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं से विद्युत उत्पादन में काम में लग सकते थे।

आज, माननीय वित्त मंत्री महोदय को उस तरह की योजना बनानी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी जो कि उन क्षेत्रों में तबाही कर रहा है जो सूखे वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सके। इससे आपको और भी अधिक फायदे, पेयजल, कृषि और उद्योग क्षेत्र में होंगे। आज आप देखते हैं कि राज्य जल संसाधन ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति के लिए अनुपूरक मांगें लाते हैं। वास्तव में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिससे अतिरिक्त अनाज, जो कि हमारे गोदामों में पड़ा है का उपयोग हो सकेगा। इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक कार्यों का सृजन होगा।

गत तीन वर्षों के दौरान हमने पाया कि, चावल गेहूं और अन्य उत्पादों के अतिरिक्त उत्पादन के कारण गोदामों/भांडागारों की समस्या हुई है। निर्यात आवश्यकतानुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं रहा। अत: दूसरा विकल्प यह है कि इसके अपने देश में ही उपयोग अत्यंत लाभदायक होगा, ताकि इससे भावी उत्पादन प्रभावित न हो। यह कार्य हमने पहले भी किया था। किन्तु अब सूखे की स्थिति में, मैं समझता हूं कि वर्तमान माननीय वित्त मंत्री को अन्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और यह देखना होगा कि वे काम के बदले अनाज के लिए पर्याप्त धनराशि जारी कर सकें और तुरन्त कुछ अतिरिक्त धनराशि जारी करें। वे हमेशा यह कहते हैं कि जांच में काफी समय लगेगा। किन्तु तदर्थ सहायता तुरन्त उपलब्ध करवाई जानी चाहिए क्योंकि वक्त का तकाजा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी कारण तमाम कठिनाईयों के बावजूद हमारे किसान गांवों में रहते हैं। वे 60-70 प्रतिशत से अधिक हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं। वे देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादित करते हैं। किन्तु मुद्रास्फीति और सूखे के कारण, हमें कृषि को और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों को और सहायता देनी चाहिए।

हम हमेशा ही ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन की बात करते रहे हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा विभिन्न अन्य आवश्यकताओं पर पर्याप्त मात्रा में निधियों का उपयोग करना है जिन पर विचार करना होगा।

वास्तव में, दूसरी तरफ, जब हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, एफ सी आई का कहना है कि वे इसमें से धीरे-धीरे कटौती करना चाहते हैं। परन्तु एफ सी आई को प्रमुख भूमिका निभानी होगी और देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को देखना होगा। उन्हें अधिशेष और कमी वाले भागों में संतुलन बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे अधिक काम कर सकें तथा यह भी देखें कि अधिक गोदामों और भाडांगारों की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।

संभवत: संसद सदस्य, ग्रामीण विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं। परन्तु आपके द्वारा दी गई निधियां बहुत कम हैं। अधिकांश विधायक अधिक निधियां प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस पहलू की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि निधियों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। वास्तव में समितियों ने जब भी बैठकें हुई हैं हर बार यह सिफारिश की है। परन्तु दुर्भाग्यवश, मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं हुआ। मुझे आशा है कि इस बार, वित्त मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा कर सकेंगे। हमें संसद सदस्यों के लिए कुछ करना होगा। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना होगा उन्हें मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी क्षेत्र का विकास करना होगा। ग्रामीण विकास सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर भी विचार करेंगे।

आज, हमारे मुद्रा भंडार काफी अच्छे हैं और मुद्रास्फीति काफी सही स्तर पर है। इसके बावजूद, हमारी विकास दर बढ़नी चाहिए ताकि उन्हें आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों। किसी भी देश में, जहां भी आप अच्छी अवसंरचना देखते हैं वहां विकास तेजी से होता है। वहां औद्योगिक विकास होता है। हमारे निर्यात के साथ या ऐसी ही स्थिति में रोजगार की संभावनाएं होंगी। ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने अभी-अभी कहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है प्रमुख शहरों को जोड़ता है और इसके लिए पर्याप्त राशि की आवश्यकता है। यही समय है जब हमें पनधारा समस्याओं का समाधान करना होगा। उप मृदा का पानी काफी नीचे जा रहा है। जब बारिश होती तो उसका पानी बेकार होकर समुद्र में चला जाता है। इससे भूमि जल स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देशित होना चाहिए।

[डा. बी.बी. रमैया]

इसी कारण सभी राज्यों में पनधारा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे अधिक नुकसान पहुंचाए बिना तथा उस पानी को समुद्र में बहाए बिना प्राकृतिक तरीके से इसका उपयोग कर सकें।

जैसा कि हम देखते हैं, कई नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। यह कार्यक्रम काफी लंबे समय से चल रहा है और हमें वर्तमान स्थितियों में यह देखना है कि कुछ गंभीर कदम उठाने हैं और हम उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

डा. बी.बी. रमैया: बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समाप्त करता हूं। कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकेंगे। ऐसे कई अवसर हैं जहां हमें बोलना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: दासमुंशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके दल का समय पूरा हो चुका है। उसमें से पांच मिनट अधिक श्रीमती आल्वा ने ले लिये हैं। अगर आप इसमें मेरी मदद करेंगे तो कम से कम समय में आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। सिर्फ आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सभापति जी मैं भी यही कहना चाहती हूं कि उनकी ओर से काफी समय ले लिया गया है।

सभापति महोदय: भावना जी, आप बैठिये। आप उनका समय क्यों ले रही हैं? श्री दासमुंशी जी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस बहस में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं इस समय अर्थव्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री की सफलता की कामना करता हूं। मैं उनके लिए सद्भावना रखता हूं क्योंकि वे इस सभा में हम सभी के एक अच्छे मित्र हैं, एक सहृदय व्यक्ति हैं, उन्होंने तेरहवीं लोक सभा में बहुत ही नाजुक क्षण में अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया था, उन्होंने अपनी यात्रा मसूद अजहर से कन्धार तक शुरू की थी और अंत में अर्थव्यवस्था के संकट का सामना किया जहां सारा देश सूखे, बाढ़ और ऐसी ही बातें ग्रस्त थी।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष तीन मूल बातें उजागर करूंगा। पहली बात यह कि, खर्च इत्यादि कम करने के लिए गीता कृष्णन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले और बाद में सरकार ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया कि सरकार यह देखेगी कि घाटे के बजट को उस तरह से नहीं प्रस्तुत किया जायेगा जैसाकि विगत के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

मुझे गर्व है कि वित्त मंत्रालय में हमारे कई अधिकारी पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। सच है कि कोई अकुशल भी होगा परन्तु हमारे लिए यह गलत होगा कि हम उन समर्पित अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और सत्यता पर संदेह करें जो इस देश में सीमा शुल्क विभाग, राजस्व विभाग, कराधान इत्यादि विभागों में काम कर रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधार को मजबूत कर रहे हैं।

अपराह्न 3.58 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन* हुई]

महोदया तीन मामलों में, अपने योगदान के बारे में स्पष्ट करूंगा। पहला मामला जो वित्त मंत्री के अनुसार निवेश करने योग्य है और जो उनके अनुसार निवेश करने योग्य नहीं है? जबकि मुम्बई तट पर, ओ एन जी सी को तेल निकालने के कार्यक्रम में कठिनाई लगती है, सरकार के एक मंत्रालय ने पाया कि रूस के शुतलिन परियोजना में 8,000 करोड़ रुपये तक निवेश करना लाभकारी है। इसे विश्व के अधिकांश तेल के मालिकों द्वारा बेकार समझाकर अस्वीकार कर दिया गया है। क्या यह रूस को प्रसन्न करने के लिए है या यह सही निवेश है जिसके बारे में सरकार उचित समझती है?

यह किसी व्यक्ति के राजनैतिक चरित्र हनन का मुद्दा नहीं है परन्तु यह एक मौलिक मुद्दा है। जब हमारा सार्वजनिक क्षेत्र अन्यत्र बेहतर निवेश करने के लिए विश्वस्त है तो वे उन्हें बांबे हाई के तेल निकालने के कार्यक्रम में निवेश करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे जो उन्हें अधिक लाभांश देगा बल्कि 8000 करोड़ रुपये तक के निवेश करने के लिए कहेंगे। इस प्रकार हम उनकी निवेश वरीयता को जानना चाहेंगे। वे वित्त मंत्रालय में इस मामलों में किस तरह समन्वय करते हैं? यह आज हम सभी के लिए चिंता के मामले हैं।

महोदया, मेरी दूसरी बात इस सभा में तथाकथित बहस के बारे में हैं जहां कई सदस्य विशेषकर मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया इस पक्ष की ओर से और उस ओर से भी बोलते हैं। मैं राजनीतिक विचारधारा के संबंध में उनसे मतभेद रखता हूं परन्तु कई आर्थिक मामलों में, जहां उनका योगदान होता है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय अब मैं मारीशस रूट कम्पनियों की भूमिका की बात करता हूं। तहलका का मामला सामने आया। हमारे मतों में मतभेद हो सकता है। हम गुण-दोषों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह आयोग के समक्ष जांचाधीन है।

तहलका प्रसंग के कुछ दिन पहले, शेयर बाजार में के-10 लोबी कार्य चालन के संदर्भ में सभा में काफी शोर शराबा मचा था और सभा ने संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी। यह इसकी जांच कर रही है। कुछ दिनों के बाद, मुझे फर्स्ट ग्लोबल नामक कम्पनी को परेशान करने से संबंधित पत्र प्राप्त हुए जो सरकार के मतानुसार एक उल्लंघन करने वाली कम्पनी है, चाहे वह कोई निवेश हो या तहलका समूह का भागीदार। मैंने संसद के सदस्य के रूप में इस कम्पनी के हित से संबंधित तथा इस कम्पनी को परेशान करने के संबंध में तत्कालीन वित्त मंत्री के समक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने 14 जनवरी को यह कहते हुए उत्तर दिया था. ''सेबी को इस कम्पनी के संबंध में कुछ गलती दिखाई दी।'' वित्त मंत्री को 4 जनवरी को लिखे अपने पत्र में मैंने शेयर बाजार घोटाला, फर्स्ट ग्लोबल और मारीशस रूट कम्पनियों के बारे में कहा था। मैंने कहा था कि मारीशस रूट की कम्पनियों की सूची सार्वजनिक की जाए और यदि आवश्यक हो तो सी बी आई द्वारा व्यापक जांच करवाई जाए कि उन्होंने भारत सरकार, सेबी और देश के कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। महोदय, वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में केवल फर्स्ट ग्लोबल पर ही बल दिया और इस बात पर बल दिया कि सेबी को इस कम्पनी में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। उससे पहले, अक्तूबर में, मैंने डा. मेहता, सेबी के तत्कालीन सभापति को लिखा था और उनसे उन कम्पनियों का ब्यौरा देने के लिए कहा था जिन्होंने शेयर बाजार प्रचालनों के साथ हेराफेरी की थी।

महोदय, जे पी सी के प्रतिष्ठित चेयरमैन, श्री त्रिपाठी यहां बैठे हुए हैं। मैं यहां जेपीसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा परन्तु उनकी जानकारी के लिए मैं यह जानकारी दूंगा। यहां डा. मेहता की रिपोर्ट है। डा. मेहता के लम्बे उत्तर में तथा जो कुछ उन्होंने कहा है फर्स्ट ग्लोबल का नाम ही नहीं था। सभी कम्पनियों के नाम हैं, जिनके बारे में डा. मेहता के उत्तर में यह बताया गया कि शेयर बाजार में हेराफेरी की। वित्त मंत्री ने मुझे बताया कि सेबी ने फर्स्ट ग्लोबल नामक कम्पनी के संबंध में कुछ गड़बड़ी पाई थी। जब मैंने सेबी के चेयरमैन से हस्ताक्षरित दस्तावेज में रिपोर्ट देने के लिए कहा तो उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल के नाम के अलावा, सभी कम्पनियों के नामों की सूची प्रस्तुत की, जिसने राष्ट्र और शेयर बाजार के साथ हेराफेरी की। इसलिए महोदय, इससे मुझे यह लगता है कि वे फर्स्ट ग्लोबल को प्रसारित करने में लगे हैं। क्या यह तहलका का अनुबोध है या यह अन्य कम्पनियों की ही तरह है?

वित्त मंत्री से मेरी दूसरी अपील प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फर्स्ट ग्लोबल के साथ किए गए व्यवहार के बारे में है जिसके बारे में मेरे मन में अत्यधिक आदर है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आप उन कम्पनियों में भी वही व्यवहार क्यों नहीं करते जिन्हें सेबी के चेयरमैन ने सूचीबद्ध किया है? मेरे पास कम्पनियों की सूची है। वे हैं: केन्सिंगटन इंवेस्टमैंट लि.; वेकफील्ड होल्डिंग्स। कम्पनी ग्रीनफील्ड्स इनवेस्टमेंट लि.; वायसराय इनवेस्टमेंट लि. आलमेव इनवेस्टमेंट लि. डेलीग्राडा लि., राजस कारपो. लि.; यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट्स लि., फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स कारपो लि.; सिम्फनी होल्डिंग्स लि. डोजीयर स्टील इंक.; और ए ओ एम इन्वेस्टमेंट्स लि.।

यदि आप सेबी की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि वे इसे 20,000 डालर में खरीद रहे हैं और इससे एक लाख, दो लाख अथवा पांच लाख डालर की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है। फर्स्ट ग्लोबल को छोड़कर इनमें से एक भी कंपनी और भारत में इनकी सहभागी कम्पनियों को प्रवर्तन निदेशालय अथवा कर विभाग का भय था। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और वित्त मंत्रालय की पारदर्शिता और उद्देश्यपरक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि आप एक कम्पनी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आपको अन्य कम्पनियों के साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। जहां तक उन कंपनियों जिन्होंने देश के शेयर बाजार में धोखाधड़ी की और अर्थव्यवस्था को तबाह किया का पता लगाने, सख्ती बरतने और पकड़ने के लिए एक ही सिद्धान्त होना चाहिए।

मेरी तीसरी टिप्पणी सूखे की स्थिति के बारे में है जिस पर श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पहले ही बोल चुकी है। मैं सामान्य रूप से कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं? क्या आप इस पर ध्यान देंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण में गरीबी उन्मूलन हेतु ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए उस समय क्या घोषणाएं की थी जब वहां सूखा नहीं पड़ा था? उन राज्यों के बजट क्या थे जब उन्होंने अपने राज्य के अपने बजट प्रस्तुत किये थे? यह सही है कि कई राज्य अपनी अर्थव्यवस्था

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

का प्रबंध करने में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप बजट प्रबंधन के लिए राजस्व उत्तरदायित्व विधेयक ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उसी क्रम में उनकी सहायता करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में घोषणा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडू आदि जैसे प्रतिबंधित राज्यों जो सूखे की चपेट में है, को नोट करते हुये क्या आप वित्त मंत्रालय में कार्यदल गठित करेंगे जिसका काम यह देखना होगा कि इन लोगों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कितनी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी? यदि आवश्यक हो तो आप कर लगाकर अथवा किसी अन्य तरीके से संसाधन जुटाने के लिए इस सदन में कोई प्रस्ताव लाइए ताकि सूखे के समय सूखाग्रस्त राज्यों की सहायता की जा सके। हम आपका साथ देंगे। क्या आप अतिशीघ्र कार्यदल गठित करने पर विचार करेंगे? 14 अगस्त से पूर्व जब सदन की बैठक अनिश्चित बात के लिए स्थगित की जायेगी क्या आप राज्यों की सहायता करने के लिए नीति योजना तैयार करेंगे?

राष्ट्रीय आपदा कोष है। मैं सरकार अथवा मंत्री जी को दोषी मानता हूं वह कोष इतना कम है कि इस प्रकार के सूखे की स्थिति से निपटने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि इस स्थिति से निपट लेते हैं तो आपकी प्रशंसा होगी। हालांकि मैं विपक्ष में बैठा हूं मैं आपको बताऊंगा कि देश के किसानों की प्रतिक्रिया देश के अन्य औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिक्रिया अभी काफी अच्छी है। यदि आप सूखे की स्थिति का अच्छी तरह से मुकाबला कर पाते हैं तो अगले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ होगी। यदि आप संकट से निपटने में असफल पाते हैं तो यह स्थिति आपको ऐसी जगह ले जाएगी जहां आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमें तो आपकी आलोचना करके बहुत खुशी होगी लेकिन देश को भुगतना पड़ेगा।

इसलिए मेरा आपसे तीसरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें। आप इसके संबंध में प्रधान मंत्री और केबिनेट से बात करें और तुरन्त कार्यबल गठित करें। मान लीजिए कल युद्ध हो जाता है और रक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अधिक धन चाहिए। संसद उनको अतिरिक्त धन देकर सहायता करेगी ताकि सीमा पर चुनौतियों का सामना किया जा सके। आप सूखे की स्थिति को भी युद्ध की स्थिति समझिए। यदि आपको किसी भी राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता है भले ही वह किसी भी राजनीतिक दल द्वारा शासित राज्य हो हम आपको समर्थन देंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए वापस आएंगे यदि आपको स्थानान्तरित न कर दिये जाये तो हम आपका साथ देंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें यह स्पष्ट नहीं है कि आपकी सरकार में कौन रहेगा और किसी दिन आप इस सरकार में रहेंगे। और यह तो पता भी नहीं है कि कौन वास्तविक प्राधिकारी है क्योंकि आपके एक सहयोगी दल के वक्तव्य को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह नहीं जानती है कि सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है। अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस कार्यबल को गठित करने पर पूरी शक्ति लगाए। सूखाग्रस्त प्रभावी उन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को लीजिए सम्बद्ध मंत्रालय जैसे जल संसाधन, कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि को लीजिए और कार्यक्रम तैयार कीजिए। यदि यह धन आपको यह कार्य करने के लिए चाहिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए रास्ता बनाना हो और उस लक्ष्य को पाने के लिए इस प्रयास में पूरी संसद आपको समर्थन देगी। यदि यह कराधान क्यों न हो तो भी हमें आपत्ति नहीं है। यदि आप 'पैकेज' लेकर आते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र और देश लाभान्वित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर सकारात्मक रूप से जवाब दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदया, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। विपक्ष की ओर से इस चर्चा को प्रारंभ किया गया है और विपक्ष की ओर से बोलने वाले दोनों वक्ताओं ने जो भाव व्यक्त किए हैं कि देश की इकनौमी को स्ट्रेंग्थन करने के लिए और पर्टीकुलरली देश में जो अकाल की स्थिति है, उसका सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदया: फिर आपने ऑब्जैक्ट क्यों किया?

श्री किरीट सोमैया: मैडम, अभी तो मैं मसका मार रहा था, ताकि आप मुझे बोलने के लिए कम से कम दो मिनट और ज्यादा दे सकें।

जो भावनाएं विपक्ष ने व्यक्त की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वास्तव में यह जो चर्चा हो रही है, वह सप्लीमैंट्री डिमांड्स के ऊपर चल रही है। इसमें देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्या स्थिति है, हम अकाल का सामना

कैसे करेंगे और मौरीशस रूट की नीति क्या होनी चाहिए, उन बातों की डिटेल में मैं इस समय नहीं जाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अभी नए वित्त मंत्री ने पदभार ग्रहण किया है और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बार फिर घोषणा की है कि इस वर्ष हमारी आर्थिक विकास की दर 6% से भी अधिक होगी।

[हिन्दी]

इस बार अनेक वर्षों के पश्चात एग्रीकल्चरल ग्रोथ 7 प्रतिशत के करीब होने जा रही है। मैं वर्ष 2001-2002 के बारे में बात कर रहा हूं यह दुर्दैव है कि बरसात नहीं होने के कारण देश को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हमारे देश की इकनौमी बराबर आकर जो दुनिया में रिसैशन था, उससे बाहर आकर जो फीड ले रही थी, उसके लिए एक अच्छा अवसर आया था और हमारे देश में 6 हजार बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व्स होने जा रहा है, उस स्थिति में अकाल के कारण देश की इकनौमी की ग्रोथ में थोड़ी रुकावट जरूर आएगी, लेकिन जैसी यहां इच्छा व्यक्त की गई है कि हम मिलजुल कर अकाल का सामना कर लेंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। जैसे देश की अर्थव्यवस्था पहले पटरी पर आई थी, वैसे ही अब भी पटरी पर आएगी, मेरा ऐसा विश्वास है।

हमारे माननीय सदस्य डॉ. बी.बी. रमैया ने बहुत अच्छी चिन्ता व्यक्त की है कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड हजारों करोड़ रुपए की है, लेकिन इसमें 5-7 एकाउंट ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

ये लगभग 5-7 मदें हैं जो 70-80 प्रतिशत से अधिक हैं जैसे 720 करोड़ रुपये के भारत संचार निगम लि. को दिये गये ऋण पूर्व भुगतान के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, एचडीएफसी प्रति प्रविष्टि 500 करोड़ रु., यूटीआई को और भुगतान, इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए 186 करोड़ रुपये भारत रेफरेक्टरिज के लिए 145 करोड़ रुपये, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए 1346 करोड़ रुपये, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी निवेश कम होने के लिए 681 करोड़ रुपये, 'यूको' बैंक के लिए 1,665 करोड़ रुपये टायर कारपोरेशन के लिए 100 करोड़ रु. और भारी उद्योगों को सहायता और अनुदान के अधीन और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के लिए 549 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

सभापति महोदया, अगर थोड़ा सा अर्थशास्त्र में जाएंगे और देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप पाएंगे कि देश की एजेंसी, आर्गेनाइजेशन, कार्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन्स में इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि को कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर ध्यान देना होगा और यह सोचना होगा कि क्या यह इन दो-तीन सालों में इतना घाटा हुआ है उसके कारण सरकार को इतनी अधिक सहायता करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा करते हुए राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे प्रिय मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य लोगों ने अपने भाषणों के समय राजनीति से प्रेरित होकर जो विचार व्यक्त किए, यदि मैं उनका उत्तर राजनीति की भाषा में ही दूं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। एन.पी.ए. की बात नहीं है।

[अनुवाद]

एन पी ए की स्थिति क्या है। मैं अभी एक कम्पनी के आंकड़े पढ़ूंगा।

[हिन्दी]

मैं एक नहीं बल्कि ऐसी अनेक कम्पनियों की फिगर पढ़ सकता हूं।

[अनुवाद]

कुल एनपीए 83,000 करोड़ रुपये है। मैं एक कम्पनी के आंकड़ें पढ़ना चाहूंगा जिसका एनपीए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इस कम्पनी के वित्त पोषक यूटीआई आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई एलआईसी और जीआईसी हैं। यह वित्त इस कम्पनी को वर्ष 1990-91 से दिया गया है।

एनपीए क्या है। मैं एक उदाहरण और पढ़ूंगा। ऐसी कम्पनियां जिन्हें नए वित्तपोषक दिये गये हैं जिनके पहले के ऋण एनपीए बन गए हैं यह राशि 35 करोड़ रु. 97 करोड़ रु. और 20.7 करोड़ रुपये है। यहा मुझे इंडियन चार्ज क्रोम और ऊषा इस्पात जैसी दिखती हैं और एनपीए 953 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

एन.पी.ए. के झंझट में मैं जाना नहीं चाहूंगा। 83 हजार करोड़ रुपये का एन.पी.ए. है। वह कहां से हुआ? इन दोनों कम्पनियों को कब धन दिया गया था? यह 1995 से पहले हैं। गये दो साल में, तीन साल में इस सरकार के आने से किस को लोन दिया जाये और उसमें इंटरस्ट ओवरड्यू होता है तो उसको एन.पी.ए. नहीं कहा जाता।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

एनपीए का अर्थ क्या है? ऋण पुराना ऋण है सन्देहजनक ऋण है इसका ब्याज भी पूर्व में अदा नहीं किया गया है। नए ऋण और अग्रिम राशि मूल राशि का ब्याज अदा करने के लिए दी गई है।

[हिन्दी]

83 हजार करोड़ रुपये का जो एन.पी.ए. है, उस पर सदन को चिन्ता करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करूंगा। हम यह नहीं कहेंगे कि किसका कर्म है। किसने लोन दिया, क्यों दिया और कब दिया? इसका कनैक्शन क्या है। उस ऊषा इस्पात को किसने बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर एप्वाइंट किया और उस समय किसकी सरकार थी। इसको आप जाने दें क्योंकि मैं पोलिटिकल चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें इसे राजनीतिक मदुदा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह न केवल सत्ता पक्ष के लिये, बल्कि विपक्ष के लिए भी उलटी युक्ति होगा। वास्तव में एन.पी.ए. में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कद्र करूंगा। लेकिन चर्चा निकली, इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट किया है। दूसरा यू.टी.आई. की बात है। मैं समझता हूं कि इसके बाद हम परिस्थिति पुनर्निर्माण कम्पनी विधेयक लेंगे। यू.टी.आई. के फिगर भी मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। यूटीआई भारतीय इतिहास के बड़े घोटालों में से एक है और इस घोटाले में हम सभी ने जाने अनजाने अंशदान दिया है। हम किसी एक भी व्यक्ति को अर्थात एक भी दल को जाने अनजाने छोड़ नहीं सकते। कुछ नहीं है। उल्टा पिरामिड है। नये इन्वेस्टर्स को लेना और पुराने का पैमेंट करना। यूटीआई क्या है? पिछले $4^{1}/_{2}$ वर्षों से मैं निवेशक शिकायत मंच और देश के छोटे निवेशकों की ओर से चिल्ला रहा हूं। यह पोनसे योजना है, पोनसे का अर्थ क्या है? यह व्यवस्था कई वर्षों में चली जा रही है। उसका बेनीफिट किसको होगा? बेनीफिट कुछ को-आपरेटिव्स को होता है या बदमाश लोगों को जाता है। उनको हम पकड़ नहीं पाते हैं। चाहे यह 1989, 1991, 1998 और 1999 है इन लोगों ने रास्ते ढूंढ लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम यह चर्चा करेंगे कि उन लोगों को कैसे पकड़ा जाये। उन लोगों को मदद करने वाले एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, उनको कैसे रोका जाये। हम सभी वित्तीय संस्थानों के निर्णायकों के बीच जवाबदेही किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं? यू.टी.आई. का ध्येय क्या है-म्युचुअल फंड। छोटे निवेशकों में धन एकत्र करना और उसे किसी सुरक्षित बाजार में निवेशित करना। स्टॉप कर दिया। कहां से कहां यू.टी.आई. चला गया। योजना और निवेश में अदला बदली की गई 1991 का एम.आई.सी. 1996 में मेच्योर हो गया। सब को लिख दिया, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख दिया कि 1996 में हम नयी स्कीम स्टार्ट करेंगे। उसमें 1991 के इन्वेस्टर्स 1996 में ट्रांसफर कर देंगे। और इन्वेस्टर्स को कुछ बातें लिखकर सब ट्रांसफर कर दिया। यह चीज पिछले 12 वर्षों से चली आ रही है। नये इन्वेस्टर्स को पुराने के सामने या पुराने को वापिस रीइन्वेस्टमेंट करवा देना। अन्तर योजना स्थानान्तरण पिछले कई वर्षों से चली आ रही है मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अब इसे बन्द करवाएं। एक बार आपको सुनना पड़ेगा। हमेशा के लिए हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। मैं यहां दो उदाहरण देना चाहूंगा। यूटीआई प्रबंधन उसी बीज को अभी भी जारी रखना चाहता है। मैं एक दो उदाहरण कोट करना चाहूंगा। 1995 के एमआईपी का एनपीएज 17 मई 2002 को एमआईपी 2000 में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यह उन लोगों ने क्या लगाया है, जो लोग वहां बैठे हुए हैं। वे आपके पास से 500 करोड़ रुपये लेकर जाते हैं और स्माल इन्वैस्टर्स को लूटने के लिए दूसरा धन्धा शुरू करते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। इसी प्रकार एमआईपी 1996 के एमपीएज ओएमआईपी 2001 में स्थानान्तरित कर दिया था। पहले 18.27 करोड़ रुपये और फिर 40.85 करोड़ रुपये। ये क्या लगाया है, नये इन्वैस्टर्स, जिन्होंने ऑनिस्टली इन्वैस्ट किया है, उनको उन्होंने लूटा है। नये एन.पी.ए. में आप अन्दर जाओगे तो एम.आई.पी. 1991 का एन.पी.ए. होगा। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसे हमेशा के लिए बन्द कीजिए इनफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बता सकता हूं कि किस-किस कम्पनी ने यू.टी.आई. में किस प्रकार से काम किया है। जो एन.पी.ए. का हमारा एक भ्रम है कि एन.पी.ए. खाली आई.डी.बी.आई. में होता है, आई.सी.आई.सी.आई. में होता है, बैंक ऑफ इंडिया में होता है, लेकिन यू.टी.आई. का एन.पी.ए. आप पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। 274 करोड़ रुपये का निवेश विकास भण्डार कोष एनपीए बन गया है और वे किसी को सूचित नहीं कर रहे हैं। वह निवेश 1992-93 में किया गया था। लेकिन मैं वापस इसे कहूंगा कि इसकी पोलिटिकल चर्चा हम न करें।

मैं गवर्नमैंट का स्वागत करता हूं कि सरकार यू.टी.आई. एक्ट में एमेंडमेंट ला रही है। आप इसे लाइए। इसे स्वतंत्र बनाइए। इसे जवाब देह बनाइए। आप इस प्रकार की हेराफेरी बन्द करवाइये और स्माल इन्वैस्टर को संरक्षण दीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं कि कम से कम आपने हिम्मत के साथ 500 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है और स्माल इन्वैस्टर्स को आपने गारण्टी दी है कि आपने जो भी यू.टी.आई. में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के भरोसे पर किया है, सरकार उस विश्वास को कायम रखेगी।

मैं एक-दो बिन्दुओं को स्पष्ट करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। इसी समय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सैण्ट्रल बैंक, यह यूको बैंक, इनको आप इतना पैसा दे रहे हैं, भले ओल्ड एन.पी.ए. के कारण या उनके रीस्ट्रक्चरिंग के कारण उनको दे रहे हैं, लेकिन इसमें जवाबदेही लाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। उसकी बैंक बुक वैल्यू 26 रुपये है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेयरमैन 10 रु. के आईपीओ निकालना चाहता है वहां जवाबदेही नहीं है। हमें पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो?

साथ में मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो एक विषय उठाया, मैं उसे अन्त में स्पर्श करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास समन्वय व्यवस्था होनी चाहिए। इतने सारे बैंक हैं, मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिया, मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसमें एक ही कम्पनी है, एक जगह से वे इक्विटी फंड लेती है, दूसरी जगह से वर्किंग कैपीटल, तीसरी जगह से टर्म लोन और 2-3 साल के बाद उसका रीपेमेण्ट करने के लिए वही कम्पनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से दूसरे नाम पर पैसा वापस लेती है। फ्रेंड कम्पनी खोलती है, सिस्टर कन्सर्न कम्पनी खोलती है और बाहर के मार्ग से पैसा वापस चला जाता है।

मैं एक ही विषय को स्पष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, मेरे मित्र माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी मारीशस रूट की बात कह रहे थे, वे मारीशस रूट के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हैं। मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि जी हां हमें इस पर चर्चा करनी होगी और मारिशियस मार्ग के दुरुपयोग के संबंध में निर्णय लेना होगा। अभी हम जो डिवीडेंड टैक्स का बजट में एमेंडमेंट लाये हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भारतीय कम्पनियों ने मारिशियस शेल कम्पनियों के नाम पर प्रवर्तन धारकों को बदलना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक बड़ी कम्पनी का नाम बता सकता हूं, 43 परसेंट उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, उन्होंने मारीशस की शैल कमपनी में 37 परसेंट प्रमोटर्स होल्डिंग ट्रांसफर कर दी। जो डिवीडेंड टैक्स भरेगा, यहां का ऑनेस्ट इन्वैस्टर भरेगा, लेकिन जो बड़ा प्रमोटर है, मारीशस में दो परसेंट उनको डिवीडेंड टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि मारीशस रूट के बारे में आप कभी चाहें तो फाइनेंस कमेटी के सामने, कभी सदन के सामने या इसके लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इसके एब्यूज क्या हैं, हम केवल दुरुपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर टैक्स बैनीफिट के लिए कोई अच्छी कम्पनी आती है तो हम माइंड नहीं करते, लेकिन इंडियन कम्पनीज अपने टैक्स सेविंग के लिए यहां के कैपीटल मार्केट के मैनीपुलेशन के लिए, फोर्जरी के लिए जिस कम्पनी का उदाहरण माननीय मित्र दे रहे थे, मेरे कुछ बंधन हैं, नहीं तो मैं उस कम्पनी के ऐसे बहुत से काले कारनामे बाहर ला सकता था। दासमुंशी जी एक अच्छे सदस्य हैं, उनको पता नहीं है कि वह किस की बात कर रहे हैं। उस कम्पनी के सिंगापुर से लेकर मारीशस और मिडिल ईस्ट से लेकर,

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री किरीट सोमयै, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि हम संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। कृपया कर अधिक विस्तार में मत जाइए।

श्री किरीट सोमैया: नहीं महोदया, मैं उनके ब्यौरों के बारे में नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदया: आप उस समिति के सदस्य हैं। समिति के सभापति भी यहां बैठे हुए हैं। मैं समझती हूं कि यह सब बातें प्रतिवेदन में आ सकती है। मैं समझती हूं कि हम सभी नियमों से बंधे हुए हैं। अत: आप अधिक विस्तार में मत जाइए। हम इस पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में चर्चा करेंगे और आप उस प्रतिवेदन में सब कुछ सम्मिलित करा सकते हैं।

[हिन्दी]

यहां हाउस में ऐसी कोई बात न उठाएं। आप जे.पी.सी. के सदस्य हैं।

श्री किरीट सोमैया: महोदया मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं जे.पी.सी. की एक भी इंफार्मेशन यहां नहीं बता रहा हूं।

सभापति महोदया: इसको लम्बा करने की जरूरत नहीं है। जे.पी.सी. की रिपोर्ट हाउस में सबमिट होगी, तब कुछ कहना।

श्री किरीट सोमैया: मैंने जे.पी.सी. की एक भी इंफार्मेशन नहीं कही है। यू.टी.आई. के बारे मैं समझता हूं कि आपने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया आप विस्तार में मत जाइए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: जी हां, महोदया। एन.पी.ए. वगैरह का जे.पी.सी. से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस विषय को जब आना होगा, वह आएगा। कौन कहां से पैसा लेता है,

[श्री किरीट सोमैया]

मोरीशस रूट का एब्यूज हमें रोकना चाहिए। मैं इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स का समर्थन करता हूं। लेकिन कभी न कभी यू.टी.आई. और जो वित्तीय संस्थान हैं, उनके एक्जीक्यूटिव्स की अकाउंटीबिलटी के बारे में चर्चा करें और सभी म्युचुअल फंड्स, यू.टी.आई. के बारे में भी अभी से सोचना प्रारम्भ करे। एल.आई.सी. के प्रति लोगों में विश्वास है। वह विश्वास बना रहे और इसी प्रकार के जो भी करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, वह सरकार ले। यही प्रार्थना करते हुए मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदया, अनुदानों की अनुपूरक मांग संबंधी चर्चा में सरकार की समग्र नीति निदेशों पर चर्चा करना सही अवसर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं टिप्पणी किये बिना नहीं रह सकता और वह प्रत्यक्ष रूप से अनुदानों की मांगों में किए गए कुछ उपबंधों से संबंधित है।

महोदया. पूरे विश्व को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए ढांचेगत समायोजनों से गुजरना पड़ा है और रोजगार सृजन. औद्योगिक विकास निर्यात और कृषि तथा इन सभी से संबंधित क्षेत्रों में कटु अनुभवों के पश्चात् पुन: अवलोकन किया जा रहा है। मैंने कई बार कहा है कि यह सरकार आर्थिक सुधारों की नगरी में पूरी तरह गुम है। यह दिशाविहीन है। वे यह नहीं जानते कि किस ओर जाना है क्या करना है। यह सब कुछ तदर्थता है।

मैं सीधे इस स्थिति पर आ रहा हूं जिसमें मेरी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। बीएफएनएल को 720 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह धन किसलिए उसे दिया जा रहा है। महोदया माननीय वित्त मंत्री जी बाहर गए हैं लेकिन माननीय वित्त राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

सभापति महोदय: वित्त राज्य .मंत्री श्री अनन्त गीते यहां उपस्थित हैं।

श्री रूपचन्द पाल: मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे बात ध्यान से सुनें। आप आर्थिक सुधारों में लिप्त है। यह प्रत्यक्ष रूप से अनुपूरक बजट से संबंधित है। बीएसएनएल को ऋण के रूप में 720 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह उसे क्यों दिये जा रहे हैं? यह धनराशि उसे ऋण के रूप में गांव सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिये जा रहे हैं। जब नयी दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी तब निजी आपरेटरों को सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस दिए गए थे। भारतीय दूरसंचार लि. को मध्य प्रदेश के लिए दिया गया था। उन्हें दिए गए गांव में सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या 16,500 थी। उन्होंने कितने टेलीफोन लगाए। उन्होंने केवल 340 टेलीफोन लगाए। आप टाटा टेल सर्विसेज का मामला लीजिए। वे वी एस एन एल के साथ सौदा करके अमीर हो गए। उन्होंने 1420 करोड़ दिये और वे 1200 करोड़ रुपये ले गए। यह टेली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान की गयी है।

1997 में, यह माना गया था कि वे 9,635 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन के लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहां तक लक्ष्य प्राप्त किया है? उन्होंने 674 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराई है। 1997 में, ह्यूजेस टेलीकॉम, महाराष्ट्र द्वारा 25.760 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन का वचन दिया गया था। उन्होंने कितना किया है? उन्होंने सिर्फ 285 किया है। रिलायंस एक विख्यात नाम है। यहां तक कि जब रिलायंस टेलीकॉम भी इन्साइडर ट्रेडिंग में संलिप्त था, जबकि सरकारी गोपनीय दस्तावेजों तक उनकी पहुंच थी, उन्हें अभी भी यह कहते हुए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, विनिवेश प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति मिली हुई थी। विशेष ध्यान रखा गया। अब रिलायंस टेलीकॉम, गुजरात से 8,635 टेलीफोन लगाने की अपेक्षा थी। उन्होने 176 लगाएं हैं। यही उनकी शानदार उपलब्धि हैं। सत्यम टेलीकॉम, राजस्थान का लक्ष्य 31,834 था और उनकी उपलब्धि 1997 से आज तक 235 है। एचएफसीएल पंजाब का लक्ष्य 5442 था और 22.06.02 तक उनकी उपलब्धि 383 है। ये प्राइवेट प्रचालक हैं। 97,806 के लक्ष्य में से-और कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या 60.604 थी-उन्होंने जो पूरा किया वह 2,111 है। क्या किया जाना है? यह बीएसएनएल और सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व है। और पुन: इस सार्वजनिक क्षेत्र को पिछले सप्ताह निशाना बनाया गया। बीएसएनएल के मामले में भी, विनिवेश होगा। क्या यही सुधार है? ये सुधार किसके हित में हैं? इन सुधारों से किसका लाभ होगा, कौन समृद्ध होगा और किसकी उन्नति के लिए है। यह मित्रों और कारपोरेट क्षेत्र की उन्नति और समृद्धि के लिए है जिन्होंने छलपूर्वक चूक किया है, जिन्होंने सरकारी धन को लूटा है। अब, आप बीएसएनएल को इसे सौंपे गए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए 720 करोड़ रु. ऋण दे रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति के माध्यम से कई प्रकार से प्रोत्साहित किया गया, किंतु उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया और न ही वे अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। फिर डब्ल्यू एल एल एक विशेष कम्पनी को नियम से हटकर दिया गया। वे किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। किंतु सरकार बी एस एन एल को 720 करोड़ रु. ऋण दे रही है।

प्रधान मंत्री कहते हैं कि भारत जैसे देश के लिए 8 प्रतिशत वृद्धि सामान्य है। उस गरिमामय अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र विकसित

किया जाना चाहिए। आठ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए आपको कितनी राष्ट्रीय बचत चाहिए? अर्थशास्त्रियों के अत्यन्त ही साधारण आकलन के अनुसार तीस से बत्तीस प्रतिशत राष्ट्रीय बचत की आवश्यकता है। हमारा राष्ट्रीय बचत 25 प्रतिशत से गिरकर 22 से 25 प्रतिशत रह गया है। अधिकता इसमें घरेलू बचत ही है। लघु बचत राज्यों को पर्याप्त अंशदान कर रही है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य-पहले अथवा दूसरे क्रम पर है-पश्चिम बंगाल लगभग चार हजार करोड़ रु. लघु बचत और डाक बचत से जुटा रहा है। किंतु ब्याज कम कर दिया जाएगा। उन्हें हतोत्साहित किया गया है। उन्हें पूंजी बाजार में कदम रखने को कहा जा रहा है। छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड, समाप्त होती हुई कंपनियों और गैर बैंकिंग कम्पनियों में धन खो रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया? पृष्ठ ग्यारह में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय बचत संगठन के कर्मचारियों जोकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में किए गए घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय बचत संगठन के आकार को छोटा करने के अनुसरण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए एन एस ओ का आकार छोटा किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारी कितने हैं? उनकी संख्या 1,100 है।

आज क्या हो रहा है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे कृपया इसे नोट करें। देश के अधिकांश भागों में प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं। कृषि विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, एजेन्ट रसीद बही सात आठ महीने से छपी नहीं है। लोगों जिन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था जब राष्ट्रीय बचत 31 से 32 प्रतिशत तक अपेक्षित है. ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? गैर सरकारी म्युचुअल फंडों और इन सभी चीजों को प्रोत्साहित करने के नाम पर आप सब कुछ समाप्त कर रहे हैं चाहे यह बीमा क्षेत्र हो अथवा बैंकिंग क्षेत्र। जहां तक गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों का संबंध है ब्याज दर में कटौती की गई है, यदि वे अपने बहुमूल्य बचत को डाक बचत, राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा कृषि विकास पत्र में रखना चाहें तो रसीद बही अभिकर्त्ताओं को आठ महीने से अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। एन एस ओ को समाप्त किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डाक विभाग अब इसका प्रभार लेगा। किंतु अब तक इसे कोई सूचना नहीं मिली है। इसे कौन छापेगा? यह कैसी सरकार है? आठ महीनों से उन्होंने कोई नीति नहीं तैयार की है। प्रमाण-पत्रों अथवा अभिकर्त्ताओं की रसीद बहियों, फॉर्मों को कौन छापेगा? यह स्थिति है। इस स्थिति में प्रधान मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि वृद्धि दर 8 प्रतिशत होगी। आठ प्रतिशत वृद्धि दर के लिए 30 से 32 प्रतिशत बचत की आवश्यकता है।

अब मैं यूटीआई के मुद्दे पर आता हूं। यूटीआई के लिए विमोचन और निवल आस्ति मूल्य के अंतर को पाटने के लिए वायदे के अनुसार, पांच सौ करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता कि किसी समिति ने क्या जांच की है किंतु जहां तक मैं समझ सका यूटीआई एक अपवाद स्वरूप म्यूचुअल फंड है और यह एक विशाल संगठन है। मुख्यत: यह ऐसा इसलिए है कि लोगों में यह धारणा है कि सरकार इसका समर्थन करती है। आज तक जब सरकार गारंटी देती है तो हमारे देश में लोग अपना पैसा निवेश कर देते हैं और लोगों का यही मनोविज्ञान है। कमी को पूरा करने के लिए एक सुझाव यह था कि यूटीआई को एक नई किस्म का बॉण्ड जारी करने की इजाजत दी जाए जिससे सरकारी धन बाहर नहीं जाएगा। यह एक साधारण सी गारंटी होगी। महत्वपूर्ण लोगों कि मेरे द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, मैं भी यह बात कह रहा हूं, यूटीआई पुन: एक बड़ा संगठन हो सकता है और अतीत में इसने सरकार की मदद की है और भविष्य में भी यह सरकार की मदद कर सकता है। अत: मैं यह कहता हूं कि अंतत: यह एक स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने 500 करोड़ रु. उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तथापि, बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। यूटीआई सरकार के कारण ही संकट मे है। मैं किसी मंत्री विशेष, सचिव विशेष अथवा उद्योगों के विशेष समूह पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कि इन्साइडर ट्रेडिंग के माध्यम से उन्होंने अपना धन निकाला। यह उचित अवसर नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं कि यूटीआई एक संगठन है....

सभापति महोदया: श्री रूपचंद पाल, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रूपचंद पाल: एक दो बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

सरकार को यह चेतावनी देते हुए कि देश में सूखा और बाढ़ है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। औद्योगिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं, कृषि क्षेत्र में ठहराव आ गया है और निर्यात में भी वृद्धि नकारात्मक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक खामियां हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों की कमियों को ही दूर करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। यह गलत नीति है, जन विरोधी नीति है जो कि देश के हितों के विरुद्ध है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के कुछ प्रावधानों पर इन कुछ टिप्पणियों के साथ, मैं पुन: सरकार को सचेत करता हूं कि जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में वे जा रहे हैं विनाशकारी सिद्ध होगा और जनता इसे सहन नहीं करेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस अवसर पर नये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उन्हें धन्यवाद की आवश्यकता महसूस हो। पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने 1998 से देश के लोगों की आर्थिक मामलों की किस्मत अपनी कलम से लिखने का काम किया। पता नहीं उन्होंने कितना सुधार किया और कितनी आर्थिक विकलांगता की, उसकी समीक्षा करनी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि वे गांव के लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर सके, ऐसा हमें महसूस होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्री जसवंत सिंह जी के सफल विदेश मंत्री रहने के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया है ताकि वे अपने विवेक का परिचय देते हुए गांव के लोगों को विश्वास हासिल कर सकें। हमने उन्हें इस उम्मीद के साथ धन्यवाद दिया है कि वे इस उम्मीद पर खरे उतरें और गांव के लोगों के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालें।

सभापति महोदया, आज औद्योगिक दर का स्तर नीचे है और निर्यात में बहुत गिरावट आ रही है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बाढ़ और सुखाड़ के बारे में चर्चा की जिससे देश का बहुत बड़ा भू-भाग प्रभावित हुआ है। बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। वैसी स्थिति मे नये वित्त मत्री को अपनी कार्य कुशलता का परिचय देना है। हम मानते हैं कि यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। इसलिए वे इस परिवेश में किस ढंग से जूझते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह से गांव के लोगों के आर्थिक मामले में नई दिशा देते हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, यह देखने की बात है।

सभापति महोदया, लघु उद्योग इस देश में बिलकुल लड़खड़ा रहा है। इस कारण न केवल पूंजी का नुकसान हो रहा है बल्कि जो आम कमजोर मध्यम वर्ग के लोग रोजगार करते थे, छोटा-मोटा व्यवसाय करते थे, उन लोगों की रोजी मर रही है। प्रतिवर्ष इस बात की घोषणा की जाती है कि एक करोड़ रोजगार का सृजन होगा परन्तु ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसका क्या तरीका निकालने जा रहे हैं? मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन के माध्यम से इस देश को बतायें कि आप देश में कितने लोगों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वित्त मंत्री जी मन बनाकर आये हैं। वे एक सफल विदेश मंत्री रहे हैं, अच्छे वित्त मंत्री बने, यही शुभकामना करता हूं।

सभापति महोदया, मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं गांव के परिवेश से आता हूं। दिल्ली में काफी भीड़-भाड़ रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली और मुम्बई जैसे बड़े

अपराह्न 04.45

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* **हुए]**

शहरों में जो सुविधाएं मुहैय्या हैं, गांवों में वे सुविधायें कहा? आप दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में देख लीजिए। मुझे लगता है कि पिछड़े इलाकों से 70 परसेंट मरीज आते हैं और लाइन में कार्ड बनवाने के लिए खड़े रहते हैं। उन्हें किसी चीज की जांच कराने के लिए 6-6 महीने और यहां तक कि एक साल तक भी लग जाता है। इसका कारण यह है कि गांवों में कहीं चिकित्सा के उचित साधन नहीं हैं। इसलिए हम नये वित्त मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा गांवों की तरफ भी मुड़िये। हम यह मानते हैं कि आप भी जन्मजात शहर के रहने वाले नहीं हैं, गांव के ही रहने वाले हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप गांवों की तरफ भी नजर दौड़ाइये। हालांकि पिछले दिनों में देश बहुत से संकटों के दौर से गुजरा है। कभी गुजरात का तूफान, कभी उड़ीसा का तूफान, बीच में कारगिल युद्ध आदि सब समस्याओं से जूझते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक गति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, गाड़ी चली है। लेकिन गाड़ी चलने की जो रफ्तार होनी चाहिए, वह रफ्तार गाड़ी नहीं पकड़ी पाई।

सभापति महोदय, अभी यहां यू.टी.आई. की चर्चा चल रही थी। उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन एक बात वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें छोटे निवेशकों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह से देश में शेयर घोटाला हुआ। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन घोटाला किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हम मानते हैं कि शायद सरकार की तरफ से घोटाले का लाइसेंस मिला हुआ है। चूंकि उसकी जो जांच करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हमें अधिकार नहीं मिला है, हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन यह बात हम नहीं मानते हैं। जितना अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वे उस अधिकार का उपयोग नहीं करते, बल्कि सारे लोग मिल-जुलकर घोटालों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यू.टी.आई. में आप पुन: चार सौ करोड़ रुपये का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि इस पैसे का सही उपयोग होगा। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से उनके जवाब में अपेक्षा करेंगे कि जो राशि आप दे रहे हैं, उसका सही उपयोग कैसे होगा, इसके लिए आपने कौन की नई तरकीब या नया रास्ता निकाला है, यह आप सदन में बताकर देश को विश्वास में लेने का काम करें।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बीच के दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत से रास्ते निकाले गये। खासकर देश के बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को बेचा गया। पता नहीं, उससे सरकार को क्या आमदनी हुई है या क्या उपलब्धि हुई है, लेकिन जो विनिवेश हो रहा है, इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है।

चन्द्रशेखर जी देश में बहुत कम दिनों के लिए प्रधान मंत्री थे। लेकिन उनके समय में सोना गिरवी रखा गया था। उस समय सुमन जी मंत्री थे। उस समय चंद्रशेखर जी के प्रिय पात्रों में हम भी एक थे। आप सरकार में थे। उस समय हमें खुफिया विभाग से जानकारी मिली कि जिस तरह की इमेज देश में सरकार की बनी है, अगर अभी चुनाव हों तो चार सौ से ज्यादा सीटें निकल जायेंगी। लेकिन जब देहातों में चुनाव का समय आया तो एक पोस्टर निकाला गया था-चार महीने बनाम चालीस वर्ष-ऐसा ही कुछ पोस्टर निकाला गया था। गांवों के लोगों ने कहा कि जो लूट चालीस वर्ष में नहीं हुई, वह चार महीने में हो गई और उस पोस्टर का विपरीत असर पड़ा। पहले चन्द्रशेखर जी आये और श्री देवेगौड़ा जी शायद उस समय रुक ही गये थे। ...*(व्यवधान)* आप ऐसा मत कीजिए, हमें दो मिनट और दीजिए। हम ख्वामख्वाह बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये देश का सामान बेच रहे हैं। गांवों के लोगों को इसकी पीड़ा और दर्द है। आपको अच्छा नहीं लगता है।

सभापति महोदय: हम पूरे बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। जरा अनुपूरक मांगों को भी संदर्भित करके जायेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप भी इस तरह से करते हैं।

सभापति महोदय: समय सीमित हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं। मैं कह रहा था कि इन सब चीजों का देश में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जिस समय सोना गिरवी रखा गया था, उस समय खुफिया एजेन्सी की रिपोर्ट चार सौ सीटें निकलती थीं। लेकिन आज ये देश के बड़े-बड़े उद्योग-धंधे बेच रहे हैं। आप सोचियेगा कि चुनाव के समय देश की जनता क्या कहेगी। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। हम आपके मित्र, सहयोगी और शुभचिंतक की हैसियत से सावधान करना चाहते हैं कि ऐसा कोई कदम न उठे कि देश की जनता के मन में यह विश्वास पैदा हो कि आप देश को चलाने में सक्षम नहीं हैं। आप देश का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप देश के हर व्यवसाय को बेचने का काम करना चाहते हैं। ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैं एक निवेदन वित्त मंत्री जी से करके बैठ जाऊंगा। वित्त मंत्री जी आप थोड़ा गांवों की तरफ नजर डालें। गांवों की तरफ कहने का हमारा मतलब यह है कि जिस समय पुराने वित्त मंत्री जी ने गैस पर सब्सिडी में कटौती की थी, तब बड़ा हल्ला हो रहा था, लेकिन हम बड़े प्रसन्न थे। हम इसलिए प्रसन्न थे कि गैस अभी भी मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के उपभोक्ता कम ही इस्तेमाल करते हैं। फाइव स्टार होटल और बड़े बड़े घरों में उसका उपयोग होता है। सब्सिडी और घटा दें तो अच्छी बात होगी। त्रिपाठी जी गांव के हैं। वे जानते हैं कि आज भी गांवों में मवेशियों के गोबर और जलावन की लकड़ी का प्रयोग चूल्हे में होता है। अगर गांव के दर्द को मंत्री जी समझते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग की पीड़ा को महसूस करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई फॉर्मूला निकालिए ताकि जो मवेशियों का गोबर है, जलावन की लकड़ी है, उसमें आप कैसे सहयोग कर सकते हैं और सबसिडी दे सकते हैं। इसके दो लाभ होंगे। यदि आपकी ओर से प्रोत्साहन मिलेगा तो गांवों में मवेशी पालने पर जोर दिया जाएगा और उन लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। जब लकड़ी पर सब्सिडी देंगे तो गांवों में जो लोग कहते हैं वे जानते हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, इस प्रोत्साहन से गांवों में लोग पेड़-पौधे लगाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इस सवाल का जरूर उत्तर दें। हम सुनने के लिए तब तक पीछे बैठे रहेंगे जब तक इनका जवाब नहीं होगा। हम विश्वास के साथ इनका जवाब सुनना चाहेंगे कि नए मंत्री आए हैं, ये गांवों को कुछ देना चाहते हैं या नहीं। इनकी मानसिकता को हम आज ही जान लें। यदि गांवों को कुछ देने का इरादा होगा तो हम आज से इनकी प्रशंसा के पुल बांधेगे नहीं तो प्रशंसा वगैरह नही होगी। मजबूर होकर हम मांगों का समर्थन तो कर देंगे लेकिन इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे।

एक छोटा निवेदन और करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वह निवेदन यह है कि ऐसा आप नहीं करें कि खाद का दाम बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था ठीक कीजिए दूसरी तरफ शराब का दाम घटाकर देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कीजिए। बढ़ाना है तो शराब का दाम बढ़ाइये और खाद का दाम घटाइए। कई बातें और थीं लेकिन आपके टोकने से वह भी भूल गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की पूरक मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह इस कागज में विभिन्न मंत्रालयों के लिए पैसे की मांग की गई है, उसका सीधा मतलब यह है कि हमारे बजट अनुमान गलत सिद्ध हुए।

सभापति महदोय. हमने कितना पैसा मांगा है विभिन्न विभागों के लिए, यह एक अलग और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन जसवंत सिंह जी से मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। विकास के नाम पर एक रुपया लोगों तक पहुंचाने के लिए ताम-झाम पर तीन रुपए खर्च हो जाते है। मंत्री जी फौजी आदमी हैं और हम समझते हैं कि फौजी आदमी थोड़े ठीक-ठाक होते हैं। अगर मुझे पता नहीं आप कितने ठीक-ठाक हैं। आपके मंत्रालय का सबसे पहला प्रयास यह होना चाहिए कि जो फिजूलखर्ची हो रही है, अय्याशी हो रही है, उसको रोका जाए। योजना व्यय में एक रुपया खर्च होता है तो गैर योजना व्यय में चार सौ रुपए खर्च होते हैं। उसके बीच कोई रिश्ता, कोई अनुपात तो होना चाहिए। गरीब आदमी के पास विकास के नाम पर, मदद के नाम पर जो पैसा भेजते हैं और पैसा भेजने में जो अफसरशाही का प्रयोग करते हैं, जो प्रशासनिक ढांचा हमने बनाया है, जब तक इसको आप नियंत्रित नहीं करेंगे, फिजूलखर्ची में कमी नहीं करेंगे. तब तक मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातों की तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए जो पैसे की मांग की गई है, अभी बाढ़ और सूखे पर इस सदन ने नियम 193 के तहत चर्चा की थी। मैं एक बुनियादी सवाल आपके द्वारा वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पं. जवाहर लाल नेहरू के जमाने से पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक और 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका प्रारूप अब तैयार हो रहा है, उस समय से हमारे देश में सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं प्रारंभ हुई थीं, वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना की पांच सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की सात सिंचाई परियोजनाएं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की 12 सिंचाई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और उन्हें पूर्ण करने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि हम सिंचाई के लिए भगवान के भरोसे नहीं रह सकते। आज हमारे देश में खेती प्रकृति पर, वर्षा पर निर्भर करती है। हमारे देश में सिंचाई का कोई स्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लाल किले की प्रचीर से वर्ष 1998 में प्रधान मंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो एक प्रकार से सरकार की प्रतिबद्धता होती है। सरकार जो करना चाहती है वही राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाती है, लेकिन इस वर्ष तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सिन्हा जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए बेकारों को रोजगार देने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। देश में बेकारों को रोजगार देने के बारे में पूरा बजट मौन है। रोजगार देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं की गई, तो देश में सामाजिक तनाव पैदा होगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। आपकी जो नई आर्थिक नीति है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोई व्यवस्थित तरीके से हिन्दुस्तान के लोगों को रोजगार देने का काम आप नहीं कर रहे हैं। मैं यह जरूर चाहूंगा कि बेरोजगारी के सवाल पर सरकार जरूर ध्यान दे।

सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों में शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए भी कुछ पैसे का प्रावधान करने की मांग की गई है। यह अच्छी बात है। शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए शहरी हलकों में जरूर काम करें, लेकिन यदि आप ग्रामीण हलकों के लिए धन का आवंटन नहीं करेंगे, गांवों में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जो बी.पी.एल. की सूची में हैं, उन्हें आधार मानकर यदि आप गरीब आदमियों के विकास का कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप शहरी क्षेत्रों के लिए धन आबंटन जरूर करें, लेकिन ग्रामीण इलाकों को भी धन आबंटित करना नहीं भूलें। यदि ऐसा नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।

सभापति महोदय, अभी प्रभुनाथ सिंह जी देश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अब वे सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन पर कुछ डॉक्टर तो

केवल तनख्वाह लेने जाते हैं। दवाओं के लिए बजट एलोकेशन के नाम पर नहीं के बराबर है। एक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक साल में मुश्किल से 12-14 हजार रुपए दवाओं के लिए आबंटित किए जाते हैं, लेकिन तनख्वाह के रूप में ढाई-तीन लाख रुपए व्यय किए जाते हैं। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत यह है कि वहां स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं तो छोड़िए प्राथमिक सेवाएं भी नहीं मिलती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बत्रा, एस्कार्ट एवं अपोलो जैसे अस्पताल हैं जहां चिकित्सा कराना ग्रामीणों के वश के बाहर है क्योंकि उनके पास इतना धन ही नहीं है। ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उन्हें चिकित्सा की सुविधा प्राप्त नहीं है, शहर में पैसे के अभाव में वे अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा नहीं करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे कहां जाएं? इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित दवाएं मिलने और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अनुदानों की पूरक मांगों में जो विभिन्न मंत्रालयों के लिए मांग की है उसमें खास तौर से सिंचाई के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और सूखा तथा बाढ़ से राहत के लिए धनराशि की मांग नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं करेंगे और सामयिक फैसले नहीं लेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती है। आज देश के तीन सूबों में बाढ़ है और देश का शेष भाग सूखे की चपेट में है। हमें यह अच्छा नहीं लगता है कि हम बार-बार इस सवाल को सदन में उठाने का काम करें।

अपराह्न 5.00 बजे

इस सम्मानित सदन में सूखे और बाढ़ पर चर्चा की गई। मुझे माफ करना कि जो सूखे या बाढ़ से पीड़ित हैं, वे आपका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे यह सुनना नहीं चाहते कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है और वह टास्क फोर्स काम करेगा। वे चाहते हैं कि उसके सामने परिणाम क्या आ रहा है, सरकार का सकारात्मक रवैया क्या है, सरकार क्या कर रही है और उसको मिल क्या रहा है?

अगर सूखे के सवाल पर आप युद्धस्तर पर प्रयास नहीं करेंगे तो देश में तनाव पैदा होगा, लूट होगा और स्थिति बिगड़ेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। अभी सूखे से निपटने हेतु पांच हजार करोड़ रुपये की मांग विभिन्न प्रदेशों ने की है। आप रोज टास्क फोर्स बनाये, रोज कमेटी बनाइये, रोज मंत्रियों का सम्मेलन करिये लेकिन जो किसान परेशान है, जो अपने पशुओं को बेच रहा है, जिसके सामने खाने की समस्या है, वह आपकी टास्क फोर्स देखने को तैयार नहीं है। वह परिणाम चाहता है। सरकार इन सब बातों पर गंभीरता से सोचे। सामयिक, व्यावहारिक और प्राथमिकताओं के आधार पर अगर हिन्दुस्तान की दौलत खर्च होगी तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2002-03 के अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सप्लीमैंट्री बजट पहली बार नहीं है। हर सरकार बीच-बीच में सप्लीमैंट्री बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बल्कि इस बजट को किस प्रकार से सशक्त और सुदृढ़ बनाया जाये, इस बात का सुझाव सदन में सदस्यों को रखना चाहिए।

यह बात सत्य है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, देश की आर्थिक स्थिति जिस कगार पर पहुंची थी उसने उसे एक पटरी पर लाकर खड़ा किया। उसे पूरा देश जानता है। जहां तक उस पटरी पर तेज रफ्तार से जाने की बात है, यह बात संभव नहीं हुई क्योंकि समय-समय पर इस देश में कई ऐसे संकट आये चाहे युद्ध हो, भूकम्प हो, बाढ़ सूखा हो या आंधी तूफान हो, इन सारे संकटों की वजह से जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि पर जितना बजट धन आवंटित होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 10-11 राज्यों में सूखा है और दूसरी तरफ उत्तर में बाढ़ आई हुई है चाहे वह बिहार हो या आसाम। वहां बाढ़ का तांडव है। इस संबंध में हमें यह विचार करना चाहिए क्योंकि उत्तर में सारी बड़ी नदियां हैं और वहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है, तबाही होती है। शेष राज्यों में कहीं न कहीं सूखा पड़ता है। इस परिस्थिति में एक ऐसे पायलट प्रोजैक्ट बनना चाहिए कि जो बड़ी नदियां का पानी है, वह उत्तर से दक्षिण तक नहरों के माध्यम से पहुंचाया जाये ताकि वहां पर अकाल की स्थिति निर्मित न हो और किसानों को भी पानी की समस्या न रहे। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति निर्मित न हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आपको विचार करना चाहिए।

जिस प्रकार सरकार के द्वारा पूरे देश को एक मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चाहे वह प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वह चतुर्भुज सड़क योजना के माध्यम से हो, सारे देश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया

[श्री सोहन पोटाई]

है। इसी तरह से कृषि पर भी, जिस बिन्दु पर मैंने कहा है, उस पर विचार करना चाहिए।

आज चाहे बाढ़ से हो या अकाल से हो, प्राकृतिक विपदा से जो क्षति होती है, उस क्षति का जो मुआवजा प्राप्त होता है, आज की परिस्थिति में वह बहुत कम मात्रा में है। आज से 25 वर्ष पहले उसका जो मापदण्ड था, उस मापदण्ड से क्षतिग्रस्त प्रभावित लोगों को मुआवजा प्राप्त होता है, जो पर्याप्त नहीं है। इस पर भी इस सदन में विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय: अगर आप मांग संख्या को भी सन्दर्भित करेंगे तो अच्छा होगा कि किस डिमांड के अंतर्गत आप बोल रहे हैं।

श्री सोहन पोटाई: स्वास्थ्य के ऊपर इस बजट में बहुत कम आबंटन रखा गया है। आज जिस तरह से कहीं-कहीं रुककर पानी आ रहा है और भीषण गर्मी है, इससे इस गर्मी के मौसम में कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए इस पर ज्यादा धन का आबंटन रखना चाहिए था। जहां तक अकाल के बारे में माननीय सांसद के द्वारा इस बात को रखा गया है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में अनाज और पैसा देना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भी अकाल से प्रभावित क्षेत्र है, जहां पीने के पानी का संकट है, अनाज का संकट है और वहां बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके लिए वहां पर इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था। जहां तक अभी एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता है, इसे मैं उचित नहीं मानता। चूंकि पिछले समय छत्तीसगढ़ सरकार को पर्याप्त मात्रा में अनाज और पैसा प्राप्त हुआ था, लेकिन सरकार के पास योजना पर्याप्त नहीं होने के कारण आज तक वह पैसा और अनाज खर्च नहीं कर पाई। पैसा तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन यह लाभकारी योजना पर खर्च हो इसकी नीति होनी चाहिए .....

सभापति महोदय: आप सूत्र वाक्य में अपनी बात कह दीजिए।

श्री सोहन पोटाई: मैं कुछ और आगे कहना चाहता था, लेकिन इस अनुपूरक बजट पर अपना समर्थन करते हुए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। समय कम है।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, मैंने 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग का अनुबंध पढ़ा। सूखे की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्यों की सहायता के लिए मैंने एक पंक्ति भी नहीं पढ़ा। इसलिए, मैं परेशान हूं।

महोदय, जुलाई के पहले सप्ताह में ही तमिलनाडु की सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपया मांगा था। मुख्य मंत्री ने 300 करोड़ रुपया मांगा था। पिछले सप्ताह हुए मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसे दोहराया गया था। हमने इसके उत्तर में एक भी शब्द नहीं सुना और इसीलिए माननीय वित्त मंत्री से उत्तर प्राप्त करने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर रहा हूं।

तब, महोदय, करीब तीन महीने पहले तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 3000 करोड़ रुपए के राज्य पैकेज के लिए कहा था। इसके लिए भी कोई उत्तर नहीं है। अब सूखे की इस स्थिति से निबटने के लिए मुख्य मंत्री ने कल तमिलनाडु के कलक्टरों की बैठक बुलाई थी।

महोदय, उस बैठक में वह प्रत्येक एम एल ए से निधि लेने के हद तक गईं, प्रत्येक एम एल ए, एम एल ए एल ए डी स्कीम से प्रत्येक एम एल ए 15 लाख रु. का अंशदान करेगा जिससे 30 करोड़ रु. आएगा। मैं कहूंगा कि यदि यह 3000 करोड़ रु. तमिलनाडु राज्य को आवंटित या प्रदान कर दिया जाता तो यह सूखे की स्थिति से निपटने में आगे बढ़ता। इसके अलावा, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलैवी ने सूखा राहत के लिए अलग से 123 करोड़ रु. मांगा है। क्योंकि कुछ कलक्टरों ने, जो फील्ड अधिकारी भी हैं, ने नलकूपों के सूखने, भूमिगत जल स्तर के नीचे जाने और कृषि कार्य के ठप्प पड़ने की शिकायत की है। डेल्टा क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री ने 55 करोड़ रु. प्रदान किया है। यह एक राज्य की दारुण स्थिति है। मैं यह कहूंगा कि यह राज्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। नारियल फसल क्षति योजना के लिए उन्होंने 250 करोड़ रु. मांगा है। काम के बदले अनाज योजनाओं बंजरभूमि विकास योजना के लिए 100 करोड़ रु. का अनुमान आया है। मैंने 2002-2003 के लिए अधिक अनुदान अथवा चालू अनुदान की इस तालिका को देखा है। यही कारण है कि मैंने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। संसद और अन्यत्र सिंचाई तथा कृषि कार्य महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों के भाग है। हम केन्द्र सरकार से इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को अधिक निधि देने के लिए कहते रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सभी राज्यों पर निगरानी रखने हेतु कोई निगरानी प्रकोष्ठ है अथवा नहीं। आज मैंने ग्रंथालय में कल का 'द हिन्दू' पढ़ा। तमिलनाडु सरकार ने एक आपात योजना बनायी है, इसी प्रकार की योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि प्रतिवर्ष

भूकंप और सूखे की स्थिति होगी और किसानों के लिए संकट होगा। क्या कोई आपात योजना है। यदि नहीं तो वित्त मंत्री द्वारा ऐसे समय ही एक आपात योजना बनायी जानी चाहिए थी। माननीय वित्त मंत्री एक अच्छे राजनयिक हैं। मुझे इसकी जानकारी है। मैं विदेश मामलों संबंधी समिति का सदस्य था। वे किसी राज्य के साथ चर्चा कर सकते हैं और समस्या सुलझा सकते हैं। मैं जानता हूं कि वो तमिलनाडु की समस्या सुलझा लेंगे क्योंकि वो इसका पूर्णतया वित्त पोषण करेंगे। वे वहां अक्सर जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में वहां कई बार दौरा किया था। मुझे इसकी जानकारी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. पुराची थल्लवी द्वारा अनुरोध किए गए 3000 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए के साथ-साथ सूखे की स्थिति से निपटने हेतु परती भूमि विकास के लिए 100 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करें। यह कुल मिलाकर लगभग 750 करोड़ रुपए होता है। यदि आप 3750 करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं तो इससे श्री सी.पी. राधाकृष्णन, श्री गिनगी राधाकृष्णन और अन्य सभी सदस्य प्रसन्न होंगे ...*(व्यवधान)* मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। पिछले सप्ताह हमने सूखे की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया है। लेकिन पिछले सप्ताह हम वित्त मंत्री से नहीं मिल सके। अब माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष अपनी बात सीधे रूप में रखने का यही एक मौका है। यहां श्री अनंत गीते भी उपस्थित हैं। वे मेरे भी अच्छे मित्र हैं। मुझे विश्वास है कि वे केन्द्रीय राजस्व से धन देंगे। अत: मैं कहूंगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. पुराची थल्लवी के अनुरोध पर निश्चित रूप से विचार किया जाए और इसे स्वीकार किया जाए। उन्हें केन्द्र सरकार के सहयोग को तमिलनाडु राज्य को देना चाहिए ताकि सरकार विद्यमान समस्या का सामना कर सके। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रशासन चलाने हेतु धन की आवश्यकता है। यहां हम कुछ हद तक संसाधन अर्जित करने में सफल रहे हैं। राज्य को इसके अपने संसाधनों, किसी आय अर्जित करने वाले कार्यक्रमों अथवा किसी योजना हेतु केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी कार्य के लिए इसे केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के संबंध में भी मैंने देखा है कि कोई अनुदान नहीं दिया गया है। लगभग 150 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी राज्यों विशेषकर सूखे का सामना कर रहे राज्यों की सभी मांग मानें, यह स्थिति तमिलनाडु में विशेष रूप से व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे तमिलनाडु राज्य की सहायता करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बजट पास किये हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इन्होंने अनुपूरक अनुदान की मांग तुरंत चलाई है। इससे लगता है कि इनको तुरंत सप्लीमेंटरी बजट का जरूरत पड़ गयी। ये लोग 69 अरब की डिमांड लाए हैं और 83 अरब की अनुपूरक डिमांड लाए हैं। हम लोग समझते थे कि 69 अरब में अगर बाढ़-सूखा आ गया तो उसमें जल्दी से ये अनुपूरक मांग लाए हैं, सदन से पास हो जाना चाहिए। कृषि-विभाग में ये लोग एक लाख रुपया देते हैं। हमें नहीं लगता है कि किसके लिए घाटा हो गया और एक लाख रुपया तुरंत ले आये हैं। कृषि विभाग में क्या घाटा आ गया। वित्त मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी को हटाकर इनको लाया गया, इससे लगता है कि देश के वित्त-विभाग की हालत ठीक नहीं है। शायद बदल देने से कुछ सुधार हो जाए, ये अपेक्षा है। उस समय भाजपा के लोगों ने कहा था कि खराब बजट होने से, गरीबोन्मुखी, किसानोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी बजट न होने से चुनाव पर खराब असर पड़ा है। इसलिए वित्त-विभाग से उनकी बदली हो गयी और विदेश-विभाग में वे चले गये। वित्त विभाग को चौपट कर गये हैं, विदेश विभाग में क्या करेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इनके आने का औचित्य क्या है? एक बयान इनका हमने सुना है कि 83 हजार करोड़ रुपया एनपीए जो है, वह लूट है। लूट है तो उसको छूट किसने दी? लुटेरों पर कार्रवाई आप कीजिएगा तो हम जानेंगे कि सुधार हो रहा है।

माननीय प्रभुनाथ सिंह जी चले गये हैं। वे गांव की बात कर रहे थे। गांव में इन्होंने कहां-कुछ बढ़ाया है। कोई भी एक आइटम बता दीजिए कि उसमें कोई क्वालिटेटिव चेंज आया हो जिससे लगे कि माननीय यशवंत सिन्हा चले गये और माननीय जसवंत सिंह जी आ गये तो कुछ हुआ है। वे तो गरीबों के दुश्मन थे, मल्टी-नेशनल और सीआईआई के पक्षधर थे। हम सदन में कहते थे कि आप बताइये कि कोई एक नीति, कोई एक कार्यक्रम ऐसा है जो गरीबों के लिए हो या उनकी किताब में कोई गरीब भी हो। यहां मल्टी नेशनल और पूंजीपतियों का बोलबाला है। उसे कहीं संरक्षण की जरूरत नहीं है क्योंकि वे स्वयं ताकतवर हैं। जिनका धन बढ़ गया है उन्हें संरक्षण की जरूरत नहीं है। गरीब लोगों को संरक्षण देने की जरूरत है। देश में बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा गया था कि एक करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने का काम न होकर रोजगार छीनने का काम हो रहा है। देश बेचने के लिए डिसइनवैस्टमैंट विभाग अलग से बना दिया। मैं इस पर अलग से बोलूंगा क्योंकि इस पर बहस मंजूर है। यह देश का सवाल है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

किसानों, बेरोजगार नौजवानों की हालत खराब है। सरकार की वित्तीय नीति में भारी परिवर्तन की जरूरत है वरना कोलाहल होने वाला है। अभी बाढ़ और सुखाड़ का सवाल है। जो राज्य इनसे प्रभावित हुए उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन किया। इसमें दिल्ली भी शामिल है। 14-15 राज्य इस समय सुखाड़ से ग्रस्त हैं।

सभापति महोदय: बाढ़ और सुखाड़ पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इसका जिक्र कर रहा हूं। सूखे के कारण कई राज्य तबाह हो गए हैं। दो-तीन राज्य बाढ़ और सुखाड़ से तबाह हैं लेकिन बिहार राज्य तीन तरफ यानी बाढ़, सुखाड़ और भारत सरकार के रवैये से तबाह हो रहा है। इसका कैसे इंतजाम होगा? यशवंत सिन्हा को हटाने का एक बड़ा कारण यह भी था। बिहार के साथ बेईमानी, जबर्दस्ती, अन्याय और दुश्मनों जैसे व्यवहार हुआ। यह सवाल सदन में भी उठा था। लोग कहते हैं कि सदन में चर्चा होने के बाद भी उसका कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। सदन में कही बात का बड़ा असर पड़ता है। उसका मतलब निकलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया, उधर से जवाब आ गया और पास होकर सब बात खत्म हो गई। देश और दुनिया भर में बातें जाती हैं और उनका असर पड़ता है। बिहार के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। पैकेज वाले मामले का कुछ नहीं हुआ। कुंवर सेन कमेटी ने कहा था कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय नदियों से प्रभावित होता है और राज्य सरकार के बस में नहीं है कि वह बाढ़ पर नियंत्रण पा सके। कुंवर सेन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, आप उसका जिम्मा ले लें और उसे मंगा कर देख लें कि उसने क्या सिफारिशें कीं, कैसे कुछ काम हो सकता है।

बिहार का जब बंटवारा हुआ और नया झारखंड राज्य बना उस समय कहा गया था कि चूंकि सब कुछ झारखंड में चला गया है यानी स्कूल, कालेज उधर चले गए हैं, इसलिए बिहार के साथ इन्साफ होगा। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि 50-50 परसैंट दोनों राज्यों का होगा। अभी फैसला हुआ है कि झारखंड का 75 परसैंट और बिहार का 25 परसैंट होगा। बंटवारे से पहले 11वें वित्त आयोग ने बिहार और झारखंड के बारे में एक साथ अनुशंसा की।

सभापति महोदय: आप बंटवारे और 11वें वित्त आयोग की चर्चा सदन में कई बार कर चुके हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो बंटवारा हुआ, वह जमीन के आधार पर हुआ। 10वें वित्त आयोग द्वारा उसमें कहा गया कि 10 वर्षों में बिहार में काफी बरबादी हुई है। प्राकृतिक आपदा से बिहार में 50 परसेंट और झारखंड में बहुत कम बरबादी हुई है। बिहार में कभी-कभी तो प्रतिवर्ष 1000-1200 करोड़ रुपये की बरबादी होती है। बिहार के चार-पांच जिले, जिनमें दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तबाह हुये हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए। आप तो चेयर पर बैठने वालों में से हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, 10वें और 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी। उसमें बिहार के लिए केवल एक साल तो रुपया मिला लेकिन उसके बाद बिहार के हिस्से का पैसा रोक दिया गया। बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो गये, लेकिन पैसा नहीं दिया गया जबकि झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुये, फिर भी उन्हें पैसा दिया गया है। हमारा 600 करोड़ रुपया रोक कर रखा है। झारखंड को 28 करोड़ रुपया और बिहार को केवल 9 करोड़ रुपया दिया गया। बिहार को एक चौथाई और झारखंड को तीन चौथाई रुपया दिया गया। यह कौन सा फार्मूला है? बिहार की आबादी 8 करोड़, 30 लाख है और झारखंड की 2 करोड़ 69 लाख। हमारे गांव 45 हजार हैं जबकि झारखंड में 22 हजार हैं। क्या इस तरह से न्याय किया गया है? अब नये वित्त मंत्री आये हैं, वे इन्साफ करेंगे?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए। आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा। श्री भान सिंह भौरा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नवीं पंचवर्षीय योजना में जो सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स हैं, उसमें बिहार को न्याय नहीं मिला। देश में पीने के पानी के लिए 6500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। बिहार को कम से कम 600 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था जबकि केवल 30 करोड़ रुपया दिया गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपके भाषण का उल्लेख नहीं हो रहा है। मैंने श्री भान सिंह भौरा का नाम बुलाया है।

डा रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारी न्याय की लड़ाई है। *...(व्यवधान)* हमारे बिहार की 8 करोड़ 30 लाख की आबादी है, यह सरकार उसके विकास को बाधित कर रही है *...(व्यवधान)* सरकार ने बिहार को गरीब बनाकर छोड़ दिया है। *...(व्यवधान)* हम आगे और शेष नहीं होने देंगे। अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। इन धन पशुओं से पिंड छुड़ाइये। नहीं तो धनपशु लोग देश को चौपट कर देंगे और सर्वनाश कर देंगे।

सभापति महोदय: मुझे खेद है कि जो व्यवस्था के लिए यहां बैठते हैं, कई बार उन्हीं के कारण अव्यवस्था होती है। मैं क्या कर सकता हूं। यह आसन्दी की कठिनाई है, उसे महसूस करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): सभापति महोदय, हम सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर चर्चा कर रहे हैं। बजट सैशन को समाप्त हुए सिर्फ ढाई महीने हुए हैं, ढाई महीने पहले हमारा बजट पास हुआ था। ढाई महीने में इतनी डिमांड्स और आ गई। अगली बार क्या होगा, यह हम देखने वाले हैं कि अगले दो महीने में और इतनी डिमांड्स आ जायेंगी। इसकी जिम्मेदारी किस पर है। इसकी जिम्मेदारी अफसरों पर है या मंत्री जी पर है। यह हमें और सदन को देखना होगा। लेकिन जो अनुपूरक मांगे लाई गई हैं, उनमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारों, गरीबों, किसानों और दबे-कुचले लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। फिर हम इसे कैसे सपोर्ट करेंगे।

सभापति महोदय, राज्यों को जो पैसा जाता है मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पंजाब में पीने के पानी के लिए भटिंडा, मोगा और मुक्तसर इन तीन जिलों में पैसा गया। भटिंडा जिले के बीच में पहले मानसा था, जो कट गया, उसे काट दिया गया और उसमें मुक्तसर डाल दिया। क्योंकि वह पुराने चीफ मिनिस्टर का जिला था। इस तरह से भटिंडा को कितना पैसा दिया, यह मैं आपको बताता हूं। भटिंडा को 7,52,19,000 रुपये, मोगा को 3.44 करोड़ रुपये और मुक्तसर को 39.92 करोड़ रुपये दिये गये। जबकि वह जिला मोगा से छोटा है। यह पैसा पंजाब में कहां गया, यह आप खुद अखबारों में पढ़ते होंगे कि पैसा संगत दर्शन मे कैसे चला गया, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, जो आपके सामने है। इसलिए मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी अच्छा काम करें, पुराने वित्त मंत्री की तरह देश को बेचने का काम न करें तो बहुत अच्छा होगा। आपने डिसइनवैस्टमैन्ट का विभाग श्री अरुण शौरी को दिया है। उनके हाथ से भला नहीं हो रहा है। आज हिन्दुस्तान को बचाना है, आप हिन्दुसतान को बचाइये। जैसे सिन्हा जी से बचाना था, इसलिए उन्हें फॉरेन अफेयर्स दे दिया। इसे भी बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मानसा क्षेत्र पीने के पानी की कमी से बुरी तरह से प्रभावित है, इसे पीने के पानी स्कीम में डालना चाहिए।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इंकम टैक्स आम लोगों पर लगता है, छोटे मुलाजिमों पर भी लगता है। अगर इन्हें इसमें छूट दे दें तो अच्छा होगा। आज इंकम टैक्स में धांधली हो रही हैं। बड़े-बड़े कारखानेदार फार्म बनाकर रखते हैं और वे अपनी इंकम फार्म में दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं। इसलिए बड़े-बड़े फार्म वालों को इंकम टैक्स में क्यों छूट दी जाती हैं। यह गलत है। इसलिए मैं समझता हूं कि बड़े-बड़े फार्म्स पर इंकम टैक्स लगाया जाए और छोटे मुलाजिमों को इसमें छूट दी जाए। जो खेत मजदूर हैं, वे सूखे और बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खेत मजदूर जो खेत में काम करता है, जब खेती नहीं होगी तो खेत मजदूर कहां रहेगा? इसलिए उनके लिए कोई विशेष योजना बनाएं ताकि उनकी मदद की जा सके।

'फूड फॉर वर्क' चलाने के लिए और बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए भी मंत्री जी को सोचना चाहिए। हमने परसों भी कहा था कि आपके गोदामों में इतना गेहूं पड़ा है कि खराब हो रहा है। खराब होने के बाद आपको वह फेंकना पड़ेगा। अगर उसे गरीब लोगों को सस्ते रेट पर बांट दें, एक रुपया किलो के हिसाब से भी बांट दें तो लोगं के खाने के काम आ सकेगा। वित्त मंत्री जी लोगों के कामों की स्कीम बनाएं, गरीबों के भले की स्कीम बनाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय: राष्ट्रपाल जी, आपकी पार्टी का समय नहीं है लेकिन मैं आपको दो मिनट का समय देता हूं। अगर बोल सकें तो दो मिनट में अपनी बात रखें अन्यथा मैं दूसरे सदस्य का नाम बुलाता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं बोलना तो चाहता हूं, लेकिन टैलीग्राफिक लैंग्वेज में बोलूंगा।

सभापति महोदय: मुझे मालूम है, लेकिन माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं गुजरात से आता हूं। पैसे के बारे में हमारे बहुत से सवाल हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा।

सभापति महोदय: समय नहीं है। समय होता तो मैं आपको कह देता। आप शुरू करें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सभापति महोदय, हम विनियोग विधेयक सं. 4 और 5 पर चर्चा कर रहे हैं। विनियोग विधेयक 4 के संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का हमारे संविधान के अनुच्छेद 114क की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसके अंतर्गत विनियोग विधेयक सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। महोदय, वित्त मंत्रीजी ने अपने मंत्रालय का कार्यभार हाल ही में संभाला है लेकिन वे सभा की प्रक्रिया से अवगत है। अनुच्छेद 114(1) में कहा गया है:

> "लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, भारत के संचित निधि में से–
>
> (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की,

पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।''

फिर कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। मुझे आपके ध्यान में यह बात लाते हुए अत्यंत खेद है कि विनियोग विधेयक सं. 4 वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए है और आज वित्त वर्ष 2002-2003 चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विलंब किनके द्वारा किया गया और अनुपूरक अनुदानों के लिए सभा के समक्ष मामला लाने में विलंब हेतु कौन जिम्मेवार हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुरूप है अथवा नहीं।

वित्त मंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में तीन बातें कही थी। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने लोगों के लिए खाद्यान्नों की चिंता प्रकट की। यह एक महत्वपूर्ण चिंता है। उनकी दूसरी चिंता आम व्यक्ति के क्रय शक्ति में वृद्धि करने से संबधित थी। उनकी तीसरी चिंता कर वसूली के माध्यम से सरकार की आय में वृद्धि करने से है। मैं दो भिन्न उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण गुजरात का है। 24 जुलाई को प्रेस में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार खम्भात में 40 वर्षीय एक विधवा स्त्री ने एक सप्ताह पूर्व आत्महत्या कर ली थी। वैशाली बेन नामक एक महिला खम्भात की थी। उसके दो बच्चे थे। उसके पति की मृत्यु 4 महीने पूर्व हुई थी। उनका परिवार मसाले का कारोबार करता था। उन्होंने बैंक ऋण और अन्य ऋणदाताओं से ऋण लिया था। पति की मृत्यु होने का पश्चात् बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। इस महिला द्वारा ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जा सका और उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ हमारे पास 83000 करोड़ रुपये की अलाभकारी परिसंपत्ति है। मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया इसका समर्थन करते हुए यह कह रहे थे कि सरकार इसकी वसूली हेतु जिम्मेवार नहीं है मैं इस विरोधाभास के बारे में बताना चाहूंगा।

मैं वित्त मंत्री जी को विस्तृत जांच हेतु दो विशेष मामले बताना चाहूंगा। पहला जैसाकि प्रेस में प्रकाशित हुआ है, यह है कि सीबीआई ने दिल्ली स्थित किसी व्यापारी ग्रुप जो ब्रिटेन में बस गई है के विरुद्ध नकली निर्यात के माल संबंधी कागजातों के आधार पर लगभग 150 करोड़ रुपए प्राप्त करने के मामले में रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्री द्वारा की जा रही कार्यवाही से सभा को अवगत कराया जाए। ये अत्यंत गंभीर मामले हैं *...(व्यवधान)* मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। मैं आयकर विभाग के प्रति चिंतित हूं क्योंकि मैंने आयकर विभाग में लगभग 37 वर्षों तक कार्य किया है। अत: मैं कुछ ऐसे विवरण दे रहा हूं जो पूरे देश के हित में है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: अब समय नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उन्होंने अच्छी बात कही है। कृपया उन्हें बोलने का अवसर दें।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: गुजरात में भूकंप पीड़ितों के लिए कपड़ों का आयात करने हेतु 4 गैर-सरकारी संगठनों को अनुमति दी गई थी। अब जैसाकि प्रेस में प्रकाशित हुआ है, कपड़ा आयात करने के स्थान पर वे इसके साथ अन्य वस्तुओं का भी आयात कर रहे थे। इसे गुजरात के भूकंप पीड़ितों के बीच बांटने के बजाए इन मदों की चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में बिक्री की गई है। मैं ऐसे न्यासों अथवा गैर सरकारी संगठनों जो इन गतिविधियों में लिप्त थे का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करें और सभा को यह सूचित करे कि ये संस्थाएं कौन-कौन सी हैं और जिनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं केवल विशिष्ट विवरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय को उत्तर देना है। अब और समय नहीं है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, गत मार्च-अप्रैल में गुजरात सरकार के सहयोग से चलाया गया अभियान जो वहां के व्यापारिक क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग की जाति को समाप्त करने से है, के कारण उक्त अवधि में राज्य को 10000 करोड़ रुपए की हानि हुई। गुजरात देश का व्यापारिक मुख्यालय है। उत्पादन में 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन की हानि हुई। सत्ता पक्ष के ही एक संगठन द्वारा यह कार्य किया गया। अब सरकार का बीमा विभाग देश के उक्त भाग में हुई संपत्ति और व्यापारिक क्रियाकलापों की क्षति की भरपाई करने में असफल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? अत: मैं केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के प्रति चिंतित हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी उचित निगरानी की जा रही है अथवा नहीं?

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। यह उचित नहीं है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

सभापति महोदय: कृपया अपना बात समाप्त करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, सभा द्वारा गुजरात के भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु आयकर पर दो प्रतिशत अधिभार लगाने की मंजूरी दी गई थी। यह धनराशि लगभग 2600 करोड़ रुपए है। मैं वित्त मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि अधिकार के रूप में वसूली गई 2600 करोड़ रुपए की यह धनराशि गुजरात सरकार की दी जा रही है अथवा नहीं? यदि यह गुजरात सरकार को दी गई है तब इसे किस प्रकार कम किया जा रहा है। विश्व-बैंक ने गुजरात सरकार को भूकंप पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि का उचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वे सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है जिससे कि हाल के दंगों से उपजी समस्याओं से निपटा जा सके। मेरे अनुसार गुजरात सरकार ने केवल 59 करोड़ रुपए व्यय किए हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टैम्प मांग क्रमांक 26 के बारे में कहना चाहूंगा कि आर.बी.आई. ने प्लास्टिक पोलीमर की बैंक नोट (करेंसी नोट) चलन में लाई गई है। सरकार बार-बार कहती है कि आर.बी.आई. ने ऐसा नहीं किया। आर.बी.आई. ने आस्ट्रेलियन कंपनी से प्रभावित होकर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कुछ रिम्स पर प्रायोगिक रूप से आपके देश के नोट छापे थे और कंसाइनमैंट देश के बाहर आस्ट्रेलिया भेजा था। इस बारे में सरकार की अनुमति नहीं ली गई। यह व्यवहार गैरकानूनी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बारे में मालूम है और यदि मालूम है तो वह आर.बी.आई. के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रही है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक सिंहस्त मेला 2003 में होने वाला है। भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने 100 करोड़ रुपये देना मंजूर कर लिया है जिसमें से 50 करोड़ रुपये की रकम उन्होंने भेज दी है। मेरा कहना है कि बाकी के 50 करोड़ रुपये भी आप जल्दी से जल्दी भिजवा दें।

आदिम जाति के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने शिबरी महामंडल प्रस्थापित किया है। इसमें 50 प्रतिशत रकम महाराष्ट्र सरकार को देनी है और 50 प्रतिशत रकम भारत सरकार को देनी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वे 15 करोड़ रुपये जल्द दे दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूखे के बारे में यहां पर बहस हो चुकी है। मैं उस पर बहस न करके केवल यही कहना चाहता हूं कि आप उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रकम दें।

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने 32 अनुदानों की मांगें रखी हैं जिसके लिए अतिरिक्त 7700.16 करोड़ रुपये की आवश्यकता है इसमें से नेट नकद वृद्धि 3,913.36 रुपये है और शेष 4093.56 रुपये नकद प्राप्तियों में वृद्धि करना है।

मांगों का विभाग वार अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने यूटीआई के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की है ताकि पुन:खरीद मूल्य और नेट परिसम्पत्ति मूल्य के बीच की कमी को पूरा किया जा सके।

अपराह्न 5.49 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

मैं माननीय वित्त मंत्री का स्वागत करता हूं और उन्हें निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना धन यूटीआई में निवेशित किया है क्योंकि उन्हें आपकी सरकार में पूरा विश्वास है। यह अत्यन्त उत्साहजनक कदम है जिसे हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उठाया है। लेकिन इसके साथ-साथ यूटीआई के अधिकारियों और कार्यरत पदाधिकारियों जिन्होंने वहां किया गया है को दुर्विनियोग के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। लगभग 331 करोड़ रुपये इंडियन आयरन और स्टील

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आनन्द विठोबा अडसूल]

कम्पनी और भारत रिफरेक्टरीज के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानवृत्ति के लिए मांगे गए हैं। यह हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा इन कम्पनियों के कर्मचारियों के हित में उठाया गया अच्छा कदम है।

महोदय मैंने देखा है कि भारी उद्योग विभाग में 100.20 करोड़ रु. का टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. हेतु और 445.21 करोड़ रु. का हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनरुद्धार हेतु योजना से संबंधित कारोबार के संबंध में लेखों का समायोजन किया गया है। कम्पनियों का पुनरुद्धार आज की आवश्यकता है। कर्मकारों के रोजगार के लिए यह वित्त मंत्री महोदय द्वारा उठाया गया अच्छा कदम भी है। लेकिन मैं कृषि और सहकारिता विभाग के लिए किए गए प्रावधान से नाखुश हूं। यह राशि मात्र 9 करोड़ रु. है।

महोदय, जैसाकि हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों में एन.पी.ए. के लिए 62,000 करोड़ रु. दिये हैं, लेकिन हमने सहकारिता क्षेत्र के लिए बजट में मात्र 100 करोड़ रुपये दिये हैं। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रावधान की तुलना में अत्यंत कम राशि है।

महोदय, मुझे बहुत कम समय दिया गया है और अन्ततः माननीय वित्त मंत्री को जवाब भी देना है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा किये गये योगदान और सुझावों और टिप्पणियों के लिए आभारी हूं। जैसाकि मैं उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दूं चाहे वह उन्होंने हिन्दी में की है अथवा अंग्रेजी में की है मै इस मामले का जवाब उसी भाषा में देने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहले मैं कुछ की गई विशेष टिप्पणियों का जवाब दूंगा। हमारी पुरानी मित्र श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने सब कुछ नकारात्मक पाया है। इससे मुझे कुछ निराशा हुई लेकिन उन्होंने इसको राजनीति रूप दिया है। मुझे इसका जवाब सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर देने का प्रयास करने दीजिए क्योंकि अन्तर्ग्रस्त मामलों में प्रयोग सिद्ध द्वारा स्थापित सांख्यिकी आंकड़ों में राजनीति के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। उन्होंने श्री रूपचन्द पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि औद्योगिक विकास में स्थिरता आ गयी है। यह तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्योंकि अप्रैल और मई महीने में पिछले वर्ष समग्र औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 2.1 प्रतिशत थी जो इस वर्ष के इन महीनों में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गयी है। मुझे खुशी है कि वह यहां बैठी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्यात में गिरावट आ रही है। मेरे मित्र श्री रूपचन्द पाल और कुछ अन्य वक्ताओं ने भी इसके बारे में कहा है। मुझे दुख है कि ये दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। यह प्रयोग सिद्ध और स्थापित किये गये सांख्यिकी आंकड़ें हैं। यह सरकारी आंकड़े नहीं हैं। यह सांख्यिकी संस्थान द्वारा दिये गये आंकड़ें हैं। निर्यात में डालर के सन्दर्भ में अप्रैल और मई महीने में पिछले वर्ष इसी अवधि के 2.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि राजस्व उग्राही ...*(व्यवधान)* मैं केवल बोल सकता हूं ...*(व्यवधान)* यदि वह चालू वर्ष के पहले दो महीनों के इस आंकड़े को मानते हैं तो मुझे इस मंत्रालय में आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और मैं केवल यह उत्तर दूंगा कि ...*(व्यवधान)* जब श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा बोली थीं तो मैंने उनके भाषण में बाधा नहीं पहुंचाई थी ...*(व्यवधान)* मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ और मैं आपका आभारी भी हूं कि आप मेरे साथ हैं। मुझे राजस्व उगाही के बारे में भी आपको बताना है। मैं इन दोनों पहलुओं पर अत्यन्त प्रसन्न हूं।

पहला इस वर्ष मई तक पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व उगाही में 21% और गैर कर उगाही में 16.76% तक की बढ़ोत्तरी हुई है। मेरे पास यहां जून जुलाई के आंकड़े नहीं हैं। हालांकि मैं इस विषय पर अभी वापस आऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि स्थायी खाता संख्या के ऊपर हमें जो प्रतिक्रिया मिली है उसके कारण हमने इसकी समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि सभी नागरिक इसकी औपचारिकताओं को पूरा कर सके। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। यह प्रतिक्रिया उस पर नहीं है जिसमें कमी आ रही है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हर सम्मुख राजनीति मुद्दों को बनाएं ताकि वे राजनीतिक रूप से हमारी गलतियों को पकड़ सकें। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका हल स्वयं नहीं होता उनका हल कराना पड़ता है।

मैंने राजस्व उगाही के बारे में बताया। राजस्व उगाही मेरी व्यक्तिगत उगाही नहीं है। यह तो देश का राजस्व है। इसका अधिकतर भाग राज्यों को दिया जाता है। यदि कुल राजस्व उगाही बढ़ती है तो पूरे देश को लाभ होता है। यह तो सार्वभौम सत्य है इसकी निन्दा करना आवश्यक नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया था कि कुल मिलाकर ब्याज के भुगतान की राशि बढ़ी है। जी हां इसमें वृद्धि हुई है। परन्तु ब्याज भुगतान की वृद्धि दर में गिरावट आई है। एफडीआई और सूखा पर मैं अपने मित्र और श्रीमती आल्वा को बताना चाहूंगा-मैं यह चर्चा करने के लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं इस मामले में तथ्यों को बताने के लिए ही कह रहा हूं-मैं उसका जवाब दे रहा हूं जो

श्रीमती आल्वा ने कहा था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को अप्रैल से जुलाई के अन्त तक कुछ भी नहीं दिया गया। अप्रैल से जुलाई के अन्त तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सूखा राहत के अलावा कर्नाटक को 1775.67 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई थी यह नहीं कि उन्हें कुछ न दिया गया हो।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं एक विशेष प्रश्न उठा रही हूं। मैं आपकी आभारी रहूंगी यदि आप मुझे 2000-01 और 2001-02 के लिए सूखा राहत के लिए दी गई सहायता के आंकड़े प्रदान करें। मैं यही पूछ रही हूं एक रुपया भी नहीं दिया है। हमने इसके लिए मांगा था लेकिन हमें एक पैसा भी नहीं मिला।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सब कांग्रेस सरकारें ऐसा ही करती हैं। राजस्थान वाले भी ऐसा ही करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महाराष्ट्र में भी ऐसा ही चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह: मैं अपने आपको सूखे और मेरे मित्र माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने अभी अभी जो कुछ कहा है उस तक ही सीमित रखूंगा। उन्होंने पूछा है क्या विशेष रूप से सूखा के लिए अभी कुछ राशि जारी की गई है। आपदा राहत के अधीन लगभग 30 करोड़ रु. जारी किये गए हैं लेकिन वे विशेषरूप से सूखा के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी कितनी राशि दी गयी है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2002-03 के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से राज्यों को सहायता के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि आप सभी, लोक सभा और राज्य सभा, ने सामूहिक रूप से पारित की है। दूसरा 2002-03 के लिए बजट में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपये और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 1,998 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये राशियां पहले से ही उपलब्ध हैं।

सायं 6.00 बजे

इन राशियों से सूखे की स्थिति से पूरी तरह निपटा जा सकता है। मैं अभी सूखे पर वापस आऊंगा। मैं एक दो प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक समझता हूं जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न सखालिन में निवेश के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): छः बज रहे हैं।

सभापति महोदय: सभा की अनुमति हो तो सदन का समय मंत्री जी का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: खाली जवाब तक ही नहीं, एप्रोप्रिएशन बिल तक के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें उस पर बोलना है।

कई माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

सभापति महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह: महोदय मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने तीन बातें कही हैं। पहली रूप में साइबेरिया में साखालिन में स्थापित और उत्पादन करने वाले क्षेत्र में निवेश द्वारा ऊर्जा सुरक्षा में निवेश करने के बारे में है। उन्होंने इस सुझाव की वैधता पर प्रश्न उठाया है कि आपने कहां निवेश किया है और इसलिए आप घरेलू स्तर पर—उत्पादन पर न होकर—दोहन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को धन नहीं दे पाए।

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यही वास्तव में बेहतरीन जवाब है और मैंने विदेश मंत्री के रूप में भी इस मामले पर देखना पड़ा था। लेकिन वास्तव में यही अच्छा जवाब है।

दूसरा, इन्होंने मेरे पूर्व वित्त मंत्री के साथ हुए पत्राचार के बारे में कहा है कि जो तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था और जो 'सेबी' से सूचना प्राप्त हुई उसके बीच में अन्तर है। मुझे विश्वास है कि इस प्रयोजन के पीछे कोई विसंगति नहीं नजर आती है। लेकिन मैं इस मामले को अपने आप शुरू से देखूंगा और आपके मार्फत इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करूंगा।

सायं 6.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सूखे के बारे में सुझाव न केवल इस ओर से बल्कि विभिन्न अन्य पक्षों से आया था। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सूखा के संबंध में हमने काफी पहले से काम शुरू कर दिया था। यद्यपि मैं देश के जिस भाग से आया हूं हम वहां पहले से कोई ऐसा काम नहीं करते जो अपशगुन माना जाता है लेकिन वित्त मंत्री का पदभार सम्भालने के साथ ही मैं माननीय

[श्री जसवन्त सिंह]

सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय में सूखा की सम्भावना पर पहले से ही काम शुरू कर दिया था यह इसलिए था क्योंकि मेरे पदभार सम्भालने के दूसरे दिन से ही आशंकित था कि सूखा पड़ सकता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि उसकी वजह से और माननीय प्रधान मंत्री के प्रयासों से ही कुछ कार्यवाही की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही सूखे से संबंधित एक कार्यदल की स्थापना की घोषणा कर दी है और इस बारे में निर्णय गत सप्ताह लिया गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इस बात का उल्लेख दूसरे सदन में भी किया गया था। दूसरे सदन में मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया था कि माननीय उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कार्यदल विद्यमान है और मैं क्षणभर में इस बात पर आ रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने एक बात उठाई थी कि वर्ष 1999-2000 की अतिरिक्त मांगें अब क्यों आ रही हैं और क्या यह अनुच्छेद 14 का हिस्सा है और क्या इन्हें उसमें कवर किया गया है? उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं नही समझता कि उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। यह समग्र रूप से बजटीय प्रावधानों और प्रक्रिया निर्धारण का भाग है। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक से कम पूरा किया गया है। फिर वे नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास जाता है, और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं और फिर यह लोक लेखा समिति के पास चला जाता है। लोकतांत्रिक संसदीय कार्यवाही की विशेषकर वित्तीय मामलों में, प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है और वे जारी रहती हैं और अक्सर वर्षों बाद आप उनमें सुधार करते हैं। अत: वास्तव में यह वर्ष 1999-2000 के लिए है।

महोदय, जबकि मैंने माननीय सदस्यों को अपना आभार व्यक्त कर दिया है, मैं माननीय सदस्यों के साथ इस बात पर एकमत हूं कि न तो यह एक अन्तरिम बजट है और न ही यह वार्षिक बजटीय कार्य का विकल्प है किन्तु महोदय, मुझे माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिला है और मैंने उसका उत्तर भी दिया है।

[हिन्दी]

माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर हम कुछ करेंगे तब तो शायद आप पहचानेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके लिए परदेशी हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। हम थोड़ी ही देर में आपको समझा देते हैं कि इस बारे में विशेष रूप से क्या किया जा रहा है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: एन.पी.ए. के बारे में सरकार का क्या रोल है?

श्री जसवन्त सिंह: चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं बता देता हूं कि सदन के सामने एक ऑर्डिनेंस है जिसको बिल में कंवर्ट करना है और शायद आज लिस्टेड भी है। उसको आप पारित कर दीजिए। दोनों सदन पारित कर दें तो वह कानून बन जाएगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इसमें अनेक खामियां हैं *...(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, हम स्थायी समिति को अध्यादेश नहीं भेज सकते *...(व्यवधान)* महोदय, मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लगातार टीका टिप्पणी न करें।

...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं सीपीआई (एम) के अपने पुराने साथियों के इस सुझाव से आश्चर्यचकित हूं कि हम गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों का संग्रह नहीं करते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम उसके पक्ष में हैं। आपकी कार्यवाही बाद में की गई कार्यवाही है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: हम, इसके विरुद्ध नहीं हैं *...(व्यवधान)* वह आईबीए, प्रमुख का मत है। उससे कोई मकसद हल नहीं होगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह बात स्पष्ट है। वह आपको गलत समझ रहे हैं। आपकी स्थिति वैसी नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे संक्षेप में अपनी बात कहने दें। मैं प्रयास कर रहा हूं और यथासंभव संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। अनुपूरक मांगों के मुद्दे को उठाते समय मैं कुछ ज्वलंत समस्याएं रखूंगा जो उठे हैं और तुरंत उठाए जाने वाले कुछ सुधारात्मक उपाय को भी उठाये जाने की आवश्यकता है।

मैं यह बता दूं कि यह अनुपूरक मांगें 8,007.16 करोड़ रुपए की हैं। अनेक सदस्यों ने पूछा है कि यह बजट के दो महीने बाद क्यों लाई गई हैं। कृपया इस बात को समझें कि फरवरी में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती और

यद्यपि आप अंतिम रूप से इसे मई में अनुमोदित करते हैं, यह वास्तव में जनवरी के आकलन पर आधारित होती है। मंत्रालयों और विभिन्न विभागों आदि के जनवरी के आकलन पर ही, फरवरी में बजट को अतिम रूप दिया जाता है और मई में इसे अनुमोदित किया जाता है। अत: जब मैं आपके समक्ष जुलाई माह में 7वें माह के अन्त में आया हूं तो इसलिए नहीं आया हूं कि मात्र 2 माह का समय समाप्त हो गया। वास्तव में 6 से 7 माह का समय समाप्त हो गये हैं और इस दौरान अनेक बातें हई होगीं जिन्हें कि अनुपूरक बजट में रखा गया है। यह कोई अटपटी बात नहीं है और यह निश्चित रूप से सरकार की ओर से किसी कमी को भी नहीं दर्शाता है।

8,007.16 करोड़ रुपए में से निकाली गयी धनराशि लगभग 3,913.36 करोड़ रुपए है। और शेष धनराशि अनुमोदित मांग के अंतर्गत अथवा इस अवधि के लिए बढ़ी हुई वसूली द्वारा अधिकांश बचत हैं। 3,913 करोड़ रुपये के कुल खर्च से 2409.60 करोड़ रुपए योजना स्कीमों के लिए 1,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए और 500 करोड़ रुपए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए प्रस्तावित हैं। मैं इन सब बातों पर एक मिनट में आता हूं।

जहां तक आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक सम्भावना का संबंध है तो महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्यों को यह एक या दो मिनट में बता दूं कि वर्ष 2001 में विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि में मांग और पूर्ति के दबाव के कारण गिरावट थी। यह गिरावट सुरक्षा कारणों जिनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं हैं-सितम्बर 11 के हमलों आदि के कारण और बढ़ गई। अत: औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि तथा मांग कम रही यह विश्वव्यापी रुख उतार का रहा। फिर पश्चिम में ढांचावृत्त कमियां सामने आईं जिससे विशेषकर निवेशकों के आत्मविश्वास में गिरावट और विश्वपूंजी बाजार में गिरावट आई। महोदय, न तो हमारा न ही हमारी अर्थव्यवस्था का रोधन हुआ। किन्तु यह शान्त है और यह लगातार उभरने की शक्ति दर्शा रही है।

जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जून, 2002 तक कुल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि इस समय 2002-2003 के लिए 5.5 प्रतिशत अनुमानित है। मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि 8 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए, हमें और अधिक बचत की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम 5.5 प्रतिशत पर कायम रहने वाले सभी कठिनाइयों के बावजूद विश्व के 7 अथवा 8 विकासशील देशों में है। अर्थव्यवस्था और देश के आकार को देखते हुए यह थोड़ा नहीं है।

सेवाओं में लगभग 6.9 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। औद्योगिक उत्पादन 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है यद्यपि कृषि विकास दर 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। मैंने इस पर प्रश्न चिह्न लगाया है क्योंकि 3.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान हमने मानसून की आंख मिचौली को देखकर लगाया है जो कि गत दो सप्ताह से जारी है। साप्ताहिक आधार पर अथवा घटनाओं के साथ अद्यतन होते हुए सांख्यिकी अनुमान लगाना संभव नहीं है। मुझे बताया गया है कि आज उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों आदि में कुछ मानसून की वर्षा हुई है। मैं यह अनुमान नहीं लगाना चाहता कि यह वास्तव में मानसून का आना है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): मंत्री जी, सूखे के बारे में बोलिये।

श्री जसवन्त सिंह: मैं सूखे की ही बात कर रहा हूं। मैं इसे पैरोनियल बनाना नहीं चाहता हूं। माननीया मार्ग्रेट आल्वा जी जब कहती हैं कि आप सूखे पर राजनीति कर रहे हैं तो मुझे बहुत दु:ख होता है। वे पुरानी मित्र हैं। यह तो संभव नहीं है कि हम जन्म न लें। मैं जिस प्रदेश से हूं, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरा घर है, जहां मैं बड़ा हुआ, जहां सब कुछ पाया, जहां मेरा ननिहाल है-उस प्रदेश में एक बूंद भी बरसात की न गिरे और मेरे से यह कहना कि राजस्थान में बरसात नहीं हुई। मैं जानता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसा सूखा ईश्वर किसी प्रदेश को न दिखाए।

[अनुवाद]

किन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न का भण्डार है, जब मैं अकाल प्रबंधन के बारे में बताऊंगा तब यह बात बताऊंगा। संक्षेप में एक कार्य दल का गठन किया गया है और मैं अत्यन्त विनम्रता से यह बताता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अवधि के दौरान देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न संकट न रहे, कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: 65 मिलियन टन फूडग्रेन्स है।

श्री जसवन्त सिंह: मैं जानता हूं।

[अनुवाद]

मैं एक मिनट बाद इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री ने सूखा प्रबंधन के बारे में एक कार्यदल गठित किया है। इसके सभापति उप प्रधानमंत्री होंगे और कार्यदल को सौंपे गये कार्यों में अधिक रोजगार के अवसर, उत्तम पौष्टिकता, जल संरक्षण और जल वितरण, पेयजल का प्रावधान तथा स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में अकाल राहत कार्य का हमें जो अनुभव है, मैं वह बताना चाहूंगा। साधारणत: गड्डा खोदे, धूल निकालें, धूल उठायें और गड्डा भर दें। क्या यह अकाल राहत कार्य है? यह अकाल राहत कार्य नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं माननीय सदस्यों विशेषकर माननीया श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए संसाधन एक न्यायसंगत पुनर्आवंटन और आस्तियों को पुनर्नियुक्त करके उपलब्ध कराये जायेंगे। मेरे लिए राज्यवार आबंटन का यह ब्यौरा देना संभव नहीं है कि वे क्या होंगे और आश्वासन देना भी संभव नहीं है। श्री पांडियन जी ने मुझे अभी-अभी बताया है कि तमिलनाडु राज्य को 3,750 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र राज्य को अकाल प्रबंधन के लिए कम से कम 1600 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कर्नाटक राज्य को 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। किन्तु आप समझ सकते हैं कि केन्द्र सरकार के लिए इस आधार पर संसाधन जुटाना संभव नहीं है।

महोदय, मैं कार्यदल का एक सदस्य हूं। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान इस ओर गया ही नहीं है। हम इस पर ध्यान देंगे। धन का पुनर्निर्धारण न्यायसंगत तरीके से होगा। कार्यदल में और सदस्य भी है। कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नागरिक पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्री कार्यदल के सदस्य हैं। हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, तमिलनाडु राज्य को अकाल प्रबंधन के लिए 750 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। किन्तु वर्तमान मुख्यमंत्री के सत्ता संभालने के समय राज्य का खजाना खाली था।

श्री जसवन्त सिंह: मैं वह बात समझता हूं। किन्तु हम अकाल के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, 750 करोड़ रुपये अकाल प्रबंधन के लिए चाहिए और 3000 करोड़ रुपए राज्य में चुनाव समाप्त होने के बाद व्याप्त दयनीय आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: अब आपको मिल जायेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: एक सुझाव आया कि हम यहां देश में अकाल की स्थिति के साथ राजनीति कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: कुछ सरकारें सोचती हैं कि वे फिर सत्ता में नहीं आएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप उनका उत्तर खत्म होने के बाद स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं सभा के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल में बांकुरा और पुरुलिया जिलों में, गंभीर सूखे की स्थिति है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, उत्तरी बंगाल में बाढ़ का प्रकोप है।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैंने कहा कि मेरे लिए अलग-अलग राज्यों के आवंटन की बात करन संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि केन्द्र सरकार पूरी तरह न्याय करेगी। आपदा निवारण या सूखा प्रबंध जो आज पूरे देश में कुछ भागों को प्रभावित कर रही है, करने में कोई राजनीति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम वर्तमान आधारभूत संरचना परियोजनाओं को संसाधनों की कमी के कारण नुकसान नहीं होने देंगे। यह सभा को मेरा आश्वासन है। वास्तव में, मैं अब यह कहना चाहता हूं कि आधारभूत संरचना परियोजना के संबंध चाहे जिस मंत्रालय से हो पर हम वित्तीय आवंटन प्रणाली से वास्तविक पूर्णता प्रणाली की ओर जाना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए 1500 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा करने की परियोजना है, जैसे ही 1500 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा होने वाला होगा और 1300 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा होने पर, यदि मंत्रालय या संबंधित प्राधिकारी मेरे पास आते

हैं और कहते हैं: ''अब हम क्या करें? हम उन्हें अतिरिक्त 200 किलोमीटर के लिए धन देंगे। इस कारण आधारभूत संरचना परियोजनाओं को नुकसान नहीं होने देंगे। हम इस अवधि में वित्तीय आवंटन पद्धति से इस परियोजना के वास्तविक रूप से पूरा होने की ओर जाएंगे।

इस प्रकार, हम राज्यों से भी यही करने के लिए अनुरोध करेंगे।

[हिन्दी]

इसी संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सूखे से निपटने के लिए एक योजना बनी है जिसे सभी राज्यों के भेजने मे पहले सूचित करेंगे। वह 'अन्न अंत्योदय योजना' है। यह केवल ''काम के बदले अनाज'' के लिए अलग होगा।' 'काम के बदले अनाज योजना' के लिए 700 करोड़ रुपया है। यह गांव के गरीब लोगों के लिए योजना होगी। राजस्थान में विशेषकर यह योजना 'अंत्योदय' के नाम से की जा चुकी है। गांवों के लिए अब यह 'अन्न अंत्योदय योजना' होगी। यह गरीब तबके के लिए होगी। इस योजना में गांव के लोगों की जिम्मेदारी होगी कि अन्न अंत्योदय योजना किस को जाय। इसमें सरकार का दखल नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल में बता दिया जायेगा। विशेषकर सूखाग्रस्त गांवों के लिए योजना होगी।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इन कठिनाइयों के बावजूद हमने सरकार में संकल्प किया है कि वित्तीय ईमानदारी, जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा विकास के लिए वचनबद्ध है। जैसाकि कुछ लोगों ने यहां उल्लेख किया हम गैर जरूरी और अनुत्पादक व्यय को रोककर तथा कर राजस्व के वर्तमान दायरे को और बढ़ाकर, जो सरकार की अधिक वरीयता वाली बात है, यह कर सकते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: सरकार के आकार को कम करने के बारे में क्या कहना है?

श्री जसवन्त सिंह: सरकार के आकार को कम करने के बारे में मैं अभी बात करूंगा।

[हिन्दी]

कृषि के बारे में कहा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पिछले साल लाउंच की गई थी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था। क्या आप इसका उत्तर देंगे? सूखे के मुद्दे पर आपने कहा था कि कार्य बल इस पर कार्य करेगा। हम परिणाम देखेंगे। सच यह है कि एफसीआई सूखा प्रभावित राज्यों में भी धान नहीं खरीद रहा है। किसानों के खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उपलब्ध नहीं है। एफसी बाजार में नहीं है। क्या आप खाद्य मंत्रालय के परामर्श से उन उत्पादकों जिनके पास अब धान का भंडार है के लिए मूल्य सुनिश्चित करेंगे? वे धान नहीं बेच सकते। बिहार में गेहूं है, उत्तर प्रदेश में गेहूं है। अब यह एक बड़ी समस्या है।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात यह है कि जो पैडी खरीदकर कोआपरेटिव द्वारा दी गई है, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है जिससे किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। यह गंभीर सवाल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निदेश दिया गया है कि इसको धन दे दें। एफ.सी.आई. पैसा मीट करेगा लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। यह एफ.सी.आई. के नाम पर लिया गया पैसा है, वह पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री जसवन्त सिंह: वैसे तो आज के विषय से हटकर है, फिर भी अगर किसी जिला विशेष का है तो अलग बात है परन्तु समूचा ध्यान दिया जायेगा।

श्री अरुण कुमार: यह जहानाबाद में अरवल की बात है। मेरे ख्याल से बिहार के कई जिलों की यह स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप ये आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कितना अनाज खरीदा गया है आप एक मिनट के अंदर यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: व्यक्तिगत मामलों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह राज्यों से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह: मैंने आपके जिले की तकलीफ सुनी है, यह जिम्मेदारी हमारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, अगर इसी तरह से चलता रहा तो यह बहुत कठिन होगा। मुझे इसे पूरा करने दीजिए। ...*(व्यवधान)* आप कृपया मुझे बात पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपना उत्तर पूरा कर लें तो यदि आवश्यक हुआ तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: जहां तक कृषि को प्रोत्साहित करने के अन्य पहलुओं का संबंध है, उनके बारे में अच्छी तरह जाना जा सकता है।

मैं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

प्रभुनाथ सिंह जी, आपके लिए मैं सूचित कर दूं कि एक विशेष वन टाइम सैटलमैन्ट स्कीम छोटे और मार्जिनल काश्तकारों के लिए सरकार ने लागू की है, जिसमें रिजर्व बैंक को आदेश दिये गये हैं कि वह पचास हजार रुपये तक के जो लोन लिये गये हों, उन्हें कवर करे। छोटे काश्तकारों को इससे फिर से सुविधा मिलेगी। उनके द्वारा अगर पचास हजार तक के लोन लिये गये हों तो वे स्क्वायर अप हो जायेंगे तथा नये लोन लेने के लिए उनका इनटाइटलमैन्ट हो जायेगा।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्या लोन माफ हो जायेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: लोन माफी शब्द मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। रिजर्व बैंक उसे कवर करेगा और हमारा इरादा है ...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल: मंत्रीजी, जो कमजोर किसान हैं, जिनका पचास हजार रुपये का लोन है, उनका ब्याज माफ करा दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह: पचास हजार रुपये तक रिजर्व बैंक कवर कर रहा है, मैंने आपको कह दिया। सिद्धांतत: वित्त मंत्री के नाते मेरे लिये यह संभव नहीं है कि आप कहें कि एक तरफ हम नॉन पर्फोमिंग अस्सैट्स के नाते एक आर्डीनिन्स लायें, फिर मैं ही आपसे कहूं कि हम ब्याज माफ कर दें। पचास हजार रुपये तक छोटे किसानों के लिए रिजर्व बैंक श्योरटी खड़ी होगी और यह होने के बाद यह ऋण प्राय: उनका समाप्त है और उसके बाद जब रिजर्व बैंक श्योरटी दे रहा है तो वे पुन: ऋण लेने के लिए अधिकृत हो जायेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो छोटे किसानों के लिए घोषणा की है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन हम एक बात की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और हमें लगता है कि वह हमारी बात को मान लेंगे। जब मैं बोल रहा था, उस समय मैंने सवाल उठाया था कि जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, उनका जो भोजन पकता है वह मवेशियों के गोबर की चिपड़ी और जलावन से पकता है। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से अगर वह कोई कदम उठाना चाहते हैं तो वह बता दें, ताकि वह व्यवसाय गांवों में फले-फूले और उस व्यवसाय का लाभ आम मानव की जिंदगी पर भी पड़ेगा। चूंकि फर्टिलाइजर के द्वारा खेतों में जो अन्न पैदा होता है उससे तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। जब लोगों में मवेशी पालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उसकी खाद से जो अन्न पैदा होगा, उससे मानव जीवन में होने वाली बीमारियों से बच सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसके प्रोत्साहन के लिए यदि माननीय मंत्री जी कुछ करने का विचार रखते हैं तो कृपया सदन को बतायें।

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह मैं समझ गया। उनका कहना है कि फर्टिलाइजर में अपने आपमें एक प्रकार की कृत्रिमता है और उस कृत्रिमता के कई दुष्परिणाम हैं। अगर हम कृषि कार्यों के लिए जो गोबर और देशी खाद है, जैसे राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भेड़ की खाद होती है। हम इसे प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इसे प्रोत्साहन दें, यह लाभदायी और स्वास्थ्यप्रद भी है। परंतु योजना बनाना मेरे हाथ की बात नहीं है। हम इसे प्रोत्साहन देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

[अनुवाद]

मैं वर्ष 2002-2003 में 75,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण सीमा के संबंध में कार्य करने की आशा और इच्छा करता हूं। मैं 75,000 करोड़ रुपये की उस राशि की तुलना 1997-98 के 31,956 करोड़ रुपये की राशि से करना चाहता हूं। यदि मैं 1997-98 के 31,000 करोड़ रुपये या 32,000 करोड़ रुपये के आंकड़ों की तुलना में 75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होता हूं तो यह बहुत संतोषजनक उपलब्धि होगी।

मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और ये राजस्व संग्रह और कराधान के लिए महत्वपूर्ण है। कराधान के संबंध में मेरे सामने निम्नलिखित लक्ष्य है:

1. कर सकल घरेलू अनुपात में सुधार करना।
2. कर संरचना में कुछ स्थिरता लाना।
3. कर प्रशासन और अनुपालन पर प्रकाश डालना।
4. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अनुपात में परिवर्तन करना ताकि कर प्रशासन शीघ्रता से अधिक प्रगतिशील बने।

प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि वे गरीबों को प्रभावित करते हैं, पश्चगामी होते हैं। देश को प्रत्यक्ष कर के योगदान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिए अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि करों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं और जिसके प्रति मैं वचनबद्ध हूं उसे मैं सदन को बताना चाहता हूं वह है कम्प्यूटरीकरण। सदस्यों को समझना चाहिए कि कम्प्यूटरीकरण के लाभ हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि स्थायी लेखा संख्या होने का क्या औचित्य है। कुछ करोड़पति कुछ रुपये देकर कर से बच जाते हैं। बात यह नहीं है! हम स्थायी लेखा संख्या का कम्प्यूटरीकरण करने वाले हैं। हमने पूरा करने की तारीख रखी है जो इस वर्ष अक्तूबर तक है जब तक हमें पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करना होगा और यदि भगवान ने चाहा यदि मैं कम्प्यूटरीकरण करने में सक्षम हो गया तो मेरे लिए डाटा बैंक बनाना और इन स्थायी लेखा संख्याओं को जोड़ना संभव होगा।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, पूरा देश सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। किसान पेय जल तक पाने की स्थिति में नहीं है। क्या आप सहकारिताओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी देय उनके ब्याजों को माफ कर सकते हैं? क्या आप उनके द्वारा लिए गए उधार के आंकड़े और संबंधित राज्यों से प्राप्त करके फिर उनके ब्याज माफ कर सकेंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री जसवन्त सिंह: मैंने ब्याज के माफ किए जाने के संबंध में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। देश के वित्त मंत्री के रूप में मेरे लिए इस प्रस्ताव के लिए सहमत होना संभव नहीं है।

मैं कम्प्यूटरीकरण की बात कर रहा था। यह इस वर्ष अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि निर्धारिती करदाता समय पर कर अदा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यही सिद्धान्त कर संग्रह एजेंसियों पर भी लागू होना चाहिए जब रिफन्ड की बात आती है और उन्हें भी उसी कड़ाई के साथ निर्धारितियों को देय रिफन्ड वापस करना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और हम इसे प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

अभी-अभी मैंने स्थायी लेखा संख्या के बारे में कहा है। हमने इसमें तेजी लाई है। इस वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 400,000 स्थायी लेखा संख्याएं आवंटित की गई हैं। 30 जून, 2002 तक, जो मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के लिए अंतिम तारीख थी, लगभग 24 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से लगभग 97 प्रतिशत को स्थायी लेखा संख्या मिल गई है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस स्थायी लेखा संख्या के चाहने वालों की लम्बी कतार को देखते हुए हमने इस तारीख को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): दो वर्षों से अधिक समय से बहुत से लोग अपने पैन नम्बर पाने के लिए इन्तजार कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: इसलिए, इस वर्ष अधिक संतोषजनक प्रगति हुई है और मैं आशा करता हूं कि हम इसे बहुत जल्दी ही प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान कराधान कानून में कर मूल्यांकन को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व चार अपीलीय स्तरों का प्रावधान है आयुक्त, न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और सीधे निपटान आयोगों का भी पार्श्वीय प्रावधान है। यह एक जटिल, अधिक समय लगाने वाली प्रक्रिया है और यह अनेक मुकदमों का एक भाग है और इससे निर्धारितियों के लिए कठिनाई के साथ-साथ राजस्व की वसूली में भी विलम्ब होता है।

इसे सुधारना होगा। हमें अपील के स्तरों को कम करना होगा, प्रक्रिया को सरल बनाना होगा और निपटान के लिए एक अन्तर्निहित, समयबद्ध पद्धति लानी होगी। हम इसे मार्च 2003 तक करेंगे और हम कम से कम उस अवधि से पहले अपील के एक स्तर को कम करेंगे।

इसी प्रकार, आयकर अधिनियम इतना जटिल है कि कर वकीलों के अलावा आम करदाता को तो छोड़ ही दें वर्तमान वक्ता सहित बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं और इसका अनुपालन करना तो एक बिल्कुल ही अलग बात है। कई अपवाद हैं। कई प्रकार की जटिल कटौतियां करदाताओं की कठिनाइयों को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। आय कर अधिनियम प्रत्यक्ष, व्यापक और सरल भी होना चाहिए।

श्री मोइनुल हसन: महोदय, हम, संसद सदस्यों को आयकर रिजर्व भरना है। हमारा वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। परन्तु इसे आय कर विभाग द्वारा वेतन नहीं माना जाता। इसलिए, हमें स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे अन्य स्रोतों से आय समझा जाता है। परन्तु लोक सभा सचिवालय हमें प्रमाणपत्र देता है जो कहता है कि यह वेतन है। फिर, ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री जसवन्त सिंह: मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि हितों के टकराव के संबंध में सभा की अनकही परम्परा है। यदि संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी मुद्दे या किसी कार्य या किसी उद्योग में रुचि लेते हैं-यदि वे कोई उद्योग चलाते हैं तो जो भी इस तरह का मामला चर्चा के लिए आता है, यही आशा की जाती है कि संसद के माननीय सदस्य उस चर्चा में भाग नहीं लेंगे। मेरा विश्वास है कि जब यह वैयक्तिक आयकर के संबंध में चाहे संसद सदस्यों की वैयक्तिक कठिनाइयां जो भी हो संसद—चाहे यह सदन हो अथवा वह सदन हो-मैं आपका उचित रूप से सम्मान करते हुए आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपनी आयकर समस्याओं को उठाने के लिए संसद सदस्यों के लिए सदन उचित मंच नहीं है। आप मुझे लिख सकते हैं। लेकिन हम हितों के टकराव में परम्परा को भूलते जा रहे हैं। मैं कई बार देखा है-मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं संसद सदस्य जो प्रमुख उद्योगपति है वे यहां प्रश्न उठाते हैं और अपने स्वयं के उद्योग के लिए मत जुटाते हैं। यह आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। हमें वास्तव में परम्पराओं के बारे में जिसे हमने अपने स्वयं के लिए बनाया है अपनी याददाश्त को जरा हचकोने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। पिछले बजट सत्र में सीनियर सिटीजन ...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: मैं उसी बात पर आ रहा हूं। पहले मेरी बात सुन लें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अभी-अभी सदन में मान-मर्यादा बनाए रखने के बारे में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ संसद सदस्य कुछ कूट औद्योगिक घरानों अथवा उद्योगों की रक्षा करने के लिए उद्देश्यपूर्वक मत इकट्ठे करते हैं। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि उन्हें राष्ट्र और संसद को उनके नाम बताने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। हम उनका समर्थन करेंगे। वे जिस किसी भी दल के हों हम प्रक्रिया को साफ सुथरा चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, आयकर अधिनियम प्रत्यक्ष, व्यापक परन्तु सरल होना चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो अधिनियम को छूटों से मुक्त होना चाहिए ताकि इसका अनुपालन और प्रशासन और अधिक आसान हो सके।

इसलिए मैं एक कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव करता हूं जो इसके सरलीकरण के लिए सदस्यों से सिफारिशें लेगा। यह कार्यदल इसकी स्थापना के 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मैं आशा करता हूं कि स्वीकृत सिफारिशों को अगले 5 वर्षों के भीतर समाविष्ट किया जा सकेगा।

मैं स्वीकार करता हूं कि छोटे निवेशकों को राहत दिये जाने की आवश्यकता है। यह तो उसी का एक हिस्सा है। आयकर अधिनियम की धारा 80 एल में विशेष निवेशों से प्राप्त आय पर 9000 रु. की छूट और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज में 3000 रु. की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। 9000 और 3000 को बढ़ाकर अब 12000 और 3000 रुपये कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कुल छूट को 12000 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. कर दिया गया है। भारतीय कम्पनियों के शेयरों से लाभांश आय और म्यूचुअल फण्ड से प्राप्त आय को वर्ष 2002 के अधिनियम द्वारा यूनिट शेयर होल्डरों के माध्यम से कर योग्य बनाया गया है। इक्विटी में छोटे निवेशकों द्वारा निवेश करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर करने वाले कर के प्रयोजन के लिए न्यूनतम सीमा 1000 रुपये थी निवेशकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 2,500 रु. कर दी गयी और प्रत्येक कम्पनी के प्राप्त होने वाले म्युचुअल फण्ड के 2500 रु. तक के लाभांश पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। आयकर विभाग के कम्प्यूटरीकृत होने के साथ स्रोत पर कटने वाले कर संबंधी आंकड़े बेहतर कर प्रशासन और अनुपालन के लिए करदाता द्वारा दिये गए कर से प्रमाणित करेगा।

मैं जीवन बीमा प्रीमियम पर सेवा शुल्क लगाने के तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरे पूर्वगामी ने सदन को सूचित किया था कि यह लेवी प्रीमियम में जोखिम कारक तक ही सीमित रहेगी। सरलीकरण और राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रीमियम पर इस लेवी को पूर्णत: मुक्त करता हूं।

वर्ष 2002-03 के बजट भाषण में मेरे पूर्वाधिकारी ने घोषणा की थी कि सीमाशुल्क दरों को और तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि वर्ष 2004-05 तक 10 और 20% की दो मुख्य दरों वाला ढांचा

प्राप्त किया जा सके। इसमें बहुत अधिक गोपनीयता है। यह गोपनीयता पूरी तरह से अनावश्यक है। अत: मैं इस संबंध में उद्योग और व्यापार के लोगों के साथ मुक्त चर्चा करना चाहूंगा और यह आने वाले महीने में की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्यात सहायता व्यवस्थित तरीके से प्रत्यक्ष रूप से दी जानी चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। मुझे निर्यात सहायता के बारे में कई शिकायतें मिल रही है जहां इसे निर्यात संवर्द्धन के लिए व्यय न करने किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च किया जा रहा है। मैं इस मुद्दे को अपने सहयोगी वाणिज्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके हल करना चाहता हूं।

जहां तक प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर का संबंध है सरकार कर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कर प्रशासन एक सेवा है। यह सक्षम होने से करदाताओं को स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करने को बढ़ावा देगी। अत: अप्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यबल गठित किया जायेगा जो 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अपना सुझाव देगा।

मैं कागजी कार्यवाही को कम करने के लिए भी एक कार्यबल गठित करना चाहता हूं। यह कार्यबल कर प्रशासन में कागजी कार्यों को कम करने का सुझाव देगा ताकि करदाताओं को काउन्टर पर कम दस्तावेज भरने पड़े और वह सरल भी हों। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह कार्यबल 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और उसके पश्चात् हम इसे कार्यान्वित करेंगे।

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय है। राज्य वित्त मंत्रियों की शासी समिति ने मुझसे अनुरोध किया कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मैं गलतियां पकड़ने वाला नहीं हूं लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से सही है। यह स्थिति मुख्य रूप से वेतन में व्यापक वृद्धि तथा राज्यों के ऋण में वृद्धि के कारण हुई है। वेतन बिलों में पिछले वेतन आयोग के कारण मुख्यरूप से काफी वृद्धि हुई है। हमें उस वेतन आयोग के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही देश और राज्यों के वित्त कोष को इसने क्या किया है, को जानने की आवश्यकता है। वह दिया गया है। मैं इतना बड़ा अवश्य हो गया हूं जो यह पहचान सकूं कि मुझे इसी विश्व में रहना है और यह विश्व जैसा होगा उसमें नहीं रहना है। अत: यदि यही विश्व ऐसा ही है तो यह इसी रूप में विद्यमान होगा और यह दिया गया है। हम सबको मिलकर जैसा है उसमें समस्याओं का हल करना होना न कि जैसा होगा में। मुझे गौरव हुआ जब राज्य वित्त मंत्रियों और मेरे विद्वान मित्र पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री आशीम दासगुप्ता ने पहले सुझाव दिया कि मैं वित्त मंत्री के रूप में राज्य वित्त मंत्रियों की समिति के सभापति के रूप में सामूहिक रूप से राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार करें। मैं कुछ उद्वेग के साथ सहमत हूं। हम इसके साथ कुछ राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसकी मूल रूप से 2 अगस्त को बैठक नियत हुई थी। अब हम इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर रहे हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से हम राज्य वित्त में कुछ स्थिरता ला पाएंगे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के गुणों और कार्यों पर कई माननीय सदस्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। निवेशकों के हित की संरक्षा करना और बाजार की अखण्डता बनाए रखना हमारे पूंजी बाजार के पुनरुज्जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है। यू.टी.आई. की महत्वपूर्ण स्थिति है और इसने देश में म्युचुअल फंड उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने विगत में लाखों छोटे निवेशकों की बहुत अच्छी सेवा की है। दुर्भाग्यवश, कुछ कमियों के कारण यह एक कठिन दौर में गुजर रहा है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा सभी उपाय किये जायेंगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को पुन: क्रियाशील किया जाएगा ताकि यह स्थिर और लाभदायक तरीके से निवेशक समुदाय की सेवा कर सके। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवल आस्ति मूल्य में वर्तमान गिरावट के बावजूद यू एस-64 धारकों को न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्रदान करने में सरकार इसके साथ है। यूएस-64 के अधीन कमी को पूरा करने के लिए यूटीआई को 300 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुपूरक मांग के माध्यम से इसे 700 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि यूएस-64 के अधीन दिये जाने वाले विमोचन मूल्य के होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त एम आई पी योजना में निवेशकों की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की दृष्टि से सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपये की यूनिट ट्रस्ट गारंटी दी है ताकि वह धन प्राप्त कर सके।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सहायता दिये जाने के लिए मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि वह यूटीआई को सरकार से सहायता दिलवा रहे हैं। उनके अनुसार इसमें कमियां हैं। लेकिन हमारे अनुसार यह एक घोटाला है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या वह सदन को आश्वासन देगे कि संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों के पश्चात् जिसे सभापटल पर रखा जाएगा, प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यही अनुरोध है जिसे मैं करना चाहता हूं। हम संसद से धन दे रहे हैं जो कि जनता का धन है। उन्हें हमें यह भी आश्वासन देना चाहिए कि वह प्रतिवेदन के सभापटल पर रखे जाने के पश्चात उचित कदम उठाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह: कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए ...*(व्यवधान)* मेरा हिसाब ज्यादा अच्छा नहीं हैं।

मेरे पास अधिकारियों का पूरा दल है जो मुझे धन की आवश्यकता होने पर मेरी मदद करते हैं। हम धनराशि प्राप्त कर पायेंगे। मैं उसके बारे में आपको आश्वस्त करता हूं। हमने 1000 करोड़ रुपये की गारन्टी दी है ताकि वह अपनी रोकड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन प्राप्त कर सके। मैं यूनिट ट्रस्ट की सम्बद्ध विद्यमान बीमारी का दीर्घकालिक समाधान करना चाहता हूं। हम सही हल ढूंढ पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, जहां तक संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि संयुक्त संसदीय प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने से पूर्व ही, माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही मंत्रियों के ग्रुप का गठन करने की घोषणा कर दी है जिसमें वित्त मंत्री, योजना आयोग के उप सभापति और विनिवेश मंत्री होंगे जो यूनिट ट्रस्ट और आईएफसीआई की समस्याओं पर विचार करने और समाधान करने के लिए ठोस सुझाव देंगे। ...*(व्यवधान)* अत: जहां तक संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन का संबंध है उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत तो करने दीजिए। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि माननीय सदस्य यह क्यों समझ रहे हैं कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन अथवा इसकी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मैं रिलीफ बांड के बारे में भी कहना चाहूंगा। रिलीफ बांड की खरीद की 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा की भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गयी है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि विद्यमान रिलीफ बांड योजना के अलावा सरकार नागरिकों को उनकी बचत को कर मुक्त बांड में निवेश करने देने के लिए शीघ्र ही एक नयी योजना शुरू करेगी। अधिकतम सीमा 2 लाख तक सीमित नहीं रहेगी जैसाकि यह यहां पर है। इन बांडों पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा और यह 6 वर्षों में परिपक्क होगा और करमुक्त होंगे। अन्य ब्यौरों की भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद में घोषणा की जाएगी। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह निवेश समुदाय की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

जहां तक सेबी का संबंध है, सरकार सेबी को सुदृढ़ बनाएगी ताकि यह गलती करने वाले बाजार मध्यस्थों और कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सके जिससे बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाई जा सके तथा बाजार का विकास हो। आगे, लघुतर निपटान चक्र में बाजार जोखिम प्रबंधन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अतएव, निधि और प्रतिभूति प्रक्रिया चक्र में समंजित करके विद्यमान टी + 3 से टी + 1 'रोलिंग सिस्टम' को अपनाया जा सकता है। सेबी को आरबीआई से परामर्श करके इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है।

मुझे कंपनी मामले देखने का गौरव प्राप्त हुआ है और मैंने इस मुद्दे से निपटने के लिए कंपनी मामले में एक संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की है। इस संगठन को मैंने 'सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस' का नाम दिया है। विगत में, देश ने कतिपय अनुचित प्रथाओं को देखा है जिसके द्वारा, उदाहरण के लिए, लघु निवेशकों ने अपनी पूरी जिन्दगी की बचत गंवा दी है। इस घटना को पहले माननीय सदस्यों ने तिरोभावी कंपनियां कहा है। माननीय सदस्यों को यह भी मालूम है कि विदेशों में अनेक कंपनियों द्वारा अस्वीकार की गई भ्रामक लेखापद्धति बड़े पैमाने पर दीवालियापन का कारण बनी हैं। सरकार लघु निवेशकों को सुरक्षा देने और इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों को दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, मेरा यह प्रस्ताव है कि धोखाधड़ियों और संभावित धोखाधड़ियों की पेशेवर और संपूर्ण जांच के लिए और प्रभाव तरीके से ऐसा करने के लिए कंपनी मामले विभाग में सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस बनाने का है।

साथ ही साथ, कारपोरेट लेखा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रकटीकरण सुनिश्चित और सांविधिक लेखा परीक्षा प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए अन्य उपायों पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष मुद्दे को पिछले चार वर्षों से उठा रहा हूं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कंपनी कार्य विभाग 'वैनिशिंग कंपनी' की परिभाषा सरकार के सम्मुख उपलब्ध नहीं कंपनी के रूप में की गई है। वे सिर्फ उन कंपनियों का लेखा-जोखा रखती हैं किंतु वे उन कंपनियों जो लघु निवेशकों को उपलब्ध नहीं है का हिसाब नहीं रखती हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि 'वैनिशिंग कंपनी' की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए और इसमें उन कंपनियों जो लघु निवेशकों को प्रत्युत्तर नहीं दे रही हैं अथवा उन कंपनियों जो उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिनको नहीं खोजा जा सकता अथवा जिन्होंने धन की निकासी की है को सम्मिलित करना चाहिए। बम्बई स्टॉक एक्सचेन्ज में इस संवर्ग की कंपनियों की संख्या 997 है। अतएव, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार किया जाए।

श्री जसवन्त सिंह: हम सिर्फ नया आरम्भ कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि नई शुरुआत अपने आप में पूर्ण है, किंतु यह एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य 'सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस' की स्थापना की शुरुआत का स्वागत करेंगे। अन्यथा, जांच विभिन्न एजेंसियों में फैला हुआ है। कुछ मामले सीबीआई को जाते हैं, कुछ सेबी को, कुछ कंपनी मामले

विभाग को और इसी प्रकार अन्य को जाते हैं, यह जटिल कार्य बन जाता है।

श्री रूपचन्द पाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में कानूनों की कमी नहीं हैं, किंतु अभी भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं सिर्फ स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर सकता हूं। यदि मेरे मित्र महसूस करते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, तो हम उनके प्रचुर अनुभव से लाभ उठाएंगे और वह हमें इस संबंध में सुझाव दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ऐसी सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जहां तक इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स का संबंध है, भारत से बाहर कंपनियां और कारपोरेट बृहत् विदेशी कारपोरेटों और विदेशों में एनआरआई उद्यमों में निवेश के लिए आकर्षक अवसर प्रदान कर सकते है। मेरा जल्द ही इंडयिन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स की अवधारणा को संचालनगत बनाने के लिए नियम जारी करने का विचार है।

कंपनी अधिनियम 1956 में अधिनियमित किया गया था और यद्यपि कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, यह तीव्र गति से बदली कारपोरेट वास्तविकताओं के अनुसार नहीं बदल सका। हम इस अधिनियम में उदारीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे किंतु समानान्तर आधार पर अधिनियम के अंतर्गत विनियामक शक्तियों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि कारपोरेट गर्लातियों को देखने पर प्रभावी कार्रवाई किया जा सके।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों का काफी समय लिया है। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था को खोलने का मार्ग, विकेन्द्रीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया उलटा नहीं जा सकता है, किंतु इसी के साथ मेरा यह भी विश्वास है कि जितनी अपार व्यवस्था हो उतनी ही प्रभावी विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। मेरा स्पष्ट विचार है और मैंने पहले भी कहा है कि फ्री मार्केट का अर्थ फ्री फोर ऑल नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रभावी और उत्पादक उदार व्यवस्था हो जैसाकि वास्तव में हमारे पास है। तब, हमारे पास एक साथ ही अत्यन्त प्रभावी और उत्तरदायी विनियामक तंत्र होगा। यही मैं करना चाहता हूं, इसके प्रति ही मैं प्रतिबद्ध हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मैं वित्त मंत्री जी से सीनियर सिटीजन्स के ब्याज के संबंध में जानना चाहता हूं। पहले वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि सीनियर सिटीजन्स का ब्याज दर कुछ अधिक किया जाएगा। *...(व्यवधान)* लेकिन यह ब्याज दिनों-दिन कम होता जा रहा है। एक प्रतिशत अधिक ब्याज देने का आश्वासन दिया गया था। इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया गया था। *...(व्यवधान)* लेकिन बैंक सीनियर सिटीजन्स के ब्याज में भी कटौती कर रहे हैं और कोई बैंक 25 पैसा प्रतिशत तो कोई बैंक 50 पैसा प्रतिशत की कटौती कर रहा है।

सायं 7.00 बजे

मैं वित्त मंत्री जी से सदन में आश्वासन चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन और कर्मचारियों की भविष्यनिधि के ऊपर जो ब्याज रेट कम होता चला जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, बाकी ब्याज रेट की तुलना में एक प्रतिशत ब्याज रेट की बढ़ोत्तरी सीनियर सिटीजन के लिए निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं इस पर माननीय मंत्री जी का आश्वासन चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट के लिए, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान चाहता हूं। यह कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स का वर्ष है। हमारे खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। किंतु इस वर्ष के बजट में 'वाटर स्पोर्ट्स' अर्थात् राउइंग, कैनोइंडा, याचिंग और कयाकिंग जो श्रेणी स्पोर्ट्स हैं के लिए कर छूटों को वापस ले लिया गया है। दि सर्विसेज स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड को उपकरणों के आयात के लिए सीमाशुल्क छूट आदेश का लाभ प्राप्त नहीं है। भारतीय स्पोर्ट्स दल और मेडल जीतने में सर्विसेज का भारी योगदान है।

मैं अभी उत्तर नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ उनसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने उन्हें भी और खेलकूद मंत्री को भी लिखा है। क्या वह कृपया सर्विसेज स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड और वाटर स्पोर्ट्स जो मेडल जीत रहे हैं की सहायता करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने बचत से संबंधित मुद्दा उठाया था। राष्ट्रीय बचत संगठन को विघटित किया जा रहा है। इन सभी बातों के लिए प्रावधान है। किंतु विगत सात या आठ सालों के दौरान जो हुआ है वह यह है। कौन लेखन सामग्री मदों जैसे किसान विकास पत्र, नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स एजेन्ट की प्राप्ति बही इत्यादि का मुद्रण करेगा। यह देश के कई भागों में उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, लघु बचतों का काफी

[श्री रूपचन्द पाल]

नुकसान हो रहा है। मैं आश्वासन चाहता हूं। सरकार का किन कदमों को उठाने का विचार है? डाक विभाग इसे अपना नहीं मानता है। एन एस ओ को भंग किया जा रहा है। देश के कई भागों में कोई लेखन सामग्री कोई प्रमाणपत्र और कोई रसीद बही नहीं है। इसलिए, लघु बचत जिनसे राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, को हानि है ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): मैं वित्त मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि सारे भारत में पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में जहां हर साल कम से कम बारिश 3000 एम.एम. होती है। वहां छोटे किसान हैं और उनके लिए इरीगेशन सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। सरकार किसान की पैदावार धान खरीदती नहीं है। परिणामस्वरूप सरकार की काफी अच्छी स्कीम्स शुरू हुई है, जैसे अंन्त्योदय स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, बीपीएल का राइस और व्हीट का कोटा बढ़ने के कारण से जो छोटा किसान है, उसकी पैडी का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम छोटे किसान जो द्वीप में रहते हैं, उनका धान मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने की सरकार व्यवस्था करे।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान को क्रैडिट कार्ड आप देते हैं और जो बैंक किसान से ब्याज लेते हैं, वह 14 प्रतिशत किसान क्रैडिट कार्ड पर ब्याज लगता है। 'नाबार्ड' जो बैंकों को 9 प्रतिशत पर देता है, 9 का 14 प्रतिशत तो अगर यह ब्याज की सीमा किसान क्रैडिट कार्ड पर कुछ कम हो जाए क्योंकि अभी सूखे का समय है, बाढ़ भी आ रही है तो बहुत बड़ी राहत आप किसान को देंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: आर.बी.आई. ने आस्ट्रेलिया कंपनी से प्रभावित होकर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अपनी देश की नोट छापी थी और देश के बाहर आस्ट्रेलिया भेजी थी। इस बारे में सरकार को क्या मालूम है और हम जानना चाहते हैं कि क्या इसकी अनुमति दी गई है?

श्री जसवन्त सिंह: मैं प्रयत्न करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दूं। आप सीनियर सिटीजन और कर्मचारियों के बारे में आश्वासन चाहते हैं, ऐसा आश्वासन में नहीं दे सकता हूं। आप अंडमान द्वीप में पैडी के बारे में आश्वासन चाहते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कृषि मंत्रालय इस मामले को डील करता है, आपको उससे बात करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, आपका अधिकार है, लेकिन मैं इस बात को कृषि मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: पूर्व वित्त मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि सीनियर सिटीजन को ब्याज रेट एक प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। बैंक एक परसेंट न बढ़ाकर आधा परसेंट, चौथाई परसेंट दे रहे हैं। कोई-कोई बैंक एक परसेंट भी दे रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे सीनियर सिटीजन को ब्याज रेट एक परसेंट बढ़ाकर देने का आश्वासन दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पूर्व वित्त मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैंने पढ़ा है, ऐसा कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: आप अपने ज्ञान को बढ़ा लें। सीनियर सिटीजन को आज भी उसी आश्वासन के आधार पर 25 पैसे से लेकर 50 पैसे, 75 पैसे तथा एक-आध बैंक एक परसेंट भी ब्याज दे रहा है। इस सदन में जो बात कही गयी थी कि एक परसेंट तक बढ़ाया जाएगा, तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि वह एक परसेंट बढ़ाया जाए।

श्री जसवन्त सिंह: मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं, उन्होंने ज्ञान बढ़ाने की बात कही है। कोई अपना ज्ञान बढ़ाये या न बढ़ाए मैं अपने ज्ञान में अवश्य वृद्धि करूंगा। इस प्रकार का आश्वासन अगर मेरे पूर्व मंत्री जी ने दिया है तो निश्चित रूप से हम उसको क्रियान्वित करेंगे, लेकिन अगर आश्वासन नहीं दिया है तो मैं क्षमा चाहता हूं हम इसे नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी जांच करूंगा।

माननीय महाले जी ने आस्ट्रेलिया से प्लास्टिक के कागज के बारे में जो बात कही है, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। एक माननीय सदस्य ने किसान क्रैडिट कार्ड के बारे में कहा। अगर ब्याज की दरों में अंतर है तो यह संतोषजनक बात नहीं है। बैंक कहता है कि सर्विस में काफी खर्चा होता है तो उन्हें सर्विस का खर्चा कम करना चाहिए। सभी जानते हैं कि सूखे का साल है। बैंक जो काश्तकार को ऋण देते हैं तो हम आग्रह करते हैं कि वे ऋण चुकता करें। लेकिन यह जो सर्विस एलीमेंट बैंक का है यह उसे कम करना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय श्री रूपचंद पाल ने मुद्रण में कुछ कमी के बारे में चर्चा की है। आवश्यक फॉर्मों जिन्हें नागरिकों को मिलना चाहिए की कोई भी कमी या त्रुटि अस्वीकार्य है।

श्री रूपचन्द पाल: काफी समय से कोई मुद्रण नहीं हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे नहीं मालूम कि मुद्रण क्यों नहीं हो रहा है। किंतु वह जो बोल रहे हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं और कानून के अंतर्गत भरे जाने हेतु फॉर्म नागरिकों को नहीं मिलें इसे मैं अस्वीकार्य समझता हूं। यह कैसी विचित्र स्थिति है? हम सब मिलकर यहां कानून बनाते हैं कि नागरिकों को फॉर्म भरना होगा और फिर हम उन्हें फॉर्म नहीं उपलब्ध कराते हैं। *...(व्यवधान)* मैं इन सबको स्वीकार करता हूं। आप ऐसी स्थिति कैसे रहने दे सकते हैं कि आवश्यक कागजी कार्रवाई जिसे नागरिक को करना है नहीं कर पाता है क्योंकि नौकरशाही प्रबंधन में सिर्फ फॉर्म के मुद्रण को लेकर कुछ भ्रम है। ऐसी स्थिति अस्वीकार्य नहीं है। मैं इस मुद्दे पर ध्यान दूंगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मेरा अंतिम प्रश्न है। महोदय, जिस दिन आपने वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया, आपने कहा, ''मैं यह ध्यान रखूंगा कि देश में गृहणियों के पास खर्च करने के लिए अधिक धन हो।'' आपके सभी आश्वासनों में एक से भी आशा नहीं है कि आप महिलाओं को अधिक पैसा मिलने में सहायता करेंगा। मैं जानना चाहती हूं कि इस पर आपका जवाब क्या है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मेरा कहना है कि असमानता को दूर किया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीनियर मैम्बर है। आपको सब बात मालूम होनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह: मैं मानता हूं कि समानता होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: महिला सदस्य की ओर से एक और स्पष्टीकरण है।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, कैन्सर इंस्टीट्यूट, अडयार, चेन्नई ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है और लिखा है कि आयातित नैदानिकी किटों के लिए वस्तुओं को सीमाशुल्क से छूट दी जाए। क्या मंत्री इस पर मरीजों के हित की दृष्टि से विचार करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। विचार करने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी तुरन्त नहीं बता सकता।

कुल मिलाकर मैंने यह कहा कि, मेरी माननीय मित्र, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा यह कहें कि महिलाओं के लिए मैंने कुछ नहीं कहा वस्तुत: ठीक नहीं है। यदि आप मेरे सभी वक्तव्यों और रियायतों जो दिए गए हैं पर ध्यान दें, और सेवा कर, 80 एल पर कटौती पर ध्यान दें जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गृहणियों को प्रभावित करता है और लाभ पहुंचाती है। आपने निर्धनतम व्यक्तियों के बारे में कहा। उदाहरण के लिए, मैंने अन्न अंत्योदय योजना की बात की। अन्न अन्त्योदय योजना क्या है? यह एक रूप में या दूसरे रूप में देश के छोटे से छोटे गांव के निर्धनतम घर में निर्धनतम गृहणियों के पास धन जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर पूरा हो गया है।

श्री जसवन्त सिंह: मेरा उत्तर अब पूरा हो चुका है किंतु अब और प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि सूखा पीड़ित क्षेत्रों में जल्दी अनाज पहुंचा दिया जाएगा। मंत्री जी राजस्थान के हैं इसलिए राजस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वह जानते हैं कि राजस्थान में सूखा इतना जबर्दस्त है कि केन्द्र सरकार को जल्दी से जल्दी उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरा अनुभव है कि केन्द्र सरकार का यह जवाब होगा कि केन्द्र सरकार कहती रही लेकिन राज्य सरकार ने मांग नहीं की। ऐसी बात कहते समय निकल जाएगा। वहां जो धन भेजना है, जल्दी भेजा जाए। आपका इसमें जितनी जल्दी सहयोग मिलेगा, उतना अच्छा होगा।

श्री जसवन्त सिंह: तीन हफ्ते पहले ही उन्हें सहयोग मिलना शुरू हो गया था। हमारी तरफ से मांगने का इंतजार नहीं होता है कि वह जब मांगेंगे तब देंगे। सरकारी कामकाज का एक तरीका होता है। हम उसे तेज करेंगे और कुछ कर भी रहे हैं। आप यह मान कर चलें कि किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव: अविवाहित लोगों के बारे में क्या व्यवस्था है? *...(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: मुझे अविवाहित लोगों के बारे में नहीं बल्कि ''सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड के लाभ और वाटर स्पोर्ट्स के लाभ को समाप्त करने के बारे में उत्तर देना चाहिए। मुझे इन्तजार नहीं करना है। मैं इसका सीधा उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम विदेशों में

[श्री जसवन्त सिंह]

खेलकूद में भाग लेने वाले एथेलीट्स अथवा प्रतिभागियों विशेषकर राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वालों को प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिए। कतिपय अज्ञात कारणों से इसे कम करके 20 डालर प्रतिदिन कर दिया गया। मुझे खेल मंत्री जिन्होने इस दल का नेतृत्व किया था से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। हमने तुरंत इसे सप्ताहान्त के अंदर पुन: 35 डालर प्रतिदिन कर दिया ताकि हमारे एथेलीट्स को कठिनाई नहीं हो।

दूसरी बात यह है कि सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड का दर्जा और सुविधा समान होगा। यदि आप इस संबंध में पत्राचार करेंगे तो मैं यह लिखित रूप में दे सकता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव: मैंने आपको पहले ही लिखा है।

श्री जसवन्त सिंह: हम वाटर स्पोर्ट्स को शामिल करेंगे। यह एक विचित्र स्थिति है कि जब तक आप खेल में अच्छा नहीं करते हैं आपको इसकी सुविधाएं नहीं दी जायेगी। मैं इससे अलग कार्य करना चाहता हूं। जब तक आपके पास सुविधा नहीं होगी आप इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? अत: हम इस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं कि बगैर सुविधा के कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगा। अत: पहली आवश्यकता सुविधाओं के व्यवस्था की है। इसके पश्चात ही आप अन्य बात कह सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा इस संबंध में एक अलग दृष्टिकोण है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपको अपने संघ की ओर से बधाई देता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव: कृपया रोविंग फेडरेशन की बधाई भी स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अतिरिक्त अनुदान की मांग (सामान्य), 1999-2000 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 100 के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनदुान से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2002-2003 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं-मांग सं. 1, 9 से 14, 23 से 26, 28, 38 से 40, 42, 48, 54, 56, 58, 61, 66, 71, 75, 78, 81 से 83, 85, 88 और 102।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.18 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2002*

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय, विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 31.7.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.21 बजे

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2002*

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 को सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जो पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख इस्पात निर्माण कंपनी है, के पुनरुद्धार की मांग की गई है। मेकन द्वारा एक पुनरुद्धार योजना तैयार करके भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सौंपी गयी थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव को इस्पात मंत्रालय को मंजूरी हेतु भेजा है। मेकन द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एक बार में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से 1032 करोड़ रुपये पैकेज स्वरूप दिए जाने हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 31.7.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री बसुदेव आचार्य]

बीआईएफआर ने अपनी पिछली बैठक में भारत सरकार को 1 जुलाई, 2002 तक एक पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। मंत्रिमण्डल द्वारा एक पुनरुद्धार पैकेज पर मंजूरी दी गई लेकिन यह मेकन द्वारा प्रस्तुत पैकेज के अनुरूप नहीं थी और इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सौंपा गया जिसने इसे भारत सरकार को सौंप दिया। भारत सरकार कोई बजटीय समर्थन नहीं दे रही है। भारत सरकार जैसा कि यहां बताया गया है, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु 186 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के रूप में दे रही है। भारत सरकार वीआरएस पर 186 करोड़ रुपए कम कर रही है लेकिन इसके द्वारा पुनरुद्धार हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि नहीं दी गई है। माननीय इस्पात मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि भारत सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी हेतु एक पुनरुद्धार योजना स्वीकृत की है। जिसमें अन्य बातों के अलावा कुल्टी वर्क्स में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्त पोषण सहित अनुदान शामिल है। जिसे बंद किया जाना है। कुल्टी वर्क्स को बंद करने हेतु भारत सरकार 186 करोड़ रुपए दे रही है लेकिन इंडियन आयरन और स्टील कंपनी का पुनरुद्धार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार हेतु धन जुटाने की गारंटी देने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बर्नपुर वर्क्स हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु धनराशि जुटाने की गारंटी देने का निर्णय लिया है और यह बर्नपुर वर्क्स के पुनरुद्धार हेतु नहीं है। इसको एक राष्ट्रीयकृत कंपनी है। आज लगभग 3000 श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं। इनके पास अपना कोयले का खान और लौह अयस्क की खान है। यह अत्यंत लाभप्रद स्थल पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस्को पर लगभग दो लाख व्यक्ति निर्भर हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार मेकन द्वारा तैयार किए गए 182 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को चरणबद्ध रूप से लागू करने पर विचार करेगी ताकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जो एक अग्रणी निर्माण कम्पनी है का पुनरुद्धार किया जा सके।

मेरा दूसरा प्रश्न केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा और लेखे कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता के बारे में लम्बे समय से लम्बित मामले के बारे में है। तीसरे वेतन आयोग तक तो समानता थी लेकिन चौथे वेतन आयोग से इसमें अन्तर आया था।

महोदय, तीन केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से निर्णय प्राप्त है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य आपने सूचना दी है और इसीलिए मैंने आपको अनुमति दी है। कृपया इतना अधिक समय मत लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय सभी तीन केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की पीठों ने केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों और लेखापरीक्षा और लेखे कर्मचारियों के समान वेतनमान देने के आदेश दिये हैं। जब कोई निर्णय दिया गया है तो फिर यह समानता क्यों नहीं बनाए रखी जाती? मेरा अनुरोध है कि यह समानता जो चौथे वेतन आयोग में अव्यवस्थित हुई है उसे पुन: बहाल किया जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, कृपया मुझे भी दो मिनट का समय दीजिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको सूचना देनी चाहिए थी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने तो सूचना दी थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य ने सूचना दी थी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी मैं आपको विशेष स्थिति में अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक अनुरोध करता हूं। वह अभी आश्वासन नहीं दे सकते। वह इस मामले पर विचार कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह इसे अभी करें।

वित्त मंत्रालय सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शत प्रतिशत धन प्रदान करता है जो गृह मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। श्री एम. वैंकट नायडू जब वह ग्रामीण विकास मंत्री थे तब उन्होंने एक विचित्र चीज की थी। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम का कार्यान्वयन करने से पहले उस परियोजना की व्याख्या के लिए स्थानीय लोक सभा के संसद सदस्यों को शामिल करना चाहिए। मैं केवल इस बात पर बल दे रहा हूं। पूरे सदन में सीमा क्षेत्र में मुश्किल से 30-40 संसद सदस्य हैं चाहे यह सीमा चीन, पाकिस्तान बंगलादेश भूटान अथवा नेपाल से जुड़ी हो। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सीमा क्षेत्र वाले निर्वाचन क्षेत्रों में यदि आप निदेश दे कि कार्यक्रम का चुनाव करते

[श्री बसुदेव आचार्य]

हुए जब जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए तो यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरे, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्ट्यूमेन्ट कम्पनी, वस्त्र मंत्रालय के अधीन नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, भारी उद्योग के अधीन बर्न स्टैन्डर्स और पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन हुगली डॉक को इन इकाइयों को स्थापित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष जारी है। कई बंध किए गए हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि यदि वह नोडल मंत्रालय और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ इन सभी समस्याओं पर चर्चा यह पता लगाने के लिए करे कि क्या वह इस इकाई के लिए कुछ स्थायी पैकेज और जीवनक्षम पैकेज देने का आश्वासन दे सकते हैं।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक हैं और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। सड़क मार्ग के मार्फत किए जाने वाला भारत-बंगलादेश व्यापार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। व्यापार की मात्रा में सात गुना वृद्धि हुई है। उत्तर बंगाल के पिछड़े हुए क्षेत्र में कलियागंज से राधिकापुर तक के क्षत्र के लोग, जो भारत बांग्लादेश व्यापार का मुख्य निर्यात क्षेत्र है, अवसंरचना सहायता के अभाव के कारण संकट में है, जिसके लिए मात्र 15 करोड़ से 17 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं वहां कई बार गया हूं और मैंने वहां बहुत बड़ा जैम पाया है। इसलिए यदि आप इस कलियागंज से राधिकापुर तक भारत बंगलादेश सीमा व्यापार परियोजना पर विचार करते हैं तो मैं आपका आभारी होऊंगा। इससे हमारे निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने में काफी सहायता मिलेगी।

श्री जसवन्त सिंह: मैं समझता हूं कि माननीय श्री बसुदेव आचार्य ने परिश्रमशीलता का उदाहरण स्थापित किया है जब उन्होंने अपनी वचनबद्धता के मामले उठाये हैं। इन्होंने सिद्धांततः दो मुद्दे उठाए हैं पहला 'इसको' के पुनः चालू करने से संबंधित है और दूसरा केन्द्र सरकार और लेखापरीक्षा कार्यालय के कार्मिकों के वेतनमानों में समरूपता से संबधित है।

माननीय श्री आचार्य और मैंने कई दशकों तक एक साथ काम किया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह मुझे इस विषय के बारे में लिखे ताकि मैं उन्हें यहां आश्वासन देने के बजाय विस्तार से बताने में सफल हो सकूं क्योंकि यह फिर आश्वासन बन जाएगा और यह आश्वासन संबंधी समिति के पास भेजा जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: यहां तक कि सभा में दिये गए आश्वासन कार्यान्वित नहीं किये जाते क्योंकि मैं आश्वासन संबधी समिति का सभापति था और मैंने इसे देखा है। यह मेरा अनुभव है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): कई बार वह आश्वासन देते हैं कि वे छोटा सा भाषण देंगे। यह आश्वासन संबंधी समिति के पास नहीं भेजा जाता।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप उनके भाषण को 'छोटा भाषण' की संज्ञा दे रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिये गये छोटे भाषण संबधी आश्वासन को आश्वासन संबंधी समिति के पास जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, क्या माननीय मंत्री जी इसके संबंध में आश्वासन देना चाहेंगे?

श्री जसवन्त सिंह: नहीं, मैं नहीं दे सकता महोदय क्योंकि इससे केवल कागजी कार्यवाही में वृद्धि होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने सुबह 11 बजे सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: 11.45 बजे दी थी।

श्री जसवन्त सिंह: लेकिन, महोदय यदि माननीय सदस्य मुझे लिखेंगे तो मैं विस्तार में उन्हें बताने में समर्थ हो पाऊंगा।

माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दो मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा सीमा क्षेत्र विकास कोष के प्रयोग में संसद सदस्यों को शामिल करने से संबंधित है। मैं कोष के उपयोग को नहीं देखता हूं यह भिन्न मंत्रालय का कार्य है। इसे वास्तव में उस विशेष मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा भारत और बंगलादेश के बीच सड़क मार्ग से व्यापार में बढ़ोत्तरी करने के बारे में है। यह निश्चय ही समर्थन करने लायक है और मैं व्यक्तिगत रूप से कठिनाईयों के संबंध में अत्यन्त चिन्तित हूं। मुझे बताया गया है कि ये कठिनाईयां कलकत्ता-ढाका, मार्ग के साथ-साथ उत्तर बंगाल सड़क दोनों पर जानबूझकर बनाई गई हैं। यह जानबूझकर इसलिए है क्योंकि वे अतिरिक्त संवैधानिक संसाधन सृजित करते हैं। इसे सही करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यदि यह अवसंरचनात्मक विकास तक ही सीमित है जिसमें बेहतर सड़क मुहैया कराना सड़कों को चौड़ा करना, वाहनों की आवाजाही सुविधाएं आदि है, मुझे इसका पता है। यदि यह केवल इतना है तो इसको आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए यह नहीं है। इसमें गहरी भ्रान्ति है। क्या श्री दासमुंशी मुझे लिखेंगे ताकि मैं उन्हें विस्तार से उत्तर दे सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वे आज बहुत उदार है।

अब प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी दी गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब हम अगली मद लें?

श्री बसुदेव आचार्य: जी नहीं, महोदय हम इसे कल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 1 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 अगस्त, 2002/10 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।